



# आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक

लेखक  
एम० एस० जैन  
एम० ए०, पी०एच० डी०  
रीडर,  
इतिहास एवं संस्कृति विभाग  
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर



राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी  
जयपुर

“शिक्षा तथा समाज-कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय ग्रन्थ योजना के अन्तर्गत राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित।”

प्रथम संस्करण : १९७३

मूल्य : १२.००

© सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन

प्रकाशक :

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी  
ए-२६/२ विद्यालय मार्ग, तिलक नगर,  
जयपुर-६

मुद्रक :

जयपुर मान प्रिन्टर्स,  
भारतवासी का दरवाजा, चौड़ा रास्ता  
जयपुर-३

## प्रस्तावना

भारत की स्वतन्त्रता के बाद इसकी राष्ट्रभाषा को विश्वविद्यालयों के माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रश्न राष्ट्र के सम्मुख था । में इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध नहीं माध्यम-परिवर्तन नहीं किया जा सकता था । परिणामतः भारत न्यूनता के निवारण के लिए "वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली स्थापना की थी । इस योजना के अन्तर्गत पीछे सन् १९६९ में पाँच प्रदेशों में ग्रन्थ अकादमियों की स्थापना की गई ।

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर के निर्माण में राजस्थान के प्रतिष्ठित विद्वानों तथा अध्यापकों का सहय रही है और मानविकी तथा विज्ञान के प्रायः सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट का निर्माण करवा रही है । अकादमी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त से भी अधिक ग्रन्थ प्रकाशित कर सकेगी, ऐसी हम आशा करते हैं; इसी क्रम में तैयार करवाई गई है । हमें आशा है कि यह अपने वि योगदान करेगी ।



## विषय-सूची

प्राङ्गण	i-vi
१. १८५७ ई० से पूर्व का राजनीतिक चिन्तन-	१
२. सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ विचार पद्धति (१८१७-१८६८)	१३
३. अलीगढ़ विचार पद्धति का विस्तार (१८६८-१९०६)	५२
४. मौलाना मोहम्मद अली (१८७८-१९३१)	७१
५. शेख मोहम्मद इकबाल (१८७३-१९३८)	१०१
६. अबुल कलाम आजाद (१८८८-१९५८)	१२७
७. मोहम्मद अली जिन्ना (१८७६-१९४८)	१४६
८. आधुनिक मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन का केन्द्र बिन्दु	१६७
सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची	१७७
अनुक्रमणिका	१८१



## प्राक्कथन

जिन प्रकार आधुनिक भारत के इतिहास में अंग्रेजों की नीति को भली-भाँति समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन स्रोतों और ग्रन्थों के आधार पर ही अपनी धारणाएँ बनाएँ जो अंग्रेज अधिकारियों तथा कूटनीतिज्ञों द्वारा लिखे गए हैं उमी प्रकार भारतीय नेताओं के चिन्तन को समझने के लिए यह परम आवश्यक है कि हम उन नेताओं के भाषणों तथा पत्रों और लेखों के आधार पर ही उनके विचारों का प्रतिपादन करें। नीति-निर्माणाओं तथा विचारकों के वास्तविक उद्देश्यों को केवल उन्हीं के लेखों और भाषणों द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है, अन्य व्यक्तियों अथवा आलोचकों द्वारा लिखे गए लेखों में प्रशंसात्मक, आलोचनात्मक अथवा व्यक्तिगत भावनाओं का मिश्रण हो जाता है।

इतिहास के निर्माण में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तत्त्वों का योगदान महत्त्वपूर्ण तो होता है किन्तु वे तत्त्व किसी भी महत्त्वपूर्ण निर्णय से पूर्व भी विद्यमान रहते हैं और विभिन्न व्यक्तियों के समक्ष पहले से उपस्थित रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मुख्य प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या वह निर्णय जो एक समय पर वास्तव में लिया गया अथवा वह दिशा जिस ओर किसी समुदाय का विकास हुआ पहले से स्पष्ट थी? यदि नहीं, तब उन परिस्थितियों की निर्णायकता किम प्रकार निश्चित कर सकेंगे? यह ध्यान रखने योग्य बात है कि परिस्थितियों और आर्थिक तत्त्वों को किमी दिशा में मोड़ने का निर्णय परिस्थितियाँ स्वयं नहीं करती। वास्तविकता यह है कि सामाजिक और आर्थिक तत्त्व मानव समाज के समक्ष प्रत्येक अवसर पर विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करते रहते हैं। उन विकल्पों में से कौन-सा विकल्प स्वीकृत हुआ और क्यों? स्वीकृत निर्णय के ज्ञान उपलब्ध हो जाने के पश्चात् भले ही हम इस प्रश्न का उत्तर कुछ सामाजिक और आर्थिक तत्त्वों में ढूँढ़ लें किन्तु पहले से उम निर्णय की भविष्यवाणी कर पाना अत्यन्त कठिन (प्रायः असम्भव) है। यदि किसी सीमा तक उन सामाजिक और आर्थिक तत्त्वों का जिनके निर्णायक होने की सम्भावना हो सकती है ध्यान किया भी जा सके तो यह केवल नेताओं के चिन्तन के लक्ष्यों की जानकारी के आधार पर ही सम्भव है। किमी भी समुदाय के महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों और नेताओं के चिन्तन का अध्ययन करने से हमें यह ज्ञात हो जाना है कि वे सामाजिक और आर्थिक तत्त्वों द्वारा प्रस्तुत विकल्पों में से किस विकल्प को पुष्टि करेंगे अथवा किसे ग्रहण करेंगे।



आधुनिक भारत के विकास के समझने में भारतीय चिन्तन का अध्ययन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। सामान्यतः यह समझ लिया जाता है कि अंग्रेजी शासकों द्वारा स्थापित नीति का अध्ययन ही आधुनिक भारतीय इतिहास के ज्ञान के लिए पर्याप्त है। निःसन्देह वह नीति आधुनिक भारतीय इतिहास का एक आवश्यक अंग है किन्तु केवल एक अंग मात्र है। भारतीय राष्ट्र के निर्माण में भारतीय नेताओं के चिन्तन तथा भारत की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का योगदान भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। भारतीय नेताओं के चिन्तन की ओर कम ध्यान दिया गया है। इस चिन्तन के अध्ययन के बिना यह समझ में नहीं आता कि भारत के विभिन्न सम्प्रदाय आपस में मिलकर क्यों नहीं रह सके? यह प्रश्न उस समय और अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है जब हम यह स्मरण रखें कि भारत के विभिन्न सम्प्रदाय एक-सी आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में रहते थे। ये सम्प्रदाय अलग-अलग धर्मविलम्बी होते हुए भी सामाजिक दृष्टि में अलग-अलग कक्षाओं में विभक्त नहीं थे। भारत के विभिन्न नगरों और गाँवों में विभिन्न सम्प्रदायों के लोग पुल-मिलकर रहते थे और धर्म का सम्बन्ध अधिकांशतया व्यक्तिगत और निजी क्षेत्र से था। यह बात दूसरी है कि किसी सम्प्रदाय के नेताओं ने अपने प्रभाव को अधिक विस्तृत बनाने के लिए धर्म और धार्मिक संस्थाओं का प्रयोग किया हो।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत में राष्ट्रीय जागरण धारम्भ हुआ था किन्तु भारतीय मुसलमानों के प्रभावशाली नेता मुसलमानों के राजनीतिक अस्तित्व के विषय में बहुत पहले से जागरूक थे। शाह बलीउल्लाह और हाजी शरियत उल्लाह के चिन्तन के अध्ययन से इस बात की पुष्टि होती है। इस पुस्तक में आधुनिक भारत में मुसलमानों का राजनीतिक चिन्तन शाह बलीउल्लाह में ही धारम्भ किया गया है। धारम्भ में इस राजनीतिक चिन्तन के समस्त प्रमुख समस्या मुसलमानों की उस प्रधानता को बनाए रखने की थी जो मुसलमानों की १८ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक भारत में उपलब्ध थी। जब इस प्रधानता की उपलब्धि तथा स्थापना की समस्या सम्भावनाएँ १९ वीं शताब्दी के मध्य तक समाप्त हो गईं और भारत में विदेशी साम्राज्य स्थापित हो गया तब भारतीय मुसलमान राजनीतिक विचारकों का मध्य अंग्रेजों से सत्ता छीनना नहीं था। १९ वीं शताब्दी के अन्तिम दशकों में भारत में प्रजातान्त्रिक प्रशासन प्रणाली की माँग धारम्भ हुई। इस समय भारतीय राष्ट्रीय नेता अंग्रेजी नियन्त्रण समाप्त करने की कल्पना नहीं करते थे।

वे अल्पसंख्यक मुसलमानों पर शासन कर सकें।

यह एक मात्र लक्ष्य विभिन्न प्रभावशाली मुसलमान राजनीतिक विचारकों के चिन्तन का स्रोत रहा है। इसलिए उनमें ने अधिकांश ने अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का प्रश्न उठाया था किन्तु ये हित आर्थिक, सामाजिक अथवा धार्मिक न होकर केवल राजनीतिक ही थे। इसलिए वे सब प्रयत्न जो विभिन्न मुस्लिम विचारकों के चिन्तन को आर्थिक अथवा शैक्षणिक पिछड़ेपन से जुड़ा हुआ मानते हैं मुस्लिम पृथक्ता को भलि-भांति समझाने में असमर्थ रह जाते हैं। आधुनिक युग में शिक्षा, उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में हिन्दुओं और मुसलमानों में परस्पर सहयोग के विभिन्न उदाहरण मिलते हैं किन्तु इस युग में राजनीति के क्षेत्र में इस प्रकार के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। खिलाफत आन्दोलन ही एकमात्र ऐसा उदाहरण है जबकि दोनों सम्प्रदायों ने व्यापक रूप से मिलकर कार्य किया था। इस आन्दोलन के वास्तविक लक्ष्य एवं स्वरूप पर मौलाना मोहम्मद अली के अध्याय में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस आन्दोलन का प्रमुख लक्ष्य मुसलमानों को राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित तथा संगठित करना था।

राजनीतिक क्षेत्र में भारत के दोनों प्रमुख सम्प्रदायों के मध्य व्यापक सहयोग अधिक समय तक क्यों नहीं हो सका? यह प्रश्न १८८७ ई० से भारतीय नेताओं और इतिहासकारों के समक्ष प्रमुख बना रहा है। १८८७ ई० से १९४७ ई० तक अधिकांश राष्ट्रीय नेता इस असहयोग तथा पृथक्ता को अंग्रेज साम्राज्यवादियों की एक 'देन कहते रहे। डग तर्क पर विश्वास कर लेना भी सरल था क्योंकि अंग्रेज साम्राज्यवादियों का लक्ष्य राष्ट्रवादियों के राष्ट्रीय एकता के प्रयत्नों को दुर्बल बनाना था। मुसलमान राजनीतिज्ञ भी इसी प्रकार के तर्कों को कभी-कभी दोहरा देते थे जिससे राष्ट्रवादी नेताओं के कथन तथा सन्देश की पुष्टि होती रहती थी। राष्ट्रवादी नेताओं ने इस सम्बन्ध में मुसलमान नेताओं के विचारों का कम अध्ययन किया था। उन्होंने उनके मगस्त विचारों के स्थान पर उनके कुछ वाक्यों को तथा अपनी मान्यताओं को अधिक महत्त्वपूर्ण माना था। राष्ट्रवादियों के समक्ष बार-बार ऐसे अवसर उपलब्ध हुए जब मुसलमान राजनीतिज्ञों ने अपना मन्तव्य स्पष्ट किया था। किन्तु राष्ट्रवादियों ने वास्तविकता में साक्षात्कार को सदा टाल दिया और वे स्वयं यह विश्वास करते रहे कि वास्तविकता वह थी जिसे उन्होंने मान रखा था। इस तथ्य के परीक्षण का अवसर उस समय उपलब्ध हुआ जब १९३७ ई० में पहली बार प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए निर्वाचन हुए थे। राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त को छोड़कर अन्य भारतीय प्रान्तों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने में प्रायः असफल रही थी। उस समय भी वास्तविकता से मुँह मोड़कर राष्ट्रीय नेता पार्लियामेन्टरी प्रणाली की गुत्थियों में उलझ गए।

अंग्रेज इतिहासकारों, कूटनीतिज्ञों एवं प्रशासकों का यह प्रयत्न रहा कि वे यह सिद्ध कर दें कि भारत के दोनों बड़े सम्प्रदायों में आपस में अत्यधिक मतभेद था इसलिए

यदि ये दोनों सम्प्रदाय सामुदायिक दृष्टि से सम्मिलित होकर राजनीतिक काम नहीं कर सके तो इसका दोष इन दोनों सम्प्रदायों के दो पृथक् सामाजिक अस्तित्वों में था। इसके लिए किसी तीसरे पक्ष अथवा किसी बाह्य कारण को ढूँढने का प्रयत्न निरर्थक था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भी विभिन्न अंग्रेज इतिहासकार अंग्रेजी साम्राज्यवाद को निर्दोष सिद्ध करने में लगे हुए हैं। वास्तव में अंग्रेजी साम्राज्यवादियों ने साम्प्रदायिकता और साम्प्रदायिक भेदभाव बढ़ाने में पर्याप्त योगदान दिया है। साम्प्रदायिक निर्णय (कम्यूनल एवार्ड, १९३२) से आरम्भ होकर भारत विभाजन तक की घटनाओं के क्रम में तो यह योगदान अत्यधिक उभर कर सामने आता है। जहाँ एक ओर इस योगदान की उपेक्षा करना असम्भव है वहाँ दूसरी ओर केवल इसी पर दृष्टि केन्द्रित किए रहना भी अपर्याप्त है। यह ध्यान रखने की बात है कि किसी भी बाह्य तत्त्व का प्रभाव एक समुदाय के हितों के लिए उसी समय निर्णायक तथा स्थायी हो सकता है जबकि उस समुदाय के वास्तविक लक्ष्यों को उस बाह्य तत्त्व ने भली-भाँति समझ लिया हो। इसलिए केवल अंग्रेजी साम्राज्यवादियों की भेद-नीति के आधार पर ही अपनी धारणाएँ बना लेना महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों की अनदेखी करने के समान होगा।

भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में धर्म-निरपेक्ष गणतन्त्र की स्थापना की गई है। इसलिए स्वतन्त्रता पूर्व के मुसलमानों के राजनीतिक चिन्तन के अध्ययन की ओर कम ध्यान दिया गया है। इस बात का भी प्रयत्न किया जाता है कि मुस्लिम साम्प्रदायिकता को तथा मुसलमान विचारकों के आन्दोलन को आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन से जोड़ दिया जाए। ऐसे सब प्रयत्न इस तथ्य के समक्ष असफल हो जाते हैं कि मुसलमानों के पृथक् हितों को दुहाई देने वाले आन्दोलन का प्रभाव मुख्यतः उन प्रान्तों में अधिक रहा था जिनमें मुसलमान आधिकारिक स्थिति, राजकीय सेवाओं अथवा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं थे।

पिछले दो वर्षों में बंगला देश के स्वतन्त्र गठन से विभिन्न विद्वान तथा राजनीतिज्ञ यह मानते हैं कि जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धान्त का अन्त हो गया है। यह उन अर्थों में उचित प्रतीत होता है जिनके अनुसार भारत-विभाजन धार्मिक मतभेदों के आधार पर हुआ माना जाता है। किन्तु मुस्लिम राजनीतिक विचारकों के चिन्तन के इतिहास का अध्ययन करने पर धर्म का योगदान गौण दिखाई पड़ता है। जिन्ना का "दो राष्ट्र सिद्धान्त" तो पाकिस्तान की माँग का एक औचित्य मात्र था उसका कारण नहीं था। भारत-विभाजन का वास्तविक कारण मुस्लिम राजनीतिक विचारकों की मुसलमानों के विशिष्ट हितों की वह कल्पना रही है जिसके अनुसार वे एक समुदाय के रूप में हिन्दुओं के बराबर अधिकार उपलब्ध करना चाहते थे। पाकिस्तान के निर्माण से उन्हें इस समानता की उपलब्धि का एक अवसर मिला था। (ग्रामिक रूप में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि पाकिस्तान की समस्त विदेश नीति का लक्ष्य भारत के साथ समानता प्राप्त करना रहा

है) इन राजनीतिक विचारकों की माँगें उन परिस्थितियों के अनुसार बढ़ती रही थी जिन्हें राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता अंग्रेजों से सघर्ष करके प्राप्त करते रहे थे ।

धर्म का योगदान इस राजनीतिक चिन्तन में अपेक्षाकृत कम रहा था यद्यपि अधिकांश मुस्लिम विचारक कुरान से प्रेरणा लेते रहे थे और कई नेताओं ने कुरान के ग्रंथों की नयी व्याख्या भी की थी । कुरान को अपने प्रोग्राम का आधार बना लेने से मुसलमान राजनीतिक नेता अपने प्रोग्राम की लोकप्रियता और स्वीकृति के विषय में निश्चिन्त हो जाते थे । कुरान की सहायता से उन्हें एक साधन उपलब्ध हो जाता था जिसके द्वारा कुछ मुसलमान राजनीतिक विचारकों ने अपने राजनीतिक कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया था । घटनाओं का क्रम कुछ इस प्रकार से चला और १९३७ ई० के पश्चात् कुछ राजनीतिक नेताओं ने राजनीति और धर्म को इस प्रकार घुला-मिला दिया कि दोनों के प्रयत्न योगदान का मूल्यांकन करना कठिन हो गया । भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के २५ वर्ष पश्चात् भारत-विभाजन के लिए उत्तरदायी एक पक्ष के राजनीतिक चिन्तन का अध्ययन निष्पक्षता के वातावरण में सरलता से किया जा सकता है । यह प्रयत्न राष्ट्रीय एकता के हित को बढ़ाने की दृष्टि से ही किया जा रहा है जिससे हम उस राजनीतिक तत्त्व को पहचान सकें जो देश विभाजन में निर्णायक योगदान दे सका है । उस तत्त्व को धर्म के साथ जोड़कर भ्रान्ति में न पड़ें ।

कुछ लेखकों ने इस बात का प्रयत्न किया है कि वे मुसलमान राजनीतिक नेताओं के पृथक्तावादी विचारों के लिए राष्ट्रवादी नेताओं को ही उत्तरदायी ठहरा दें क्योंकि उनके अनुसार राष्ट्रीय आन्दोलन के विभिन्न नेता परस्पर विरोधी विचार रखते थे, उनमें लक्ष्य की एकता नहीं थी । कुछ स्थानों पर जहाँ मुसलमान राजनीतिक विचारकों के पृथक्तावादी चिन्तन के लिए राष्ट्रवादियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता वहाँ ऐसे लेखकों ने उन राजनीतिक विचारकों के चिन्तन में अन्तर्विरोध बताकर उन्हें दोष से मुक्त करने का प्रयत्न किया है ।

यद्यपि मैं यह स्वीकार करने को तैयार हूँ कि कुछ महात्वा विचारकों के चिन्तन में कहीं-कहीं अन्तर्विरोध हो सकता है किन्तु जब किसी लेखक द्वारा कई नेताओं के चिन्तन में बहुधा अन्तर्विरोध दिखाया जाए जैसा मुस्लिम राजनीतिक विचारकों के सम्बन्ध में बताया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस लेखक ने उन नेताओं के समझने में अंधधुंध कुछ गलती की है । इस कठिनाई को हल करने के लिए मैंने अधिकांशतः विचारकों के चिन्तन को उनके शब्दों में ही व्यक्त करने का प्रयत्न किया है । अपनी भाषा में उनके विचारों को लिखने में यह सम्भव था कि भाषा और अर्थ अधिक रूचिकर हो जाता लेकिन साथ ही यह भय भी था कि कहीं वह बर्गुन व्यक्ति-निष्ठ न समझ लिया जाए । विचारकों के वाक्यों को ज्यों का त्यों रखने में पुस्तक की भाषा प्रवाह की शैली में भी कुछ अन्तर पड़ गया है । आशा है पाठकगण इस दोष पर अधिक ध्यान नहीं देंगे ।

पुस्तक में प्रत्येक पृष्ठ के नीचे उन स्रोत ग्रन्थों का वर्णन किया गया है जहाँ से उन वाक्यों को लिया गया है। इन स्रोत ग्रन्थों का संदर्भ बताने से मेरा अभिप्राय यह है कि राजनीतिक विचार सम्बन्धी विवरण प्रामाणिक है। प्रायः समस्त स्रोत ग्रन्थ उर्दू भाषा में हैं इसलिए पुस्तक में उर्दू भाषा के शब्द पर्याप्त रूप में प्रयोग किए गए हैं। कुछ उर्दू शब्दों का अनुवाद हिन्दी में नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ : कौम शब्द का कोई अनुवाद नहीं किया है क्योंकि इस शब्द के कई अर्थ उर्दू भाषा में होते हैं उन अर्थों को सर संयद के संदर्भ में स्पष्ट कर दिया गया है। यह पाठको पर छोड़ दिया गया है कि वे कौम शब्द का अर्थ संदर्भ देख कर समझ लें।

इस पुस्तक के लिखने का भी एक सक्षिप्त इतिहास है। अपने शोध-ग्रन्थ (दी अलीगढ़ मूवमेंट, १९६५) को प्रकाशित कर देने के पश्चात् मैंने प्रायः मुस्लिम साम्प्रदायिकता के अध्ययन में रुचि लेना छोड़ दिया था। किन्तु मार्च १९७१ तथा मार्च १९७२ ई० में नेहरू म्यूजियम द्वारा "दी कम्पूनल प्रोग्राम—1919-1947" पर आयोजित सेमिनार में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किए जाने के पश्चात् पुनः इस विषय के अध्ययन की ओर मेरा ध्यान आकर्षित हो गया। मुझे यह अनुभव हुआ कि साम्प्रदायिकता की समस्या अब सम्भवतः एक पक्षीय ही समझी जाने लगी है। तिलक, नेहरू, गांधी, मदनमोहन मालविया, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, वीर सावरकर आदि के चिन्तन में साम्प्रदायिकता की खोज, फल उल हक जैसे नेता (जिसने २३ मार्च १९४० ई० को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था) के चिन्तन में राष्ट्रीय तत्त्व डूँडना, और मुस्लिम साम्प्रदायिक नेताओं के चिन्तन की अनदेखी करना अब प्रगतिशीलता के लक्षण माने जाने दिखाई पड़ते हैं। मुझे यह भी आभास हुआ कि आधुनिक भारतीय इतिहास के अधिकांश विद्वान उर्दू और फारसी भाषाओं से सम्भवतः कम परिचित थे इसलिए भी मुसलमान राजनीतिक विचारको के विषय में कुछ कहने में संकोच करते थे। इन कारणों से मेरे मन में यह इच्छा हुई कि मुस्लिम राजनीतिक विचारकों पर हिन्दी में एक मौनिक शोध ग्रन्थ लिख दिया जाए। मैं लगभग डेढ़ वर्ष के परिश्रम के पश्चात् इस पुस्तक को पूरा कर पाया हूँ। इस कार्य में श्री यशदेव शर्मा, उप-निदेशक, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, और प्रो० जी. सी. पाण्डे, अध्यक्ष, इतिहास एवं भारतीय सस्कृति विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, ने बहुत प्रोत्साहन दिया। इस पुस्तक के लिखने में शोध-सामग्री जुटाने में मेरे मित्र डॉ० के. एम. मिश्रा ने भी विशेष सहायता की है। मैं उन सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

## १८५७ ई० से पूर्व का राजनीतिक चिन्तन

आधुनिक भारत के मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन की सबसे प्रमुख अभिलाषा मुसलमानों के खोए हुए प्रभुत्व को पुनः प्राप्त करने की थी। मौलाना उबैदुल्ला मिन्धी मुसलमानों के कौमी तथा राजनीतिक संघर्ष का आधुनिक इतिहास सर संयद, मौलाना मोहम्मद अली अथवा मुस्लिम लीग से प्रारम्भ करना गलत समझते हैं। उनके विचार में श्रृंखला की भाँति यह सब शाह बलीउल्लाह के आन्दोलन से जुड़ा हुआ है और मुसलमानों में राजनीतिक जागरण का प्रारम्भ शाह बलीउल्लाह में ही मानना चाहिए।<sup>१</sup>

१८वीं शताब्दी के प्रथम दशक में ही मुगल सत्ता पतन की ओर जा रही थी और उस समय के प्रमुख मुस्लिम विचारक शाह बलीउल्लाह के समझ यह ही सबसे बड़ी समस्या थी। बलीउल्लाह का जन्म १७०३ ई० (१११४ हि०) में हुआ था। उनके पिता, शाह अब्दुल रहीम, औरंगजेब के समय में फतवा-ए-आलमगीरी के सक्लनकर्ताओं में से एक थे। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा उनके पिता की देख-रेख में ही हुई थी। बलीउल्लाह १७ वर्ष के ही थे कि उनके पिता की मृत्यु हो गई। १७२० ई० के पश्चात् बलीउल्लाह ने अध्यापन कार्य प्रारम्भ किया। १२ वर्षों तक अध्यापन करने के पश्चात् वे मक्का मदीना चले गये जहाँ वे दो वर्ष रहे। बलीउल्लाह इस्लाम की गिरती हुई दशा से भली-भाँति परिचित थे। वहाँ में वे १७३४ ई० में देहली वापस आए। देहली में उन्होंने पुनः अध्यापन कार्य प्रारम्भ कर दिया। नजीबउद्दौला उनके विशेष शिष्यों में से एक था। शाह साहब उत्तरी भारत की

१. उबैदुल्ला मिन्धी : शाह बलीउल्लाह और उनकी शियासी गहरीक (१९४४) पृ० २३-२४ यह टिप्पणी पुस्तक की भूमिका विद्यने वाले प्रो० मोहम्मद मन्वर की है।

राजनीति में विशेष रुचि रखते थे। उन्होंने अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिए १७४३ ई० में एक मदरसा स्थापित किया। १७६३ ई० में उनकी मृत्यु हो गई।

मुसलमानों की गिरती हुई स्थिति के लिए शाह बलीउल्लाह ने दो मुख्य कारण बताए। पहला कुरान और हदीस का अध्ययन न करना तथा दूसरा मुसलमानों में आपसी फूट। शाह साहब ने पहले दोष को दूर करने के लिए यह आवश्यक समझा कि कुरान का वास्तविक ज्ञान अधिक मुसलमानों को होना चाहिए, इसलिए उन्होंने मक्का जाने के पूर्व ही कुरान का फारसी अनुवाद आरम्भ कर दिया था<sup>२</sup> यद्यपि यह अनुवाद-वाद में पूरा हुआ था। कहा जाता है कि मुसलमानों ने इस कार्य के विरुद्ध अपना रोप प्रगट किया और वे शाह साहब को मारने तक के लिये उताव हो गए लेकिन कुछ समय पश्चात् यह विरोध समाप्त हो गया। शाह साहब की इच्छा यह थी कि मुसलमान अपने जीवन को कुरान के अनुसार ढाल लें। यह तब ही सम्भव था जब वे इसे पढ़ें न कि कपड़े में बांध कर पवित्र ग्रन्थ की भाँति भ्रमकारी में रखें। इसलिए फारसी अनुवाद किया गया था।<sup>३</sup> इसी फारसी अनुवाद का नाम उन्होंने "फतह उल रहमान" रखा था। इस अनुवाद के माध्यम से शाह साहब अपने राजनीतिक प्रोग्राम को पूरा करना चाहते थे। पुस्तक की हाशिया टिप्पणियों में उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यक्रम को स्पष्ट कर दिया था।

दूसरे दोष को दूर करने के लिए उन्होंने मुसलमानों की चार विचारधाराओं में समन्वय करने का प्रयत्न किया। उन्होंने शियाओं और सुन्नीयों के मतभेद को दूर करने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने प्रथम चार खलीफाओं का वर्णन इस प्रकार किया कि शिया सुन्नी सम्प्रदायों में मतभेद बहुत कम हो जाए।<sup>४</sup> इन विभिन्न सम्प्रदायों और विचारधाराओं के मतभेद कम करने के लिए उन्होंने सन्तुलन पर अधिक बल दिया। इस सन्तुलन की प्लेटो के 'न्याय' से तुलना करना शयबा प्लेटो और अरस्तू की भाँति जनसाधारण की बुद्धि तथा नैतिकता को प्रोत्साहित करने में सहायक बतलाना उचित नहीं प्रतीत होता।<sup>५</sup> वे भारत में चल रहे सुन्नी शिया मतभेद शयबा तूरानी, ईरानी, शहेले, अफगान सामन्तों के आपसी संघर्ष को समाप्त करना चाहते थे।<sup>६</sup>

शाह बलीउल्लाह ने अपने लिए 'कायम उलजमा' का कार्य निर्धारित किया था। कायम उलजमा का यह उत्तरदायित्व था कि मुस्लिम समुदाय (उम्मा) की

२. सिन्धी : पृ० ८-९।

३. मोहम्मद इकराम : रोदे-कौमर, पृ० ३२२।

४. ताराचन्द : हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेन्ट इन इन्डिया (१९६५), I, पृ० १७९। इस सम्बन्ध में बली उल्लाह ने 'इजालत उलखिफा' पुस्तक लिखी थी।

५. टीपिक निजामी : मुस्लिम पोलिटिकल थोट इन इन्डिया इयूरिंग दी फर्स्ट हाफ ऑफ दी नाइन्टीन्थ सेन्चुरी, पृ० २१।

६. मोहम्मद इकराम : रोदे कौमर, पृ० ३२४-२६, ३५९-६०।

एकता को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करे। उन्होंने इस्लाम की विभिन्न—'हनफी', शाफी, 'भोतजिली', 'अशरी', मालिकी तथा 'हंबली'—विचारधाराओं को महत्त्वपूर्ण बताया लेकिन सबको कुरान और हदीस के अधीन रखा। 'कुरान' और 'हदीस' का अर्थ नई परिस्थितियों में बताने की आवश्यकता (जिसे वे इजतिहाद कहते थे) समझाई और तकलीद (नकल करना) के दोष स्पष्ट किए।<sup>७</sup>

भारत में मुगल साम्राज्य की विगड़ती हुई स्थिति को देखकर उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'हुजात अल्लाह अल वालिधा' में विश्वव्यापी खलीफा के विचार का प्रतिपादन किया। यह विचार भारतीय मध्यकालीन इस्लामिक विचारधारा के विपरीत था जिसके अनुसार केवल प्रथम चार खलीफा ही वास्तव में खलीफा थे।<sup>८</sup> वलीउल्लाह ने कमजोर और अयोग्य राजाओं के दोषों को दूर करने के लिए विनाफत की नई ध्यास्या आरम्भ की थी।

शाह वलीउल्लाह को मुगलों की गिरती हुई दशा अत्यन्त असह्य लगी और उन्होंने मराठों तथा जाटों की शक्ति को समाप्त करने का प्रयत्न किया। कहा जाता है कि शाह वलीउल्लाह को जिस समय वे मदीना में थे एक दैवी स्वप्न दिखाई दिया जिसमें ईश्वर ने संसार की स्थिति तथा व्यवस्था को स्थायी बनाने के लिए उन्हें एक साधन बनाया था। उन्हें दिखाई दिया था कि काफ़िरो की शक्ति अत्यधिक बढ़ चुकी थी और वे अजमेर तक पर अधिकार कर चुके थे। इसके विरुद्ध कार्य करने का उत्तरदायित्व शाह वलीउल्लाह पर ही पड़ा। इस स्वप्न को उन्होंने आने वाली घटनाओं का सूचक माना था। १७३५-३७ के मध्य मराठों की शक्ति बढ़ती गई और अन्य मुसलमान नेताओं की दुर्बलता को देखकर ही शाह वली ने अहमदशाह अब्दाली को आक्रमण करने के लिए आमन्त्रित किया था।<sup>९</sup> शक्तिशाली मुस्लिम सामन्तों से दारुलइस्लाम की रक्षा के लिए सहायता मांगने की परम्परा का अनुसरण करते हुए वलीउल्लाह ने पहले खैला सरदार नजीबुद्दौला में मुस्लिम शक्ति को पुनर्जीवित करने की आस्था रखी। उसकी असफलता के पश्चात् उसने निजामउलमुल्क और ताज मोहम्मद खाँ बख्श से यह कार्य करने को कहा।<sup>१०</sup> जब यह सब नेता मराठों और जाटों की शक्ति कुचलने में असफल रहे तब वलीउल्लाह ने अहमदशाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करके मराठों और जाटों की शक्ति नष्ट करने के लिए पत्र लिखा। वलीउल्लाह ने अब्दाली को यह भी लिखा था कि नादिरशाह की भाँति वह मुगलमानों की सम्पत्ति की लूटमार न करे।<sup>११</sup> विदेशी

७ अजीज़ अहमद : स्टडीज़ इन इस्लामिक कल्चर, (१९६४) पृ० २०४।

८ अजीज़ अहमद : पृ० २०६।

९ अब्दुल्ला सिन्धी, पृ० १६७-१७१।

१० ताराचन्द, पृ० १८।

११ अली अहमद तिसामी : शाह वलीउल्लाह के मियाँसी मन्तव्य, पृ० ४७-५०, ५२, ६३-६५; अब्दुल्ला सिन्धी, पृ० २७, ६७, ११७, १७६।



आक्रमणकारी की मराठों और जाटों की शक्ति को कुचलने के लिए ही नहीं अपितु भारत में इस्लाम तथा मुसलमानों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आमन्त्रित किया गया था। इस आक्रमण का प्रभाव भयो-भाति जानते हुए भी तीफीक निजामी का यह कथन कि शाह वलीउल्लाह ने देश में शान्ति तथा सुव्यवस्था की स्थापना के लिए प्रयत्न किया, विचित्र लगता है।<sup>१२</sup>

शाह वलीउल्लाह का ध्यान इसी बात पर था कि उत्तरी भारत में मुसलमानों की शक्ति को दृढ़ बनाया जाए और मराठों और जाटों की शक्ति को कुचल दिया जाए। वे उन परिवर्तनों के महत्त्व को न समझ सके जो पूर्वी भारत तथा बंगाल में हो रहे थे।<sup>१३</sup> यह परिवर्तन अगले १०० वर्षों में भारतीय मुसलमानों की स्थिति को खराब करने में अत्यधिक सहायक हुए थे। शाह साहब ने अपनी बर्मीयत में अपने पुत्र अब्दुल अजीज को आदेश दिया था

‘हम यहाँ परदेशी हैं, हमारे पूर्वज बाहर से आकर यहाँ आबाद हो गए हमारे लिए अरबी भाषा और अरबी वंशावली सम्मान का विषय है।’<sup>१४</sup> इसलिए जहाँ तक हो सके उन आदतों और रीति-रिवाजों को जो अरब से हमारे साथ आई थी हम हाथ से न जाने दे और हिन्दुओं की आदतों और रीति-रिवाजों को हम अपने में न आने दें।<sup>१५</sup>

शाह वलीउल्लाह भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक चिन्तन में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके राजनीतिक पत्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे मुसलमानों की खोई हुई प्रधानता को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। माय ही वे मुसलमानों को कुरान के अनुयायी बनाना चाहते थे। अरब की परम्पराओं को ही वे भारतीय मुसलमानों के लिए लक्ष्य मानते थे और मरते समय उनके लिए यह बर्मीयत छोड़ गए थे कि वे हिन्दुओं के रीति-रिवाजों को न अपनाएँ। इस प्रकार वह परम्परा आरम्भ हुई जो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में दोनों सम्प्रदायों को एक-दूसरे से अलग करती चली गई।

शाह वलीउल्लाह की मृत्यु के पश्चात् मुसलमानों के उत्थान एवं प्रगति के आन्दोलन को चलाने का उत्तरदायित्व उनके ज्येष्ठ पुत्र अब्दुल अजीज (१७४६-१८२४) पर पड़ा। अपने पिता की मृत्यु के समय उनकी आयु १७ वर्ष की थी। उनके जीवनकाल में अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो चुका था और उत्तर-पश्चिमी भारत में पंजाब में सिक्ख राज्य का गठन हो रहा था। वलीउल्लाह के समय में देहली के इस्लामी राज्य में कुछ छोड़ी जान बाकी थी लेकिन अब्दुल अजीज के समय में वह नाममात्र को ही शेष रह गई थी। देहली में एक अंग्रेजी रेजिडेंट भी रहता

१२. तीफीक निजामी, पृ० २१।

१३. ताराचन्द, पृ० १८०।

१४. उबदुन्ना मिन्धी, पृ० ७३-७८, मोहम्मद इरगम पृ० ३४८।

था। इन राजनीतिक परिवर्तनों का प्रभाव अब्दुल अजीज के चिन्तन और कार्यों पर भी पड़ा था।

अब्दुल अजीज ने अपने पिता की वसियत पर कार्य करना आरम्भ किया। उन्होंने नवयुवकों के एक दल का गठन किया। जिसके माध्यम से वलीउल्लाह की शिक्षार्ण मध्यमवर्ग तथा साधारण मुसलमानों तक पहुँचाने का प्रयत्न किया गया।<sup>१५</sup> वलीउल्लाह ने १७४३ ई० में देहली में एक मदरसे की स्थापना की थी। उसी के माध्यम से उनके शिष्यों का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता गया। इसलिए कहा जाता है कि शाह वलीउल्लाह की शिक्षाओं से यदि दस व्यक्तियों को लाभ पहुँचा तो शाह अब्दुल अजीज से दस हजार व्यक्तियों को लाभ हुआ।<sup>१६</sup> अब्दुल अजीज ने साधारण जनता को कुरान समझाने के लिए "फतह उल अजीज" लिखी थी। इसमें ऐसी बातें बहुत थी जिन पर सामान्य मुसलमानों का विश्वास था। बहुत-सी ऐसी हदीस भी जो ठीक नहीं मानी जाती थी उसमें सम्मिलित कर दी गई थी।

वलीउल्लाह ने मुसलमानों के नेतृत्व के लिए कुरान का प्रोग्राम प्रस्तुत किया था। वे उम्र भावना को समाप्त करना चाहते थे जिसके अनुसार मुसलमानों के उद्धार के लिए किसी बड़े मार्ग-दर्शक की आवश्यकता थी। उनके अनुसार कुरान ही मुसलमानों का सच्चा मार्ग-दर्शन कर सकती थी। उसी मार्ग पर चलते हुए अब्दुल अजीज ने कुरान की शिक्षा को विस्तृत बनाकर अपने चारों ओर एक ऐसा समूह तैयार कर लिया जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए तैयार था। इसका लाभ यह हुआ कि उन्हें अपने कार्यक्रम को लागू करने में किसी आरम्भिक विरोध अथवा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था।

शाह वलीउल्लाह के आन्दोलन का दूसरा पक्ष मुसलमानों की राजनीतिक शक्ति को पुनः स्थापित करना था। यह तब ही संभव था जब उनमें संघर्ष और 'जिहाद' की भावना जागृत की जाए। इसके लिए अब्दुल अजीज को ऐसे शिष्यों की आवश्यकता थी जो इस जिहाद का संचालन कर सकें। अब्दुल अजीज ने अपने शिष्यों के एक मण्डल का गठन किया जिसमें सैयद अहमद बरेलवी, शाह मोहम्मद इस्माइल, मौलाना अब्दुल हैई शाह इसहाक थे। इस मण्डल का नेतृत्व शाह इसहाक करते थे और जिहाद के संचालन का कार्य सैयद अहमद बरेलवी को दिया गया था।<sup>१७</sup> सैयद अहमद को सैनिक प्रशिक्षण के लिए अमीरखा पिण्डारी के पास भेजा गया था। १८१७ ई० में जब उसे यह मालूम हुआ कि अमीरखा अग्रेशो से सन्धि करना चाहता था तो वह अमीरखा की फौज को छोड़कर दिल्ली वापस चला आया।

कहा जाता है कि शाह अब्दुल अजीज को भी स्वप्न में ईश्वर की ओर से यह

१५. उर्बुदना सिन्धी पृ० ७२।

१६. वही, पृ० ६४।

१७. वही, पृ० ७०।

आदेश मिला था कि वे 'पशतो' (पठानों की भाषा) सीखें? <sup>१८</sup> शाह वलीउल्लाह पहले ही यह कह चुके थे कि प्रशासन को चलाने की योग्यता अफगानिस्तान की ओर चली गयी थी। इससे उनका अभिप्राय, युद्ध करने की क्षमता से था। <sup>१९</sup> अब्दुल अजीज ने जब कुछ चुने हुए लोगों का एक गुट तैयार कर लिया तब उन्होंने सामान्य जनता में धार्मिक प्रचार आरम्भ किया। इस प्रकार उनका आन्दोलन मुसलमानों में अधिक लोकप्रिय हुआ।

शाह अब्दुल अजीज अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में भी थे और वे मुसलमानों को उसके ग्रहण करने के लिए कहते थे। <sup>२०</sup> अब्दुल अजीज ने एक फतवा भी प्रसारित किया था जिसमें उन्होंने यह बताया था कि दिल्ली के मुगलबादशाह का अधिकार नाममात्र के लिए ही शेष रह गया था। वास्तविक सत्ता ईसाईयों के हाथ में थी और सब स्थानों पर काफ़िरो का आधिपत्य था। ऐसे सब क्षेत्र दारुल हरब हो गए थे।

तौफीक निजामी ने इस फतवे के आधार पर अब्दुल अजीज को अंग्रेज विरोधी सघर्ष आरम्भ करने के लिए श्रेय दिया है। किन्तु इस तर्क में कई दोष हैं। न तो उन्होंने अपनी पुस्तक में इस फतवे की तारीख दी है, न ही सैयद अहमद बरेलवी को अमीरखा के पास भेजने की तिथि दी है। लेखक यह कहना चाहते हैं कि अब्दुल अजीज ने केवल फतवा ही नहीं दिया था बल्कि सैयद अहमद बरेलवी को राजपूताने में अमीरखा के सैनिक कम्प में भी भेज दिया जो जसवन्तराव होल्कर के समर्थन में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था। <sup>२१</sup> निजामी ने पृ० ५१ पर यह लिखा है कि सैयद अहमद ने अमीरखा की घुडसवार फौज में सात वर्षों तक नौकरी की। इससे दो वर्ष पूर्व तक सैयद अहमद अपने निवास-स्थान मालवा (जबकि उनका निवास स्थान रायबरेली, उत्तरप्रदेश, था) <sup>२२</sup> में रह रहे थे। <sup>२३</sup> अमीरखा ने सैयद अहमद को गैरिक तथा राजनीतिक मामलों में मुख्य सलाहकार बना लिया था। किन्तु सैयद अहमद १८१७ ई० में अमीरखा का साथ छोड़कर चले आए क्योंकि अमीरखा ने अंग्रेजों के साथ सन्धि करने का निश्चय किया था। <sup>२४</sup>

निजामी ने कई बातें ऐसी कही हैं जो परस्पर विरोधी मालूम पड़ती हैं। यदि सैयद अहमद १८१० ई० में अमीरखा की सेना में भर्ती हुए थे तब उनका यह कथन गलत हो जाता है कि उस समय अमीरखा जसवन्तराव होल्कर के

१८. अब्दुल्ला सिन्धी, पृ० २०३-२०६।

१९. वही, पृ० ६६।

२०. ताराचन्द, त्रि० २, पृ० ३५१। यह घटना १८२८ ई० के बाद की थी क्योंकि १८२८ ई० में ही दिल्ली कब्ज़े होना गया था।

२१. तौफीक निजामी, पृ० २५-२६।

२२. ताराचन्द, त्रि० २, पृ० २३।

२३. तौफीक निजामी, पृ० ५१।

२४. वही, पृ० ५२।

साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था। यदि सैयद अहमद १८०८-१० तक अपने बतन (जो निजामी साहब ने गलत लिख दिया है) उत्तरप्रदेश में रहे और १८१० ई० में वही से सीधे अमीरखां की सेना में भर्ती हो गए तब अब्दुल अजीज को सैयद अहमद के अमीरखां के पास भेजने का श्रेय देना ठीक नहीं मान्य पड़ता है। निजामी ने तथियों पर ध्यान नहीं दिया है। सम्भवतः इसलिए कि वे सैयद अहमद को अंग्रेज विरोधी सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। अमीरखां पिण्डारी को भी अंग्रेज-विरोधी घोषित करना ऐतिहासिक तथ्यों की अनदेखी करना है।

१८१०-११ ई० में अमीरखां अंग्रेज-विरोधी संघर्ष में भाग नहीं ले रहा था और अमीरखां ने अंग्रेजों के साथ अन्य मराठा सरदारों की अपेक्षा पहले सन्धि करली थी। इसलिए सैयद अहमद बरेलवी का अमीरखां की फौज में प्रशिक्षण पाना अंग्रेज विरोधी कार्य नहीं था।<sup>२५</sup>

वास्तव में अब्दुल अजीज ने अपने आन्दोलन को सफल बनाने के लिए एक केन्द्रीय समिति बनाई थी जिसमें वे स्वयं और उनके तीनों भाई थे। इस समिति की देखरेख में नवयुवकों के एक दल का संगठन किया गया जिसका संचालन मौलाना इस्माइल शहीद, मौलाना अब्दुल हैई, मौलाना मोहम्मद इमहाक और मौलाना मोहम्मद याकूब करते थे। सैयद अहमद इस संचालन मण्डल में अपनी सैनिक योग्यता के आधार पर जोड़ दिये गये थे।<sup>२६</sup> जिहाद के संचालन का कार्य सैयद अहमद को सौंपा गया था लेकिन उनके दो प्रमुख सलाहकार भी नियुक्त किये गये थे, यह दोनों व्यक्ति थे—मौलाना अब्दुल हैई तथा मौलाना मोहम्मद इस्माइल शहीद। इन तीनों व्यक्तियों को सम्मिलित रूप से जिहाद संचालन का अधिकार दिया गया था।<sup>२७</sup>

इतने प्रशामनिक गठन के पश्चात् ही अब्दुल अजीज ने सैयद अहमद और उनके संचालन मण्डल के सदस्यों को १८१७ ई० में पहली बार और १८२१-२२ में दूसरी बार उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में प्रचार करने के लिए और इसके बाद हज करने के लिए भेजा। १८२५ ई० में यह मण्डल हज से लौटा। उस समय तक अब्दुल अजीज की मृत्यु हो चुकी थी। मरते समय उन्होंने 'मुदरसे रहीमया' का कार्यभार मोहम्मद इमहाक को सम्भला दिया था।

मौलाना सैयद अहमद ने हज से लौट आने के पश्चात् जिहाद की तैयारी प्रारम्भ करदी। मौलाना मोहम्मद इस्माइल और मौलाना अब्दुल हैई ने भारत के विभिन्न भागों का दौरा करके दो हजार जिहादियों की एक फौज तैयार की। इस दल को उत्तर-पश्चिमी सीमा पर चलने का आदेश दिया गया। १८२६ ई० में यह हिज्रत

२५. मौलाना अब्दुल्ला सिन्धी : इस घटना का उद्देश्य किन्तु सैयद अहमद को सैनिक प्रशिक्षण दिलवाना बताते हैं। पृ० ६२-६३।

२६. अब्दुल्ला सिन्धी, पृ० ८०-८१, ६३।

२७. वही, पृ० ६५।

(देश के बाहर चले जाता) आरम्भ हुई। जनवरी १८२७ ई० में सिन्धु नदी के तट पर 'हिन्ड' नामक स्थान पर एक फौज तैयार की गयी और सैयद अहमद को इस जिहाद के संचालन का नेता मान लिया गया।<sup>२८</sup> १८२७ ई० के अन्त में मौलाना अब्दुल हैई की मृत्यु हो गई। इस घटना से जिहाद के संचालन में मौलिक अन्तर आ गया था अब सैयद अहमद निरकुश हो गए थे।

इस जिहाद का उद्देश्य क्या था। तौफीक निजामी यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि "सैयद अहमद भारतीय स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रथम व्यक्ति थे और अंग्रेजों को बाहर निकालकर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना चाहते थे जिसमें शासक के धर्म और आदर्श में कोई झगडा न हो?"<sup>२९</sup> इस विचार के समर्थन में उन्होंने ग्वालियर राज्य के मंत्री हिन्दूराव के नाम लिखा हुआ बिना तिथि का एक पत्र दिया है। इस पत्र में यह आश्वासन देने का प्रयत्न किया गया था कि उनका उद्देश्य सत्ता-प्राप्ति नहीं था। इसी सन्दर्भ में सैयद अहमद के अमीरखानों का साथ छोड़कर चले जाने की घटना का वर्णन किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि सैयद अहमद का आन्दोलन अंग्रेज विरोधी था।<sup>३०</sup>

१८१७ ई० में सैयद अहमद को अमीरखानों की सेना से इसलिए भाग कर आना पड़ा था कि जिस सैनिक प्रशिक्षण के लिए वह वहाँ गये थे अब उसकी सम्भावना गमाप्त हो चुकी थी। अमीरखानों का अंग्रेजों से सन्धि करना इस बात का सूचक था कि अब वह लूटमार तथा युद्ध की नीति छोड़ रहा था। ऐतिहासिक सदर्भ को छोड़कर तथ्यों को गलत नीतियों के समर्थन के लिए प्रस्तुत करना ठीक नहीं है। हिन्दूराव के नाम पत्र इसलिए लिखा गया था जिससे कि रणजीतसिंह के विरुद्ध चल रहे उनके आन्दोलन को उपलब्ध आर्थिक सहायता के मार्ग में कोई बाधा न पड़े। यह सहायता उत्तरप्रदेश, बिहार और मध्यभारत में उपलब्ध होती थी। ग्वालियर के मंत्री हिन्दूराव की सहायता इस आन्दोलन में अत्यन्त महत्वपूर्ण थी।<sup>३१</sup>

सैयद अहमद बरेलवी के आन्दोलन का प्रमुख उद्देश्य मुसलमानों को हिन्दुओं के रीतिरिवाजों से मुक्ति दिलाना था। अधिकांश मुसलमान कुछ पीढ़ियों पूर्व हिन्दू थे। वे हिन्दू तीर्थों को जाते थे तथा उनके विभिन्न रीतिरिवाजों को मानते थे।<sup>३२</sup> सैयद अहमद चाहते थे कि मुसलमान इन रीतिरिवाजों को छोड़ दें इसके अतिरिक्त

२८. उर्बुत्ता मिथी, पृ० ११।

२९. तौफीक निजामी, पृ० १०।

३०. वही, पृ० ४१-४०।

३१. अब्दुल हमद नदवी : सौरत-ए-सैयद अहमद साहीद, पृ० १२, १०१। गुलाम रज़ूल मेहर : सैयद अहमद साहीद, पृ० २८७-२८८, ४३५। इन सन्दर्भ ग्रन्थों के आधार पर अजीज अहमद ने अपनी पुस्तक 'इस्लामिक क्लब' में उपरोक्त बर्णन दिया है, पृ० २११।

३२. अजीज अहमद : पृ० २११-२१२। उन्होंने सौरत मुस्लिम (रबियता सैयद अहमद) तथा गुलाम रज़ूल मेहर तथा अन्य लेखकों की पुस्तकों से उद्धरण दिये हैं।

सैयद अहमद बरेलवी के जिहाद का उद्देश्य सिक्खों के विरुद्ध संघर्ष करना था। सर सैयद अहमदखान ने इस समय के आन्दोलन के विषय में स्पष्ट कहा था कि जो कुछ भी कार्य सैयद अहमद बरेलवी (उनके समर्थकों और अनुयायियों को बहावी कहा जाता था) करते थे उस सब की मूचना अंग्रेजों को उपलब्ध रहनी थी और अंग्रेज सरकार को किसी भी प्रकार का संदेह उन पर नहीं था। १८२४ ई० के पश्चात् सामान्य मुसलमानों में जिहाद का प्रचार मोहम्मद इस्माइल करते थे। उन्होंने अपने मुँह से अंग्रेजों के विरुद्ध कोई बात कभी नहीं निकाली थी। सिक्खों के विरुद्ध जिहाद करने के लिए युद्ध का सामान अंग्रेजों के अधीन भारत में ही एकत्रित किया गया था। अंग्रेजी सरकार ने अपने अधिकारियों को इसमें हस्तक्षेप से मना किया था उसने किसी न किसी रूप में उनको सहायता भी पहुँचाई जैसे—दिल्ली के एक हिन्दू व्यापारी ने जिसके पास जिहाद के लिए धनराशि एकत्र की गई थी, कुछ रुपया गबन कर लिया। अंग्रेज सरकार ने उसे रुपया लौटाने पर बाध्य किया।<sup>३३</sup> आरंभ में सैयद अहमद और मोहम्मद इस्माइल को कुछ सफलता प्राप्त हुई और कुछ अफगानों ने उनका समर्थन किया। रणजीतसिंह स्वयं भी उस समय उत्तर-पश्चिमी सीमा पर अपना नियंत्रण विस्तृत करने में लगा हुआ था। इसलिए अफगान जातियाँ पहले से ही उसके विरुद्ध संघर्ष कर रही थी। लेकिन शीघ्र ही अफगान-जातियों और सैयद अहमद बरेलवी के मध्य धार्मिक मतभेद उत्पन्न हो गये। अफगान कट्टर 'हतफी' विचार-धारा के मानने वाले थे जबकि बलीउल्लाह साहब के चलाए हुए आन्दोलन में विभिन्न विचारधाराओं में सन्तुलन बनाए रखने का प्रयत्न किया गया था। फलस्वरूप इन दोनों वर्गों में मतभेद आरम्भ हुआ। दूसरा कारण यह भी था कि सैयद अहमद कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके थे। इसलिए उनके समर्थकों में निराशा भर गई। एक अन्य कारण उनकी असफलता का यह भी था कि भारत से मुजाहिद (जिहाद करने वाले) अपने साथ स्त्रियों को नहीं ले गये थे। कई वर्षों तक अफगान प्रदेश में रहते-रहते उन्होंने वहाँ पर अफगान लड़कियों से शादी करना आरम्भ कर दिया था। यह अफगानों के लिए अमूल्य हो गया।<sup>३४</sup> इसके अतिरिक्त अफगान सरदारों के लिये सैयद अहमद के नेतृत्व में कार्य करने से उनके सम्मान तथा प्रभुत्व पर भी प्रभाव पड़ रहा था।

सैयद अहमद को पेशावर के शासक यार मोहम्मदखान से भी विरोध सहना पड़ा था। सैयद अहमद के जिहाद का उद्देश्य सिक्खों की शक्ति को समाप्त करके

३३ यह वर्षानुसार सैयद के उन लेखों पर आधारित है जो उन्होंने डॉ० ह्यूडर की पुस्तक की समीक्षा के रूप में लिखे थे। ये लेख अजीमउद्दौल्लाह गजट में २४ नवम्बर, १८७१ से २३ फरवरी, १८७२ ई० तक छपने रहे थे। अब ये लेख एकत्रित रूप में प्रकाशित हो गये हैं। मोहाना मोहम्मद इस्माइल (सम्प.) : मकालात-ए-नर सैयद, भाग IX, पृ० १२५-२०८।

३४. अबुदुल्ला खिन्धी, पृ० १०८। कभी-कभी यह शारी ब्याइ बलपूर्वक भी होते थे क्योंकि सैयद अहमद इन जिहाद के नेता थे।

अफगानों की सहायता से पुनः इस्लामी राज्य की स्थापना करना था। तौफीक निजामी ने सैयद अहमद द्वारा अफगानिस्तान और बुखारा के शासकों को लिखे गये पत्रों के कुछ अंशों को अपनी पुस्तक के अन्त में देकर यह मिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि वह अश्रेष्ठ विरोधी था।<sup>34</sup> लेकिन उन्होंने पूरे पत्रों को न देकर उनसे कुछ उद्धरण मात्र ही दिये हैं। इसके विपरीत अजीज अहमद का कथन अधिक ठीक है कि सैयद अहमद बरेलवी द्वारा अफगानिस्तान और बुखारा के शासकों को लिखे गये पत्रों में भारत में अश्रेष्ठ राज्य का वर्णन है और उन्हें भारत में इस्लामी राज्य स्थापित करने के लिये 'दावत' (बुलावा) दी गई है किन्तु इसका महत्त्व गौण है। उन पत्रों में मुख्य उद्देश्य मिस्लों के विरुद्ध जिहाद करने के लिये निमंत्रण देना था।<sup>35</sup>

सीमा प्रान्त में यह सघर्ष १८२६-३० ई० तक जोरों पर रहा। १८३० ई० में मिस्लों ने पेशावर को जीत लिया। इससे मुजाहिदों के हौसले पस्त हो गए। कुछ लोगों में इस बात पर भी मतभेद हुआ कि क्या सैयद अहमद वास्तव में नेतृत्व के योग्य थे? अधिकांश मुजाहिद सैयद अहमद के विरुद्ध हो गए थे। इसलिये इस बात की आवश्यकता हुई कि वे अपनी व्यक्तिगत प्रधानता स्थापित करें। केवल कुछ व्यक्तियों ने उनको अपना गुरु एवं नेता स्वीकार किया (इसको वेत लेना कहते हैं)। ६ मई, १८३१ ई० को बालाकोट की लड़ाई में सैयद अहमद तथा मौनाना इस्माइल मारे गए। अधिकांश मुजाहिद तो १८३० ई० के पश्चात् ही भारत लौट आए थे और जो कुछ बाकी बच गए थे, वे १८४६ ई० के पश्चात् भारत भेज दिए गए थे जबकि अश्रेष्ठों का पञ्जाब पर अधिकार स्थापित हो चुका था।<sup>36</sup>

मौलाना उर्वदुल्ला सिन्धी का विचार है कि जिहाद के इस अभियान के सगठन का श्रेय शाह अब्दुल अजीज को था। सैयद अहमद सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त होने के कारण इस अभियान के सैनिक मंचालक थे। सैयद अहमद के अन्य दो साथी (मौलाना अब्दुल हैद और मौनाना मोहम्मद इस्माइल) अब्दुल अजीज द्वारा ही तैयार किए गये थे। भारत से जो सहायता सीमान्त प्रदेश को भेजी जाती थी, वह मौनाना मोहम्मद इस्माइल के द्वारा ही भेजी जाती थी जो अब्दुल अजीज की मृत्यु के पश्चात् 'मदरसे रहीमिया' के सचिव थे।<sup>37</sup> इस प्रकार यह जिहाद शाह बली उल्लाह द्वारा चलाए हुए आन्दोलन का ही एक भाग था, जो १८२५ ई० के पश्चात् प्रायः दुर्बल हो चला था।

३४ तौफीक निजामी, पृ० २६-१०६।

३५ अजीज अहमद : पृ० २१४।

३६ मौनाना मोहम्मद इस्माइल पानीपत : पञ्जाब, IX, पृ० १४६-१४७।

३७ उर्वदुल्ला सिन्धी, पृ० १२०-१२२। मौनाना सिन्धी ने एक मसूदा में पेशावर को जोर देकर बताया है कि अश्रेष्ठों के अभाव में वे भी विलोपित हो जायेंगे और सिन्धी के विरुद्ध दिल्ली की, वह मोहम्मद इस्माइल की विरोधी थी। इनके मसूदा का उद्देश्य है कि अश्रेष्ठों के अभाव में मौनाना मोहम्मद इस्माइल की देहरेखा में ही होगा था।

११वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में एक आन्दोलन बंगाल में आरम्भ हुआ जिसे फराएजी आन्दोलन कहते हैं। इस आन्दोलन के संचालक हाजी शरियत उल्लाह थे। उनका जन्म १७६४ ई० में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके प्रारम्भिक जीवन के विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जब वे १८ वर्ष के थे उस समय वे मक्का चले गए थे और वहाँ बीस वर्षों तक रहे। १८०२ ई० में वे बंगाल वापस आए। उनका बीस वर्ष की अवधि तक मक्का मदीना में रहना और बाद में बंगाल में उन सिद्धान्तों का प्रचार करना जो अब्दुल वहाब ने मदीना और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में फैलाए थे, इस बात का प्रमाण है कि वे वहाबी सिद्धान्तों को भारत में लाने के लिये उत्तरदायी हुए।<sup>३६</sup> जिस प्रकार शाह वली उल्लाह और उनके शिष्य देहली, यू० पी० और बिहार के क्षेत्रों में मुसलमानों को मुख्यतः यह शिक्षा दे रहे थे कि वे हिन्दू परम्परा और रीतिरिवाज छोड़ दें, उसी प्रकार बंगाल में हाजी शरियत उल्लाह ने यह प्रचार आरम्भ किया कि मुसलमानों को वे सब प्रयाएँ छोड़ देनी चाहिए जो मौलिक इस्लाम के विरुद्ध थी। उन्हें कुरान और 'सुन्ना' पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिये। हाजी साहब ने मुसलमानों को इस्लाम की आज्ञाओं में परिचित कराया तथा उन्हें कर्तव्यों (उद्दों) में जिन्हे फरायज कहते हैं) के पालन पर अधिक दृढ़ बनाया, उन्हींमें यह आन्दोलन 'फरायजी' आन्दोलन कहलाता है।

हाजी शरियत उल्लाह ने बंगाल को दारुल हब्स घोषित कर दिया था। इसलिए उन्होंने जुमा (शुक्रवार) की नमाज को भी बन्द कर दिया था। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रशासकीय तथा न्यायिक सुधारों के प्रभाव से भी वे मुसलमानों को दूर रखना चाहते थे।<sup>४०</sup> उनके आन्दोलन से बंगाल के मुसलमान कृषकों में राजनीतिक जागरण आरम्भ हुआ। उन समय में अंग्रेजी लगान सम्बन्धी नीति के फलस्वरूप नए जमींदारी वर्ग का विकास हो रहा था, जिसके अधिकांश सदस्य हिन्दू थे। कानूनात्मिक के स्थायी बन्दोबस्त से जमींदारों को कृषकों पर मनमाना अधिकार उपलब्ध हो गया था। बंगाल के कुटीर उद्योग भी इसी समय नष्ट होने आरम्भ हो चुके थे। यह सम्भव है कि मुसलमानों की बिगड़ी हुई आर्थिक दशा उनके कार्यक्रम को अधिक लोकप्रिय बना सकी हो किन्तु उन्होंने कोई आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया था। उन्होंने मुसलमानों की पद-दलित अवस्था का मुख्य कारण उनका इस्लामी कर्तव्यों के

३६. अजीज अहमद : पृ० २१६। तोसीफ निजामी बिना प्रमाण के इस विचार का प्रतिपादन करते हैं कि शरियत उल्लाह पर वहाबी सिद्धान्तों का कोई प्रभाव नहीं पडा था (पृ० ७८-७९) और इसके विपरीत वे सैयद अहमद बरेलवी को जो मक्का में दो वर्षों से भी कम रहे थे, भारत में वहाबी शिक्षा के फैलाने के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं, यद्यपि दोनों ने मक्का में ही शिक्षा प्राप्त की थी (पृष्ठ ३२)। यह गलत है क्योंकि सैयद अहमद बरेलवी मक्का जाने के पूर्व १५ वर्ष तक मौजाना अब्दुल अजीज के शिष्य रहे थे।

४०. तोसीफ निजामी : पृ० ८२।



प्रति निर्भर रहना बताया था और उन्हें अपने परोपियों (हिन्दुओं) में अपनी वृषकता स्थापित करने को कहा था।

हाजी शरिफ उल्नाह की मृत्यु के पश्चात् उनका पुत्र मोहम्मद मोहम्मिन उर्फ दुहू मिया (१८१६-१८६०) फारुकी धारमन्तन का नेता हुआ। ये और अधिक उच्च विचारों के नेता थे। उन्होंने मुसलमानों में धारम-विश्वास पैदा करने के लिये विमानों को टैक्स असवा सगान देने में मना किया। मुसलमानों के भगवों को तब करने के लिये वृषक स्थापानय भी स्थापित किए गए। लेकिन उन्हें धारमी भगवों को भइवाने के सम्बन्ध में जैम में चर कर दिया गया, जहाँ १८६० ई० में उनकी मृत्यु हो गई।

बनी उल्नाह और बहारी (फारुकी) धारमन्तन १८वीं सदी के उत्तरार्द्ध और १९वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में यह भावना फैलाने में सफल हुए कि मुसलमानों को हिन्दुओं के रीति-रिवाज, मन्वार आदि को छोड़ देना चाहिए। इसमें हिन्दू पवित्र स्थानों की यात्राएँ मुसलमानों में असौचप्रिय होनी चाही गईं जिनसे ये अपनी वृषकता विकसित कर सकें। बनी उल्नाह का धारमन्तन मुसलमानों की मोर्ह हुई प्रतिष्ठा को भी पुनः प्राप्त करना चाहता था। ये दोनों गिद्धान्त अधिकांश मुसलमान नेताओं के चिन्तन की पृष्ठभूमि बन गए।

## सर सैयद अहमदखाँ और अलीगढ़ विचार-पद्धति (१८१७-१८६८)

आधुनिक भारत में मुसलमानों के राजनीतिक पथ-प्रदर्शक सर सैयद अहमदखाँ थे। उनका जन्म १७ अक्टूबर, १८१७ ई० को दिल्ली के एक सैयद परिवार में हुआ। उनके पिता को मुगल बादशाह की और से वजीफा मिलता था। उनकी शिक्षा प्राचीन एवं परम्परागत आधारों पर हुई थी। १८-१९ वर्ष की आयु तक उन्होंने कुरानशरीफ, अरबी और फारसी की कुछ पुस्तकें और थोड़ा अङ्कगणित पढ़ा था। नियमित शिक्षा-पद्धति से सर सैयद का सम्पर्क कम रहा लेकिन विद्या-प्रेम उनके साथ जीवन भर बना रहा। जब उनकी आयु २१ वर्ष की थी, उनके पिता का देहान्त हो गया और उन्होंने न्यायालय कार्य सम्बन्धी प्रशिक्षण अपने चाचा के यहाँ सीखा। दिल्ली में ही अंग्रेज जज, हैमिल्टन, से उनका सम्पर्क हुआ। हैमिल्टन ने १८३६ ई० में सैयद अहमद को आगरा बुलाकर कमिश्नरी के दफ्तर में 'नायब मुन्शी' के पद पर उनकी नियुक्ति कर दी। १८४१ ई० में सैयद अहमद ने मुन्सफ़ी की परीक्षा पास कर ली और मैनपुरी में वे पहली बार मुन्सिफ़ नियुक्त हुए। इस समय उन्होंने कुछ धार्मिक पत्रिकाएँ प्रकाशित कीं। १८४२ ई० में मुगल बादशाह बहादुरशाह ने "जवादउद्दौला आरिफजङ्ग" की उपाधि से सैयद अहमद को सुशोभित किया। १८४६ ई० में उनका तबादला दिल्ली हो गया। १८४७ ई० में उन्होंने "आसार-उस-सनादीद" नामी पुस्तक प्रकाशित करवायी। इसमें दिल्ली के मध्यकालीन सम्राटों का वर्णन था। इस पुस्तक का १८६१ ई० में फ्रान्सीसी भाषा में अनुवाद हुआ। वे १८५५ ई० में बिजनौर के सदर अमीन नियुक्त हुए। १८५७ ई० की

१ सर सैयद की जीवनी का यह वर्णन हानी द्वारा तख़्तिल हयात-ए-जावेद पर आधारित है।

जान्ति के समय सर सैयद इसी स्थान पर थे और उन्होंने बिजनौर के उपद्रव का इतिहास लिखा। १८५८ ई० में उन्होंने 'मसवाब बगावत-ए-हिन्द' लिखी और उसके परवान् 'लायन मोहम्मदन्स ऑफ इण्डिया' नामक पुस्तिका निकाली।

सर सैयद अहमदशाह के जीवनकाल में १८५७ ई० का उपद्रव मध्य-बिन्दु ही नहीं है अपितु एक महत्वपूर्ण घटना भी है। इस उपद्रव में पूर्व उनका ४० वर्ष का जीवनकाल पुरानी परम्पराओं के प्रभाव में व्यतीत हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा में वार्तालाप की क्षमता नहीं रखते थे और उनका पठन-पाठन भी फारसी और उर्दू तक ही सीमित था। वे अरबी भाषा जानते थे लेकिन उरामे उनकी योग्यता किसी साहित्यिक स्तर की नहीं थी। १८५७ ई० के परवान् उन्होंने अंग्रेजी भाषा में कुछ योग्यता प्राप्त की थी लेकिन वे अन्त तक भाषण आदि उर्दू में ही देते थे।

१८६४ ई० में गाजीपुर में उन्होंने साइन्टिफिक सोसायटी की स्थापना की जिसका स्थायी कार्यालय बाद में अलीगढ़ में रहा। इसी समय इन्होंने 'तर्बियन-उल-कलाम' और 'ताम्राम अहल-ए-किताब' लिखी। १८६६ ई० में वे दमलुंग गये और वहाँ से लौटने पर उन्होंने अलीगढ़ आन्दोलन आरम्भ किया। १८७० ई० में 'तहजीब-उल-अखलाक' नाम की पत्रिका प्रकाशित करनी आरम्भ की। इस पत्रिका ने मुसलमानों में खलबली मचायी क्योंकि इसमें कुछ पुरानी परम्परागत मान्यताओं पर कुठाराघात किया गया था। १८७५ ई० में सैयद अहमदशाह ने अलीगढ़ कॉलेज की एक स्कूल के रूप में स्थापना की। १८७६ ई० में उन्होंने सरकारी नौकरी में पेशान लेकर अलीगढ़ में रहना आरम्भ कर दिया।

१८७८ ई० में सर सैयद को इण्डियन लेजिस्लेटिव कौंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया। १८८६ ई० उन्होंने मोहम्मद एजुकेशनल कानफरेंस की स्थापना की। उन्होंने १८८७ ई० में इण्डियन नेशनल कांग्रेस का विरोध किया और १८८८ ई० में इण्डियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन स्थापित किया। नई समस्याएँ हल करने के लिए १८९३ ई० में राजनीतिक सगठन मोहम्मद एग्लो ओरियन्टल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की गई और जिन सुविधाओं को अंग्रेजी सरकार से माँगने का १८९५-९६ ई० में निश्चय कर लिया गया था वे ही १९०६ ई० में शिमला शिष्टमण्डल द्वारा अंग्रेजी सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई। १८९८ ई० में उनकी मृत्यु हो गई।

सर सैयद के चिन्तन का आधार — सर सैयद अहमदशाह ने १८५८ ई० से मुसलमानों के भविष्य के विषय में चिन्तन आरम्भ किया। १९वीं शताब्दी के अन्त तक भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त कर देने का विचार प्रभावशाली नहीं था। सर सैयद का चिन्तन भी इस मौलिक आधारशिला पर स्थापित था कि अंग्रेजी साम्राज्य स्थाई था, इसलिए सर सैयद के समक्ष प्रमुख समस्या मुसलमानों को अंग्रेजों का प्रथम उपलब्ध कराने की रही। यह उनके दूरदर्शी होने का एक प्रमाण है कि मुसलमानों के राजनीतिक भविष्य के सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रतिपादित मार्ग में कोई

भी परिवर्तन उस समय आया जबकि अंग्रेज़ी साम्राज्य का अस्तित्व ही 'संदिग्ध' हो गया था। इस परिवर्तन का लक्ष्य भी सर सयद द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को ही पूरा करने के लिए प्रयत्न करना था।

सर सयद अहमदख़ाँ का ध्यान केवल मुस्लिम कुलीन वर्गों के राजनीतिक हितों तक ही सीमित था। इस वर्ग की कुलीनता किसी पूंजी अथवा भू-स्वामित्व पर आधारित नहीं थी, न ही यह किसी योग्यता पर आधारित थी बल्कि यह केवल इस तर्क पर आधारित थी कि मध्यकाल में मुसलमानों ने भारत पर शासन किया था। यह तर्क ठीक नहीं था, क्योंकि मध्यकालीन भारत में तुर्क, विलजी, तुगलक, सयद, अफगान और मुगल वंशों के शासक समय-समय पर रहे थे। इन वंशों के कार्यकाल में राजनीतिक अधिकार उन विशिष्ट वर्गों तक ही अधिकांशतया सीमित था। यह कभी नहीं हुआ कि समस्त भारतीय मुसलमानों का शासनाधिकार में कोई घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हो। १९वीं शताब्दी के अधिकांश भारतीय मुसलमान पहले हिन्दू थे तथा भारत के मूल निवासी थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था।

इस तथ्य से भूह भोडकर सर सयद ने इस बात पर अधिक बल दिया था कि भारत के मुसलमान बाहर से आये थे और वे भारत के शासक रहे थे। उन्होंने १८५८ ई० में लिखा था कि "मुसलमान इस देश के मूल निवासी नहीं हैं। वे भूत-कालीन विजेताओं के साथ यहाँ आए और धीरे-धीरे यहाँ आकर बस गये।"<sup>२</sup> इसी प्रकार १८७७ ई० में जब इंग्लैण्ड की रानी विक्टोरिया ने 'भारत साम्राज्ञी' की उपाधि ग्रहण की थी उस समय अलीगढ़ नेताओं ने वयाई अभिनन्दन-पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा था कि "भारतीय मुसलमान उस जाति के वंशज हैं जो एक समय इस देश पर राज्य करती थी।"<sup>३</sup> दिसम्बर १८८७ ई० में लखनऊ में इण्डियन नेशनल काँग्रेस विरोधी भाषण देने हुए उन्होंने मुसलमानों से कहा था :

"थोड़ी देर के लिए सोचो कि तुम कौन हो ? हमारी यह कौम क्या है ? हम यह हैं जिन्होंने भारत पर ६ या ७ शताब्दियों तक राज्य किया है। ..... हमारी कौम उन लोगों के धून में बनी है जिनमें न केवल अरब बल्कि एशिया और यूरोप भी काँपते थे। हमारी कौम ने अपनी तलवार से समस्त भारत को जीता था यद्यपि यहाँ के लोग एक ही धर्म के मानने वाले थे।"<sup>४</sup> काँग्रेस के विभिन्न प्रस्तावों का वर्णन करते हुए उन्होंने पूछा कि किस कौम ने इन्हें प्रस्तुत किया था ? उन्होंने उन प्रस्तावों को तुच्छ समझा और कहा कि यदि यह प्रस्ताव मुसलमानों या राजपूतों द्वारा प्रस्तुत किये गये होते जिनके पूर्वजों ने तलवार संभाली थी तो शायद उन पर ध्यान भी दिया जाता। मार्च १८८८ ई० में उन्होंने कहा :

२. सयद अहमदख़ाँ : काँजिव बॉक्स दी इण्डियन रिबोल्ट, पृ. ३१। यह पुस्तक मूल रूप में उर्दू में प्रकाशित हुई थी और बाद में इसका अंग्रेज़ी अनुवाद किया गया था।

३. अलीगढ़ इन्स्टिट्यूट गजट (गजट), १९ जनवरी, १८७७, पृ० ४४।

४. सयद अहमद : प्रेजेन्ट स्टेट आफ पाकिस्तान, पृ १७-१८।

“मेरे भाई मुगलमानों : मैं तुम्हें फिर याद दिलाता चाहता हूँ कि तुमने विभिन्न कौमों पर राज्य किया है और कई मुल्तों को शताब्दियों तक अपने अधीन रखा है। भारत में गात सौ वर्षों तक तुमने राज्य किया है। तुम जानते हो राज्य करना क्या होता है ?”<sup>५</sup>

जब १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पश्चिमी प्रभाव एवं शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप प्रजातन्त्रीय पद्धति पर प्रतिनिधित्व की माँग की गई तब मुगलमानों के एकमात्र प्रभावशाली राजनीतिक नेता, सर सैयद अहमद, ने इसका विरोध किया था। इस विरोध का प्रमुख कारण यह था कि उनका ध्यान केवल कुलीन वर्गों तक सीमित था और प्रजातन्त्रीय आचार पर मुगलमानों के उच्च वर्गों को वे विशिष्ट अधिकार उपलब्ध नहीं हो सकते थे, जिन्हें वे उनके लिए चाहते थे। राजनीति में ही नहीं सर सैयद का दृष्टिकोण शिक्षा के क्षेत्र में भी केवल कुलीन मुगलमानों तक ही सीमित था। अलीगढ़ कॉलेज में भी वह मुस्लिम सम्प्रदाय के नेताओं को प्रशिक्षण देना चाहते थे। वे यह भी समझते थे कि कुलीन घरानों के लोग अंग्रेज अधिकारियों से अपेक्षाकृत समानता के स्तर पर मिल सकते थे। अलीगढ़ नेताओं का विश्वास था कि कुलीन घरानों के लड़कों को शिक्षित कर देने से शिक्षा का प्रसार बड़ी सरलता से हो सकता था।<sup>६</sup> कॉलेज की वार्षिक रिपोर्टों में इस बात पर बहुत बल दिया जाता था कि उच्च कुलीन घरानों के वंशज वहाँ पढ़ने थे। जिस समय कांग्रेस ने यह दावा प्रस्तुत किया था कि उस संगठन में मुसलमान भी सम्मिलित थे तब सर सैयद ने इसका प्रत्युत्तर यह कहकर ही दिया था कि दो मुसलमान रईसों को छोड़कर कोई भी मुसलमान रईस कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुआ था।<sup>७</sup> सर सैयद ने प्रजातन्त्रीय प्रणाली का विरोध आरम्भ किया किन्तु जैसे ही उन्हें भारत में प्रजातन्त्रीय प्रणाली का प्रवेश निश्चयात्मक दिखाई दिया उन्होंने मुसलमानों के विशेषाधिकारों की माँग प्रस्तुत की। लेकिन इन दोनों चरणों में एक ही बात मूल-भूत है, वह है प्रजातन्त्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर सम्भावित उपलब्धि की अपेक्षा अधिक अधिकारों की माँग प्रस्तुत करना। यही कारण है कि मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन में ऐसे तत्त्वों का प्रभाव कम रहा जो मुस्लिम जनता को प्रजातन्त्रीय प्रतिनिधित्व अथवा जनमंडला के अनुपात में अधिकारों की उपलब्धि तथा प्राप्ति की ओर मोड़ सके।

उपरोक्त दोनों आधार तथा सिद्धान्त सर सैयद द्वारा प्रतिपादित किये गये

५ वही, पृ ४७-४८।

६ गजट, १० अक्टूबर १८७३, पृ १५८।

७ सैयद अहमद : प्रेजेन्ट स्टेट ऑफ पाँचिठिनग, पृ ३२-३३।

थे ।<sup>८</sup> उनके चिन्तन के ये दोनों आधार ही निर्मूल थे । वे समस्त मुसलमानों को भारतीय शासकों की सन्तान मानकर चलते थे और उनके लिए ऐसे भविष्य की ही कल्पना करते थे जिनमें मुसलमानों को प्रशासनिक वैभव और अधिकार उपलब्ध हो सके । ऐसे भविष्य की कल्पना के फलस्वरूप ही उन्हें प्रजातन्त्र की स्थापना में मुसलमानों के काल्पनिक हितों के लिए संकट दिखाई पड़ा ।

### सर सैयद और अंग्रेज़ी सरकार

१८५७-५८ ई० में सर सैयद ने यह अनुभव कर लिया था कि अंग्रेज़ों को भारतीय मुसलमानों की निष्ठा एवं भक्ति पर सन्देह था । सर सैयद का यह विश्वास था कि मुसलमान केवल नौकरियों पर निर्भर थे तथा उनकी प्रगति के लिए सरकारी आशय आवश्यक था इसलिए उन्होंने अपने समक्ष एकमात्र यह लक्ष्य ही रखा कि मुसलमान अंग्रेज़ों के कृपा-यात्र बन जाएँ । यह कार्य एक ओर अंग्रेज़ों को आश्वस्त करके और दूसरी ओर मुसलमानों को नई प्रेरणा देकर ही सम्भव था । उन्होंने दो ग्रन्थ 'असबाब वगावत-ए-हिन्द' और 'लायल मोहम्मदन्स ऑफ इण्डिया' इसी उद्देश्य से प्रकाशित किये थे । उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध जिहाद के नारे को अनुचित बताया । उन्होंने 'लायल मोहम्मदन्स' में यह कहा कि यदि भारत में किसी एक वर्ग के लोग अन्य वर्गों की अपेक्षा ईसाईयों के संकट के समय उनके साथ थे, तो वे केवल मुसलमान ही थे ।<sup>९</sup> सैयद अहमद अंग्रेज़ी सरकार को यह विश्वास दिलाता चाहते थे कि उसे मुसलमानों की निष्ठा एवं भक्ति पर सन्देह नहीं करना चाहिए ।

दूसरी ओर उन्होंने मुसलमानों को बाइबिल पढ़ने की ओर आकर्षित करना चाहा और "तवेय्यन उल कलाम" लिखकर दोनों धर्मों की समानता स्पष्ट करनी चाही । इसी प्रकार उन्होंने "ताग्राम अहल-ए-किताब" लिखकर मुसलमानों और ईसाईयों को साथ बैठकर भोजन करने की प्रेरणा दी ।<sup>१०</sup>

सर सैयद ने भारतीय मुसलमानों के विशिष्ट हितों के विषय में जो धारणा बनाई थी वह केवल अंग्रेज़ी सरकार की कृपा के आधार पर ही पूरी हो सकती थी । इसलिए वे प्रत्येक ऐसे अवसर से लाभ उठाना चाहते थे जिससे मुसलमान अंग्रेज़ों के कृपा-यात्र बन सकें । सर सैयद आरम्भ में बड़े स्वाभिमान की व्यक्ति थे ।<sup>११</sup> लेकिन

८: यह दो आधार थे : भारतीय मुसलमानों का भूतपूर्व शासन होना तथा उनका भारत के बाहर से आना ।

९ लायल मोहम्मदन्स, भाग १, पृ ३

१०. यह दोनों पुस्तकें १८६०-१८६७ ई० के मध्य लिखी गई थी ।

११. कहा जाता है कि सैयद अहमद एक बार आगरे में आयोजित गवर्नर के दरबार से उठकर चले आये थे क्योंकि उनका स्थान अंग्रेज़ों की अपेक्षा नीचे था (हानी :

द्विमान-ए-जावेद, पृ ५२-५३) ।

जैसे-जैसे उन्होंने मुसलमानों के उत्थान के लिए अंग्रेजी राज्य के आश्रय को आवश्यक समझा वैसे-वैसे अंग्रेजों के प्रति व्यवहार में उनकी हीन भावना बढ़ती गई। १८६६ई० में लन्दन में भेजे गए अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा :

“हम जो भारत में अंग्रेजों को..... यह कहने से कि अंग्रेज भारतीयों को बिल्कुल जानवर समझते हैं..... यह हमारी गन्ती थी। ये हमको समझते ही नहीं थे बल्कि वास्तव में हम ऐसे ही हैं। मैं अत्यन्त सच्चे दिल से कहता हूँ कि समस्त भारतीयों को..... अंग्रेजों की शिशा और सभ्यता की तुलना में वास्तव में ऐसा हो स्थान प्राप्त है जैसा एक अत्यन्त गन्दे पशु को एक योग्य और सुन्दर व्यक्ति की तुलना में उपलब्ध होता है। अंग्रेज हम भारतीयों को भारत में असभ्य पशु की भाँति क्यों न समझें।..... यदि यह कल्पना करो कि भारतीय और अंग्रेज एक स्वतन्त्र देश में बसाये जाएँ..... तो अंग्रेज कदाचित् भारतीयों के पास भी लड़े न हो और उन्हें पशुओं से अधिक न समझें.....”<sup>१२</sup> इस प्रकार की हीनता की भावना बहुत कम उत्तरदायी भारतीयों ने व्यक्त की थी।

१८७१ ई० में हन्टर की पुस्तक “दी इण्डियन मुसलमान्स” प्रकाशित हुई जिसमें स्पष्ट लिखा था कि भारत में मुसलमान बहुत समय से अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध पडयन्त्र करने की योजना बना रहे थे। सर सैयद ने बड़े जोरदार शब्दों में बर्दे लेख लिखकर डॉ० हन्टर की पूर्ण धारणाओं की झालोचना की। उसी समय जिहाद की समस्या पर भी कुछ अंग्रेजी अखबारों में चर्चा चल रही थी। मुख्य प्रश्न यह था क्या मुसलमान अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध “जिहाद” आरम्भ करने के अधिकारी थे ?

सर सैयद ने कुरान और हदीस से कुछ धायतों का मनमाने ढंग से अर्थ निकाल कर यह बताने का प्रयत्न किया कि अंग्रेजों के अधीन भारत दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब दोनों था।<sup>१३</sup> दारुल इस्लाम में मुसलमानों को जिहाद का अधिकार नहीं था। सर सैयद के तर्क नि सन्देह बड़ी चतुराई के साथ प्रस्तुत किये गये थे। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि मुसलमान और ईसाई सदा से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये हुए थे।<sup>१४</sup> भारतीय मुसलमानों को जबतक अंग्रेजी सरकार ने ‘उमम’ (संरक्षण) प्राप्त था उस समय

१२ गजट, १६ नवम्बर १८६६, पृ ७४३-७४५ यह बात उन्होंने अपने एक पत्र में मोहम्मिन उलमुल्क को लिखी थी (खूब-ए-सर सैयद, पृ ४१)

१३ यह दोनों वाक्य इस्लामी चिन्तन में प्रमुख स्थान रखते हैं। दारुल हरब का अर्थ उस देश से होता है जहाँ राजसत्ता और मुसलमानों के हाथों में होती है और मुसलमान उसके अधीन रहते हैं। दारुल इस्लाम वह देश है जहाँ सत्ता मुसलमानों के हाथों में होती है।

१४ मध्यकाल में हुए क्रुसेड्स की बड़ी सरलता से सर सैयद अहमद भूल गये थे। विभिन्न मुस्लिम नेताओं ने यह बात स्वीकार की थी कि मुसलमानों और ईसाईयों में धार्मिक मतभेद के कारण शत्रुता थी। मोहम्मद अमीन जुवेरी : निधामत बिनिया, पृ ४।

तक मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद नहीं कर सकते थे ।

सर सैयद अहमद का प्रमुख लक्ष्य मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति निष्ठा और भक्तिभाव पैदा करना था । १८७१ ई० में गठन की गई मोहम्मदन कॉलेज के लिए चन्दा इकट्ठा करने वाली समिति का एक लक्ष्य मुसलमानों को ऐसी शिक्षा प्रदान करना था जिससे वे अंग्रेजी प्रशासन की उपलब्धियों को अच्छी प्रकार से समझ सकें तथा उनके प्रति आभारी बन सकें । अलीगढ़ कॉलेज के क्रैस्ट पर नवा चांद और 'ताज' अंकित था जो अंग्रेजों और मुसलमानों की मैत्री का द्योतक था ।<sup>१४</sup> मुसलमान नेताओं तथा कॉलेज के अंग्रेज अध्यापकों ने इन बात पर काफी बल दिया था कि अलीगढ़ कॉलेज की शिक्षा का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य अंग्रेजी सरकार तथा 'ताज' के प्रति भक्ति एवं निष्ठा की भावना जागृत करना था ।<sup>१५</sup> सर सैयद चाहते थे कि मुसलमान और अंग्रेजों में दोस्ती इतनी गहरी हो जाय कि वे दो शरीरों में एक आत्मा की भाँति मिलकर कार्य करें । यह बड़े गर्व से घोषित किया जाता था कि आवश्यकता पड़ने पर कॉलेज के बहादुर युवक साम्राज्य की सुरक्षा के लिए पूरी सहायता देंगे ।<sup>१६</sup>

सरकार का स्वरूप :

सरकार के कार्यक्षेत्र को सर सैयद केवल शान्ति स्थापना तक सीमित समझते थे । वे चाहते थे कि सरकार कम से कम कार्यों को अपने हाथ में ले क्योंकि जितने अधिक कार्य वह अपने हाथ में लेगी उतने ही अधिक विस्तृत क्षेत्र पर उसकी आलोचना होगी और सरकार के प्रति लोगों में असन्तोष जागृत होगा । उनका अभिप्राय सरकार को मुसलमानों में विशेषकर लोकप्रिय बनाने का था । वे सरकार पर शिक्षा का दायित्व नहीं डालना चाहते थे । वे उन लोगों से सहमत नहीं थे जिनका विचार था कि सरकारी सहायता कम हो जाने से मुसलमानों की शिक्षा प्रगति में बाधा पड़ेगी । उनका कहना था कि सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न केवल मांकैतिक ही हो सकते थे । इसलिए वे सरकार के समक्ष किये गये उन अनुरोधों के पक्ष में नहीं थे जिनका अभिप्राय मुसलमानों की समस्त शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर डाल देना था । वे यहाँ तक बहने को तैयार थे कि यदि सरकार उच्च शिक्षा के लिये स्थापित कानिज्ञों को गमाप्त भी कर दे तब भी कोई हानि नहीं थी ।<sup>१७</sup> वे केवल सरकार से उन प्रयत्नों

१४. सर सैयद को यह विचार सन्धन के उम्र मृत्यु को देखकर पैदा हुआ था जहाँ तुर्की के मुल्तान अब्दुल अजीज का स्वागत हुआ था । उसकी दीवानी पर क्रैमेन्ट (नयाचांद) और फ्राम के निशान लगाये गये थे । रिपोर्ट, मोहम्मदन एजुकेशनल वार्षिकरेम, १८६४, पृ १३० ।

१६. अलीगढ़ कॉलेज मेमोरियल, पुनर्लिखित १८६४, पृ १ ।

१७. गजट, १५ अगस्त १८६३, पृ. ८११ ।

१८. गजट, ५ नवम्बर १८६१, पृ १२४६-१२६०. यहाँ उनका अभिप्राय उत्तर-पश्चिमी प्रदेश के तीन सरकारी कॉलेजों (आगरा, इलाहाबाद, बनारस) से था । इसका एक परोक्ष परिणाम यह भी था कि हिन्दुओं को भी अपनी शिक्षा के लिए उनी प्रकार प्रयास करने पड़े थे जिस प्रकार सर सैयद कर रहे थे ।



में सहायता चाहते थे जो जनता द्वारा किये जाएं। वे यह स्वीकार नहीं करते थे कि भारतीय लोग निर्धनता के कारण अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकेंगे।<sup>१९</sup> अलीगढ़ आन्दोलन प्रारम्भ किये जाने के पश्चात् उन्होंने निरन्तर "अपनी सहायता स्वयं" पर अत्यधिक बल दिया था। वे जानते थे कि मुसलमान सामन्त मध्यकाल में सरकार पर पूरी तरह आश्रित थे इसलिए मुसलमानों को अपनी सहायता पर निर्भर बनाना अत्यन्त आवश्यक था। उन्होंने कई अवसरों पर इस बात को दोहराया कि अपनी उन्नति के साधनों को यदि दूसरों पर छोड़ दिया जावेगा तो वह सम्प्रदाय कभी पूरी तरह उन्नति नहीं कर सकेगा।<sup>२०</sup> इस "अपनी सहायता स्वयं" का एक दूसरा लक्ष्य भी था और वह था मुसलमानों में कौमियत की भावना भरना। १८८४ ई० में वे विजागापट्टम् के मुसलमानों का हिन्दुओं तथा ईसाईयों से एक मुस्लिम कॉलेज के लिये चन्दा मांगने के विरुद्ध थे।<sup>२१</sup> १८८६ ई० में बंगाल के मुसलमानों द्वारा सरकारी सहायता पर निर्भर रहने की योजना का भी उन्होंने विरोध किया था।<sup>२२</sup> राजनीतिक दृष्टि से मुसलमानों को पृथक् रूप से संगठित नहीं किया जा सकता था जबतक उन्हें प्रगतिशील एवं सम्पन्न हिन्दुओं पर निर्भरता से अलग न कर लिया जाये। इसलिए "अपनी सहायता स्वयं" के सिद्धान्त पर उन्होंने कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बल दिया था।

अंग्रेजों के प्रति अद्वैत निष्ठा एवं भक्ति व्यक्त करने के लिए मुसलमानों को दो प्रकार के अवसर उपलब्ध हो सकते थे। एक अवसर देश में प्रजातन्त्र तथा प्रतिनिधित्व प्रणाली के आन्दोलन का विरोध करके उपलब्ध हो सकता था। इसके अन्तर्गत अंग्रेजी सरकार द्वारा स्थापित नीतियों का समर्थन भी सम्मिलित था। दूसरा अवसर किसी भी मुस्लिम अथवा गैर मुस्लिम विदेशी राज्य के विरुद्ध अंग्रेजों का समर्थन करने से उपलब्ध हो सकता था। सर सैयद ने इन दोनों अवसरों का लाभ उठाया।

सर सैयद द्वारा प्रतिपादित मुसलमानों के तयाकथित हितों का पोषण किसी भी प्रजातन्त्रीय प्रतिनिधित्व अथवा प्रतियोगिता के आधार पर नहीं किया जा सकता था। मुसलमानों पर १८५७ की क्रान्ति के उत्तरदायित्व के दोष को अंग्रेजों के प्रति भक्त रहकर ही मिटाया जा सकता था। इसलिए किसी भी ऐसे आन्दोलन का समर्थन करना जो अंग्रेजी सरकार विरोधी हो अथवा विरोधी दिखाई दे, सर सैयद के लिये असम्भव था।

सर सैयद ने लाहौर में १८७३ ई० में भाषण देते हुए कहा था कि मुसलमानों

१९ गजट, २० अक्टूबर १८७७, पृ ८३२।

२०. गजट, २४ दिसम्बर १८६६, पृ ८३२, ३१ मई १८७२, पृ ३३४, २५ अक्टूबर १८७२, पृ ९६२, २० अग्रेव १८८०, पृ ४५१, २३ मार्च १८८०, पृ ३३४; ७ मार्च १८८२, पृ २६०।

२१. गजट, २३ फरवरी १८८४, पृ १६८-१६९।

२२ गजट, २० अग्रेव १८८१, पृ ४५६।

का अंग्रेजों में शत्रुता रखना वैसा ही होगा जैसा नदी में रहकर मगरमच्छ से बँर रखना। इसलिए उनके लिये यह आवश्यक है कि वे उनसे मैत्री रखें।<sup>२३</sup> अलीगढ़ नेताओं का रूढ़िवादी तथा प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण १८७८ ई० के वर्नाक्यूलर प्रेस ऐक्ट के अवसर पर स्पष्ट हुआ। सर सैयद अहमद ने मुसलमानों को इस अधिनियम का विरोध करने से मना किया और- इस अधिनियम को बहुत उदार बताया क्योंकि यह नियम तुर्की, रूस आदि देशों में उपलब्ध प्रेस की स्वतन्त्रता में तुलना करने पर ऐसा प्रतीत होता था। उनके अनुसार एक स्वतन्त्र प्रेस का प्रमुख कार्य देश की सरकार के प्रति भक्त रहना था। उनका विचार था कि यह अधिनियम बहुत पहले ही पास कर दिया जाना चाहिए था<sup>२४</sup> क्योंकि भारत की वर्नाक्यूलर प्रेस ऐसी भाषा का प्रयोग करती रही थी जो सम्मानित व्यक्तियों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए आपत्तिजनक थी। इसी प्रकार उन्होंने अंग्रेजों के प्रति अपनी हीनता का परिचय इल्वर्ट विल के विरोध के अवसर पर दिया था। उस समय उन्होंने यह परामर्श दिया था कि यद्यपि एंग्लोइण्डियन समुदाय इस नियम का विरोध कर रहा था फिर भी उन्हें इस अधिनियम के पक्ष में कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। किसी भारतीय का, सैयद अहमद के विचार से, सम्मान नहीं बढ़ जायगा यदि अंग्रेजों के मुकदमे उसके समक्ष प्रस्तुत होने लगेँ उन्हें यह ही भय था कि कहीं मुसलमानों की निष्ठा एवं भक्ति पर सन्देह न हो जाये।<sup>२५</sup> इसी प्रकार स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर टिप्पणी करते हुए सैयद अहमद ने कहा कि यह आन्दोलन प्रकृति के विरुद्ध था क्योंकि यदि विदेशी वस्तुएं अधिक मुन्दर बनी हुई हो तो अवश्य ही उनका प्रयोग अधिक होगा। इस आन्दोलन में देश भक्ति की कोई बात उन्हें नहीं दिखाई दी।<sup>२६</sup> इतना ही नहीं बल्कि उन्हें इस बात पर अत्यधिक आश्चर्य हुआ था कि कलकत्ता टाउन हॉल में आयोजित एक साधारण सभा में इंग्लैण्ड की लिबरल पार्टी को चुनाव में सफलता पर बधाई दी गयी। एक अन्य अवसर पर उन्होंने लिखा था कि यह विचार उचित नहीं था कि लिबरल सरकार भारत के लिए लाभदायक है और कन्जर्वेटिव सरकार हानिकारक है।<sup>२७</sup>

सर सैयद एक ओर तो मुसलमान जातीय गौरव में बहुत विश्वास रखते थे और दूसरी ओर उन्हें यह भी भय था कि प्रजातन्त्रीय तथा प्रतिनिधित्व के आधार पर मुसलमान भारत में एक गौण स्थान प्राप्त करेंगे। इसलिए उनकी अंग्रेजों के प्रति भक्ति धीमे-धीमे अधीनता के रूप में परिवर्तित होती गयी। अलीगढ़ नेता यह समझते

२३. लेक्चरों का मसमुदा, पृ १०४।

२४. मजट, २३ मार्च १८७८, पृ. ३२५-३२६।

२५. मजट, ३ मार्च १८८३, पृ २४१।

२६. मजट, १६ जून १८८३, पृ. ६८५-६८७।

२७. मजट, १५ सितम्बर १८८५, पृ १०१८।

लगे थे कि प्रजातन्त्र के आगमन पर मुसलमानों के 'ऐतिहासिक योगदान' को केवल अंग्रेज ही सुरक्षित रख सकते थे ।

इसलिए सर सैयद भारत को एक ऐसी तराजू के समान समझते थे जिनके दोनों पलड़े असन्तुलित थे । उनके अनुसार एक विदेशी शक्ति रूपी बटखरे की आवश्यकता थी जिससे हल्का पलड़ा भारी पलड़े के बराबर बन सके । वह अंग्रेजों को भारतीय जनसंख्या की विभिन्न जातियों में उचित सन्तुलन बनाये रखने के लिये आवश्यक समझते थे ।<sup>२८</sup> उन्होंने बहुत पहले यह घोषित कर दिया था कि यदि हिन्दुओं और मुसलमानों में से किसी एक जाति का अधिकार भारत में स्थापित हो गया तो एक दिन के लिये भी शान्ति स्थापित न रह सकेगी । इसलिए मुसलमानों के हित में यह ही था कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्थायी बना रहे ।<sup>२९</sup> अंग्रेजों के प्रति उनमें भक्तिभाव पैदा करने के लिए उन्होंने धर्म का सहारा लिया । १८८७ ई० में उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को उस कौम के साथ दोस्ती करनी चाहिए जिनके साथ धर्म के अनुसार जी जा सकती थी । उन्होंने कहा कि "ईश्वर ने आदेश दिया है कि मुसलमानों का ईसाईयों के अतिरिक्त कोई और मित्र नहीं बन सकता ।"<sup>३०</sup> १८८८ ई० में सर सैयद ने अंग्रेजी सरकार के प्रति निष्ठा का आधार भी कुरान बताया था । "ईश्वर ने अंग्रेजों को हम पर शासक बनाया है इसलिए हमें उनसे मैत्री मध्यम रखने चाहिए और ऐसे साधन अपनाने चाहिए जिनमें उनका प्रशासन और साम्राज्य दृढ़ एवं स्थायी बना रहे ।"<sup>३१</sup> एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा : "ईश्वर की इच्छा है कि अंग्रेजी कौम हिन्दुस्तान में राज्य करे ।"<sup>३२</sup>

सर सैयद अंग्रेज सरकार के प्रति भक्तिभाव को धार्मिक कर्तव्य समझते थे । जानम्बर में १८८४ ई० में एक भाषण में उन्होंने अपने कार्यों का स्वयं गुणांकन करते हुए कहा था

"मैंने सरकार को कोई सेवा नहीं की बल्कि जो कुछ मैंने किया है वह अपने पवित्र धर्म और सच्चे हादी (धार्मिक मार्ग-दर्शक) की आज्ञाओं का पालन किया है । हमारे सच्चे हादी ने आदेश दिया है कि तुम जिस सरकार के अधीन हो उसकी आज्ञा का पालन करो.....जो कुछ सरकार की सेवा मुझमें हुई है वह वास्तव में मेरे धर्म की सेवा थी ।"<sup>३३</sup>

एक दूसरे अवसर पर उन्होंने कहा था :

"हमें देखना चाहिए कि ईश्वर की इच्छा क्या है.....इस समय में हमें ईश्वर

२८ पृष्ठ, २० जनवरी, १८८३, पृ ७८-८० ।

२९ पृष्ठ, १० नवम्बर १८८१, पृ १०२५, सफरनामा, पृ. १२४-१२५ ।

३० सैयद अहमद : प्रिन्ट स्टेट ऑफ पॉपुलैशन, पृ ४२

३१ वही, पृ ५०-५२ ।

३२ सफरनामा-ए-पत्राव, पृ ११२, २६२ ; मेसजों का संग्रह, पृ १६ ।

३३. सफरनामा-ए-पत्राव, पृ ४६ तथा पृ २६१-२६२ ।

की मर्जी यह प्रतीत होती है कि अंग्रेज़ी नेशन भारत में राज्य करें और हम उनके अधीन रहे और जो कुछ लाभ सम्भव हो उनसे प्राप्त करें।" ३४

सर सैयद और प्रतियोगिता परीक्षाएँ :

सर सैयद अहमद का लक्ष्य उन उच्चकुलीन मुसलमानों तक सीमित था जो मध्य काल में राज्य के साधनों पर अधिकांशतः निर्भर करते थे। उन्होंने १८५८ ई० में स्पष्ट लिखा कि देशवासियों के लिए नौकरी ही सबसे अच्छा व्यवसाय था। उनका यह भी तर्क था कि मध्य मुसलमान मध्यकाल में नौकरी पर निर्भर थे। ३५ उन्हें अंग्रेज़ी प्रशासन से सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि मुसलमानों को अब यह सम्मान-पूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था जो कुछ वर्षों पहले था। वे मुसलमानों को वही स्थान दिलवाना चाहते थे।

१८५८ ई० में भी सर सैयद ने दो तर्क प्रस्तुत किये थे। उनका एक तर्क अपने सहर्षामियों के लिए था जिनमें उनका कहना था कि परीक्षाओं द्वारा नौकरी प्रदान करने की पद्धति सराब नहीं थी। यदि उनमें वे योग्यताएँ नहीं हैं जिनसे वे परीक्षा पास कर सकें तो उनका सरकार को दोष देना अनुचित था। अपने दूसरे तर्क में वे सरकार से यह पूछते थे कि क्या इंग्लैण्ड में सर्वोच्च कूटनीतिज्ञ वे व्यक्ति ही थे जो परीक्षाओं द्वारा भर्ती किये गये हों? क्या बहुत से उच्च पदों पर ऊँचे कुल के लोगों को केवल जन्म के आधार पर ही नियुक्त नहीं किया जाता था? ३६

इन दोनों तर्कों से उनका लक्ष्य उन मुसलमानों के वंशजों की सोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करना था जिनके पूर्वज मध्यकाल में सम्मानपूर्ण पदों पर आसीन थे। सर सैयद का यह दृढ़ विश्वास था कि किन्नी समुदाय अदवा जाति को उस समय तक सम्मान नहीं मिल सकता जबतक उसके सदस्य सरकार में उच्च पदों पर नियुक्त न हों। उनका कहना था कि मुसलमान यदि अपनी जाति का सम्मान चाहते थे तो उन्हें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि उनकी जाति के लोग सिविल सर्विस के पदों पर नियुक्त हो सकें। ३७ आरम्भ में सर सैयद इस बात के लिये प्रयत्नशील रहे कि मुसलमान युवक प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से नौकरी प्राप्त कर लें। जून १८६६ ई० में लन्दन से पत्र लिखते हुए सर सैयद अहमद ने लिखा कि दो हिन्दू बम्बई से सिविल सर्विस परीक्षा के लिये आये हैं वेद है मुसलमान पीछे रह जाते हैं। ३८ सरकारी नौकरी से पेशान प्राप्त कर लेने के बाद १८७७ ई० में उन्होंने उन सरकारी नियमों की आलोचना की जिनके अनुसार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अर्हियियों

३४. सफरनामा-ए-रजाब, पृ० ११२।

३५. असाबाब, पृ० ३५ तथा ४४।

३६. वही, पृ० ४४-४५।

३७. गज़ट, ७ अगस्त १८८३, पृ० ८६७; सफरनामा, पृ० ७७।

३८. खत-ए-सर सैयद, पृ० २५।

की अधिकतम आयु २१ वर्ष में घटाकर १६ वर्ष कर दी गयी थी। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर गभायें करने तथा इस निगम के विरुद्ध प्रस्ताव पास करने पर बल दिया।<sup>३६</sup> उन्होंने ब्रिटिश इण्डिया एसोसिएशन को पुनर्जीवित किया और भारत में भी इन परीक्षाओं के करने पर बल दिया।<sup>४०</sup> १८७७ ई० में साहें निटन द्वारा बनाये गये स्टेट्यूटरी सिविल सर्विस के नियमों की प्रस्तावना करते हुए सर सैयद ने यह मेद प्रकट किया था कि इससे "मुसलमान अपने दुर्भाग्य के कारण बहुत कम फायदा उठावेंगे"<sup>४१</sup> क्योंकि उनमें बी. ए. अथवा एम. ए. पास व्यक्तियों की संख्या कम है। १८८१ ई० में इण्डियन सिविल सर्विस के परिणाम पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा था कि उम्र कम कर देने के कारण भारतीयों को सिविल सर्विस की परीक्षा में सफलता मिलना अत्यन्त कठिन हो गया था।<sup>४२</sup> सर सैयद आई. सी. एस. के गठन को ही पसन्द नहीं करते थे और इस पद्धति को देश तथा सरकार दोनों के लिए हानिकारक समझते थे।

१८८३ ई० में उन्होंने एक मोहम्मदन सिविल सर्विस फ़ण्ड की स्थापना की जिसमें प्रत्येक मुसलमान सदस्य को दो रुपये महीना चन्दा देना होता था। इस चन्दे से योग्य मुसलमान विद्यार्थियों को सिविल सर्विस प्रतियोगिता के लिये इंग्लैण्ड भेजने की व्यवस्था की गई।<sup>४३</sup> इस योजना का मन्त्रसे बड़ा लाभ यह था कि जब कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिसे कौम के इस चन्दे से इंग्लैण्ड भेजा गया हो सफलता प्राप्त कर लेगा तब वह यह अनुभव करेगा कि उसे सम्मानित पद प्राप्त कराने में उसकी कौम का सबसे अधिक योगदान था। वह अपनी पूरी सामर्थ्य से कौम की मदद करेगा और यदि इस प्रकार के २०० या ३०० मुसलमान भी हो गये तब मुसलमानों की कौम क्या से क्या हो जायेगी।<sup>४४</sup> इसी उद्देश्य से अगस्त १८८३ ई० के पश्चात् अलीगढ़ कॉलेज में सिविल सर्विस की तैयारी के लिए विशेष क्लास खोली गई थी यद्यपि सैयद अहमद को यह विश्वास था कि सिविल सर्विस की परीक्षा में सफल होना

३६. गजट, २३ मार्च १८७७, पृ० १८७-१८८।

४०. गजट, सप्लीमेंटरी अंक, २६ जून १८७७, पृ० १-४।

४१. गजट, ६ सितम्बर १८७६, पृ० १००६-१०१०।

४२. गजट, ५ नवम्बर १८८१।

४३. गजट, ११ अगस्त १८८३, पृ० ६१०-६१२।

४४. गजट, ५ जनवरी १८८४, पृ० २८। जब सर सैयद से १८८४ ई० में यह पूछा गया कि उसने इन योजना को केवल मुसलमानों तक ही क्यों सीमित रखा? तब सर सैयद ने भिन्न औचित्य प्रस्तुत किया था और कहा कि मुसलमान विनाशित जाने में कोई आपत्ति नहीं समझते थे। यह तथ्यों के विपरीत था क्योंकि उनके भाषण के अन्त में जब उन्हें यह बताया गया कि हिन्दुओं को इस नियम में कोई आपत्ति नहीं थी, उस समय भी सर सैयद ने यह नहीं कहा था कि दोनों कौमों के लिए एक सम्मिलित योजना बनाई जा सकती थी। अतः स्पष्ट है कि सर सैयद सत्य बात नहीं कह रहे थे।

सफरनामा, पृ० १४०-१४१।

अत्यन्त कठिन था। फरवरी १८८४ ई० में सैयद अहमद ने कहा कि प्रतियोगिता की परीक्षा के लिए आयु घटा देने की शिकायत उचित है लेकिन यदि आयु की सीमा न भी बढ़ाई जाये तब भी निराश नहीं होना चाहिए \* \* \* आयु की सीमा घटा देने में परीक्षा के परिणाम में भारतीयों की क्या हानि है? १६ वर्ष की आयु में जिस प्रकार भारतीयों के ज्ञान की पूरी उन्नति नहीं होती उसी भाँति एक यूरोपियन के ज्ञान की भी नहीं होती \* \* \* इसलिए १६ वर्ष की आयु में डरना और निराश हो जाना अनुचित है।<sup>४५</sup> मई १८८४ ई० में सर सैयद ने सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के साथ परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अर्थियों की आयु घटाने का विरोध किया था। लेकिन शीघ्र ही उन्हें यह अनुभव हो गया कि खुली प्रतियोगिता में मुसलमान विद्यार्थी वह स्थान प्राप्त नहीं कर सकते जो वे उनके लिए चाहते थे। गणित विषय में जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में विशेष महत्त्व रखता था मुसलमान विशेषकर दुर्बल रहते थे और शास्त्रीय भाषाओं (परीक्षा का एक दूसरा विषय) में निपुणता प्राप्त करने में भी वे पीछे रह जाते थे।<sup>४६</sup> इसलिए सर सैयद ने स्वयं ही प्रतियोगिता मूलक भर्ती का विरोध किया था।

१८८७ ई० के अन्त में लखनऊ तथा मार्च १८८८ ई० में मेरठ के भाषणों में सर सैयद ने सिविल सर्विस में प्रतियोगिता के आधार पर भरती करने के सिद्धान्त को भी आलोचना की थी। उन्होंने लखनऊ में कहा कि प्रतियोगिता के आधार पर परीक्षाओं का परिणाम यह होता है कि उच्च कुलों के तथा माधारण एवं निम्न कुलों के लोग समान स्तर प्राप्त कर लेते हैं। उच्च कुल के लोग कभी भी निम्न कुल के व्यक्तियों के अधीन नहीं रहना चाहेंगे। उन्होंने तीन पूर्व शर्तें रखी जिनके पूरा होने के पश्चात् ही प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सेवाओं की भरती की जानी चाहिए। पहले उस देश में एक कौम के सदस्य रहते हों। "उस देश में यदि कई कौमों के लोग रहते हों जैसे भारत में हिन्दू, बंगाली, मराठा आदि, तब उस समय तक प्रतियोगिता परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए जबतक ये कौम एक कौम न बन जायें, अथवा वे सब कौमों समान योग्यता उपलब्ध न कर चुकी हों \* \* \* \* \* क्या मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने में उस स्थान तक पहुँच चुके हैं जो हिन्दुओं को प्राप्त है? कदापि नहीं \* \* \* \* \* जब ऐसी स्थिति है तो प्रतियोगिता परीक्षाएं कैसे आरम्भ की जा सकती है? \* \* \* \* \* इसका परिणाम यह होगा कि सब जातियों (मुसलमान तथा राजपूत जो अपने पूर्वजों की तलवार को नहीं भूले हैं) के ऊपर बंगाली स्थापित होंगे जो एक साधारण छुरी

४५. सफरनामा, पृ० २८०-२८१।

४६. अलीगढ़ आंदोलन के एक नेता मौलवी समीउल्लाखा को १८८३ ई० में डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर सरकार ने नियुक्त किया था इस नियुक्ति की बंगाली प्रेस में इस आधार पर तीव्र आलोचना हुई कि वे अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं थे। इससे सर सैयद तथा अन्य नेता बहुत दुःख हुए और प्रतियोगिता पद्धति के विरोधी बन गये। बाद में कनित्र के अंग्रेज अध्यापकों का योगदान भी इस विरोध के पक्ष में रहा।

थी और यदि उगे स्थापित किया गया तो यह अत्यन्त सराब होगी।<sup>१८</sup>

१८८३ ई० में मध्यप्रदेश के स्थानीय स्वशासन बिल पर विचार-विमर्श के समय सर सैयद अहमद खां ने भारतीय लेजिस्लेटिव कोमिशन में कहा था कि "इंग्लैण्ड की प्रतिनिधि-प्रणाली को अपनाने हुए हमें उन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिये जिनमें भारत इंग्लैण्ड से भिन्न है..... निर्वाचन पद्धति द्वारा प्रतिनिधित्व प्रणाली का अर्थ केवल जनसंख्या के बहुमत के हितों और दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व होना है। लेकिन भारत में जहाँ विभिन्न जातियों का मिलन नहीं हुआ है और धार्मिक मतभेद अत्यन्त जटिल है वहाँ निर्वाचन प्रणाली का परिणाम विभिन्न महत्वपूर्ण दलों को जन्म देना है..... और जबतक जाति, धर्म और वर्गों के मतभेद भारत के सामाजिक, राजनीतिक जीवन को तथा उनके निवासियों को प्रभावित करते रहेंगे, साधारण निर्वाचन पद्धति स्वीकार नहीं की जा सकती।"<sup>१९</sup>

अलीगढ़ नेनाओं का यह भी तर्क था कि प्रजातन्त्र का परिणाम पार्लियामेंट में तथा देश में दो दलों का निर्माण होना है। यदि दो से अधिक दल हों तब प्रजातन्त्र अमफल होता है। उन्होंने इस तर्क को और आगे बढ़ाकर यह भी कहा कि यह दोनों दल भारत के हिन्दुओं और मुसलमानों के होंगे।<sup>२०</sup> यह तर्क अत्यन्त भयानक था तथा समस्त राजनीति को साम्प्रदायिक आधारों पर ढालने के लिये उत्तरदायी हुआ। इस आधार पर मुसलमानों के लिए राजनीतिक भविष्य अत्यन्त भयानक रहा क्योंकि एक अल्पसंख्यक दल (मुसलमान) बहुसंख्यक (हिन्दू) दल नहीं बन सकता था। यह तर्क उस समय मुसलमानों को स्वाभाविक लग सकता था लेकिन यह गलत था क्योंकि राजनीतिक दलबन्दी के लिये धार्मिक आधार आवश्यक नहीं था। भारतीय राजनीति में इस प्रकार का तर्क पहली बार सैयद अहमद खां ने ही प्रस्तुत किया था। राजनीतिक अथवा धार्मिक आधारों की अपेक्षा धार्मिक आधारों पर राजनीतिक दलबन्दी का गठन सैयद अहमद खां तथा उनके अनुयायियों की ही देन है।

इस प्रकार वे आधार तैयार हुए जिन पर अधिकांश मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन आधारित रहा। मुसलमानों के विशिष्ट हितों को बहुसंख्यक हिन्दुओं से कल्पित भय की ऐसी गुत्थी खड़ी कर दी गयी जिसे उस समय तक हल नहीं किया जा सकता था जबतक 'विशिष्ट अधिकारों' और हितों का विचार खण्डित न कर दिया जाये। सर सैयद का नेतृत्व और मुसलमानों की विशिष्ट सुविधाओं का आकर्षण इतने प्रभावशाली हुए कि कोई मुस्लिम विचारक उस समय तक मुसलमानों में प्रभावशाली नहीं बन सका जबतक उसने इन विचारों का समर्थन न किया।

१८. पत्र, २३ नवम्बर, १८८६, पृ० १३३७-१३३९।

१९. वही, २० जनवरी, १८८३, पृ० ७८-८०।

२०. वही, २३ नवम्बर, १८८६, पृ० १३४०।

इण्डियन नेशनल कांग्रेस का विरोध :

प्रजातन्त्रीय प्रणाली तथा प्रतिनिधित्व मिद्धान्त और प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर सेवाओं की भरती के विरुद्ध होने से कोई ऐसा आधार ही शेष नहीं था जिस पर सर सैयद कांग्रेस से सहमत हो सकते। एक राजनीतिक संगठन बन जाने तथा उसे सरकार का ऊपरी समर्थन उपलब्ध होने से सर सैयद को अपना स्वप्न टूटता दिखायी पड़ा। उन्होंने अनुभव किया कि यदि कांग्रेस की कुछ माँगें स्वीकार हो गयीं तो मुसलमानों के उस वैभव के स्वप्न को जिसे उन्होंने पुनः स्थापित करने की सोच रखा था कभी साकार नहीं किया जा सकेगा। दूसरी ओर प्रतिनिधित्व प्रणाली का परिणाम यह होगा कि शैक्षणिक योग्यता तथा सम्पन्नता में बढ़े हुए होने के कारण हिन्दुओं को उच्च स्थान अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे।

इसीलिए वे समस्त आरोप जो उन्होंने बंगालियों तथा कांग्रेस आन्दोलन ममयंत्रों पर लगाये उचित नहीं थे। उन्होंने कांग्रेस आन्दोलन को बंगाली मित्रों द्वारा मुसलमानों को कुचलने का प्रयास बताया। उन्होंने इसकी तुलना एक गृहयुद्ध से की क्योंकि गृहयुद्ध का अभिप्राय भी शक्ति का हस्तान्तरण होता है। वह यह सहन नहीं कर सकते थे कि हिन्दुओं को प्रशासन में अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो जायें इसलिए उन्होंने निर्वाचन पद्धति का विरोध किया था। उन्होंने अपने लखनऊ भाषण में कहा कि निर्वाचन पद्धति के क्या परिणाम हुए? किसी भी नगर में हिन्दू और मुसलमान समान रूप से निर्वाचित नहीं हुए हैं।<sup>६१</sup> मेरठ में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व प्रणाली उसी समय सम्भव थी जबकि शासक और प्रजा एक ही कौम के हों। ऐसे देश में जहाँ विदेशी शासन करते हों प्रतिनिधित्व आधार पर शासन की स्थापना की कल्पना व्यर्थ है तथा ऐसा उदाहरण विश्व के इतिहास में देखने को नहीं मिलता था।

सर सैयद और राजनीतिक संगठन :

सर सैयद मुसलमानों को ऊँचे पदों पर नियुक्त देखना चाहते थे जिससे वे उस लोभे हुए वैभव को प्राप्त कर सकें जो उन्हें १७वीं शताब्दी में प्राप्त था। सर सैयद कुलीन मुसलमान वंशों के उत्थान का आधार केवल अंग्रेजों की कृपा ही समझते थे। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त आवश्यक योग्यता वाले बहुत से मुसलमान युवकों की मर्यादा बढ़ जाने की वे मुसलमानों की प्रगति के मार्ग में बड़ी उपलब्धि मानते थे।

अंग्रेजों के प्रति भक्ति की नीति के फलस्वरूप सर सैयद अंग्रेज प्रशासकों से उदार व्यवहार की आशा करते थे। वे किसी भी स्थिति में हिन्दुओं से पीछे नहीं रहना चाहते थे। उनकी इस महत्वाकांक्षा को केवल अंग्रेज ही पूर्ण कर सकते थे। अलीगढ़ आन्दोलन के एक अन्य नेता हाजी मोहम्मद इम्माइल ख़ाँ ने कहा : "सज्जनों,



आज वह समय नहीं है कि हम भूतकाल की भाँति शान्त रहें। हमारे देश की दूसरी कौम अर्थात् हमारे देशीय हिन्दू भाई हमसे बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं..... यदि हम अपनी पुरानी पॉलिमी न छोड़ेंगे और अपने अधिकारों की अभिव्यक्ति के स्थान पर शान्ति की नीति अपनायेंगे तो हमें अपने लिये और आगामी पीढ़ियों के लिये अत्यन्त हानिकारक परिणामों की आशा करनी चाहिए..... जबकि देश की दूसरी कौम बहुत होशियार है तो हमें भी होशियार होने की अत्यधिक आवश्यकता है।<sup>१२</sup> सर सैयद अहमद ने स्वयं १८८७ ई० में लखनऊ में कहा था : "सज्जनों, अब समय ऐसा नहीं है कि हम केवल अपने होनहार पौधों के पालने से सन्तुष्ट हो जायें बल्कि समय ने प्रतियोगिता के मैदान में बहुत शक्तिशाली और योद्धा पहलवान (शिक्षित हिन्दू) खड़ा कर दिया है इसलिए जबतक हम भी अपनी कौम के नौजवानों को मैदान में न लायें हमारी सफलता सम्भव नहीं...."<sup>१३</sup> जहाँ १८८३ ई० में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी उसी वर्ष अलीगढ़ आन्दोलन के नेताओं ने भी अप्रैल १७८३ ई० में मोहम्मदन पोलिटिकल एसोसिएशन की स्थापना की। इस एसोसिएशन के उद्देश्य निम्नलिखित थे :-

- (१) ब्रिटिश राज्य की भलाई के साथ-साथ मुसलमानों की सामाजिक उन्नति तथा वृद्धि के लिये प्रयत्न करना तथा इस कार्य की प्राप्ति के लिये प्रत्येक साधन जुटाना।
- (२) विभिन्न विधि प्रस्तावों पर (जो व्यवस्थापिका सभा में भारतीयों की भलाई के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं) विचार करना और आवश्यकता-नुसार उनको सरकार के समक्ष अत्यन्त आजाकारिता के साथ व्यक्त करना।
- (३) मुसलमानों की आवश्यकताओं और अधिकारों को तथा देश की भलाई और उन्नति की योजनाओं को अत्यन्त विनीत रूप से सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना।
- (४) ऐसे कार्यों के विषय में सरकार को सूचना देना जो देश की उन्नति में बाधाजनक हों।<sup>१४</sup>

सैयद अहमद याँ इस एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष थे उन्होंने इसकी स्थापना को एक ऐसी औरधि के समान बनाया था जिसे स्वस्थ व्यक्ति इस उद्देश्य से अपने पाम रखने थे कि आवश्यकता के समय काम आवे। उस समय इसकी इतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी भविष्य में पड़ सकती थी। यह संस्था केवल रईमों और मामूली तथा उनके वंशजों मात्र के लिये ही थी।

१०. पृष्ठ, ७ अंश, १८८३, पृ० ३८१।

११. लेखकों का पत्रपत्र, पृ० २१३।

१४. पृष्ठ, ७ अंश, १८८३, पृ० ३८८।

यह संस्था अधिक समय तक सक्रिय नहीं रही। संभवतः यह अधिक प्रभाव-शाली नहीं बन सकती थी। १८८५ ई० में इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पश्चात् सर सैयद ने भी उसी प्रकार के एक मंगठन की आवश्यकता अनुभव की। सर सैयद यह जानते थे कि मुसलमानों को किंगी एक राजनीतिक मंच पर संगठित करना बहुत कठिन कार्य था क्योंकि प्रजातन्त्र और प्रतिनिधित्व मिद्धान्तों से उनका तथ्य पूरा नहीं हो सकता था। धर्म जो उन्हें एकता के सूत्र में बाँधे हुए था एक ऐसा संगठित राजनीतिक मन्व तैयार कराने में सहायक नहीं हो सकता था। क्योंकि इस आधार पर इसका नेतृत्व धार्मिक नेताओं के हाथों में होता और सर सैयद के धार्मिक विचारों के प्रति पहले से ही प्रतिक्रिया बहुत उग्र थी। इसलिए उन्होंने गिदा के नाम पर गमस्त प्रान्त (कालान्तर में ममस्त देश) के मुसलमानों को एकत्र करना चाहा। उन्हें यह प्रेरणा नेशनल कांग्रेस से मिली थी। इस विचारधारा के लिये पहला तर्क यह है कि १८७८ ई० उन्होंने इस प्रकार के शिक्षा सम्मेलन कान्फरेन्स का विरोध किया था।<sup>६५</sup> हमारे सर सैयद ने इस कान्फरेन्स का संगठन करते समय ही अपने मित्रों से कहा था कि हम इस कान्फरेन्स में सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर विचार-विमर्श नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने में इतनी ताकत नहीं देखते।<sup>६६</sup> कुछ वर्षों बाद यह बात स्वीकार की गई कि मुसलमानों में कौमियत (राष्ट्रीयता) की भावना पैदा करने का इससे अच्छा कोई अन्य उपाय नहीं हो सकता था।

इस अवसर पर सर सैयद ने कहा था कि यद्यपि सब मुसलमान एक कौम के सदस्य थे लेकिन उनमें कौमियत की भावना की बहुत अधिक कमी थी। "एक स्थान के रहने वाले हमारे स्थान के रहने वालों से ऐसे ही अपरिचित हैं जैसे कोई धरमकी कौम एक-दूसरे की स्थिति में अपरिचित हो....." एक स्थान पर एकत्र होने से और एक उद्देश्य अर्थात् कौमी भलाई, कौमी तालीम, कौमी उन्नति के लिये एकत्र होने में पुनः कौमी सहानुभूति हममें उत्पन्न हो भयवा जितनी है उसमें वृद्धि हो"<sup>६७</sup> इस कान्फरेन्स का उद्देश्य कौमी प्रयत्नों को संगठित करना था।

इसी कान्फरेन्स के संमंच से ही सर सैयद ने १८८७ ई० में नेशनल कांग्रेस का विरोध किया था। लेकिन इस विरोध को अधिक सक्रिय बनाने के लिये उन्होंने एक 'इण्डियन वैट्रिआॅटिक एसोसिएशन' की स्थापना की थी। इस मंगठन का मध्य मुस्लिम जनमत का गठन करना तथा मामन्तीय और अहिंसावादी तन्त्रों का राष्ट्रीय आन्दोलन के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करना था। बाद में इस एसोसिएशन के नाम में 'यूनाइटेड' शब्द और जोड़ दिया गया था। इस एसोसिएशन के निम्नलिखित उद्देश्य थे :-

६५. वही, २३ फरवरी १८७८, पृ० २१५-२१६।

६६. वही, ८ जून, १८८६, पृ० ६६२।

६७. एजुकेशनल कान्फरेन्स रिपोर्ट, १८८६ अधिवेशन, पृ० १-१३।

- (१) इण्डियन नेशनल कांग्रेस के समर्थकों द्वारा किये गये उन गमस्त प्रयत्नों का खण्डन करना जिनसे इंग्लैंड की जनता को यह भाववासान दिलाने का प्रयत्न किया गया था कि गमस्त जनता कांग्रेस के उद्देश्यों में सहमत थी।
- (२) मुसलमानों के विचारों में तथा कांग्रेस विरोधी हिन्दुओं के विचारों में इंग्लैंड की पार्लियामेंट के सदस्यों को भ्रमगत करना।
- (३) अंग्रेजी राज्य को दृढ़ बनाना तथा भारत में शान्ति सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना।<sup>९८</sup>

संघट्ट अहमद इस सस्या में कुछ हिन्दू सामन्तों को सम्मिलित करने में सफल हुए। उनको आशा थी कि उनके कांग्रेस विरोधी प्रचार से अंग्रेजी सरकार इण्डियन नेशनल कांग्रेस की माँगों को ठुकरा सकेगी लेकिन १८९२ ई० में इण्डियन कौन्सिल एक्ट के पास हो जाने से यह स्पष्ट हो गया कि मुसलमानों के हितों के समर्थन के लिये कुछ अधिक प्रयत्नशील तथा क्रियाशील होने की आवश्यकता थी। इस प्रकार सर संघट्ट जो पहले कुछ न करने तथा अंग्रेजी सरकार पर पूर्ण रूप से आश्रित रहने के समर्थक थे अब कांग्रेस विरोधी प्रचार से सन्तुष्ट न होकर मुसलमानों के लिये एक संगठित राजनीतिक मंच तैयार करने में जुट गये।

यह कार्य शीघ्र ही हो गया। दिसम्बर १८९३ ई० में अलीगढ़ में 'मोहम्मदन एंग्लो ओरियन्टल डिफेन्स एसोसिएशन' की स्थापना की गई। इस एसोसिएशन की स्थापना के दो मुख्य कारण थे। पहला यह था कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस की कुछ माँगों को स्वीकार कर लिया गया था तो यह आवश्यक हुआ कि मुसलमानों के विशिष्ट हितों के लिये कुछ सुरक्षाओं की माँग की जाये।<sup>९९</sup> दूसरा यह था कि कांग्रेस की आशिक सफलता से मुस्लिम युवा वर्ग में खलबली मचना स्वाभाविक ही था। वे अब शान्त बैठने वाले नहीं थे। इस वर्ग को राष्ट्रीय आन्दोलन में सम्मिलित होने से रोकने के लिये यह आवश्यक था कि उनके मार्ग को प्रशस्त करने के लिये कोई मुस्लिम राजनीतिक संस्था भी हो।<sup>१००</sup> डिफेन्स एसोसिएशन का लक्ष्य मुसलमानों को एक पृथक् राजनीतिक शक्ति बना देना था। इस सस्या के निम्न उद्देश्य थे<sup>१०१</sup>।—

- (१) भारत सरकार तथा इंग्लैंड की जनता के समक्ष मुसलमानों के राजनीतिक हितों की उन्नति के लिये प्रयत्न करना।

९८. वैदिकीय एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित पैम्फलेट नं० २, परिशिष्ट १, (१८८८, इलाहाबाद)।

९९. अलीगढ़ कालेज मैगज़ीन, दिसम्बर १८९६, पृ० ५०९।

१००. गजट, ३० जनवरी १८९४, पृ० ११७।

१०१. अलीगढ़ कालेज मैगज़ीन, जनवरी १८९५, पृ० २४-२५, गजट, ६ अप्रैल १८९५, पृ० ३५४-३५५।

- (२) मुसलमानों में व्यापक राजनीतिक आन्दोलन को उभड़ने न देना ।
- (३) अंग्रेजी सरकार तथा साम्राज्य की सुरक्षा और स्थायित्व को बढावा देने वाली योजनाओं का समर्थन करना ।
- (४) भारत में शान्ति स्थापित रखने का प्रयत्न करना और साधारण जनता में निष्ठा और भक्ति की भावना को प्रोत्साहन देना ।

मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद के राजनीतिक चिन्तन का ही परिणाम थी । इसके लिए किसी भी बाह्य कारण की खोज निरर्थक है । प्रोफेसर गुरमुखनिहालसिंह का यह अनुमान है कि सर सैयद के पुत्र सैयद महमूद को बलपूर्वक इलाहाबाद हाईकोर्ट से अवकाश दिलवा देना इसके लिये उत्तरदायी था । यह सर्वथा सत्थ्यों के विपरीत है । सैयद महमूद पर अदालत में शराब पीने और मुकदमों में अत्यधिक विलम्ब करने तथा अदालत के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप मुख्य न्यायाधीश द्वारा लगाये गये थे ।<sup>७२</sup> उत्तर-पश्चिमी प्रान्त का लेफ्टिनेन्ट गवर्नर, ओस्यवाइट, सर सैयद के प्रति अत्यन्त कृपालु था । इसलिए उसने यह कह कर सैयद महमूद का अपराध कम करने का प्रयत्न किया कि इस भग्ने में गलतफहमी बहुत सीमा तक उत्तरदायी थी लेकिन अन्त में उसे भी लिखना पड़ा था कि सैयद महमूद को पुनः कार्य करने की अनुमति देना असम्भव नहीं भी हो तो अनुचित अवश्य होगा ।<sup>७३</sup> सैयद महमूद को चिकित्सकीय अवकाश पर सेवा निवृत्त कर दिया गया जिससे उन्हें पेंशन दी जा सके । यद्यपि उसकी सेवा की अवधि इतनी नहीं थी कि उन्हें यह लाभ दिया जा सके ।<sup>७४</sup> इस प्रकार सैयद महमूद को सेवा निवृत्त करने में भी सरकार ने सैयद अहमद के पुत्र का पक्ष लिया था ।

इस एसोसिएशन ने थोड़े समय तक ही (१८६३-६६) कार्य किया । तीन वर्षों के कार्य-अवधि में इतने वे सब माँगें प्रस्तुत की जिन्हें मुस्लिम लीग ने १९०६ ई० में प्रस्तुत किया था । यदि इस एसोसिएशन के कार्यों पर ध्यान दिया जाये तो मुसलमानों के अधिकारों के विषय में सर सैयद के विचार स्पष्ट हो जाते हैं । वे चाहते थे कि प्रतियोगिता के आधार को समाप्त करके मुसलमान छात्रों को रुड़की इंजिनियरिंग कॉलेज में भर्ती किया जाये । १८६६ ई० में मुस्लिम मांगों का एक विस्तृत ब्योरा तैयार किया गया जिसमें व्यवस्थापिका सभा, भूनिस्पल बोर्ड और जिला बोर्ड में मुसलमानों को 'उचित' प्रतिनिधित्व प्राप्त कराने की बात कही गई थी । इसके अनुसार मुसलमानों के लिये उत्तर-पश्चिमी प्रान्त की व्यवस्थापिका सभा में हिन्दुओं के समान प्रतिनिधित्व की माँग की गई थी यद्यपि हिन्दू, जनसंख्या में, मुसलमानों से प्रायः ६ गुना अधिक थे । सर सैयद का तर्क था कि मुसलमानों का भूतकालीन

७२. होम जूरीशियल, जनवरी १८६३, नं० १-२६ ।

७३. होम जूरीशियल, अगस्त १८६३, नं० १४४-१८६ ।

७४. होम जूरीशियल, अक्टूबर १८६३, नं० २४४-२००, जनवरी १८६४, नं० १४५-१४७ ।

ऐतिहासिक योगदान और आधुनिक राजनीतिक महत्त्व किमी प्रकार हिन्दुओं से कम नहीं था।<sup>७५</sup>

इसी के साथ-साथ सर सैयद ने मुसलमानों के लिये साम्प्रदायिक प्रणाली के आधार पर पृथक् निर्वाचन पद्धति की स्थापना की माँग की। म्युनिसिपल बॉयिलो और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में मुसलमानों के लिये अधिक प्रतिनिधित्व की माँग की। उसके लिए तीन सिद्धान्तों की व्याख्या की गई—(१) जिन नगरों में मुसलमान जनसंख्या १५% तक थी वहाँ कम से कम एक मुस्लिम सदस्य अवश्य होना चाहिए। (२) जिन नगरों में मुस्लिम जनसंख्या १५% से २५% तक थी वहाँ मुसलमान सदस्यों की संख्या यथासम्भव आधी होनी चाहिए। (३) जिन नगरों में मुसलमान जनसंख्या २५% से अधिक थी वहाँ आधे सदस्य अवश्य मुसलमान होने चाहिए।

यह सब माँगे इसलिए औपचारिक रूप से प्रस्तुत नहीं की जा सकी क्योंकि इन्हे पहले इंग्लैंड में कुछ अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारियों की सहमति के लिये भेजा गया था।<sup>७६</sup> १८६८ ई० के आरम्भ में सर सैयद की मृत्यु हो गई थी। इसलिए इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका था।

**सर सैयद और सर्व-इस्लामवाद :**

१९वीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांश में अंग्रेजी सरकार के मुसलमानों की निष्ठा पर सन्देह का एक प्रमुख कारण यह भी था कि उनमें भारत के बाहर के इस्लामी राज्यों के प्रति सहानुभूति एवं भक्ति की भावना व्याप्त थी। विश्व के विभिन्न इस्लामी राज्यों के मुसलमानों में धार्मिक आधार पर भावनात्मक एकता पाई जाती थी। सर सैयद के लिये यह आवश्यक-सा था कि वे यह मिद्ध करें कि भारतीय मुसलमान केवल अंग्रेजों के प्रति ही भक्ति-भाव रखते थे तथा वे भारत के बाहर किमी भी मुसलमान राज्य पर अंग्रेजों द्वारा किये गये दुर्व्यवहार में प्रभावित नहीं होंगे। १८७१-७२ में उन्होंने डॉ० हन्टर की पुस्तक का कडा उत्तर दिया था। अपने इस दृष्टिकोण को और अधिक स्पष्ट करने का सबसे पहला अवसर रूस-तुर्की युद्ध और बॉलिन सन्धि (१८७८ ई०) से उपलब्ध हुआ। इन घटनाओं में इंग्लैंड ने तुर्की का समर्थन नहीं किया था। अंग्रेजी सरकार को भारतीय मुसलमानों की तुर्की के सुल्तान के प्रति भक्ति पर सन्देह था। मक्का के मुस्लिम अधिकारियों ने ईसाईयों के विरुद्ध मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिये अपील प्रकाशित की थी। तुर्की के सुल्तान का अपने-आपको समस्त इस्लामी जगत् का नेता अथवा खलीफा घोषित करना इस सन्देह का आधार था। इस आधार को मुस्लिम जगत् ने साधारणतया स्वीकार किया था। अंग्रेजी सरकार का यह सन्देह व्यर्थ नहीं था जैसाकि प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् भी स्पष्ट हो गया था। लेकिन सर सैयद ने खिलाफत के विचार का समर्थन

<sup>७५</sup>. अलीगढ़ बलिज मैगज़ीन, डिसेम्बर १८६९, पृ० ५०७-५१६।

<sup>७६</sup>. अलीगढ़ बलिज मैगज़ीन, फरवरी १८६७, पृ० ६०।

करने से इन्कार किया। सर सैयद के अनुमार तुर्की का मुल्तान किसी के लिये भी खलीफ़ा नहीं था और भारत के मुसलमानों के लिये तो विल्कुल ही नहीं था। उसके अनुमार शियाओं का खलीफ़ा में ही विश्वास नहीं था और सुन्नीयों के लिये उस समय कोई खलीफ़ा नहीं था। सबसे विचित्र बात तो सर सैयद ने यह कही कि केवल एक अरब जाति का व्यक्ति ही खलीफ़ा हो सकता था। तुर्की का मुल्तान हाशिम या फ़ानिमा का उत्तराधिकारी नहीं था, न वह कुरैश कबीले का वंशज था। इसलिए वह खलीफ़ा हो ही नहीं सकता था। सर सैयद के यह विचार विभिन्न इस्लामी लेखकों से भिन्न थे। उनका लक्ष्य मुसलमानों की अंग्रेजों के प्रति अटूट भक्ति मिट्ट कराना था। उनका पदापातपूर्ण दृष्टिकोण इस बात से स्पष्ट होता था कि वह इंग्लैण्ड को विश्व के मुसलमानों का दायाँ और तुर्की को बायाँ हाथ समझते थे।<sup>७७</sup>

१८७८ ई० के बर्लिन सम्मेलन से इंग्लैण्ड ने तुर्की के साइप्रस प्रदेश पर अधिकार तथा तुर्की के एशियाई प्रदेश पर एक प्रकार का संरक्षण स्थापित किया था। उस समय भारतीय मुसलमान नेताओं में सर सैयद ही ऐसे नेता थे जिन्होंने इंग्लैण्ड के इस हस्तक्षेप को उचित ठहराया और इस बात पर खेद प्रकट किया कि इंग्लैण्ड ने अधिक नियन्त्रण स्थापित नहीं किया। तुर्की पर संरक्षण उमकी विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा में सहायक सिद्ध होगा। साइप्रस पर अंग्रेजी नियन्त्रण आवश्यक था क्योंकि तुर्की के पास समुद्री बेड़ा नहीं था जो उस द्वीप की सुरक्षा कर सकता।<sup>७८</sup>

अंग्रेजों को यह सन्देश था कि १८७८ की बर्लिन सन्धि से तुर्की के टुकड़े कर दिए जाने से मुसलमान बहुत असन्तुष्ट होंगे। लार्ड नाथं ब्रुक (भारत के भूतपूर्व अंग्रेजी गवर्नर जनरल) ने हाउस आफ़ लार्ड्स में इसी प्रकार का एक भाषण दिया था। सर सैयद ने विश्व के अन्य मुस्लिम राज्यों को उदाहरण देकर यह बताया कि वे सब भयोग्य थे। उन्होंने यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया था कि भारत में बहुत कम मुसलमान ऐसे होंगे जो अंग्रेजों की तुलना में किसी भी मुसलमान प्रशासक का समर्थन करेंगे।

अपनी इस नीति का औचित्य बताते हुए सर सैयद ने कहा था कि आधुनिक समय में धार्मिक परम्पराओं की अपेक्षा राजनीतिक हित अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं। भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्पत्ति तथा धार्मिक स्वतन्त्रता उपलब्ध थी इसीलिये वे अन्धे एवं आज्ञाकारी नागरिकों की भाँति जीवन व्यतीत करेंगे। अपनी नीति को तर्कसंगत मिट्ट करते हुए उन्होंने बताया था कि कोई भी कौम अपने सामाजिक और राजनीतिक हितों को एक दूसरी कौम के लिये जो दूर रहती हो त्याग नहीं कर सकती थी। एकना का सबसे बड़ा आधार किसी देश में लगातार माघ रहने रहना था और यह सम्बन्ध धार्मिक और ज़ानीय हितों की अपेक्षा प्रधानता प्राप्त किये

७७. गवट, १६ जून १८७७, पृ० ३८३।

७८. वही, १३ जुलाई, १८७८, पृ० ८०६।

हूए था।<sup>७६</sup> वे यह विश्वास दिमाना चाहते थे कि भारत के मुसलमानों का तुर्की के साथ उती प्रकार का सम्बन्ध था जैसा तुर्की के रहने वालों का मंग्रमा के निवासियों के साथ था।

सर सैयद ने तुर्की के पुनर्जीवन की समस्या घानाएँ छोड़ दी थी क्योंकि मुस्लान के वादो पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। उन्होंने तुर्की की ईगाईयों के प्रति व्यवहार की कट्टर प्रालोचना की थी। उनका यह विश्वास था कि ईगाईयों के प्रति नीति परिधर्तन के तुर्की के कोई भी आश्यामन पूरे नहीं होने, क्योंकि पुरानी धार्मिक सामाजिक तथा राजनीतिक परम्पराओं में बंधे रहने के कारण तुर्की के शासकों का दृष्टिकोण अत्यन्त सक्वोगं हो गया था। तुर्की में गमलन बुराई की जड उलेमाओं का गुट था जो अत्यन्त अज्ञानी था तथा राजनीति एव प्रशासन के भूल सिद्धान्तों में अपरिचित था। सैयद अहमद का विश्वास था कि तुर्की के पुनर्जीवन की उम समय तक कोई आशा नहीं थी जबतक उलेमाओं के समूह को काले मार्ग में न बुवा दिया जाये।<sup>७७</sup>

सर सैयद अपने मन में यह जानते थे कि जो कुछ वे तुर्की के विषय में कह रहे थे वह सत्य नहीं था इसलिए अपनी अन्तिम वृति "आधरी मजामीन" में उन्होंने पाँच निबन्ध इसी विषय पर लिखे।<sup>७८</sup> उनका अभिप्राय था कि तुर्की के मुस्लान का भारतीय मुसलमानों ने कोई राजनीतिक सम्बन्ध नहीं था और उगे खलीफा अथवा धार्मिक नेता स्वीकार करना भी उचित नहीं था। उन्होंने यह आश्वासन दिलाने का प्रयत्न किया था कि सर्व इस्लामवाद का भारतीय मुसलमानों पर कोई प्रभाव नहीं था। सर सैयद का यह सिद्धान्त पूरुंतया राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये बनाया गया था।

तुर्की के प्रति ही नहीं बल्कि सर सैयद को अन्य मुस्लिम राज्यों के प्रति भी कोई सहानुभूति पैदा नहीं हुई यदि उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्यवादी हितों का विरोध किया था। इंग्लैण्ड के द्वितीय अफगानिस्तान युद्ध (१८७८-१८८१) में सर सैयद पूरी तरह से अफगानिस्तान विरोधी था। उन्होंने अफगानिस्तान का रूस समर्थक दृष्टिकोण अत्यन्त हानिकारक बताया था। अलीगड के नेताओं के अनुसार न तो अफगानिस्तान स्वतन्त्र था और न उसे स्वतन्त्र विदेश नीति का अधिकार था। उनकी दृष्टि से मुख्य तथ्य यह था कि क्या रूस को भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर नियन्त्रण स्थापित करने दिया जाये ? वे अफगानिस्तान को असम्भ्य तथा अपने वादो को तोडने वाला समझते थे। अफगान जाति को अज्ञानी और अविश्वसनीय मानते थे। १८७७ ई० में ही जब अफगानिस्तान ने अंग्रेजी राजदूत का स्वागत करने में

७६. सर सैयद ने यह तर्क अंग्रेजों के प्रति भक्त होने के लिये प्रस्तुत किया था लेकिन हिन्दू मुसलमानों के आपसी सम्बन्धों की बर्दा करने समय वे इसे भूल गये थे।

७७. गजट, १० अगस्त, १८७८, पृ० ६२१।

७८. आधरी मजामीन, निबन्ध न० १४, १५, १८, १९, २६।

इन्कार कर दिया था तब सर सैयद के अनुसार अंग्रेजों को युद्ध घोषित कर देना चाहिए था। अलीगढ़ के मुमलमान नेता लार्ड लिटन से भी अधिक साम्राज्यवादी हितों के समर्थक थे। युद्ध आरम्भ हो जाने के बाद उन्होंने विभिन्न सभाओं में नीति के श्रीचिह्न के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किये और अफगान युद्ध में प्रारम्भिक सफलता पर अंग्रेजी सरकार को बधाई दी।<sup>५२</sup> बाद में जब अंग्रेजी नीति को कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ा तब वे अफगानिस्तान के अंग्रेजी साम्राज्य में विलय की बात करने लगे।

इसी प्रकार सर सैयद ने अंग्रेजी सरकार द्वारा अलैक्जिण्ड्रिया पर १८८२ ई० में बम बर्षा को उचित ठहराया और जब अंग्रेजी सरकार मिश्र के उपद्रवी नेता अरबी पाशा को बन्दी बना लेने में सफल हो गई तब सर सैयद ने सरकार को उसकी सफलता पर बधाई दी।<sup>५३</sup>

**हिन्दी उर्दू वाद-विवाद :**

१९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इस महत्त्वपूर्ण विषय पर विवाद आरम्भ हुआ। अंग्रेजी प्रशासन ने विभिन्न प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय भाषाओं को स्थानीय न्यायालयों की भाषा बनाने का प्रयास किया था। इसी आधार पर बंगला तथा उड़िया भाषाओं को बंगाल और उड़ीसा में न्यायालयों की सरकारी भाषा बना दिया गया था। इसी आधार पर १८६८ ई० में बनारस तथा इलाहाबाद के कुछ नेताओं ने हिन्दी को उत्तर-पश्चिमी प्रान्त के स्थानीय न्यायालयों की भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा तथा सैयद अहमद खाँ ने इस विषय पर अपने निष्पक्ष विचार व्यक्त करने को कहा। आरम्भ में हिन्दी समर्थकों तथा सैयद अहमद खाँ ने प्रदेश की मिली-जुली भाषा को क्रमशः हिन्दी और उर्दू कहा। सैयद अहमद ने कहा कि "हमारे न्यायालयों की भाषा वही मिली-जुली भाषा होनी चाहिए जिसे आप हिन्दी और मैं उर्दू कहूँगा। इस प्रश्न पर वाद-विवाद निरर्थक है कि यह देवनागरी, रोमन अथवा फारसी लिपि के माध्यम से लिखी जाये क्योंकि हमारे न्यायालयों की कार्यपद्धति स्वयं यह बात स्पष्ट कर देगी कि कौनसी लिपि अधिक उचित है।" उन्होंने आगे कहा "यदि कोई व्यक्ति फारसी लिपि के स्थान पर देवनागरी लिपि के स्थापित करने के लिये उचित तर्क प्रस्तुत करे और हमें यह आश्वासन दे कि बिना लेशमात्र कठिनाई के लिपि परिवर्तन से हमारा कार्य चल जायगा तब मुझे इस परिवर्तन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।"<sup>५४</sup>

इस उत्तर में सैयद अहमदखाँ ने अपनी उदारता बनाये रखने का असफल

५२. गजट, २ अगस्त, १८७२, पृ० ८१४-८१६।

५३. वही, १६ सितम्बर, १८८२, पृ० १०४१-१०४२।

५४. सैयद अहमद का पत्र मारदा प्रसाद सन्डेन के नाम : दि० ८ नवम्बर, १८६८ : गजट, २७ नवम्बर, १८६८, पृ० ७११।



प्रयत्न किया था। जब संघर्ष अहमद को हुआ, यह बताया गया कि उर्दू में कागजी के संघर्ष अधिक थे और यह हिन्दी में भी भी तब उर्दू में प्रकाशित प्रकाशित एवं प्रकाशित को मुस्लिम रणनीति की धारणा करना प्रस्तुत थी।<sup>६७</sup> हिन्दी के समर्थकों का सबसे बड़ा तर्क यह था कि उर्दू में हिन्दी सुबनासों को प्रकाशित प्रकाशित किया जाता था।

इस समय हिन्दी समर्थक धार्मिक विभिन्न धार्मिक प्रकाशित जातीय धार्मिक पर नहीं था। बहुत से हिन्दू भी हिन्दी विरोधी थे। सर संघर्ष ने उर्दू के समर्थन में पत्रिका की मुद्रिता का भी तर्क प्रस्तुत किया था लेकिन उन्हें पता नहीं था की दुर्बलता का शीघ्र ही अनुभव हुआ क्योंकि जनता के लिए अधिक मुद्रिताजनक भाषा का मुकाम निम्न द्वारा विवेक करने का तर्क हिन्दी के समर्थकों के पक्ष में था। इसलिए उन्होंने पत्रिका की मुद्रिता तथा उर्दू का अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रकाशित होने का तर्क प्रस्तुत किया। १८६६ ई० में प्रकाशित जाने समय संघर्ष अहमद का ने कानून विभिन्न पत्रों में उर्दू के विस्तृत सामान्य का वर्णन किया था। संघर्ष ने उन्हें विवेक कि लोग यह उर्दू में बड़ी प्रकाशित में पत्रों करने थे। उन्होंने कहा कि "जिस प्रकार यूरोप में धार्मिकता का वर्गीकृत भाषा प्रकाशित है उसी प्रकार भी वहीं धार्मिक समर्थक भारतवर्ष में उर्दू बोली जाती है।" उनके दिम में हिन्दी समर्थक धार्मिक प्रकाशित प्रकाशित था इसलिए उन्होंने विवेक कि यह प्राचीन भाषा (हिन्दी) जिसे इनाजाबाद एंग्लो-वेगन पाठनी भी बोली भी नहीं मानी।<sup>६८</sup> इसी प्रकार अहमद ने भी उन्होंने विवेक कि "अहमद तब तो उर्दू भाषा का सामान्य विचारित है।"<sup>६९</sup>

"हयात-ए-जावेद" के लेखक इस वाद-विवाद के धारण को सर संघर्ष के साम्प्रदायिक होने के लिये उम्मीदवादी ठहराते हैं। उनका विचार है कि इस प्रकाशित के प्रकाशित सर संघर्ष केवल मुकामानों के दिनों के समर्थक बन गये।<sup>७०</sup> यह तर्क पूर्णतया अनुचित है। हिन्दी-उर्दू वाद-विवाद में धारण में कोई साम्प्रदायिकता नहीं थी। एक तत्कालीन लेखक ने अतीव प्रकाशित में स्वयं यह बात कही थी कि हिन्दी के प्रकाशित विभिन्न धार्मिक भावना से प्रेरित नहीं थे।<sup>७१</sup> इतना ही नहीं बहुत से हिन्दू स्वयं हिन्दी विरोधी थे।<sup>७२</sup> यह ठीक है कि संघर्ष अहमद इस वाद-विवाद में अत्यन्त व्याकुल हो गये थे तथा कानून वाद के पत्रों में ये बहुत क्षुब्ध दिखाई पड़ते थे और उन्होंने हिन्दी समर्थकों को शताब्दियों पुरानी एक मृतभाषा के पुनर्जीवित करने के लिये प्रयत्नशील बताया था लेकिन इस समय तब निष्पक्ष लोग यह समझते थे कि

६५. वही, पृ० ७५८।

६६. अहमद, ३० अप्रैल, १८६६, पृ० २८३।

६७. वही, २५ जून, १८६६, पृ० ४१२; अहमद ११ जून, १८६६, पृ० ३७५-३७६।

६८. अलताफ हुसैन हासी : हयात-ए-जावेद, अंक १, पृ० १२३।

६९. अहमद, ५ मार्च, १८६६, पृ० १५७; अहमद १४ मई, १८६६, पृ० ३१३-३१४।

७०. पं० मन्मथनाथ, सेक्रेटरी, लिटरेरी सोसाइटी, फाजिल्पुर, का पत्र : अहमद, ७ मई, १८६६ पृ० २६६।

हिन्दी समर्थक आन्दोलन हिन्दुओं, ब्राह्मणों अथवा बंगालियों के स्वार्थों पर निर्भर नहीं था।

सर सैयद मुसलमानों की बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने का प्रयत्न कर रहे थे। ऐसे समय में उन्हें हिन्दी समर्थक आन्दोलन ऐसा आन्दोलन दिखलायी पड़ा जिससे मुसलमानों को नौकरी मिलने की रही-सही सम्भावना भी जाती रहेगी। इसीलिये सर सैयद ने हिन्दी समर्थकों का भरसक विरोध किया। १८६६ ई० में लन्दन से मोहम्मिन उलमुल्क को लिखे गये एक पत्र में उन्होंने उर्दू भाषा को फारसी लिपि में लिखना मुसलमानों की निशानी (चिह्न) बताया।<sup>६१</sup> उन्होंने यह स्वीकार किया कि मुसलमान कदापि हिन्दी पर सहमत नहीं होंगे और यदि हिन्दू दृढ़ हुए और उन्होंने हिन्दी पर खिद की तो वे उर्दू पर सहमत नहीं होंगे और इसका परिणाम यह होगा कि हिन्दू और मुसलमान पृथक् हो जायेंगे।<sup>६२</sup> दूसरे शब्दों में सर सैयद अपनी शर्तों पर एकता चाहते थे। यदि हिन्दू किसी भी सुविधा अथवा लाभ की दृष्टि से किसी परिवर्तन की बात कहें तो उन पर पृथक् होने का दोष लगाया जा सकता था।

सर सैयद का यह कथन कि उर्दू भाषा मुसलमानों की निशानी थी सर्वथा गलत था। बंगाल प्रान्त में मुसलमानों ने कभी इसके पक्ष में आन्दोलन नहीं किया और न ही उर्दू भाषा मुसलमान अपने साथ लाये थे। न यह भाषा उनके धर्म से किसी प्रकार से सम्बन्धित थी। सर सैयद ने यह भी स्वीकार किया था कि उर्दू मुसलमानों की मातृभाषा नहीं थी।<sup>६३</sup> सर सैयद का उर्दू के प्रति समर्थन किसी साहित्यिक आधार पर भी नहीं था। उनका अभिप्राय केवल मुसलमानों के लिये नौकरी को अधिक सुविधाओं को उपलब्ध रखना था। आरम्भ में उन्होंने अंग्लो-इण्डियन कालिज में अरबी और फारसी विभाग भी स्थापित किये थे तथा उन्होंने उर्दू अनुवाद के माध्यम से शिक्षा प्रसार पर बल दिया था लेकिन १८८० ई० तक उन्हें अपनी इस नीति से निराशा हो चली थी। उन्होंने १८८१ ई० में फारसी और १८८४ ई० में अरबी विभागों को बन्द कर दिया था। इन दोनों भाषाओं को अज्ञानता का सूचक बनाया जाता था। उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक ध्यान देने के लिये कहा और उनसे अपनी मातृभाषा तर्क भूत जाने के लिये कहा।<sup>६४</sup> उन्होंने अनुवाद के माध्यम से पश्चिमी ज्ञान को भारत में फैलाने के कार्य को हास्यास्पद कहा। यह सर सैयद के विचारों में भारी परिवर्तन था। इसका कारण यह था कि समस्त राजकीय नौकरियों से पूर्वी भाषाएं समाप्त हो चली थी और सर सैयद का लक्ष्य सरकारी नौकरियों तक ही सीमित था।

६१. छहून-ए-सर सैयद, पृ० ६६।

६२. वही, पृ० २६।

६३. गजट, १८ अग्रेव, १८६३, पृ० ३७७।

६४. गजट, २७ नवम्बर १८८०, पृ० १३३७।

हिन्दी उर्दू वाद-विवाद कुछ मन्द गति में चलता रहा। १८८२ ई० हन्टर कमीशन के समय यह विवाद पुनः उठा। अलीगढ़ नेताओं ने कमीशन के समय यह मत प्रस्तुत करने का निश्चय किया कि फारसी लिपि में उर्दू भाषा उत्तर-पश्चिमी प्रदेश के लिये लाभदायक थी और देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा अत्यन्त हानिकारक होगी।<sup>६४</sup> सर सैयद ने कमीशन के समय अपनी गवाही में भी यह बात कही कि उर्दू उत्तर-पश्चिमी प्रदेश की जनजाधारण की भाषा थी।<sup>६५</sup>

हिन्दी उर्दू वाद-विवाद १९०० ई० में बहुत उग्र रूप में भड़का। १८ अप्रैल १९०० ई० को उत्तर-पश्चिमी प्रान्त की सरकार द्वारा प्रकाशित एक प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिये उर्दू तथा हिन्दी का ज्ञान आवश्यक कर दिया गया और दोनों भाषाओं को एक साथ सरकारी कामकाज की भाषा बना दिया गया। इस प्रान्त के मुगलमानों के लिये यह भारी आघात था और इसका उग्र रूप से विरोध भी किया गया। लखनऊ में एक उर्दू डिफेन्स एगोसिमेंशन बनाई गई और इसमें सरकारी प्रस्ताव को वापस लेने की भी मांग की गई। अलीगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी इस आन्दोलन में भाग लिया। कॉलेज प्रबन्धक समिति के सचिव मोहम्मिनउलमुल्क ने उर्दू समर्थक संगठन की अध्यक्षता की थी। प्रान्त के गवर्नर ने अलीगढ़ कॉलेज की इस सरगर्मी को राजनीतिक समझा और अपनी अस्वीकृति स्पष्ट की। परोक्ष रूप से सरकारी सहयोग को समाप्त करने की धमकी दी गई। अलीगढ़ नेताओं के लिये सरकारी असन्तोष सबसे प्रभावशाली अस्त्र था। शीघ्र ही उर्दू समर्थक आन्दोलन समाप्त हो गया।

### राजनीति का साम्प्रदायिक आधार :

धार्मुनिक भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे दोषपूर्ण तथा विपरीत तत्व साम्प्रदायिक राजनीति का आरम्भ रहा है। साम्प्रदायिक राजनीति से अभिप्राय है ऐसे सिद्धान्तों पर एक आन्दोलन को जन्म तथा प्रोत्साहन देना जिससे एक विशिष्ट सम्प्रदाय का हित होता हो और उन सिद्धान्तों के प्रयोग से दूसरे सम्प्रदायों को हानि होती हो। विभिन्न वर्ग अथवा सम्प्रदाय यदि अपने-अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिये सगठित होकर राष्ट्रीय आन्दोलन एवं राष्ट्रीय हितों की वृद्धि में सहायक हो जायें तो यह साम्प्रदायिकता नहीं है। इसके विपरीत साम्प्रदायिक आधारों पर सगठित होकर केवल साम्प्रदायिक हितों के लिये सर्पण करना जिन्हे किसी न्यायसंगत आधार पर उचित न ठहराया जा सके तब ऐसे आन्दोलन को अवश्य ही साम्प्रदायिक कहा जायेगा। इस प्रकार के साम्प्रदायिक हितों में राष्ट्रीय हितों से अलगवाव एवं पृथक्ता निहित है। भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता का जन्मदाता किसे कहा जाये

६४. वही, ५ अगस्त, १८८२, पृ० ८५७।

६५. सैयद अहमद की हन्टर कमीशन के समय गवाही, पृ० ५, अगस्त, १८८२, पृ० ३।

इस पर विद्वानों का मतभेद है। किमी भी ऐसे व्यक्ति को साम्प्रदायिकता तथा साम्प्रदायिक राजनीति का जन्मदाता कहा जायेगा जिसने प्रजातन्त्र में राजनीतिक दलों का गठन धर्म के आधार पर बताया हो। सर सैयद अहमद खाँ भारतीय राजनीति में प्रथम नेता थे जिन्होंने अपनी राजनीति का आधार धर्म के आदेशों को बनाया। मेरठ में भाषण देते हुए सर सैयद ने कहा कि "इन प्रान्तों के हिन्दू हमारा साथ छोड़कर बंगालियों के साथ मिल गये हैं। तब हमें उम कौम के साथ मिल जाना चाहिए जिसके साथ हम मिल सकते हैं..... कोई मुसलमान इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि ईश्वर ने कहा है कि ईसाईयों के अतिरिक्त किसी धर्म के अनुयायी मुसलमानों के मित्र नहीं हो सकते। जिसने कुरान पढा है और जो इस पर यकीन रखता है वह जान सकता है कि हमारी कौम किसी अन्य कौम से मित्रता और हमदर्दी की आशा नहीं कर सकती.....हमें ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार ईसाईयों के प्रति निष्ठावान और मित्रतापूर्ण बने रहना चाहिए।"<sup>६६</sup> उन्होंने भारतीय राजनीतिक दलों के गठन का आधार धर्म घोषित किया था और यह बताया था कि भारतीय समद में दो दल हिन्दू एवं मुसलमानों के ही होंगे। इसीलिये उनका कहना था कि एक बहुमत अल्पमत नहीं बन सकता था। उन्होंने मुसलमानों के ऐतिहासिक महत्त्व का नारा लगाया था तथा भारत के किमी भी प्रजातन्त्र के संगठन में मुसलमानों को उनके राजनीतिक महत्त्व के अनुसार हिन्दुओं के समान स्थान का दावा प्रस्तुत किया था और इस प्रकार का प्रजातन्त्रीय परम्पराओं के विकास में अवरोध उत्पन्न कर दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में भी मुसलमानों के पिछड़े होने की बात आँकड़ों के आधार पर नहीं कही गई थी बल्कि मुसलमानों और हिन्दुओं के विद्यार्थियों की सख्या समान रखने के लिये कही गई थी क्योंकि हिन्दुओं में बहुत कम लोग और मुसलमानों में सब लोग (वे हमें यह यकीन दिलाना चाहते थे) विद्यार्थी थे।

**मुसलमान एक कौम :**

सर सैयद ने कौम शब्द की व्याख्या इतने अधिक भाषणों में और इतने विभिन्न अवसरों पर और इतने भिन्न, कही-कही परस्पर विरोधी, अर्थों में की थी कि उनके कुछ वाक्यों को लेकर उनके विचारों के विषय में काफी भ्रान्ति प्रचलित है। बहुत से लेखक सर सैयद को इस आक्षेप से बचाना चाहते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीयता के अर्थ में कौम का शब्द केवल मुसलमानों के लिये प्रयोग किया था। वे लेखक सर सैयद के उन भाषणों से कुछ अंग उद्धृत कर देते हैं जिनमें कौम शब्द से व्यावसायिक, जातीय अथवा क्षेत्रीय समुदाय का बोध होता है।<sup>६७</sup>

अंग्रेजी भाषा के शब्द 'नेशन' का उर्दू अनुवाद कौम होता है लेकिन इसके

६६. प्रेजेंट स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स पृ० ४८-५०।

सकरनामा, पृ० ११२, २६२।

६७. एक आधुनिक लेखक ने देखा उनही १८८४ ई० में दिये गये कुछ भाषणों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। मशीर-उल हक : मुस्लिम पॉलिटिक्स इन मोडर्न इण्डिया, पृ० २८-३३।

साथ-साथ उर्दू भाषा में कौम शब्द अन्य कई अर्थों में भी प्रयोग होता है। जैसे ईसाई कौम, पारसी कौम (धार्मिक समूह), जुलाहो की कौम (व्यवसायिक समुदाय), ब्राह्मणों की कौम (धार्मिक समूह), बंगालियों अथवा मराठों की कौम (क्षेत्रीय समुदाय)। सर सैयद ने इन सब ही अर्थों में इस शब्द का प्रयोग किया था। उनके द्वारा इस शब्द का प्रयोग परिस्थिति के अनुकूल होता था। सर सैयद की कौम शब्द की व्याख्या दो चरणों में हुई थी। पहला चरण इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पूर्व का था और दूसरा चरण १८८५ ई० के पश्चात् का था। पहले चरण में सर सैयद ने केवल इस बात पर बल दिया था कि हिन्दुओं को मुसलमानों का समर्थन करना चाहिए क्योंकि मुसलमान प्रगति तथा उन्नति में पीछे थे लेकिन इस समय में भी सैयद अहमद निरन्तर इस बात पर बल देते रहे कि भारत में दो कौम हैं। मुसलमानों के एक कौम होने का एकमात्र आधार इस्लाम था। दूसरे चरण में जब उन्हें यह दिताई पडा कि एक कौम (हिन्दुओं) ने अपने को सगठित कर लिया था और अपनी शिक्षा तथा अन्य प्रगति के आधार पर सरकारी नौकरियों में उसे अधिक स्थान प्राप्त हो जायेगा तब उन्होंने दोनों कौमों में गृहयुद्ध और नर-संहार की बात कही थी।<sup>६८</sup>

सर सैयद के आरम्भिक समय में कोई राजनीतिक प्रश्न ऐसा नहीं था जिसका कौमों के आधार पर निर्णय होने वाला हो। इस पर भी चूंकि सर सैयद के समक्ष मुसलमानों के पृथक् हितों की समस्या थी इसीलिए वे मुसलमानों की पृथक्ता पर बल देते थे और यह पृथक्ता उनकी दृष्टि में धर्म के अनिर्दिष्ट और कोई नहीं थी।

अपनी मुगलमान कौम में धन कम उपलब्ध होने के कारण सर सैयद के समक्ष मुख्य समस्या मुसलमानों की प्रगति में हिन्दुओं से सहयोग लेना थी। हिन्दुओं की प्रगति या आन्दोलन में सहयोग देना मुसलमानों का, उनके अनुसार, कोई कर्तव्य नहीं था। सर सैयद ने जब कभी अपने कुछ निश्चित मुद्दों का प्रयोग किया वह उसी समय किया था जब या तो उन्हें हिन्दुओं से अलीगढ़ कॉलेज के लिये आर्थिक सहायता लेनी हो या ही हुई सहायता के लिये धन्यवाद देना हो। उदाहरणार्थ : १८७५ ई० में अलीगढ़ स्कूल की नींव स्थापना के समय उन्होंने कहा

“मुन्नी तथा गिया का भेद केवल काल्पनिक है वे इसी इस्लाम धर्म में विश्वास रखते हैं जिस पर हम। यह दोनों धर्म देश और कौम के हिसाब से आपस में भाई हैं। इसलिए यह दोनों अगर कौमी भलाई में सम्मिलित हो तो कुछ अधिक आश्चर्यजनक नहीं है लेकिन इससे अधिक जो मुझे प्रसन्नता है वह यह है कि हमारे हिन्दू भाई भी हमारे इस कार्य में हृदय से सहायक हैं। आशा है कि मुसलमान और हिन्दुओं में जो आपस में बतनी (एक देश के रहने वाले) भाई हैं दिन-प्रतिदिन मेल बढ़ता जावेगा।”

६८. सर सैयद द्वारा मेरठ में दिया गया भाषण : १६ मार्च, १८८८। प्रेन्ट स्टेट,

ऐसे ही अवसरों पर वे यह कहते थे कि हमारे जीने और मरने के लिये भूमि एक ही है। एक ही गंगा का पानी पीते हैं और वे अपना प्रिय वाक्य कि "भारत में दो कौमे हैं हिन्दू और मुसलमान। यदि एक कौम इनमें से उन्नति करे और दूसरी कौम अवनति में पड़ी रहे तो इसका (भारत का) सुन्दर मुसलमान काणा ही रहेगा। इस दुल्हन के सुन्दर चेहरे की खूबसूरती इसी में है कि इसकी दोनों आँखें पूरी तरह स्वस्थ हों।"<sup>१०६</sup> इसका अर्थ केवल यह ही था कि हिन्दू भारतीय दुल्हन को सुन्दर रखने के लिये मुसलमानों की सहायता करते रहे।

१८७५ ई० से पूर्व भी सर सैयद ने दोनों कौमों के पृथक् होने की बात कही थी। उन्होंने १८६८ ई० में लिखा था कि यदि भारत में एक संगठित कौम के बनाने की सब आशाएँ त्याग देनी पड़ें तो हमें एक पृथक् शासन और शिक्षा की योजना हिन्दुओं के लिये और दूसरी मुसलमानों के लिये बनानी चाहिए।<sup>१०७</sup> लन्दन से अपने एक पत्र में १८६९ ई० में उन्होंने निम्न पटना लिखी थी

"एक दिन मैं और हामिद और महमूद (उनके दोनों पुत्र) इंडिया आफिस में गये... इनमें से एक अप्रेज युवक सम्भवतः कोई मिजिल सर्विस पास किये हुए था आकर खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद उसने महमूद से पूछा कि तुम भी हिन्दुस्तानी हो। महमूद ने तुरन्त बिना सोचे हुए कहा, हाँ, किन्तु यह कहते ही उसको ऐसी शर्मिन्दगी हुई कि उसका रंग बदन गया और उसने कहा कि मैं हिन्दुस्तान की कौम का आदमी नहीं हूँ बल्कि विदेशी कौम का हिन्दुस्तान में आया हूँ।"<sup>१०८</sup>

१८७१ ई० में अलीगढ़ आन्दोलन आरम्भ करने के पश्चात् उन्होंने लिखा था—"आजकल सबसे अधिक इस बात की आवश्यकता है कि भारत के जिलों में विभिन्न स्थानों पर अनायालय और स्कूल स्थापित किये जायें... कौमी इज्जत और धार्मिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कौम के लिये यह उचित है कि वह यथासम्भव अपनी-अपनी कौम के बच्चों को दूसरी कौम के नियन्त्रण में न जाने देवे इसलिये हिन्दू मुस्लिम अलग-अलग अनायालय खोलें।"<sup>१०९</sup>

१८७३ ई० के पश्चात् उन्हें अलीगढ़ कॉलेज के लिये आधिक सहायता की आवश्यकता पड़ी और मुसलमानों से धन कम मिना तब उन्होंने हिन्दुओं को प्रगतिशील कहकर उन पर यह उत्तरदायित्व डाला कि वे मुसलमानों की सहायता करें और उन्होंने ऐसे विभिन्न वाक्यों का प्रयोग किया जिनका अर्थ यह लगाया जाता है कि वे हिन्दू-मुस्लिम एकता में विश्वास करते थे और इसी काल में उनके ऐसे वाक्य भी मिलते हैं जिनका स्पष्ट अर्थ मुस्लिम पृथक्तावाद होता था। १८७६ ई० में

१०६. गजट, त्रिशिष्ट अंक, २८ मई, १८७५, पृ० ७।]

१००. वही, फरवरी १८६८ पृ० ८२।

१०१. सर सैयद का पत्र दि० १५ अक्टूबर, १८६९, गजट १९ नवम्बर, १८६९, पृ० ७४५।

सर सैयद ने स्वयं अपनी स्वीट्टनि से यह प्रकाशित करवाया था।

१०२. गजट, २४ मार्च, १८७१, पृ० १७९।

भारत को विभिन्न धर्मों और कौमो का समूह बताया गया था। "इसमें रहने वालों के धार्मिक मतभेद इतने शक्तिशाली थे कि उनके सामने किसी अन्य शक्ति को अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं समझा जाता था..... जिस प्रकार रातदिन तथा काली और सफेदी का आपस में मिल जाना कठिन था उसमें कुछ अधिक यह कठिन था कि भारत के विभिन्न धर्म आपस में संगठित हो जावें।" १०३

१८८२ ई० में उन्होंने कहा कि भारत की उन्नति दोनों कौमो (हिन्दुओं और मुसलमानों) की उन्नति पर निर्भर थी। भारत एक गाड़ी और इसकी दो कीमे इसके दो घोड़े के समान थे। यह गाड़ी किसी भी भाँति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकती यदि दोनों में से कोई घोड़ा सुस्त और पीछे हटने वाला हो। भारत की तुलना एक मिपाही से भी की गई और दोनों कौमो की दोनों पैरों से तुलना की गई लेकिन शीघ्र ही इस उपमा को छोड़ दिया गया क्योंकि इसमें एक कौम दाया और दूसरी बाँया पैर होगी और स्वाभाविक रूप से एक शक्तिशाली और दूसरा दुर्बल होगा। इसलिए मर सैयद पुन उम उदाहरण पर आ गये जिसके अनुसार भारत को एक सुन्दर दुल्हन और उमकी कौमो को दो सूबयूरत आँखें बताया गया। १०४ सर सैयद हिन्दुओं की प्रगति का उदाहरण देकर मुसलमानों को प्रगति के लिए उकसाना चाहते थे और अपनी कौम से कहते थे कि 'यह समय पीछे रह जाने का नहीं है। बहुत बातों में पीछे रह गये। इस कार्य में पीछे रह जाना बिल्कुल राने के समान है।' १०५ "इस समय कौमियन का शब्द भारत के सम्स्त निवासियों पर लागू नहीं हो सकता तब भी कम से कम हिन्दुओं को, मुसलमान मुसलमानों को और पारसी पारसियों को अपनी-अपनी कौम का सदस्य समझते हैं। यह बात कि हिन्दुस्तान कभी एक कौम बन मरने है या नहीं और यदि बन मरने है तो किन प्रकार कठिनाई में तय हो मरनी है।" १०६

सर सैयद ने कौम शब्द की व्याख्या १८८३ ई० में भारतीय लेजिस्लेटिव कौमिल में चुनाव पद्धति का विरोध करते हुए की थी। "भारत अपने में एक महाद्वीप है और इसमें विभिन्न कौमों और धर्मों के लोग रहते हैं और धार्मिक कट्टरता के कारण पड़ोसी भी एक-दूसरे से अलग रहे हैं..... कौम और धर्म के एक होने में घ घेरी कौम एक कौम हो गये है..... वास्तव में सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए यह कहा जा सकता है कि इंग्लैण्ड को कुल जनसंख्या एक ही कौम है। निम्नलिखित भारत के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता..... उन देशों में जहाँ की

जनसंख्या केवल कौम और एक धर्म से मिलकर होती है यह नियम (चुनाव) निःसंदेह सबसे अच्छा है लेकिन 'मेरे लार्ड' एक ऐसे मुल्क में जैसाकि हिन्दुस्तान है जहाँ कि जाति के मतभेद अबतक विद्यमान हैं और जहाँ विभिन्न कौम घुलमिल नहीं सकी है और जहाँ धार्मिक मत-भेद बढ़े हुए हैं.....जबतक कौम और धर्म के मत-भेद भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अभिन्न अंग बने रहेंगे.....उस समय तक चुनाव का विशुद्ध नियम निश्चिन्तता के संग प्रचलित नहीं किया जा सकता। बड़ी कौम छोटी कौम के उद्देश्यों पर प्रभुत्व स्थापित कर लेगी।" १०७

जनवरी १८८४ ई० के अमृतसर में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था : 'नि सन्देह मेरे दिल में एक उत्साह और एक आकांक्षा है कि मेरी कौम जो अपमान में पड़ी जाती है सम्पत्ति से वंचित होती जाती है वैभव और गौरव को जो बाप-दादा की अर्जित सम्पत्ति थी खोती जाती है उसको पुन प्राप्त करे। जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं उसमें प्रयत्न करता हूँ" १०८ एक अन्य अवसर पर बरेली में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था "मैं अपनी समस्त कौम का जिस पर इस्लाम का प्रभाव हो सकता है चाहे वह सुनी हो या शिया, हृदय से सेवक हूँ" १०९ १८८४ ई० में सर सैयद ने पंजाब के विभिन्न जिलों का दौरा किया क्योंकि वे अलीगढ़ कॉलेज के लिये चन्दा एकत्रित करना चाहते थे। अपने सबसे पहले भाषण में उन्होंने कौम शब्द की व्याख्या करते हुए कहा :

"कौम का शब्द ऐसा है जिसके अर्थ पर कुछ ध्यान देना आवश्यक है बहुत लम्बे समय से.....कौमों की गिनती किसी महापुरुष के वंशज होने या किसी देश का निवासी होने से होती थी। हजरत मोहम्मद ने.....उस कौमी भेद को जो केवल सांसारिक स्थिति के कारण था मिटा दिया और एक आध्यात्मिक कौमी सम्बन्ध स्थापित किया.....समस्त कौमी सम्बन्ध इस आध्यात्मिक सम्बन्ध के समक्ष नष्ट हो गये और एक नया आध्यात्मिक बल्कि खुदाई कौमी सम्बन्ध स्थापित हो गया। इस्लाम किसी से नहीं पूछता कि वह तुर्क है या ताजीक। वह अफ्रीका का रहने वाला है या अरब का, वह चीन का निवासी है या माचीन का। वह पंजाब में पैदा हुआ या हिन्दुस्तान में..... जिसने कलमा-ए-तौहीद को मजबूती में पकड़ा वह एक कौम हो गया" आगे उन्होंने कहा "इन रूहानी (धार्मिक) भाइयों (अर्थात् मुसलमानों) के अतिरिक्त और भी हमारे बतनी (देशवासी) भाई हैं।" ११०

एक दिन बाद जलन्धर में उन्होंने कहा . "मैं अपनी कौम के उन महान् भावों का तथा अपनी गौर कौम के बतनी भाइयों का जिन्होंने इममें (अलीगढ़ कॉलेज में)

१०७. लेक्चरों का मसमूआ, पृ० ३२८-३२९।

१०८. मफरतामा, पृ० ७९।

१०९. लेक्चरों का मसमूआ, पृ० १४३।

११०. मफरतामा, पृ० ८-९, ११।



महायता की हृदय से घाभारी हूँ।”<sup>१११</sup>

दो दिन पश्चात् शमूरासर में बोमते हुए उन्होंने कहा “हमारी कौम के सड़के दम बात को याद रखें कि हमारी मुक्ति का साधन इस्लाम का मार्ग है इसको हम सुरक्षित रखें.....हिन्दू हमारे हमवतन भाई हो गये हैं.....हिन्दुस्तान में दोनों कौम बराबर उन्नति करें। हिन्दू हो या मुसलमान अथवा भारत की कोई कौम हो देश की उन्नति के लिये सबकी एक होना चाहिए।”<sup>११२</sup> एक अन्य भाषण में उन्होंने कहा “अलीगढ़ कॉलेज निस्सन्देह एक साधन कौमी उन्नति का है यहाँ पर कौम में मेरा अभिप्राय मुसलमानों से नहीं बल्कि हिन्दू और मुसलमान दोनों से है।”<sup>११३</sup> इसमें स्पष्ट है कि जहाँ एक कौम से उनका अभिप्राय मुसलमानों के प्रतिरिक्त कुछ और होना या वे स्पष्ट कह देते थे।

गुरदासपुर में भाषण देते हुए उन्होंने कहा “हिन्दू और मुसलमान एक धार्मिक शब्द है वरना हिन्दू और मुसलमान और ईसाई भी जो इस मुल्क में रहते हैं इस दृष्टि से सब एक ही कौम हैं।”<sup>११४</sup>

लाहौर में आयें समाज के सदस्यों के समक्ष वार्ते करते हुए सर सैयद ने कहा “शेरे विचार ने हिन्दू किसी धर्म का नाम नहीं है बल्कि हर एक व्यक्ति हिन्दुस्तान का रहने वाला अपने आपको हिन्दू कहता है इसलिए मुझे भेद है कि आप मुझे यद्यपि मैं हिन्दुस्तान का रहने वाला हूँ हिन्दू नहीं समझते.....(आगे कहा)..... भारत की उन्नति के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि हिन्दू और इस्लाम धर्म के मानने वाले आपस में मिलकर कार्य करें।”<sup>११५</sup> १८७३ ई० में पटना में उन्होंने कहा था

“इस्लाम का सम्मान मुसलमानों की दशा से छाँका जाता है। आप मुसलमान रहें जो भगवान की कृपा से इस शहर में उपस्थित हैं और जिनसे से बहुत से यहाँ हैं उनकी योग्यता और सम्पन्नता से इस्लाम के सम्मान का अनुधान होता है इसलिए यदि सब निर्धन, अपमानित और भीषण मार्गने वाले हो जायेंगे तो इस्लाम की क्या इज्जत शेष रह जायगी.....”<sup>११६</sup>

१८८३ में भाषण करते हुए पटना में ही उन्होंने कहा :

“यदि वह कौम जो इस संगार में मुसलमान के नाम से प्रसिद्ध है, अपमानित,

१११. वही, पृ० ५२-५३।

११२. वही पृ० ६४-६५।

११३. वही, पृ० ७६। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि अलीगढ़ कॉलेज से प्रथम पाठकों में कुल १२ विद्यार्थी बी. ए. परीक्षा पास किये जिनमें केवल दो हिन्दू थे।

यह अनुपात बालान्तर में घटना गया।

११४. वही, पृ० ६४।

११५. वही, पृ० १३६-४०। सर सैयद एन ही भाषण में अविशेष नहीं रह गये।

११६. देववरी का मन्थन, पृ० २०।

निर्धन व कंगाल हो जावे तो इस्लाम भी अयमानित हो जावेगा । इसलिए हमारा प्रयत्न सामाजिक प्रगति और सम्मान में इस्लामी सम्मान तथा वैभव की नियत में होना चाहिए जिसको मैं इस्लाम में वास्तविक प्रेम व मन्वी भलाई का कार्य कहता हूँ—(अलीगढ़ कॉलेज के लिये सहायता माँगने में बड़े प्रभावशाली ढंग से भाषण देने हुए उन्होंने कहा).....आठ-दस वर्षों का समय प्रत्यन करते हुए व्यनीत हो गया । कौम के ध्यान देने के अभाव में वह अबतक पूरा नहीं हुआ उसकी खुदी हुई नीवें कौम का मुँह ताकती हैं कि कब हमारा पेट भरेगा.....इसके विद्यार्थी छप्पर में और वृक्षों के माये में नमाज पढ़ने हैं और पूछने हैं कि हमारी कौम त्रिन्दा है या खुदा के यहाँ चल बसी ।" ११७

सर सैयद ने अपने १८८४ ई० के पंजाब के विभिन्न भाषणों में जिस सामूहिक जीवन पर बल दिया था वह सामाजिक था और इस क्षेत्र में भी उन्होंने धर्म को अलग रखने पर हमेशा जोर दिया था । यदि सर सैयद से उन क्षेत्रों की व्याख्या करने को कहा जाता कि वह सामाजिक क्षेत्र कौनसा था त्रिसमे हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे का सहयोग कर सकते जबकि धर्म और राजनीति अलग हो और देश की नीति निर्माण में लोगों का हाथ न हो तो उनका उत्तर केवल इतना ही था कि हिन्दू अपनी आर्थिक सम्पन्नता के कारण मुसलमानों की शिक्षा प्रसार में धन देते जायें । १८८५ ई० में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के बन जाने से उन्हें यह शंका हुई कि भविष्य में यदि प्रतिनिधित्व प्रशासन प्रणाली तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं के आघार पर कुछ सुविधायें भारतवासियों को प्राप्त हुईं तो मुसलमानों की प्रगति का वह स्वप्न पूरा नहीं हो सकेगा जिनकी कल्पना उनके मतिष्क में थी । १८८६ ई० के पश्चात् इस बात के परखने का अवसर उपलब्ध हुआ कि क्या सर सैयद मुसलमानों और हिन्दुओं में केवल धार्मिक भेद ही समझते थे ? क्या राजनीतिक क्षेत्र में सर सैयद अपने उन भाषणों एवं लेखों को त्रियान्वित करना चाहते थे जिनकी व्याख्या उन्होंने १८७८-१८८४ ई० के मध्य अलीगढ़ कॉलेज के लिये चन्दा एकत्र करते समय की थी ? क्या सर सैयद कौम का अर्थ किसी धार्मिक समुदाय से लगाते थे अथवा इस कौमियत के आघार पर वे विशिष्ट राजनीतिक अधिकार चाहते थे ?

उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर उनके किसी एक या दो भाषणों से देना पर्याप्त नहीं होगा । सर सैयद अत्यन्त बुद्धिमान तथा दूरदर्शी नेता थे जो यह समझते थे कि मुसलमानों की प्रगति किस प्रकार हो सकती थी । हिन्दुओं ने सहयोग लेकर (यदि हो सके) अथवा मुसलमानों की पृथक्ता की दुहाई देकर (यदि आवश्यक हो) वे मुसलमानों को पुनः प्रगति के मार्ग पर डालना चाहते थे और उन्हें एक दल के रूप में संगठित कर देना चाहते थे । सर सैयद के १८८७ एवं १८८८ में लखनऊ और मेरठ में दिये गये भाषण (जिनका ऊपर वर्णन किया जा चुका है) इस बात को

स्पष्ट करते हैं कि वे मुसलमानों और हिन्दुओं में किस प्रकार का सहयोग चाहते थे। १८८७ ई० में उन्होंने मुसलमानों के पिछड़े होने के सम्बन्ध में लिखा था।

“जितना अनुभव और जितना विचार किया जाता है सबका निर्णय यह निकलता है कि अब भारत के मुसलमानों को भारत की अन्य कौमों से समानता कर पाना असम्भव-सा लगता है। बगानी तो अब इतना आगे बढ़ गये हैं कि यदि बंगाल, हिन्दुस्तान और पंजाब के मुसलमान पर लगाकर भी उड़े तो उनको पकड़ नहीं सकते। भारत की हिन्दू कौमों ने भी उन्नति करके मैदान में मुसलमानों को बहुत पीछे छोड़ दिया है यदि मुसलमान दौड़कर भी चलें तो भी उनको पकड़ नहीं सकते।”<sup>११८</sup> वे सदा इस बात से चिन्तित रहते थे कि भारत में एक कौम ने (अर्थात् हिन्दुओं) अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया था और जो समय आने वाला था उसको भलिभाँति समझकर अपने-आप को उसके योग्य बना लिया था मगर जो कौम पीछे पड़ी रह गई थी “वह हमारी कौम है जो मुसलमान कहलाती है जिमको इस्लाम ने एक कौम बना दिया है।”<sup>११६</sup>

१८८५ ई० के पश्चात् प्रत्येक स्थान पर दिन-प्रतिदिन हिन्दू मुसलमानों में फूट, शत्रुता और भगडा बढ़ता जा रहा था जिसका परिणाम दोनों के लिये अत्यन्त खराब, अधिकारियों के लिये कष्टदायक था लेकिन अलीगढ़ के लिये यह ही पर्याप्त गन्तुष्टि का कारण था कि यह घटनायें “इण्डियन नेशनल काँग्रेस वालों की आशाओं के लिये निराशा का कारण थी।”<sup>१२०</sup> सर सैयद इस बात का भी अनुभव करते थे कि भारत में मुसलमानों को नेशनलिटी स्थापित करने की सबसे अधिक आवश्यकता थी।<sup>१२१</sup> उन्हें भारत के मुसलमानों की एक पोशाक की आवश्यकता अनुभव होती थी। १८९४ ई० में एजुकेशनल कान्फरेन्स के वार्षिक अधिवेशन में सर सैयद ने मुसलमानों को एकता के मूत्र में बाँधने की आवश्यकता पर बल दिया था। यदि ऐसा न हो सका तो “न कौम को कौम बना सकेंगे और न उनमें इन्सानियत और कौमियन पैदा कर सकेंगे……”। हमको मुसलमान होने के कारण कौम को कौम बनाने के लिये धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता है क्योंकि मुसलमानों में इस्लाम धर्म के अनुसार कौम शब्द का प्रयोग जातीय एकता के आधार पर नहीं बोला जाता बल्कि जिम्मे कलमा पढ़ा और इस्लाम स्वीकार किया वह जानि के हिमात्र में कोई भी हो हमारा भाई और हमारी कौम में सम्मिलित है। इस्लाम के अनुसार कौमी प्रेम, भाईचारा तथा एकता केवल इस्लाम पर निर्भर है।”<sup>१२२</sup>

११८. पृष्ठ, ४ अक्टूबर, १८८७, पृ० ११२७।

११९. वही, १२ मई, १८९५, पृ० ५९३।

१२०. वही, ३० अगस्त, १८९०, पृ० ९२८।

१२१. वही, १० नवम्बर, १८९१, पृ० १२५७।

१२२. मेसजर ऑफ़ अजमल वही, २७ दिसम्बर, १८९५, पृ० ३-९।

सर सैयद के इन विचारों एवं भाषणों के समक्ष यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि सर सैयद ने भारतीय मुसलमानों के लिये "कौम" शब्द का प्रयोग ही नहीं किया था बल्कि इस शब्द का प्रयोग समस्त भारतीय जनता के लिये किया गया था।<sup>१२३</sup>

सर सैयद अहमद अपने जीवन के उत्तरार्ध में अत्यन्त प्रभावशाली नेता थे। उन्होंने मुसलमानों की धार्मिक, सामाजिक तथा शिक्षा सम्बन्धी दशा को सुधारने के लिये विभिन्न प्रयत्न किये। उनकी सबसे बड़ी कृति अलीगढ़ मोहम्मदन कॉलेज थी जो बाद में चलकर विश्वविद्यालय बन गयी। सर सैयद ने अलीगढ़ कॉलेज को भारतीय मुसलमानों की जागृति का केन्द्र बनाया। शैक्षणिक दृष्टि में वे मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रति जागरूकता अवश्य पैदा कर सके। उनकी सबसे बड़ी सफलता मुसलमानों में राजनीतिक शक्ति पैदा करना तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्हें एक पृथक तत्त्व बना देना केवल सर सैयद का ही कार्य था। मुसलमानों के विशिष्ट हितों एवं पृथक निर्वाचन तथा आरक्षित स्थानों की बात उन्होंने ही सबसे पहले प्रस्तुत की थी। अंग्रेजों के कृपापात्र बनाने का लक्ष्य भी उन्होंने ही उनके समक्ष रखा था। यह नीति ही मुस्लिम लीग तथा अन्य साम्प्रदायिक नेताओं को हठी एवं राष्ट्रीय तत्त्वों के प्रति उदासीन बनाने में सहायक हुई। आधुनिक भारत में मुसलमानों के राजनीतिक चिन्तन में विभिन्न धाराएँ रही हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रभावशाली वह शाखा ही रही है जिसका मूलपात सर सैयद अहमदखाँ ने किया था। सर सैयद के मुस्लिम पृथकतावादी विचार ही भारत विभाजन के लिये उत्तरदायी सिद्ध हुए।

सर सैयद का हिन्दुओं के प्रति दृष्टिकोण :

सर सैयद १८५७ ई० की क्रान्ति के कारणों का वर्णन करते हुए कहते थे कि ईसाईयों के धार्मिक प्रचार एवं प्रोपेगेन्डा का बुरा प्रभाव मुसलमानों पर अधिक पड़ा। "इसका कारण मैं यह मानता हूँ कि हिन्दू धर्म में मिथ्यात्वों के अध्ययन की अपेक्षा पुराने प्रचलित रीति-रिवाजों का पालन अधिक है। हिन्दू किन्हीं धर्मग्रन्थों तथा नियमों को अथवा अन्तःकरण और हृदय में अम्पईना को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका धर्म इन चीजों को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए वे (अर्थात् हिन्दू) दार्शनिक मिथ्यात्वों के विषय में अत्यधिक निश्चिन्ताही हैं। वे अपनी पुरानी परम्पराओं के कठोर पालन तथा अपने खाने-पीने के मायनों के अनिश्चित किमी भी बन्धु पर बंध

१२३. आबिद हुसैन : दी डेस्टिनी ऑफ़ दी इण्डियन मुस्लिम पृ० २८, मूवीज उन्डर द : मुस्लिम पॉजिटिविज्म इन मोडर्न इण्डिया, पृ० ३२। दोनों केवलों का यह कथन निराधार है क्योंकि विभिन्न स्थानों पर सर सैयद के भाषणों में ही वास्तव में उल्लिखित करते स्पष्ट किया गया है।

नहीं देते हैं। ऐसी रूम्में और परम्पराओं की जिन्हें वे आवश्यक समझते हैं दूसरे व्यक्तियों द्वारा अबहेलना एवं निरस्कार में उन्हें कोई परेशानी अथवा कष्ट भी नहीं होता है। इसके विपरीत मुसलमान अपने धर्म के सिद्धान्तों का पालन मोक्ष के लिये आवश्यक और उनका निरस्कार नरकवास के लिये उत्तरदायी समझते हैं और इसलिए उनमें भलीभाँति परिबिन्द होने है। वे अपने धार्मिक सिद्धान्तों को ईश्वर का आदेश मानते हैं।<sup>१२४</sup>

इसी समय उन्होंने यह लिखा था कि एक भारतीय व्यक्ति के लिये नौकरी सबसे अच्छा व्यवसाय था। उनके अनुसार यह कठिनाई (नौकरी प्राप्त करने की) मुसलमानों के लिये सबसे अधिक कष्टदायक सिद्ध हुई। क्योंकि हिन्दू जो इस देश के आदिवासी हैं पहले कभी नौकरी नहीं करते थे बल्कि इसके विपरीत अपने पूर्वजों के वाम पक्षों में लगे रहते थे।<sup>१२५</sup> उन्होंने पंजाब में सिक्खों के प्रभामन को मुसलमानों पर अत्याचारी घोषित किया था और अंग्रेजी प्रशासन को उदार बताया।<sup>१२६</sup> १८७२ई० में अलीगढ़ नेताओं ने यह बात कही थी कि दोनों कीर्तियों में बहुत अधिक अन्तर है। मुसलमान हिन्दुओं की अपेक्षा कहीं अधिक मजबूत हैं।<sup>१२७</sup>

सर सैयद ने १८८४ ई० में जहाँ हिन्दुओं और मुसलमानों के पड़ोसी एवं मिलकर कार्य करने की बात कही थी, १८८७ ई० में उन्होंने कहा था कि "कॉंग्रेस में हिन्दू वगालियों के साथ मिलकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे जिसमें मुसलमानों के हिन्दू धर्म विरोधी धार्मिक कार्यों को दबा सकें।<sup>१२८</sup> यह समस्या खड़ी करके सर सैयद स्वयं ही इसका आदेश पूर्ण उत्तर भी देते थे। "यह कार्य शक्ति के आधार पर नहीं हो सकता। जिनकी अधिक शान्ति और वैमनस्य बढ़ेगा उतना ही अधिक उनकी (हिन्दुओं) हानि होगी।" उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया था कि जैंगे ही हिन्दुओं ने गोवध निगोष ग्रान्दोलन आरम्भ किया यद्यपि यह शक्ति के आधार पर नहीं था, लेकिन गोवध और बढ़ गया। सर सैयद ने चेतावनी देते हुए कहा कि हिन्दू कॉंग्रेस में सम्मिलित होने पर पछताएंगे इसलिए "उन्हें हमारे साथ भेरी स्थापित करने का निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए।"<sup>१२९</sup> यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब मुसल-

१२४. अमदाव बगावत-त-हिन्द, पृ० २३।

१२५. वही, पृ० ३५।

१२६. वही, पृ० ४४। इसी प्रकार के भाव उन्होंने जनवरी १८८४ ई० में भाषण में व्यक्त किये। मकम्मासा, पृ० १०३।

१२७. मजद, २३ फरवरी १८७२, पृ० ११६।

१२८. सर सैयद अटमर: ट्रेजेन्ट स्टेट, पृ० ३५। यह सर सैयद का धर्म था क्योंकि

मानों को घन तथा सहायता की आवश्यकता थी तब सर सैयद का कहना था कि हिन्दुओं को मदद करनी चाहिए वरना भारतीय दुल्हन कानी भेंगी हो जायगी। जब हिन्दुओं को अपनी धर्म विरोधी परम्पराओं को गमाप्त करवाना था तब भी उन्हें मुसलमानों की मंत्री का निरन्तर प्रयत्न करते रहना चाहिए। भारत की प्रगति के लिये प्रतियोगिता परीक्षाओं तथा राजनीतिक मुद्दारों की माँग करना मुसलमानों के काल्पनिक हितों के विरुद्ध था। इसलिए प्रत्येक स्थिति में एक पक्षीय कर्तव्य लागू होते थे। जिस समय सर सैयद को यह आभास हुआ कि कांग्रेस आन्दोलन सम्भवतः प्रभावशाली होगा और प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर भारतीयों को सत्ता में कुछ भाग प्राप्त हो जायगा उन समय सर सैयद ने अपने मेरठ और लखनऊ के भाषणों में कांग्रेस आन्दोलन की बिना शस्त्रों के गृह युद्ध में तुलना की।<sup>१३०</sup> उन्होंने कहा "हम भी गृह युद्ध चाहते हैं, लेकिन शस्त्रों के साथ। यदि अंग्रेजी सरकार आन्तरिक प्रशासन भारतीयों के हाथ में हस्तान्तरित करना चाहती है तो हम एक याचना प्रस्तुत करेंगे कि ऐसा करने से पूर्व एक प्रतियोगिता परीक्षा हो.....जिसमें हमें अपने पूर्वजों की बलम अर्थात् तलवार जो वास्तव में सत्ता के आदेश लिखने के लिये होती है के प्रयोग करने की अनुमति हो। जो कोई उसमें प्रथम पास होगा देश पर शासन करेगा।"

"यदि अंग्रेज और अंग्रेजी सेना भारत छोड़कर चले जायें तब देश में एक दिन भी शान्ति नहीं रह सकती। भारत का शासक कौन होगा? क्या यह सम्भव है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों कौमं समान शक्तिशाली रह सकेंगी? कदापि नहीं। यह आवश्यक है कि उनमें से एक पक्ष दूसरे पर विजय प्राप्त करे और उसे नीचे ढकेल दे। मुसलमान यद्यपि संख्या और अंग्रेजी शिक्षा में कम है, लेकिन वे अपनी स्थिति सुरक्षित रख सकेंगे। मान लीजिये ऐसा नहीं हो तब उनके मुसलमान भाई, पठान पहाटी दरों में टिड्डी दलों की भाँति आर्येण और उत्तर से बंगाल के अन्त तक खून की नदियाँ बहा देंगे। भविष्य में सत्ता ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करेगी।"<sup>१३१</sup> उन्होंने आगे कहा "हमारे बंगाली मित्रों की प्रशासन में भाग लेने की इच्छा अनुचित है क्योंकि उन्होंने कभी किसी क्षेत्र पर अधिकार नहीं किया है।"<sup>१३२</sup>

१३०. प्रेजेंट स्टेट, पृ० २७-२८।

१३१. वही, पृ० ३७-३८।

१३२. वही, पृ० ४७।

## अलीगढ़ विचार-पद्धति का विस्तार

(१८६८-१९०६)

सर सैयद की मृत्यु के पश्चात् अलीगढ़ आन्दोलन का संचालन मोहसिन-उल-मुल्क द्वारा किया गया था। मोहसिन-उल-मुल्क यह जानते थे कि एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ विचारधारा को फैलाने का एक साधन थी। इसलिए उन्होंने अलीगढ़ आन्दोलन को समस्त भारत में फैलाने के लिये विभिन्न स्थानों के दौरे किये। यह कार्य वे १८६६ ई० में १९०६ ई० तक करते रहे। १८६६ ई० में पूना, बम्बई और उत्तर-पश्चिमी प्रान्त के विभिन्न स्थानों का दौरा किया गया।<sup>१</sup> १८६८ ई० में उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज के पढ़े हुए विद्यार्थियों, कौम के अन्य शुभचिन्तकों तथा समाचार-पत्रों के मालिकों एवं सम्पादकों से अलीगढ़ आन्दोलन को व्यापक बनाने में सहयोग देने के लिये अनुरोध किया।<sup>२</sup> १९०१ ई० में कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन पहले सखनऊ में होना निश्चित हुआ था, लेकिन मद्रास में निमन्त्रणा मिलने के पश्चात् वहाँ पर अधिवेशन किया गया।<sup>३</sup> मद्रास में मोहसिन-उल-मुल्क ने यह आश्वासन दिया था कि वे विभिन्न स्थानों पर इसलिए ही नहीं जाते थे कि अलीगढ़ कॉलेज के लिये धन एकत्रित करें। उनका सर्वप्रथम लक्ष्य वहाँ की स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान देना होता था।<sup>४</sup> १९०३ ई० में बम्बई में भाषण देते हुए उन्होंने कहा "बाहर वालों को बहुधा यह भ्रान्ति होती है कि जो कुछ प्रयत्न किया जाता है वह केवल अलीगढ़ कॉलेज को महायत्ना देने के लिये। जबतक यह विचार बना रहेगा सफलता बदापि सम्भव नहीं हो सकती।"<sup>५</sup> उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज को भारत के मुगलमानों की केन्द्रीय मस्था बनाने का प्रयत्न किया।

१. रिपोर्ट कॉन्फ्रेंस, १८६६ अधिवेशन, पृ० २७-६१।

२. रिपोर्ट कॉन्फ्रेंस, १८६८ अधिवेशन, पृ० २-२६।

३. रिपोर्ट कॉन्फ्रेंस, १८७१ अधिवेशन, पृ० ६-७।

४. वही, पृ० २८-२९।

५. रिपोर्ट, १८०३ अधिवेशन, पृ० ६२।

कार्फोरेन्स के माध्यम से समस्त भारत के मुसलमानों को संगठित करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन केन्द्र अलीगढ़ में ही स्थापित रखा गया था। सर सैयद के समय में यह संस्था केवल उत्तर-पश्चिमी प्रदेश तथा पंजाब तक ही सीमित थी। मोहसिन ने इस संस्था का प्रभाव समस्त भारत में फैलाया। मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, कराँची, ढाका आदि स्थानों पर अधिवेशन किये गये और इसे व्यावहारिक रूप में अखिल भारतीय बना दिया गया।

**मोहसिन-उल-मुल्क और मुसलमान कौम :**

मोहमिन-उल-मुल्क १८६३ ई० में हैदराबाद राज्य की सेवा से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात् अलीगढ़ में रहने लगे थे। उनके अलीगढ़ आने के पूर्व सर सैयद के पुत्र जस्टिस सैयद महमूद को मुसलमानों के आन्दोलन का नेता समझा जाता था, लेकिन मोहसिन उल-मुल्क के नेतृत्व के समक्ष सैयद महमूद नहीं टिक सके। मोहसिन-उल-मुल्क आयु में सर सैयद से २० वर्ष छोटे थे और वे मुसलमानों की उन्नति के विषय में अत्यन्त आशावान थे। सर सैयद के भाषणों में १८६३ ई० के पश्चात् निराशा दिखाई पड़ने लगी थी, लेकिन मोहसिन ने इस वातावरण को ही बदल दिया। मोहसिन अपनी कौम को उत्तेजित करने में सर सैयद से भिन्न साधन अपनाते थे। एक बार तो सर सैयद के निराशाजनक भाषण की तीव्र आलोचना करते हुए उन्होंने कहा :

“कौम को दशा यह है कि उमको एक बार कहना पर्याप्त नहीं है...कौम के सुधारको एवं शुभचिन्तको का यह काम नहीं है कि एक बार अनुरोध करें...किन्तु उनको कौम को जगाने के लिये रातदिन व्यस्त रहना चाहिए। मुझे आपत्ति यह है कि कार्फोरेन्स इन चार दिनों के अतिरिक्त वर्ष भर कुछ नहीं करती है...चार दिनों की चाँदनी फिर अन्धेरी रात है।” सर सैयद को सम्बोधित करते हुए कहा “आपका बार-बार कौम को मुर्दा कहना उचित नहीं है...वह विशाल कारखाना (कॉलेज) जो अलीगढ़ में स्थापित है...यदि कौम ने सहायता नहीं की तो क्या यह कारखाना आपकी दुग्रा (प्रार्थना) से स्थापित है...जब हमारा सुधारक स्वयं निराश है तो हमारी क्या दशा होगी। हम किस प्रकार एक मुर्दा कौम को जीवित कर सकेंगे...कौम को मुर्दा कहना उचित नहीं है।”<sup>६</sup> सर सैयद अपने आन्दोलन के परिणामों को आशाजनक नहीं समझते थे। मोहसिन का कहना था कि “मुझे इस पर आश्चर्य नहीं है कि हमारी योजनाओं के परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार अवतक प्रगट नहीं हुए हैं बल्कि इस बात पर है कि किस प्रकार इसके चिह्न इतनी शीघ्रता से दिखाई देने लगे हैं।”<sup>७</sup> १८६३ ई० में उन्होंने अपने ग्रन्थीय भाषण में मोहम्मद

६. रिपोर्ट कार्फोरेन्स, १८६६ अधिवेशन, पृ० ७१-७८।

७. कार्फोरेन्स, १८६३ अधिवेशन, पृ० १०३।



एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के समक्ष कहा "जिस मार्ग पर हमने चलना आरम्भ किया है वही सौया रास्ता है और मीचे मार्ग पर चलने वाला यदि लगातार चलता रहे तो निस्तन्देह लक्ष्य पर पहुँच जाता है।"<sup>८</sup>

मोहम्मिन-उल-मुल्क ने मुसलमानों की एकता के लिये धार्मिक शिक्षा तथा धार्मिक बन्धनों को अधिक आवश्यक बताया। नवम्बर १८६३ ई० में उन्होंने मलीगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों के समक्ष भाषण करते हुए निम्न लक्ष्य निर्धारित किये :

"तुम यहाँ लौकिक विचारों के साथ धार्मिक ज्ञान भी सीखते हो.....तुम्हें यहाँ कौमी प्रेम सिखाया जाता है, तुम्हारे दिमागों में मुसलमानों विचार भरे जाते हैं। तुम यहाँ ग्रेजुएट ही नहीं बनाये जाते बल्कि सच पूछो तो मनुष्य और न केवल मनुष्य बल्कि मुसलमान.....यदि तुम्हारे दिमाग में इस्लाम की सच्चाई का विश्वास न रहे और तुम अपने धर्म पर स्थिर न रहो और जैसे कि नाम और शब्द के मुसलमान हो, दिल से मुसलमान न हो तो तुम्हारे ज्ञान से अज्ञान अन्धता। तुम्हारी सम्भ्यता से असम्भ्यता अन्धता बल्कि सच पूछो तो तुम्हारे जीवन से कौम के लिये तुम्हारी मौत अन्धता.....जबकि तुम्हारे दिल में इस्लाम ही न रहा तो कौम तुम पर क्या गौरव करेगी.....इस्लाम तुम्हारी जान है इसके बिना कोई कैंसा ही महाग विद्वान क्यों न हो वह एक शरीर है मिट्टी में दबाने के योग्य और एक लाश है जमीन में छुपाने के योग्य..... तुम्हारी इच्छा की पराकाष्ठा यह होनी चाहिए कि इस्लाम पर स्थिर रहो, इस्लाम भौखो, इस्लाम पर जीओ और इस्लाम पर मरो।"<sup>९</sup>

वे कॉलेज के विद्यार्थियों को मुसलमान कौमियत से परिपूर्ण बनाना चाहते थे। उन्होंने एक महीने परवान् फिर कहा था—“यदि कोई हमारी कौम का विद्यार्थी समस्त पश्चिमी विद्याओं का ज्ञाता हो जावे और समस्त यूरोपीय कलाओं में निपुण तथा प्रत्येक प्रकार की प्रगति प्राप्त कर ले, किन्तु धर्म में अपरिचित हो और इस्लाम पर स्थिर न रहे तो वह कौम के लिये क्षयमान होगा न कि सम्मान। ऐसे विद्वान मुसलमान की अपेक्षा भूगं बने रहना अधिक उचित होगा।”<sup>१०</sup>

मोहम्मिन-उल-मुल्क ने जहाँ एक ओर मुस्लिम विद्यार्थियों को इस्लाम पर डटे रहने का कहा दूसरी ओर अन्य ऐसे सगठनों एवं उनेमाओं में भी सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया जिसमें अयोग्य विचारधारा अधिक विस्तृत बन सकें। १८६४ ई० में पानपुर में नदवतउलउनेमा (विद्वानों की सभा) का अर्थवेक्षण आरम्भ हुआ। मोहम्मिन ने इस सभा का पूरा-पूरा समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा

“बिना इन सम्मानित और प्रतिष्ठित समुदाय के जो उनेमा का है हम कभी

८. मुसलम-ए-आरिफ, पृ० ६१, सिलोटे, १८६३ अधिवेशन, पृ० १०८-१०९।

९. पन्थ, २० नवम्बर १८६३, पृ० ११८२-८६।

१०. सिलोटे, १८६३ अधिवेशन, पृ० ११६।

अपने इरादे में अच्छी तरह मफ़न नहीं हो सकते और न केवल हम अपने दुर्बल हाथों के प्रयत्नों में कौम को पार लगा सकते हैं। हम जो कुछ इस दिशा में कर रहे हैं... उनमें केवल एक अत्यसंत्यक्त दल पर प्रभाव डाला है... हमारी आवाज़ इसी कमरे में गूँजती रहती है... न कौम का बड़ा भाग हमारी आवाज़ सुनता है न हम अपने भाईयों को यह रोज़नी दिखा सकते हैं, किन्तु जो आवाज़ उस सभा से निकलेगी जिसके हाथों में मुसलमानों के दिल हैं उसे हर मुसलमान पेशावर से लेकर ब्रह्मा तक, काश्मीर से लेकर भद्राक्ष तक सुनेगा और वह ज्योति जिते वे लोग दिखायेंगे... इतनी ऊँची होगी कि उसकी किरणें हर मुसलमान के घर में दिखाई देंगी।<sup>११</sup> ईर्मा प्रकार उन्होंने १६०२ ई० में नदवतउलउलेमा के आलोचकों की निन्दा की।<sup>१२</sup>

मोहम्मिन यह जानते थे कि धार्मिक शिक्षा के विषय में साधारण मुसलमानों को अलीगढ़ कॉलेज पर विश्वास नहीं था। इस काम में उलेमा ने सर सैयद के विरुद्ध अत्यधिक प्रचार किया और अपनी समस्त शक्ति को प्रयोग में लाकर लोगों में घृणा पैदा कर दी। इसीलिए उन्होंने उलेमाओं तथा धार्मिक नेताओं के सहयोग को अत्यधिक आवश्यक समझा।

मोहम्मिन के आगमन के पश्चात् अलीगढ़ कॉलेज में धार्मिक शिक्षा पर अधिक धन दिया जाने लगा। उन्होंने सर सैयद की मृत्यु के पश्चात् कहा था : "धार्मिक शिक्षा हमारे कॉलेज का वास्तविक और आवश्यक अंग है और यदि वह पूरा न किया जाये तो हमारा कॉलेज मोहम्मिन कॉलेज के नाम का अधिकारी नहीं है और न ही हमें भविष्य में मुनिवर्मिटी का नाम मोहम्मिन विश्वविद्यालय रखना चाहिए।" धार्मिक शिक्षा के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा : "यदि मुसलमान विश्व की समस्त विद्यायें पढ़ जायें तथा समस्त भाषायें सीख लें, बी. ए. और एम. ए. हॉना कैम्पा बेकन और न्यूटन ही क्यों न हों जायें यदि वे अपनी विद्याएँ, धर्म, अपने साहित्य, इतिहास आदि से अनभिज्ञ रहे तो उनके ज्ञान से अज्ञान, उनकी विद्वत्ता से मूर्खता, उनकी सम्पत्ता से असम्पत्ता हजार दर्जों, लाख दर्जों अच्छी है। ऐसे विद्वान कौम के लिए एक आपत्ति होने न कि मुविधा। ऐसी शिक्षा, ऐसा प्रशिक्षण कौम के अपमान का कारण होगी न कि सम्मान का..."<sup>१३</sup> १६०१ ई० में मोहम्मिन-उल-मुल्क ने अलीगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों के नाम एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा :

"सर सैयद का अभिप्राय इस कॉलेज के स्थापित करने से था तुम में नेशनलिटी पैदा करना... तुम्हें कौम का सेवक बनाना और कौम की सेवा की महानता स्पष्ट करना... मुसलमान चाहे किसनी ही खराब हालत में हों, किन्तु इस्लाम की चिनगायिया उनके हृदय में अभी भी है, इस्लामी प्रेम कौमी हमदर्दी की

११. नदवतउलउलेमा कानपुर और सम्बन्धित स्तोक (१८६५), पृ० ५३।

१२. पत्र, ११ दिसम्बर १६०२, पृ० ७६०-७६७।

१३. रिपोर्ट कॉन्फ़ेस. १८६८ अधिवेशन, पृ० २८४-२८६।

आग अब तक उनके दिनों में है। केवल उने भड़काने और बाहर निकालने की आवश्यकता है और यही वह कार्य है जो हमें और तुम्हें करना है। क्या मुसलमान नहीं देखते कि उनकी क्या दशा है समय ने क्या रंग दिखाया है.....जीवन निर्वाह के साधन जो दूसरों के लिये खुले हुए हैं उनके लिये बन्द हो रहे हैं।”<sup>१४</sup> सर सैयद जहाँ मुसलमानों को उनके भूतकाल की महानता की याद दिलाकर उत्तेजित करना चाहते थे वहाँ मोहसिन-उल-मुल्क भारत की अन्य कौमों की प्रगति का मानचित्र खींचकर उन्हें उत्तेजित करना चाहते थे। उन्होंने कॉन्फेन्स को सम्बोधित करते हुए कहा :

“जरा आँस खोलकर एक नेशनल कांग्रेस की कार्यवाही को देखिये.....जिस गति से आप चल रहे हैं उनकी बराबर पहुँचना तो दूर उनकी धूल को भी आप नहीं पहुँच सकते। आपकी और उनकी प्रतियोगिता.....एक लम्बे और अपाहिज की गति और रेल पर यात्रा करने वाले की गति जैसी है। यदि आपने इस चाल को न बदला तो कोयले की खानों में कोयला निकालने वालों और स्टेशन पर बोझा ढोने वालों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर आप दिखाई नहीं पड़ेंगे.....हमने अपने हाथों अपनी यह दशा कर ली कि जो हमारे अधीन थे हम उनके अधीन हैं। जिन पर हम राज्य करते थे वे हमारे राजा हैं जिन्हें हम घृणा की दृष्टि से देखते थे वे हमें घृणित समझते हैं”<sup>१५</sup>

१८६५ ई० में मोहम्बडन एजुकेशनल कॉन्फेन्स के अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा गया कि कॉन्फेन्स का एक दफ्तर हो जिसका खर्च ७५/- ६० मासिक हो। उस अवसर पर भाषण देते हुए मोहसिन-उल-मुल्क ने कहा

“यह कॉन्फेन्स.....नेशनल कांग्रेस की तुलना में कुछ महत्त्व नहीं रखती है बड़े खेद का विषय है कि जो कौम कल तुम्हारे अधीन थी और तुम्हारी सभाओं में मच सक आते हुए उसके शरीर में कम्पन आता था वह इस वेग से कार्यवाही करे।”<sup>१६</sup> दिसम्बर १९०४ ई० में अलीगढ़ नेताओं ने इण्डियन नेशनल कांग्रेस को राजनीतिक राने वालों की एक सभा बताया था। उसके वार्षिक अधिवेशन की पूर्व वेला पर यह कहा गया : “वे सदा की भाँति इस महीने के अन्तिम सप्ताह में एकत्रित होकर अपनी शिकायतों का रोना रोयेंगे और चूँकि प्रयत्न यह है कि देश का कोई प्रान्त अथवा भाग शोक मनाने से न बचे इसलिये इस साल दम्बई में आपत्ति फँसेगी। निकट ही में हम दुःख-दर्द और राने की बात सुनेंगे।” सैद्धान्तिक रूप में अलीगढ़ विचारधारा की यह मान्यता थी कि भारत में कोई ऐसे उद्योग नहीं थे जिनका

१४. गजट, ६ जून १९०१, पृ० २६७।

१५. मुसलमानों की विरूपण का फैसला, (१८६५), पृ० ६५। इन प्रकार के उत्तेजनवात्मक भाषण सर सैयद द्वारा बम दिये जाते थे।

१६. रिपोर्ट कॉन्फेन्स, १८६५ अधिवेशन, पृ० १३२।

विनाश विदेशी पूँजी के फलस्वरूप हुआ हो।<sup>१७</sup> जनवरी १९०७ ई० में अलीगढ़ नेताओं ने बंगाल विभाजन को पूर्वी बंगाल और आसाम के मुसलमानों के लिये मुक्ति का साधन बताया तथा मुसलमानों को इस बात के लिये प्रेरित किया कि वे हिन्दुओं के प्रति दुर्व्यवहार करें क्योंकि अलीगढ़ नेताओं के अनुसार हिन्दू पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का सम्मान नहीं करते थे। उसी लेख में यह भी स्वीकार किया गया कि वहाँ के मुसलमानों में बहुधा कृपक, श्रमिक, कुली एवं भिखारी थे तथा हिन्दुओं को "जवरदस्त शत्रु" कहा गया।<sup>१८</sup>

जून १९०७ में मोहसिन-उल-मुल्क ने कहा "यदि हिन्दू.....इंग्लैण्ड सरकार के विरुद्ध आन्दोलन करने के लिये कोई बहाना निकाल सकें तो हमें उसकी चिन्ता नहीं है, किन्तु यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत के मुसलमान इसके लिये कोई बहाना प्रस्तुत नहीं कर सकते। मुसलमानों की दशा तो यह है कि वे पारसियों की भाँति इंग्लैण्ड सरकार के इशतिये आभारी हैं कि भारत में उनका अस्तित्व अंग्रेजी सरकार पर निर्भर है। इन दोनों कौमों के लिये यह कार्य अनुचित होगा कि वे उम सरकार की जड़ उल्लेखे जिम्मे कारण उनको धार्मिक एवं व्यापारिक स्वतन्त्रता उपलब्ध है.....भरे विचार में इसका अन्तिम परिणाम भारत का विनाश होगा। इस भयंकर उत्साह (कांग्रेसी आन्दोलन) को आरम्भ में ही रोकने के लिये अधिकारियों को अत्यन्त कठोर नियमों से काम लेना आवश्यक है.....एक ऐसी प्रमाणिक घटना जिसे हम कभी नहीं भूल सकते यह है कि अंग्रेजों के आगमन ने ही दिल्ली की इस्लामी सरकार को मराठा, सिक्खों और राजपूतों में विभक्त होने से बचाया और केवल इसी आधार पर भारत के समस्त मुसलमानों को अंग्रेजी सरकार के प्रति भक्त रहना चाहिए।"<sup>१९</sup>

मोहसिन-उल-मुल्क और उर्दू :

१८९९ ई० में उत्तर-पश्चिमी सरकार के समक्ष हिन्दुओं द्वारा एक स्मरण-पत्र (मेमोरेण्डम) प्रस्तुत किया गया जिसमें उर्दू के स्थान पर हिन्दी को न्यायालयों की भाषा घोषित करने का अनुरोध किया गया। उस अवसर पर मोहसिन-उल-मुल्क ने एजुकेशनल कॉन्फेरेन्स में कहा था : "नागरी भाषा के प्रचलित हो जाने से मुसलमान बहुत हानि उठावेंगे.....इसका आवश्यक परिणाम यह होगा कि मुसलमानों को सरकारी नौकरियाँ मिलनी कठिन हो जायेंगी.....इस परिवर्तन से मुसलमानों को हानि तो स्पष्ट है, लेकिन प्रचलित व्यवस्था में हमारे देशीय भाईयों की कुछ हानि नहीं है क्योंकि जो हालत उनकी अन्न है वही स्थापित रहेगी.....।"<sup>२०</sup> एक अन्य नेता

१७. गजट, २६ दिसम्बर १९०६, पृ० २-४।

१८. गजट, ९ जनवरी १९०७, पृ० ४।

१९. मोहसिन द्वारा बम्बई गजट के प्रतिनिधि को दिया गया वक्तव्य : गजट, २६ जून १९०७, पृ० ६-७।

२०. रिपोर्ट कॉन्फेरेन्स, १८९९ अधिवेशन, पृ० १२३।

ने कहा, "उर्दू के स्थान पर नागरी शब्द प्रचलित कर देना हमें हमारा कौमी विह्वल छोड़ देना है....." देने में इस विषय में उत्तर-पश्चिमी व अरब के प्रान्त के मुसलमानों का सम्बन्ध है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि इसका परिणाम भारत की उर्दू भाषा और साहित्य के भाग्य का निर्णय कर देगा।"<sup>२१</sup>

उत्तर-पश्चिमी प्रदेश की सरकार ने १८ अप्रैल १९०० को एक विज्ञापन प्रकाशित करके हिन्दी और उर्दू की प्रान्त की न्यायालयों की भाषा बना दिया तथा प्रत्येक सरकारी अधिकारी के लिये हिन्दी और उर्दू का ज्ञान आवश्यक कर दिया। सरकार की इस नीति का विरोध करने के लिये सबसे पहले मोहम्मिन-उल-मुल्क के घर पर एक सभा का आयोजन किया गया और फिर अलीगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने कई सभाओं में अपना रोप प्रकट किया।<sup>२२</sup> एक उर्दू डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की गयी जिसका अधिवेशन लखनऊ में १८-१९ अगस्त १९०० ई० को मोहम्मिन-उल-मुल्क की अध्यक्षता में किया गया। इस सभा में सरकारी निर्णय को वापस लेने की मांग की गयी। प्रदेश के अग्रेज गवर्नर अलीगढ़ कॉलेज की इस सरकार विरोधी भूमिका में अत्यन्त असन्तुष्ट हुए और उन्होंने अपनी नाराजगी स्पष्ट भी की। मोहम्मिन-उल-मुल्क ने उर्दू डिफेंस एसोसिएशन की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और यह एसोसिएशन भी शीघ्र ही समाप्त हो गयी।

अंग्रेजों के प्रति निष्ठा एवं भक्ति .

सर सैयद के जीवन काल में अलीगढ़ विचारधारा की एक प्रमुख विशेषता अंग्रेजी सरकार के प्रति निष्ठा एवं भक्ति भावना थी। इस भावना का ही परिणाम था कि सर सैयद अंग्रेज अध्यापकों के प्रभाव को बढ़ते ही रहने देना चाहते थे और इस प्रश्न पर अपने अन्य सहयोगियों (मौलवी समीउल्लाख़ा, मोहम्मिन-उल-मुल्क व का-रउल-मुल्क) से भगडा करने को तैयार थे।<sup>२३</sup> मोहम्मिन-उल-मुल्क अंग्रेज सरकार और अंग्रेज अध्यापकों में अन्तार करना चाहते थे। वे १८९७ ई० में कॉलेज के प्रबन्ध में अंग्रेजी अध्यापकों के प्रभाव को कम करना चाहते थे और सर सैयद से पूरी तरह भगडने को तैयार थे। लेकिन कॉलेज एवं कॉन्फ़ेस के सेक्रेटरी बन जाने के पश्चात् वे भी अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखने लगे और १९०१ ई० के हिन्दी उर्दू वाद-विवाद के पश्चात् वे सर सैयद से भी अधिक भीरु बन गये और मुसलमान हितों का एक मात्र सारदार अंग्रेजों को मानने लगे। १९०१ ई० में अलीगढ़ गजट में विभिन्न लेखों में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि मुसलमानों को ऐसा कोई राजनीतिक संगठन नहीं बनाना चाहिये जिसने अंग्रेजों को उन पर सदेह हो सके।

२१. रिपोर्ट कॉन्फ़ेस अधिवेशन, १८९९, पृ० १२२।

२२. सेन्ट्रल उर्दू डिफेंस एसोसिएशन की लखनऊ मीटिंग की कार्यवाही, पृ० १७-२०, गजट, ७ मई १९०१, पृ० २०१-२।

२३. मोहम्मद अमीन जुबैरी : मक़ावीब पृ० ३३-३६।

१९०१ ई० में कुछ विशेष प्रयत्न अलीगढ़ नेताओं को करने पड़े जिनसे वे अंग्रेजों को अपनी भक्ति का विश्वास दिला सकें। इसी वर्ष मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता के लिये एक यूरोपीय न्यायाधीश, वाडम, को अध्यक्ष पद के लिये चुना गया। इस अवसर पर अलीगढ़ के एक युवक नेता ने कहा कि "इस देश में मुसलमान और अंग्रेज यद्यपि धर्म और रंग की दृष्टि से दो अलग-अलग कौम हैं, लेकिन आपसी दोस्ती और हमदर्दी के हिसाब से दोनों एक कौम हैं।"<sup>२४</sup>

१९०१ ई० में मद्रास में भाषण करने हुए मोहम्मिन-उल-मुल्क ने कहा कि "सरकार में अधिक कोई इस बात का इच्छुक नहीं है कि मुसलमान उन्नति करें..... सरकार का यह राजनीतिक सिद्धान्त है कि जो कौम एक समय में अत्यन्त शक्तिशाली थी और जिसमें शराफत की गंध पाई जाती है वह पददलित न हो....."सरकार के विषय में यह सोचना कि वह मुसलमानों की उन्नति में सहायता नहीं देना चाहती। निरावार और अनुचित होगा।"<sup>२५</sup>

इस समय प्रचलित मुस्लिम राजनीतिक मगठन सम्प्रन्धी वाद-विवाद में यह बार-बार दोहराया जाता था कि मुसलमानों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे अंग्रेजों को उनकी निष्ठा एवं भक्ति पर संदेह हो जाय और मर संपद के ५० वर्षों के प्रयत्न व्यर्थ हो जायें। अब वे अपने दृष्टिकोण में सर संपद से भी अधिक भीरु बन गये। १९०४ ई० में अलीगढ़ कॉलेज के प्रिन्सिपल पद के लिये उपयुक्त व्यक्ति के चयन में उन्होंने मोरिमन (भूलपूर्व कॉलेज के प्रिन्सिपल) को इच्छाओं का ही समर्थन करना अधिक उचित समझा, यद्यपि जिस व्यक्ति को मोरिमन चाहते थे उसे अधिकार अलीगढ़ नेता नहीं चाहते थे। मोहम्मिन को भय था कि "यूरोपीय अध्यापकवर्ग यदि इंग्लैंड में एक बार हमारे कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध यह आन्दोलन आरम्भ कर दे कि वहाँ (अलीगढ़ कॉलेज) नौकरी करना ८० व्यक्तियों (ट्रिस्टियों) के अधीन रहना होता है तो हमने हमें अत्यन्त हानि पहुँचेगी।"<sup>२६</sup>

इसलिये जब १९०७ ई० में अलीगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपने अंग्रेज अध्यापकों के विरुद्ध हड़ताल कर दी तो इससे कॉलेज के नेताओं को काफी परेशानी हुई और उन्होंने इस बात का बहुत प्रयत्न किया कि अलीगढ़ की परम्परा पर कोई धक्का न आने पाये। उस समय मोहम्मिन-उल-मुल्क ने विद्यार्थियों को यह कहकर सीधे मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया कि "लोग समझते हैं कि तुम (नेशनल) कॉंग्रेस में सम्मिलित हो गये हो। तुम्हारे हृदय में अंग्रेजों के लिये अच्छे विचार नहीं हैं, तुम सरकार के लिये अच्छे विचार नहीं रखते हो.....तुम्हें शर्म और दुःख प्रकट करना

२४. रिपोर्टे कॉन्फ्रेंस, १९०१ अग्रेविज्ञा, पृ० १५।

२५. वही, पृ० ५६।

२६. अकादीब, पृ० ६३, ६५-६६, अल-उल-मुल्क एवं सयद अकरहुदीन के पत्र।



समक्ष अपनी आवश्यकताओं को प्रस्तुत नहीं किया था।<sup>२६</sup>

अलीगढ़ कॉलेज के प्रिन्सिपल मोरिसन ने भी मोहसिन-उल-मुल्क के विचारों का समर्थन किया। कांग्रेस में सम्मिलित होना प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को स्वीकार करने के बराबर था, किन्तु यह सिद्धान्त मुसलमानों के विशिष्ट अधिकारों के लिये घातक सिद्ध होने वाला था तथा इसका दूसरा परिणाम हिन्दुओं के बहुमत के पैरों तले कुचला जाना बताया गया था जिससे मुसलमानों के समाप्त हो जाने का भय था। कांग्रेस की भाँति ही एक अन्य संगठन स्थापित करना भी हानिकारक कहा गया था क्योंकि ऐसे संगठन के लिये धन और नेता कहीं से आवेंगे। मुसलमानों के राजनीतिक संगठन को वर्ष भर कार्य करने के लिये सरकार की नीतियों की आलोचना करनी आवश्यक होगी। जिससे साधारण मुसलमानों में भ्रमन्तोष पैदा होगा। इसके प्रतिरिक्त राजनीतिक आन्दोलन के पश्चात् मुसलमानों की माँगों की परीक्षा आरम्भ होगी जिससे उन्हें हानि पहुँचेगी क्योंकि उन्हें अनुपात में अधिक नौकरियाँ पहले से ही मिली हुई थी। इसलिए मुसलमानों को कुछ शिक्षित नेताओं की एक समिति बनानी चाहिए जो बहुधा अपनी बैठकें करती रहे और प्रचार के लिये पम्फलेट आदि प्रकाशित करती रहे।<sup>३०</sup>

इस समय राजनीतिक संगठन की आवश्यकता पर सब मुसलमान नेता सहमत थे, लेकिन वे ऐसा संगठन चाहते थे जिसमें उनके सीमित और विशिष्ट अधिकार सुरक्षित रह सकें। सामान्य आन्दोलन के लिये वे सब अपने आपको असमर्थ समझते थे। सर सैयद की नीति के विरुद्ध मुस्लिम नवयुवकों में फैले भ्रमन्तोष को निपट्रित करना ही अलीगढ़ नेताओं के समक्ष मुख्य समस्या थी। वे सर सैयद द्वारा बताये गये मार्ग पर ही चलते रहना चाहते थे।

इन समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए २१-२२ अक्टूबर १९०१ को लखनऊ में कुछ प्रतिष्ठित लोगों की एक सभा हुई जिसमें मोहसिन-उल-मुल्क की नीति का अनुमोदन कर दिया गया और सर सैयद द्वारा स्थापित मार्ग को उचित ठहराया गया। इस मीटिंग में यह निश्चय किया गया कि विभिन्न जिलों से ऐसे व्यक्तियों को छाँट लिया जाये जिनकी वार्षिक आय ५०० रु० में अधिक हो और उन मददमियों की एक स्थायी संस्था बनाई जाये।

इस सभा में जो प्रस्ताव पास किये गये वे विशेष महत्त्व के थे। यहाँ यह निश्चय किया गया था कि मुसलमानों का भविष्य अंग्रेजी राज्य की सुरक्षा के साथ

२६. गज़ट, २२ अगस्त १९०१, पृ० ५४५८।

३०. गज़ट, १५ सितम्बर १९०१, पृ० ५१७-५१९। मोहसिन-उल-मुल्क इस विचार से सहमत नहीं थे क्योंकि उनका कहना था कि जनसंख्या के आधार पर हिन्दू और मुसलमान वर्गवारियों में अनुपात निर्दिष्ट करना सर्वथा अनुचित था। मुसलमानों को नौकरियाँ उनके ऐतिहासिक महत्त्व के आधार पर मिलनी चाहिये। गज़ट, ७ नवम्बर १९०१, पृ० ६३०-६३१।



जुड़ा हुआ था और इण्डियन नेशनल कांग्रेस का समर्थन करने में मुसलमानों को रोका गया।<sup>३१</sup>

अलीगढ़ विचारधारा के नेताओं के समक्ष १९०० ई० के पश्चात् यह समस्या अत्यन्त जटिल बनी हुई थी कि अलीगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय कांग्रेस के आन्दोलन में सम्मिलित होने से कैसे रोका जाये। यदि अलीगढ़ कॉलेज के विद्यार्थी नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित हो गये तो अलीगढ़ कॉलेज का महत्व सरकार के समक्ष घट जाएगा क्योंकि अलीगढ़ विचारधारा के नेता कांग्रेसों के प्रति भक्ति पर अत्यधिक जोर देते थे।<sup>३२</sup> कॉलेज को वास्तविक सम्मान इस कारण प्राप्त था कि वह कौम को शिक्षा के अनिश्चित राजनीतिक मार्ग भी दिशाता था जब वह इंग्लिश न रहेगा तो उसका मूल्य सरकार की दृष्टि में बहुत कम हो जायगा.....हर स्थिति में जो कुछ करना है, तुरन्त होना चाहिये वरना फिर यह अवसर हाथ में निकल जायगा।<sup>३३</sup> इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पूर्व ही अलीगढ़ नेता प्रतिनिधित्व अथवा प्रजातान्त्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध थे। ये कांग्रेस का विरोध १८८७ ई० में ही कर चुके थे और १८८७ ई० के पश्चात् अपने विशेषाधिकारों के लिए प्रयत्नशील थे।

दूसरी समस्या जो अलीगढ़ नेताओं के समक्ष थी वह भारत के विभिन्न भागों के मुसलमानों के नेतृत्व की थी। बंगाल और दक्षिणी भारत के मुसलमान भी कांग्रेस आन्दोलन में प्रभावित थे और अलीगढ़ नेताओं पर संकुचित होने का आरोप लगाते थे। अलीगढ़ के विभिन्न नेता इस चिन्ता में अग्रगत थे। इसलिये वे भारत के मुसलमानों के आन्दोलन का नेतृत्व अपने हाथों में रखना चाहते थे।

मुसलमानों में अपना एक पृथक राजनीतिक संगठन बनाने की आवश्यकता १९०१ के पश्चात् अनुभव की जाती थी। इसका मुख्य कारण यह भावना थी कि मुसलमानों को लेजिस्लेटिव कौन्सिलों तथा अन्य उच्च स्थानों में केवल सरकार की कृपा पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दूसरा यह कारण था कि नियुक्त किए गए मुसलमानों में से अधिकांश उनके वास्तविक दृष्टिकोण को व्यक्त नहीं करते थे।

३१. गजट ३१ अक्टूबर १९०१, पृ० ६२२-६२३, १४ नवम्बर १९०१, पृ० ६१७-६१८।

३२. अलीगढ़ कॉलेज हाथ में सुरक्षित रखनियमित पत्र जो मोहम्मिद-उल-मुल्क, बहार-उल-मुल्क तथा आफजब (अहमदशाह) ने एड. दूमरे को लिखे, इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं। अंग्रेजी सरकार में विशेषकर उत्तर पश्चिमी प्रदेश में अलीगढ़ के पत्र हुए विद्यार्थियों को नीकरियों में विशेष सुविधाएँ उपलब्ध थीं। यदि ये विद्यार्थी कांग्रेस में सम्मिलित हो गये तो यह विशेष सुविधाएँ बंद हो जाएंगी। १९०१-१९०६ ई० के मध्य अलीगढ़ नेताओं में व्यापक जिज्ञा दिखाई पड़ती है। साधारणतया राजनीतिक आन्दोलन अथवा सस्थाओं के गठन में इस ओर ध्यान बहुत कम दिया जाता है। यह चिन्ता ही उनके सङ्गठन बनाने में शक्यता हुई।

३३. आफजब अहमदशाहों का पत्र बहार-उल-मुल्क के नाम दि० १८ अगस्त १९०६। यह अलीगढ़ कॉलेज हाथ में सुरक्षित है।

शिक्षा में पर्याप्त प्रगति कर लेने के पश्चात् ही राजनीतिक संगठन बनाने में अधिक नाम हो सकता था ।

१९०३ ई० में मुसलमानों की सामूहिक आवश्यकताओं के विषय में अलीगढ़ नेताओं ने लिखा था कि सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की थी कि समुदाय की शक्तियों को संगठित किया जाए । लोग यह समझते थे कि शिक्षा के लिये प्रयत्न करना प्रमुख आवश्यकता थी, लेकिन शिक्षा भी कौम को संगठित करने के लिये आवश्यक थी ।<sup>३४</sup> अलीगढ़ विचारधारा के अनुसार भारत न कभी एक कौम था न यहाँ के निवासियों में एक कौमियत की भावनाएँ थी । उसी समय प्रकाशित सर जॉन स्ट्रैची की पुस्तक के इन विचारों का अनुमोदन किया गया था ।<sup>३५</sup> कि भारत में कोई भारतीय जनता नहीं थी । यदि ऐसी जनता होनी तो इतनी सरलता में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित न होता । यदि भारत में विभिन्न कौम न रहती होतो तो अंग्रेज ३० करोड़ वाले देश को जीत नहीं सकते थे । प्रोफेसर सीने के विचारों का भी समर्थन किया गया था कि भारत को विदेशी नियन्त्रण से कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि भारत कोई इकाई नहीं था, इसलिए भारत के निवासी भी एकता में बँधे हुए नहीं थे । भारत भी यूरोप की भाँति विभिन्न देशों में विभक्त था और भारत में एक राष्ट्रीयता की भावना उतनी ही बठिन थी जितनी समस्त यूरोप के निवासियों में किमी एक राष्ट्रीयता की भावना थी ।<sup>३६</sup>

१९०३ ई० में अलीगढ़ विचारधारा के नेता यह प्रश्न सामान्यतः पूछते थे कि क्या मुसलमान अन्ततः एक सभ्य एवं सम्पन्न कौम बन जायेंगे ? उनका कहना था कि भारत के मुसलमान मुख्यतः एक ही धर्म का अनुसरण करते थे । एक ही देश में एक ही शासक के अधीन रहने थे । परिस्थितियों ने उन्हें एक कौम (नेशन) बनने में सहयोग दिया था ।<sup>३७</sup> सर सैयद का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रसार न होकर मुसलमानों को एक कौम (नेशन) बनाना था । सर सैयद इस कार्य में धर्म और शिक्षा को महत्त्वपूर्ण अंश मानते थे । मुसलमानों के आगामी राजनीतिक संगठन का सबसे बड़ा कार्य सरकार की नीतियों को जनता के समक्ष समझाना तथा लोगों में सरकार के विरुद्ध असन्तोष फैलाने को रोकना था । प्रतिष्ठित व्यक्तियों का भावी राजनीतिक संगठन के साथ सम्बन्धित होना इस बात का आश्वासन होता कि राजनीति निम्न स्तर की नहीं होगी । इसलिए प्रभावशाली एवं योग्य मुसलमानों को इसमें अलग नहीं रहना चाहिये । इसी समय मोहम्मिन-उल्ल-मुल्क ने एक परिपत्र प्रकाशित किया जिसके अनुसार विभिन्न स्थानों पर इस्लामी संस्थाओं के अध्यक्षों,

३४. गज़ट, ४ अप्रैल १९०३, पृ० २-३ ।

३५. सर जॉन स्ट्रैची की पुस्तक 'दण्डिया' इस समय में (१९०३) प्रकाशित हुई थी ।

३६. गज़ट, १६ जुलाई १९०३, पृ० २-३ ।

३७. गज़ट, ५ अगस्त १९०३, पृ० २-३ ।

सचिवों को अन्य प्रतिष्ठित कार्यकर्ताओं के विषय में सूचना एकत्र करने को कहा गया। इसका उद्देश्य यह था कि अपने कौमी उत्थान की योजनाओं में उन लोगों का समर्थन प्राप्त किया जा सके।<sup>35</sup>

१९०१ ई० में अलीगढ़ के नेता राजनीतिक संगठन के विषय में चिन्तित दिखाई पड़ते थे, लेकिन १९०३ ई० में उन्होंने राजनीतिक संगठन को सम्म समाज में सम्मानित एवं सम्पन्न जीवन के लिये आवश्यक ठहराया। यदि मुसलमान शान्ति से रहकर उन्नति करना और अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहते थे तो उन्हें राजनीतिक संगठन में भाग लेना आवश्यक था। १९०१ में वे लोगों को राजनीतिक संगठन से अलग रहने की बात बहते थे क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं सरकार को उनकी ओर में भ्रान्ति न हो जाय। इसलिए अब उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक संगठन में भाग लेने में उन्हें सरकार से किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। सर संघर्ष की मृत्यु के पश्चात् वे एक ऐसी सस्था स्थापित करना चाहते थे जो "समस्त कौम की आवश्यकताओं और कौमी जनमत को सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सके।"<sup>36</sup>

१९०४ ई० में अलीगढ़ नेताओं की इस नीति की आलोचना की जा रही थी कि उन्होंने मुसलमानों के राजनीतिक भविष्य के विषय में कोई योजना नहीं बनाई थी। इसका परिणाम यह हो सकता था कि मुसलमान आने वाले समय में निश्चित रूप से कांग्रेस में सम्मिलित हो जावें। मोहसिन ने यह आश्वासन दिलाया कि १८९३ ई० की डिफेंस एसोसियेशन की भाँति एक संगठन बनाने का कार्य नवाब वकारलमुल्क को सौंप दिया गया था।<sup>37</sup> कुछ सप्ताह बाद अलीगढ़ नेताओं ने यह माँग भी प्रस्तुत की थी कि "अंग्रेज सरकार मुसलमानों को अन्य विजित जातियों की भाँति नहीं समझे बल्कि मुसलमानों को विश्व की राजनीति में एक दल समझे" यहाँ तक कि इंग्लैण्ड अपने अस्तित्व और प्रगति में मुसलमानों के अस्तित्व और उन्नति को एक आवश्यक अंग समझे।"<sup>38</sup> सम्मता और सद्बृत्ति में मुसलमान और अंग्रेज आपस में अन्य धर्मों की अपेक्षा अधिक निकट वताए जाते थे।

इस प्रकार १९०५ ई० तक अलीगढ़ विचारधारा के अनुसार यह स्पष्ट था कि मुसलमानों का सरकारी सेवाओं में अश जनसंख्या मात्र के आधार पर निश्चित नहीं किया जा सकता था। वे अपने ऐतिहासिक महत्त्व पर अत्यधिक बल दे रहे थे। वे अलीगढ़ कॉलेज के महत्त्व को बनाये रखने के कारण यह चाहते थे कि राजनीतिक घान्दोलन सामान्य मुसलमानों में न फैले तथा अलीगढ़ विचारधारा का नेतृत्व

उपलब्ध रहे। ये कारण ही १९०६ ई० में जिमला शिष्टमण्डल के लिये उत्तरदायी हुए। १९०५ ई० में बकागडलमुक्त द्वारा एक स्मरण पत्र तैयार किया गया था जिममें मुसलमानों की मुख्य मांगों को लिखा गया था, इसी हस्तनिहित प्रतिनिधि अलीगढ़ में सुरक्षित है। इस प्रतिनिधि में प्रस्तावित मांगों में और १९०६ ई० में वास्तव में प्रस्तुत मांगों में कोई विशेष अन्तर नहीं है ऐसी स्थिति में १९०६ ई० में प्रस्तावित मांगों को अंग्रेजों द्वारा प्रोत्साहित बनाना गलत है।

जिमला शिष्टमण्डल भेजने का विचार एवं उसके द्वारा प्रस्तुत मांगें मूलतः अलीगढ़ नेताओं एवं अलीगढ़ विचारधारा का ही परिणाम थीं। १९०६ ई० में जॉन मोर्ले ने भारत में कुछ संवैधानिक सुधार प्रस्ताव के विचाराधीन होने की घोषणा की थी। इस घोषणा में अलीगढ़ मुसलमान नेताओं में बड़ी बंचेनी जागृत हुई और उन्होंने अपनी शक्तियों को एकत्रित करके अपने विभिन्न अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया। जिमला शिष्टमण्डल का उत्तरदायित्व निश्चिन करने के लिये विभिन्न घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन नीचे किया जा रहा है।

(१) १९०६ ई० में मिंटो और मोर्ले दोनों ही प्रतिक्रियावादी तत्त्वों को अपने साथ मिलाने की सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को अपने साथ मिलाने की बात नहीं मोची थी। मिंटो ने मोर्ले को २८-मई, १९०६ को एक पत्र लिखा था जिममें उसने लिखा था : "मैं पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के उद्देश्यों के विरुद्ध साधनों के विषय में सोच रहा हूँ शायद यह हम नरेशों की समिति में अथवा इसके विस्तृत प्रारूप में मिल सकें जिममें केवल शासकों को ही नहीं अपितु कुछ अन्य बड़े व्यक्तियों को भी सम्मिलित कर लिया जाये जो वर्ष में एक बार सप्ताह अथवा पक्षवाड़े के लिये मिल सकें।"<sup>४२</sup> मोर्ले ने उत्तर में कहा कि उसे कांग्रेस में हर स्थिति में निपटना पड़ेगा।<sup>४३</sup>

(२) मोहसिनउलमुल्क ने ४ अगस्त, १९०६ को बम्बई में आर्चबोल्ड को एक पत्र में लार्ड मोर्ले के भाषण में उत्पन्न मुसलमानों में व्याकुलता की चर्चा की और मोर्ले की घोषणा को इण्डियन नेशनल कांग्रेस की बड़ी सफलता बताया। उन्होंने आगे लिखा : "आप यह जानते हैं कि मुसलमान पहले से ही असन्तुष्ट है और शिक्षित मुसलमान युवक कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखते हैं। इस भाषण से उनमें कांग्रेस में सम्मिलित होने की भावना बढेगी..... लोगों में यह सामान्य जिक्रायत है कि हम (अलीगढ़ नेता) राजनीति में भाग नहीं लेते हैं और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं करते हैं। विधान सभाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों के नये प्रस्तावों में..... यदि निर्वाचन पद्धति को अधिक विस्तृत कर दिया गया तो मुसलमानों को शायद ही कोई स्थान मिले जबकि हिन्दू बहुसंख्यक होने के फलस्वरूप

<sup>४२</sup> काउन्सिल ऑफ मिंटो - इण्डिया-मिंटो-मोर्ले, पृ० २८-२९।

<sup>४३</sup> मोर्ले - ग्विलेक्लॉन्, वि० २, पृ० १०६।

समस्त स्थानों पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे और कोई मुसलमान निर्वाचन द्वारा कौंसिल में प्रवेश नहीं पा सकेगा। सरकार का ध्यान मुसलमानों के अधिकारों पर विचार करने के लिये वायसराय के समक्ष एक स्मरण-पत्र प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसलिए क्या तुम सूचना दींगे कि वायसराय के समक्ष मुसलमानों की ओर से स्मरण-पत्र प्रस्तुत करने तथा इस विषय पर एक शिष्टमण्डल द्वारा मुसलमानों के विचार वायसराय के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति का अनुरोध करना उचित होगा? तुम्हें वहाँ सरकारी अधिकारियों की सम्मति जानने के अर्द्धे साधन उपलब्ध हैं और तुम इस विषय में मुझे अमूल्य परामर्श दे सकते हो"।<sup>४४</sup>

(३) मिंटो ने ८ अगस्त, १९०६ को मोर्ले को लिखा कि "यह पत्र मेरे सामने आज ही रखा गया है। यह मुस्लिम विचारधारा का तथा उनके उम भय का कि विधान सभाओं के विस्तार के समय मुस्लिम हितों की अनदेखी हो सकती है चित्र प्रस्तुत करता है। मुझे प्रस्तावित शिष्टमण्डल के स्वीकार करने के प्रश्न पर विचार करने का समय नहीं मिला है, लेकिन मैं ऐसा करने के लिये विनत हूँ।"<sup>४५</sup>

(४) आर्चबोल्ड ने ६ अगस्त, १९०६ को वायसराय के निजी सचिव को सूचित किया कि उसने मोहसिनउलमुल्क को कुछ भी करने के लिये उम समय तक मना किया था जबतक वह अपने विचार न लिखे। इस शिष्टमण्डल को वायसराय द्वारा भेट प्रदान करना अत्यन्त उचित होगा। यदि मुसलमानों की तत्कालिक उत्तेजित स्थिति में उनकी क्रियाशीलता को एक उचित और नियमित दिशा में मोड़ा जा सके, यदि शिष्टमण्डल को कुछ मन्तोपजनक उत्तर दिया जा सके तो उमसे स्थिति बहुत शान्त हो जायगी। उसने आगे लिखा "मैं शिष्टमण्डल के नेताओं की व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर यह कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसी बात जो लेशमात्र भी आपत्तिजनक अथवा नेप्याहीन हो नहीं कही जायगी। मुसलमानों में सरकार को कोई कष्ट देने की भावना नहीं है, केवल भविष्य के लिये एक व्यापक व्याकुलता है कि कहीं नये सुधारों में उनकी ओर कोई ध्यान ही न दिया जाए।"<sup>४६</sup>

(५) डेनजिल इवेटसन (वायसराय की कौंसिल का एक सदस्य) ने १० अगस्त, १९०६ ई० को लिखा कि वह इस बात में सहमत था कि वायसराय मुसलमानों के शिष्टमण्डल को अनुमति प्रदान करें और उन्हें महानुभूतिपूर्ण उत्तर दें। उसने इस बात की पुष्टि की थी कि मुसलमानों की नई पीढ़ी उत्तेजित एवं चिन्तित है, "लेकिन

<sup>४४</sup> मिंटो के मोर्ले को भेजे गये पत्र (८ अगस्त, १९०६) के साथ सलग (वि० २ के दृश्येंड विचारियों के भेजे गये निजी पत्रों में उपलब्ध, रीज न० ४, पत्र न० ६)

<sup>४५</sup> वही।

<sup>४६</sup> आर्चबोल्ड का इनपर्सनिथ के नाम पत्र, ६ अगस्त, १९०६। (मिंटो दैनिक, साइपो रिप्ले रीज न० १)

उनको कांग्रेस दल में घकेल देना भारी विपत्ति होगी क्योंकि इस समय शिक्षित मुसलमान भारतीय समाज में सबसे अधिक ऋद्धिवादी तत्त्व है।" ४७

(६) इनलपस्मिथ ने १० अगस्त, १९०६ ई० को आर्चबोल्ड को सूचना दे दी कि वायसराय शिष्टमण्डल स्वीकार करेंगे। आर्चबोल्ड ने इस समय अग्य मुसलमान नेताओं को पत्र लिखे कि वे युवा वर्ग को नियन्त्रित रखें।

(७) आर्चबोल्ड ने १४ अगस्त को शिष्टमण्डल द्वारा प्रस्तावित आवेदन-पत्र का मसौदा बनाकर भेजा था, लेकिन मोहमिनउलमुल्क ने उसकी कई प्रमुख बातों को स्वीकार नहीं किया। उत्तर में मोहसिन ने यह बात स्पष्ट लिखी थी कि मुसलमान अलीगढ़ कॉलेज को भी चन्दा देना बन्द करने की बात कह रहे थे यदि उन्होंने (अलीगढ़ नेताओं ने) उनके हितों के लिये कुछ न किया। उन्होंने आगे लिखा कि 'वर्तमान असन्तोष लिबरल सरकार के कारण है.....जॉन मोर्ले एक दार्शनिक हैं और उन्हे दर्शन पर व्याख्यान देते रहना चाहिये था। प्रत्येक व्यक्ति इस बात पर खेद करता है कि भारत का भाग्य उनके हाथों में है। उनकी नीति ने भारत को बहुत हानि पहुँचाई है और अधिक पहुँचने की आशा है। क्या सरकार के लिये यह उचित है कि वह भारत की जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण वर्ग को जो अपने हितों की सुरक्षा के लिए सदा सरकार पर निर्भर रहा है असन्तुष्ट हो जाने दे और वे हिन्दुओं की भाँति आन्दोलन आरम्भ करें। मैं केवल आशा करता हूँ कि भारत सरकार मुसलमानों की बढ़ती हुई उत्तेजना को कम करने और उनकी विवशता को दूर करने के लिए कुछ करेगी"। ४८

(८) मिन्टो ने मोर्ले को लिखा कि फुलर के त्यागपत्र से मुसलमानों में असन्तोष बढ़ेगा क्योंकि वह पूर्वी बंगाल में हिन्दू और मुसलमानों को एक-दूसरे से भिड़ा रहा था। मुसलमानों में व्यापक असन्तोष से कुछ लाभ ही होगा क्योंकि इससे वह पक्ष सामने आयेगा जो अभी तक कांग्रेस आन्दोलन के कारण छिपा हुआ था। ४९

(९) पूर्वी बंगाल और आसाम के गवर्नर 'हेयर' ने १ सितम्बर, १९०६ को वायसराय के निजी सचिव को लिखा कि यदि सरकार मुसलमानों के संरक्षक होने का आश्वासन दिया जाए और शिष्टमण्डल के सदस्यों को मुसलमानों का वास्तविक प्रतिनिधि मान लिया जाये तब फिर उनके लिये राजनीतिक आन्दोलन आरम्भ करने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी। यदि मुसलमानों ने आन्दोलन आरम्भ कर दिया तब इसका परिणाम अत्यन्त घातक होगा।

४७ इरेटमन का पत्र इनलपस्मिथ के नाम, १० अगस्त, १९०६ (मिन्टो पेपर्स, रोल न० १)।

४८ मोहसिन का पत्र अगस्त, १९०६ का पत्र जो आर्चबोल्ड ने इनलपस्मिथ को भेजे गये अपने पत्र दि० २२ अगस्त, १९०६ के साथ सलग्न कर दिया था। मिन्टो पेपर्स, रोल न० १, पत्र न० २५।

४९ मिन्टो का पत्र मोर्ले के नाम, दि० १५ अगस्त, १९०६, (रोल न० १)।

१९०६ ई० में ब्रिटेन सरकार द्वारा यह घोषणा किये जाने के पश्चात् कि भारतीय विधान सभाओं के गठन में कुछ गुविषाएँ विचाराधीन हैं अलीगढ़ नेताओं ने कुछ प्रयत्न करने की सोची। चूँकि अलीगढ़ आन्दोलन का एक निश्चित ध्येय ब्रिटेन सरकार के प्रति भक्त रहना तथा उसे प्रसन्न रखना था, इसलिये ब्रिटेन सरकार के समक्ष अपना स्मरण-पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व नेताओं द्वारा यह मालूम कर लेना आवश्यक था कि अलीगढ़ किस प्रकार का स्मरण-पत्र पसन्द करेंगे<sup>१०</sup> यहाँ यह ध्यान रखने योग्य है कि अलीगढ़ के मुसलमान नेताओं ने जिन अधिकारों की कल्पना कर रखी थी वह बिना ब्रिटेनी सरकार के संरक्षण के उपलब्ध हों ही नहीं सकते थे। उन विशिष्ट अधिकारों की कल्पना ही अलीगढ़ विचार शैली को अन्य विचार शैलियों में भिन्न रख सकती।

अलीगढ़ नेताओं ने अपनी मांगों को १ अक्टूबर, १९०६ को एक शिष्टमण्डल द्वारा ब्रिटेन वायसराय लार्ड मिंटो के समक्ष शिमला में प्रस्तुत किया। इस शिष्टमण्डल को मोहम्मदअली ने १९२३ ई० में 'आदेशानुसार कार्य' की उपाधि दी थी।<sup>११</sup> उस समय से इस विचारधारा की मान्यता बनी हुई है यद्यपि तथ्य इसके विपरीत है। सामान्यत अलीगढ़ आन्दोलन के समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं तथा वहाँ के नेताओं के आपस में लिखे गये पत्रों के अध्ययन के पश्चात् इसमें कोई मन्देह ही नहीं रह जाता है कि इस शिष्टमण्डल का समस्त उत्तरदायित्व अलीगढ़ नेताओं पर ही था और अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्चबोल्ड का योगदान अपने मालिकों की सहायता करने तक सीमित था। यह तथ्य मिंटो के गोपनीय एवं निजी पत्रों में भी भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है।

१ अक्टूबर, १९०६ को आगामों के नेतृत्व में मुसलमानों का एक विशिष्ट मण्डल शिमला में वायसराय से मिला। उन्होंने एक विस्तृत स्मरण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें मुख्य बातें निम्नलिखित थीं :

"भारत के मुसलमान १९०१ ई० की जनगणना के अनुसार ६ करोड़ २० लाख से अधिक हैं और समस्त भारत की जनसंख्या का १/५ से १/४ भाग के मध्य हैं। लेकिन यदि बहुत-सी अमन्य जातियों की तथा ऐसे वर्ग की जनसंख्या को जिन्हें हिन्दू कहा गया है, लेकिन जो हिन्दू नहीं है घटा दिया जाये तो मुसलमानों का अनुपात हिन्दुओं की तुलना में बहुत बढ जायेगा। इसलिए हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि उस समुदाय को जो हम को छोड़कर यूरोप की अन्य किसी भी राज्य की समस्त

१० १८९५ ई० में तैयार की गई मांगों का शीर्षक भी पहले अथवा उक्त अधिकारियों के पास भेजा गया था। बाद में सर सैयद अन्य कठिनाइयों में पड़े गये। इसी कार्य को १९०६ ई० में दोहराया गया था।

११ मोहम्मदअली के अध्याय में उनकी इस कल्पना की वास्तविकता पर विचार प्रकट किए गए हैं।

जनसंख्या से बड़ा है राज्य में विशेष महत्त्व का माना जाना चाहिए । हम यह और कहना चाहेंगे कि मुस्लिम कौम को जो स्थान किमी भी प्रतिनिधि सभा अथवा निर्वाचन पद्धति में दिया जाये वह केवल उनकी संख्या के अनुसार ही नहीं, अपितु उनके राजनीति महत्त्व तथा उनके साम्राज्य की सुरक्षा सेवा में योगदान के अनुकूल होना चाहिये । हम यह आशा करते हैं कि आप उस स्थिति को भी ध्यान में रखेंगे जो उन्हें भारत में १०० वर्षों से अधिक पूर्व उपलब्ध थी और जिसकी स्मृतियाँ उनके मस्तिष्क में मिटी नहीं हैं ।

निर्वाचन के परिणामों के विषय में यह अत्यन्त अस्वाभाविक है कि वर्तमान चुनाव संस्थायें किमी ऐसे मुसलमान का नाम सरकार की स्वीकृति के लिये शायद ही प्रस्तुत करेंगी जब तक वह मत्र महत्त्वपूर्ण विषयों में बहुमत के साथ सहानुभूति न रखता हो<sup>१२</sup> । फिर भी इस बात में इन्कार नहीं किया जा सकता कि मुसलमान एक भिन्न कौम है जिनके अपने विशिष्ट हित हैं<sup>१३</sup> किमी भी समुदाय का राजनीतिक महत्त्व बहुत सीमा तक राज्य की सेवाओं में उपलब्ध भाग पर निर्भर करता है ।

माराणत. यह माग प्रस्तुत की गई कि उन्हें राजकीय सेवाओं में, उच्च न्यायालयों में, म्युनिसिपल कौंसिलों में, यूनिवर्सिटियों की सीनेट में, प्रांतीय तथा वायसराय की सभाओं में उचित स्थान मिलना चाहिये और एक मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिये ।<sup>१४</sup>

इस स्मरण पत्र के उत्तर में मिंटो ने अत्यन्त आशाजनक उत्तर दिया .

“आपकी आज यहाँ उपस्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण है<sup>१५</sup> मैं आपके शिष्टमण्डल के प्रतिनिधित्व स्वरूप का स्वागत करना हूँ जोकि भारत के जागृत मुस्लिम सम्प्रदाय की इच्छाओं तथा दृष्टिकोणों को अभिव्यक्त करता है । मैं अनुभव करता हूँ कि जो कुछ आपने कहा है वह एक प्रतिनिधि मण्डली द्वारा कहा गया है ।<sup>१६</sup> एक विजेता तथा अधिकारी जाति के वंशज, आपने आशावान भविष्य, सामान्य शान्ति, धार्मिक स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के लिये आभार व्यक्त किया है जो भारत को अंग्रेजी प्रशासन से उपलब्ध हुई है । आपके शिष्टमण्डल प्रस्ताव का सार, जैसा मैं समझता हूँ यह दावा है कि प्रतिनिधित्व की किसी भी प्रणाली में चाहे वह म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अथवा लेजिस्लेटिव कौंसिल में सम्मन्विता हो जिसमें निर्वाचन पद्धति का समावेश अथवा उनको बढ़ाना हो मुस्लिम समुदाय को एक समुदाय की भाँति ही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए<sup>१७</sup> । आप यह दावा न्यायमंगल ही करते हैं कि आपकी महत्त्वपूर्ण शक्ति दोनों प्रकार से—आपके समुदाय का राजनीतिक महत्त्व अथवा साम्राज्य के प्रति आपकी सेवा—आपको विशिष्ट महत्त्व के अधिकारी बनाती

१२ शिष्टमण्डल के नेतृत्व सम्भवतः यह सोचने से कि मुसलमानों का बहुमत के साथ सहमति रखना ही एक दोषपूर्ण कार्य होगा ।

१३. रामगोपाल : इण्डियन मूविमेंट, परिशिष्ट 'B', पृ० ३२६-३३१ ।



हैं। मैं आपसे पूरे तरह सहमत हूँ मैं यह बताने का कोई प्रयत्न नहीं करता हूँ कि कितने साधनों से समुदायों का प्रतिनिधित्व उपलब्ध किया जा सकता है मैं आपसे केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मुस्लिम सम्प्रदाय निश्चयاً रह सकता है कि उनके एक सम्प्रदाय की भाँति राजनीतिक प्रतिहार और हीन कभी भी ऐसे प्रजागरीय पुनर्गठन में मुरशिन रहेंगे जिनके माय में सम्प्रदाय हूँ।<sup>१५</sup>

अन्त में पुनः मिंटो ने कहा मैं आपसे शिष्टमण्डल का धाभारी हूँ जिनसे मुझे इतने प्रतिष्ठित एवं प्रतिनिधिक मुसलमानों में मिलने का अवसर प्रदान किया है। "....." वायसराय के भाषण के लिये धाभार प्रकट करने हुए मोहसिनउलमुन्त ने इनलपस्मिय को विना कि वायसराय के महत्वपूर्ण भाषण ने एक पृथक् समुदाय के रूप में भारत के मुसलमानों के अधिकारों को स्पष्ट एवं सहानुभूतिपूर्ण रूप से स्वीकार किया था। उनके राजनीतिक महसूस जो अन्य किसी में भी कम नहीं थे की उदार प्रणाम ने उनमें एक नया जोश भर दिया था और वे तथा उनकी पीढ़ियाँ भारत सरकार की नीति की दृढ़ ऐतिहासिक धोरणों को हमेशा बहुमूल्य समझेंगे।<sup>१६</sup>

इस शिष्टमण्डल की सक्रियता के परिणाम मुसलमानों के एक राजनीतिक संगठन की स्थापना दिसम्बर १९०६ ई० में ढाका में उम समय हुई जबकि वही मोहम्मद एजुकेशनल काउन्सिल का २०वाँ वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। मुस्लिम लीग की स्थापना अलीगढ़ नेताओं की विचारधारा के आधार पर हुई जिसके अनुसार मुसलमानों के पृथक् अस्तित्व की बात बही गई थी। इसके उद्देश्यों में प्रथम स्थान मुसलमानों में अश्रेष्ठों के प्रति निष्ठा उत्पन्न कराना और दूसरा स्थान भारतीय मुसलमानों की भलाई तथा राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित रखना था।

इस प्रकार मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन की अलीगढ़ विचारधारा मुसलमानों के ऐतिहासिक गौरव तथा उनके पूर्व शासकों के वंशज एवं पृथक् हिन्दों के प्रस्ताव को सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर सकी और लार्ड मिंटो द्वारा इन विशिष्ट मुविधायों को मनवा सकी। अक्टूबर १९०६ ई० में शिमला शिष्टमण्डल के अध्यक्ष मुस्तान मोहम्मद शाह आगाखान ने चीन जापान की यात्रा पर जाते हुए वायसराय के निजी सचिव को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने मोहसिन को दिये गये परामर्श का वर्णन किया था, उन्होंने कहा था कि किसी भी कार्य अथवा नीति अपनाने के पूर्व निजी साधनों से सरकार की अनुमति एवं इच्छा जान लेना आवश्यक था उन्हें इस बात का भय था कि कहीं वे अनजाने में ऐसा कार्य न कर बैठें जिससे सरकार को प्रमुविधा हो।<sup>१७</sup>

<sup>१५</sup> रामगोपाल परिशिष्ट 'C', पृ० ३३५-३३८।

<sup>१६</sup> मोहसिन का पत्र इनलपस्मिय के नाम, ७ अक्टूबर, १९०६ : मिंटो पेपर्स, न० १०६।

<sup>१७</sup> आगा खान का पत्र इनलपस्मिय के नाम, २६ अक्टूबर, १९०६, मिंटो पेपर्स।

## मौलाना मोहम्मद अली

(१८७८-१९३१)

दीमची मदी में मौलाना मोहम्मदअली के ममान यदि कांई अन्य मुस्लिम नेता लोक चर्चा का विषय बना तां केवल मोहम्मद अली जिन्ना और वह भी १९४० ई० के पश्चात् । मौलाना मोहम्मद अली ने पचास वर्ष की आयु में अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं का एक वृत्तान्त लिखा था जिसमें उन्होंने यह बताया कि भारतीय राज्यों में उच्च नौकरी के अवसर को छोड़कर उन्होंने १९१२ ई० में पत्रकारिता के व्यवसाय को अपनाया था जिसमें वे 'मिल्लत' और 'देश' की सेवा कर मके । १९१२ ई० में १९१५ ई० तक और १९२० ई० के पश्चात् मौलाना समाचार-पत्रों द्वारा अपने विचारों का प्रचार करते रहे । इस कार्य में उनकी कीर्ति हुई अथवा अपकीर्ति, इसकी उन्हें चिन्ता नहीं थी । उनकी अभिलाषा थी कि वे अज्ञान न रहे । वे जीवन भर इस बात के इच्छुक रहे कि लोग उन्हें जाने ।<sup>१</sup>

कीर्ति की इस अभिलाषा ने उन्हें किसी दम में न रहने दिया । उनके एक अभिन्न और थडालु मित्र ने कहा है कि "वह न स्वयं कोई दल बना सके और न किसी बनी बनाई पार्टी में अधिक समय तक निर्वाह कर सके....." जिस वस्तु को मौलाना ने ठीक समझ लिया वस उसे दौन से पकड़ लिया फिर चाहे इसमें सब ही का साथ छोड़ देना पड़े ।" ऐसे अवसर पर वह न किसी मित्र का ध्यान करते थे न निकट सम्बन्धी का, न छोटे-बड़े की परवाह करते थे, न गुरु शिष्य की चिन्ता करते थे ।<sup>२</sup> यही कारण था कि मोहम्मद अली की पार्टी बदनती रही और उनके

१ मौलाना अजरत रहमानो द्वारा सम्पादित हवाउ-ए-जोहर पृ० २५ तथा २७ । 'जोहर' मौलाना का उपनाम था जो वे कविताओं में प्रयोग करते थे ।

२ अब्दुल माजिद दरवानादी : मोहम्मदअली-निजी डायरी, भाग १, पृ० २८७ तथा ३४४ । बाद में इस पुस्तक को केवब डायरी ही लिखा गया है ।

दोस्तों में परिवर्तन होता रहा। हमीदुल्ला खान और मोहम्मद अली खान रहे।<sup>३</sup>

तीसरी ही अभियान के प्रतिष्ठित मोहम्मद अली के अस्तित्व की पूर्ण विधेयता यह थी कि वे मराठा स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने म्वर १९२३ ई० में कांग्रेस अधिवेशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था "मैं जीवन भर एक लड़ाकू रहा और लड़ाइयों में मैं निरन्तर अपनी सम्पन्न शक्ति स्वाभाविक रूप में लगा देता था, किन्तु आपने मुझे साध्यता बनाकर मेरी स्वतन्त्रता की जमीर पट्टा दी। मैं अपनी इस स्वतन्त्रता की पुनः प्राप्ति करने के लिए आज भी साध्यता के मूल्यवान् सम्मान की छोटने के लिए तैयार हूँ।"<sup>४</sup> दिसम्बर १९३० ई० में भाषण देते हुए उन्होंने प्रथम गोलमेद सम्मेलन के समर्थन कहा था

"याद रखिए कि जब मैं अंग्रेजों से लड़ सकता हूँ तो हिन्दुस्तानियों में भी लड़ सकता हूँ। लेकिन पहले मुझे कोई ऐसी चीज तो दीजिए जिसके लिए मैं लड़ सकूँ..... यद्यपि प्रायु में मैं उन (मिस्टर जेयकर) से बड़ा हूँ लेकिन स्वभाव और लड़ने की इच्छा के हिसाब से मैं अभी एक नवयुवक हूँ।"

मोहम्मद अली का सम्पन्न जीवन दण्डों तथा सशस्त्रों में व्यतीत हुआ।<sup>५</sup> ये सशस्त्र कारिगरी और धर्मियों में, मिस्त्रा के मनुष्यों और कौम के द्रोहियों में ही नहीं थे बल्कि मित्रों और शत्रुओं में भी थे, अपने भक्तजनों और निष्ठावान् अनुयाइयों से भी और अपने प्रेमियों तथा निरपेक्ष सम्बन्धियों में भी।<sup>६</sup> मस्जुद मजिद दरमाबादी ने मोहम्मद अली के जीवन के सशस्त्रों का वर्णन करते हुए कहा है - "याज इगमे लडाई, कन उमगे गडाई, गगण्टी की सरकार से लडाई, मुस्लिम लीग से लडाई, ब्रांस में लडाई, मोनीतान गरा में लडाई, फरवी मराठे से लडाई,

३ रईस अहमद जाकरी मताईखान-ए-मोहम्मद अली, पृ० १९९-१९७।

४ मोहम्मदअली हिन्दुस्तान की विपत्तों उसाने, (अध्यक्षीय भाषण) पृ० ३६-३७। यह उनके प्रतिष्ठित अध्यक्षीय भाषण का उद्धृत अनुवाद है जो मरीा फरवी ने किया है। यह अध्यक्षीय भाषण दो सौ पृष्ठों से अधिक है और मौताना इसे दो दिनों तक देते रहे थे। वही, पृ० १०। ऊपर दिये गये वाक्यों में से अन्तिम वाक्य मौताना के १९२३ ई० के पत्रकार के व्यवहार को समझने के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

५ कुछ लेखकों ने इन सशस्त्रों के लिये 'जिहाद' शब्द का प्रयोग किया है। श्रुतिगत अर्थों में जिहाद प्रयत्न करने को कहते हैं।

६ यह टिप्पणी मौताना के प्रकाशक रईस अहमद जाकरी द्वारा की गई है मताईखान-ए-मोहम्मदअली, पृ० १३, तथा शम्सात ए-मोहम्मदअली, पृ० ६।

७ फरवी महल लखनऊ में अत्यन्त प्रभावशाली सम्था थी। मौताना अगुल वारी फरवी महल के प्रमुख थे। मोहम्मदअली की मौताना की उपाधि उन्होंने ही दी थी यद्यपि मोहम्मदअली किसी अरबी मदर्से के पढ़े हुए नहीं थे तथा ध्यावरण, कुरान का अर्थ निकालना, हदीस के अध्ययन में मोहम्मदअली ने विशेष योग्यता प्राप्त नहीं की थी। मताईखान, पृ० १०।

डाक्टर अन्मारी जैमे धनिष्ट मित्र मे लडाईं ।"<sup>८</sup>

इस शत्रुता और संघर्ष का प्रमुख कारण था मोहम्मद अली की व्यंग करने का आदा। जवाहरलाल नेहरू ने जो मीनाना के अग्र्यकाल में कांग्रेस के महामन्त्रि रहे थे, कहा है कि मोहम्मद अली ने अपने इस स्वभाव के कारण ही अपने बहुत से मित्रों को अपना शत्रु बना लिया था।<sup>९</sup> यदि किसी समय उनके शुभचिन्तक उन्हें यह बताना भी चाहे कि उनके साथ कोई नहीं रहा, सब उन्हें छोड़कर चले गए, तो वे ऐगा कर भी नहीं सकते थे क्योंकि मोहम्मद अली अत्यन्त शीघ्र और तेज स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके इस स्वभाव की उनके मित्रों तथा विरोधियों ने विस्तारपूर्वक चर्चा की है। "जब जिम पर चाला कारण, अकारण विगट पड़े, बरस पड़े, उबल पड़े।"<sup>१०</sup> वे अपनी भावनाओं के बशीभूत रहते थे। जब भावनाओं की बाढ़ आती तो सब कुछ अपने गाय बहाकर ले जाती।<sup>११</sup> वे कभी किसी की गलती माफ नहीं करते थे।<sup>१२</sup> जो कुछ समय में आया बेघडक कर गुजरे, जो दिन में आया बिना मकीबे वह गुजरे। कभी इसी बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि उनके समयक क्या रहेंगे और बहुत से अनुयायी उनके हाथ से निकल जायेंगे। उनका कहना था कि "मे मरने मरने मर जाऊंगा लेकिन किसी भी औचित्य के आघार पर किसी की कौसी गहरी क्षमा नहीं करूँगा। सब मेरा साथ आज छोड़ दें। मैंने काम साधियों के भरोसे नहीं, अल्लाह के भरोसे पर आरम्भ किया था। उसे स्वीकार होगा तो वह नये माथी पैदा कर देगा.....शरीर का जो भाग सराब हो जाय उसे काट ही डालना चाहिए।"<sup>१३</sup>

मोहम्मद अली के इस स्वभाव का ही परिणाम था कि वे लोग भी जो १९१२ ई० में (जब पहली बार 'कामरेड' पत्र का प्रकाशन आरम्भ हुआ था) मोहम्मद अली के अधीन रहने अथवा उसकी चाकरी करने में अपना सम्मान

८. डायरी, प्रथम भाग, पृ० ३२०, इसी प्रकार के विचार मोहम्मद अली की मृत्यु पर महात्मा-पत्र सब के १६ जनवरी, १९३१ ई० के अंक में छपे थे।

९. जवाहरलाल नेहरू: आत्म कथा, पृ० ११७, 'मताइवान' में इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये गये हैं। पृ० १८-२०।

१०. डायरी, भाग पहला, पृ० ३६३।

११. वही, पृ० २८६।

१२. मताइवान, पृ० १२६-१२७। गहन कथ्ये क्या है इसका निर्णय भी वे अपनी इच्छानुसार ही करते थे। उन्हें सेठ छोडानी द्वारा लिखात फण्ड में १६ लाख रुपयों का गवन गलत नहीं लगता था। उन्होंने अपने एक लेख में बताया था कि गवन एक बार नहीं बितनी ही बार ही जाये यदि किसी के पास पैसा है और उसे किसी के लिये प्रेम है तो यह अवश्य पैसा देता रहेगा (हमदर्द, १८ जनवरी, १९२४, से उद्धरित : मताइवान, पृ० ४६-५०)।

१३. डायरी, प्रथम भाग, पृ० ३४४।

समझते थे, १९२४ ई० में डटकर विरोध करने पर तुल गये थे। कामरेड के भूतपूर्व सम्पादक, महायक मैनेजर तथा अन्य प्रमुख कर्मचारी या तो मर चुके थे अथवा लूटकर जा चुके थे। और मोहम्मद अली को पुनः पत्र प्रकाशित करने में उनका सहयोग नहीं मिल सका।

मोहम्मद अली अलोगड कॉलेज के स्नातक थे और अपने विद्यालय के प्रति निष्ठावान थे, किन्तु उन्हें कॉलेज ट्रस्टियों की सरकार के प्रति भक्त रहने वाली नीतियाँ पसन्द नहीं आईं और १९२० ई० में मौलाना ने उनकी तीव्र आलोचना की। इसका परिणाम उन्होंने स्वयं १९२७ ई० में बताया था कि "अब सान बपों से हम अलोगड से निकाले हुए बाहर पड़े हैं।"<sup>१४</sup> वे रामपुर में पैदा हुए थे तथा वहीं पर १९०३-४ ई० में भूम्य शिक्षा अधिकारी रहे, किन्तु आलोचना करने के कारण बाद में उनका रामपुर में प्रवेश तक वर्जित कर दिया गया था।

१९२५ ई० में मोहम्मद अली की पहली भयंकर और कटु लड़ाई आरम्भ हुई और वह भी अपने गुरु मौलाना अब्दुल बारी फरगी महल के साथ। यह लड़ाई अगस्त १९२५ में जनवरी १९२६ ई० तक चली। इस सघर्ष में मौलाना को अत्यधिक अपमान सहन करना पड़ा। जिसे व्यगात्मक कार्टून मोहम्मद अली के विरुद्ध इस समय में निकले, जितने शब्द मौलाना को सुनने पड़े उतने पहले कभी नहीं।<sup>१५</sup> इन घटनाओं में उनके स्वभाव का तीव्रतापन जितना बढ गया था, उसी मात्रा में काप्रेस में उनकी ऊँच और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने की उत्कण्ठा बढी हुई दिखाई दी। १९२५ ई० में लाहौर में भाषण देते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि वहाँ के मुसलमान उनमें दुषी थे, उनका नाम सुनना भी पसन्द नहीं करते थे, लेकिन वे घबराते वाले नहीं थे।<sup>१६</sup>

१९२६-१९२८ ई० के मध्य दो अन्य प्रमुख सघर्षों में मोहम्मद अली उनमें गये। एक हदीम के मानने वालों तथा 'जमींदार' (समाचार-पत्र) के विरुद्ध, जो विशेषकर पंजाबीटोले से लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है और दूसरा दिल्ली के प्रसिद्ध नेता ख्वाजा हसन निजामी के विरुद्ध था। १९२७ ई० में ही 'रंगीला रसूल' नामक पुस्तक से उन्हें भारी वेदना हुई और उसके पश्चात् पंजाब में साम्प्रदायिक दंगों और स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या से क्षोभ पहुँचा। इसी समय उनके नेतृत्व के विरुद्ध मुसलमानों का भारी गठबन्धन हुआ। १९२८ ई० में 'हमदर्द' के आर्थिक सकट तथा उनकी बढती हुई डायबिटीज की बीमारी उनके लिये भारी परेशानी का कारण बनी।<sup>१७</sup> ५० वर्ष की आयु में अपने जीवन विवरण में उन्होंने लिखा

१४. हमदर्द, २४ जून, १९२७।

१५. डायरी, भाग पहला, पृ० २६२-२६३।

१६. हमदर्द, २ सितम्बर १९२५, (मकालात-ए-मोहम्मदअली, पृ० ७५)।

१७. हमदर्द, २७ अप्रैल, १९२६ तथा २४ जून, १९२७ (इफादात-ए-मोहम्मदअली, पृ० २७६-२८७, ३०७-३१०)।

“जिस समय से लोक कार्यों में भाग लेना आरम्भ किया डाक्टरीज का रोगी रहा हूँ। अन्तिम तिहाई आयु में (३४ से ५० वर्ष की आयु में) बीमार रहा हूँ। सम्पूर्ण शक्ति अत्यन्त ही दुर्बल हो गई है।”<sup>१८</sup> उनके अपने अन्तिम वर्षों में जमैयत उल उलेमा और नेशनलिस्ट मुसलमानों से सघर्ष आरम्भ हुआ। साथ ही उनका स्वास्थ्य भी अत्यन्त खराब होता गया। उपरोक्त घटनाओं का विस्तृत विवरण इस पुस्तक की सीमाओं से बाहर है। यहाँ अभिप्राय केवल मौलाना के व्यक्तित्व को स्पष्ट करना है।

१९२९ ई० में मोहम्मद अली जमैयत खिलाफत के अध्यक्ष अवश्य थे, लेकिन स्वयं जमैयत में ही अब कोई जान शेष नहीं रह गई थी।<sup>१९</sup> १९३० ई० में खिलाफत कमेटी कांग्रेस से खुल्लम खुल्ला लड़ाई कर रही थी और खिलाफत कमेटी में मौलाना अकेले थे। उनके सब पुराने साथी जैसे डाक्टर अनसारी, मैयद महमूद, मौलाना अबुलकलाम आजाद और अब्दुल मजीद ख्वाजा आदि कांग्रेस कैम्प में थे। जमैयत उलउलेमा के लोग भी धीमे-धीमे उसी ओर घने गये। अंग्रेजी के अधिकांश समाचार-पत्र उनके दुश्मन थे। उर्दू के गैर मुसलमान अखबार भी उन्हें बहुत अपशब्द कहते थे और इससे बढ़कर था दिल्ली और लाहौर के विभिन्न मुस्लिम समाचार-पत्रों का विरोध।<sup>२०</sup> इस प्रकार मौलाना को कौमी जीवन में हर ओर से विरोध, अपने प्रत्येक लक्ष्य एवं दिशा में असफलता निश्चित-पी दिखाई पड़ती थी। चाहे लोग ‘कामरेड’ और ‘हमदर्द’ के प्रशंसक हों, लेकिन परोदार कोई नहीं था।<sup>२१</sup>

मोहम्मद अली के चिन्तन का विकास :

मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए मोहम्मद अली उन तीनों विभिन्न नीतियों में किसी न किसी रूप में सम्मिश्रित रहे जो २०वीं सदी के प्रथम दशकों में अपनाई गई थी। यह तीन नीतियाँ थीं।

- (१) १९०६ ई० में शिमला शिष्टमण्डल तथा मुस्लिम लीग की स्थापना;
- (२) १९१५ ई० के पश्चात् हिन्दुओं से सहयोग की नीति; और
- (३) १९२४ ई० के पश्चात् मुसलमानों के पृथक् संगठन तथा उन्हें शक्तिशाली बनाने की नीति।

१९०६ ई० में वे शिमला शिष्टमण्डल के सदस्य थे। वे साम्प्रदायिक पृथक् निर्वाचन के साथ-साथ सम्मिश्रित निर्वाचन पद्धति को भी मुसलमानों के लिए आवश्यक समझते थे।<sup>२२</sup> इस पहले चरण में १९११ ई० में बंगाल विभाजन का

१८ हयात-ए-जौहर, पृ० २८।

१९. डायरी, भाग २, पृ० १०५।

२० वही, पृ० १०७-१०८।

२१. हमदर्द, २७ जून, १९२७, डायरी भाग २, पृ० १९१।

२२. मजामीन, मोहम्मद अली, भाग २, पृ० १६२-१६३।

समाप्त किया जाना मुसलमानों को सत्यन्त अप्रिय लगा। मोहम्मद अली ने मुसलमानों को जाग्रत करने के लिए 'कामरेड' पत्र प्रकाशित करना प्रारम्भ किया। वे १९१२-१५ ई० में 'कामरेड' पत्र के सम्पादक के रूप में विख्यात हुए। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने भारत के मुसलमानों को अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं में परिचित कराया तथा अंग्रेजों पर आश्रित रहने की नीति के दोष स्पष्ट किए। १९१३ ई० में कानपुर मस्जिद की घटना पर मोहम्मद अली ने समुक्त प्रान्त (आधुनिक उत्तर प्रदेश) के गवर्नर तक की आलोचना की। नवम्बर १९१४ ई० में तुर्की ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ देने का निश्चय किया। मोहम्मद अली के विचार तुर्की समर्थक अधिक थे। परिणामस्वरूप उन्हें 'कामरेड' पत्र बन्द करना पडा। मोहम्मद अली को मई १९१५ ई० में जेल में बन्द कर दिया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में अंग्रेजों के विरोध से मुसलमानों की अग्रगण्यता तथा भारत में कांग्रेस के विरोध से बगाल विभाजन की समाप्ति से विभिन्न मुसलमान नेताओं में यह भावना बढी कि भारत में हिन्दुओं के साथ मिलकर कार्य किया जाए। मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक होने के कारण मोहम्मद अली भी इस नीति के समर्थक रहे किन्तु वे इस दिशा में कोई सक्रिय कार्य नहीं कर सके क्योंकि उन्हें १९१५ ई० में बन्दी बना लिया गया था। मोहम्मद अली ने अपने कांग्रेस अध्यक्षीय भाषण में यह कहा था कि वह स्वयं और उनके भाई शीकत अली कांग्रेस तथा लीग को एक-दूसरे के निकट लाने के लिए उत्तरदाई थे<sup>२३</sup> लेकिन १९१६ ई० के लखनऊ सम्मेलन को १९२३ ई० में भी उन्होंने लाभदायक नहीं समझा।<sup>२४</sup> बाद में तो उन्होंने इस सम्मेलन को मुस्लिम हितों के विरुद्ध ही बताया था।<sup>२५</sup> १९१७ ई० में उन्हें मुस्लिम लीग की अध्यक्षता के लिए चुना गया लेकिन वे कोई अध्यक्षीय भाषण नहीं दे सके थे क्योंकि वे जेल में बन्द थे। अपनी आप बीनी में जो कृतज्ञता मोहम्मद अली ने इस सम्मान के लिए प्रकट की थी वह १९२३ ई० में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिये भी प्रकट नहीं की थी।<sup>२६</sup> २८ दिसम्बर, १९१६ को उन्हें जेल से छोडा गया। उस समय तक बर्मा की सन्धि पर हस्ताक्षर हो चुके थे और पूर्वी यूरोप के भागों में तुर्की का नियन्त्रण प्रायः समाप्त हो चुका था। जेल में रहने की अवधि में मोहम्मद

२३ अध्यक्षीय भाषण, पृ० ६०-६१।

२४ अध्यक्षीय भाषण, पृ० १४८-१६०-१६१।

२५ मजामीन, भाग २, पृ० १६१-१६२।

२६ हयात-ए-जौहर, पृ० २५-२६।

अली के दिमाग पर कुरान और करबला छाये हुए रहे।<sup>२०</sup> जनवरी १९१६ में भी जब कुछ घरेलू आवश्यकता ने उन्हें कुछ दिनों के लिये जेल में उनके पर (रामपुर) जाने की अनुमति मिल गई थी, उनका प्रोग्राम निश्चित सा ही था। जेल में छूटने के पश्चात् उनका विचार भारत और यूरोप का दौरा करने का तथा इस्लाम की तबलीग करने का था।<sup>२१</sup>

जेल में छूटने के तुरन्त पश्चात् मोहम्मद अली अमृतसर में हो रहे मुस्लिम-लीग तथा कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेने के लिये पहुँचे। १९२१ ई० तक वे भारत में और भारत के बाहर खिलाफत आन्दोलन के नेता के रूप में कार्य करते रहे। इस समय उनके विभिन्न भाषणों में हिन्दू मुस्लिम एकता का भाव मिलता है। वे यह जानते थे कि खिलाफत आन्दोलन उस समय तक प्रभावशाली नहीं हो सकता था जबतक कि वे इस समस्या को अखिल भारतीय समस्या न बना लें और २२ करोड़ हिन्दुओं का समर्थन उपलब्ध न करा लें। इसलिए उन्होंने अपने विभिन्न भाषणों में हिन्दू मुस्लिम एकता की बात कही थी। इस प्रकार इस्लाम की स्वतन्त्रता के लिये भारत में हिन्दुओं का सहयोग आवश्यक समझा गया था। उन्होंने खिलाफत को एक धार्मिक संस्था के रूप में प्रस्तुत किया। १९१६-१९२१ ई० के मध्य मोहम्मद अली ने अपने विभिन्न भाषणों से मुसलमानों में राजनैतिक जागरण पैदा किया। १९२१-२३ के मध्य उन्हें फिर बन्दी बना लिया गया। अगस्त १९२३ ई० में वे मुक्त किये गये और उस समय उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने हिन्दू मुस्लिम एकता, असहयोग आन्दोलन के म्यगिते करने में अमन्तोष और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर अपने विचार स्पष्ट किये।

१९२३ ई० में मोहम्मद अली ने स्वीकार किया था कि मुसलमान उस समय भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि उन्हें अपने सम्प्रदाय की सुरक्षा के अतिरिक्त भारत के विम्नून लाभ के लिये अपने पड़ोसियों के अधिकारों की सुरक्षा भी करनी आवश्यक थी।<sup>२२</sup> हिन्दुओं के साथ मैत्री स्थापित करने की दिशा में मुसलमानों के सोचने के मुख्य कारण केवल वे कठुवे अनुभव थे जो विदेशी और गैर मुस्लिम राज्यों की सहायता पर निर्भर करने से पैदा हुए थे। अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त करने

२० पैसलवश जेल में २५ जुलाई, १९१६ को लिखा हुआ पत्र-उपरी, भाग १, पृ० ३६। करबला के युद्ध में मुसलमानों के नेता हुसैन की मृत्यु हुई थी जिसे लिया मुसलमान मोहरम के रूप में अभी तक मनाते हैं। यह युद्ध मुसलमानों के लिए अत्यन्त हार्थिकरत्न माना जाता है। बाद में मोहम्मदअली ने राष्ट्रवादियों पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने ही सरकार में बहतर मोहम्मदअली को जेल में बन्द करवाया तथा उनसे पत्र को बन्द करवाया। खिलाफत वान्कूलम १९२६ ई० में मोहम्मद अली का अध्यक्षीय भाषण : मशामीन, भाग २, पृ० २३६।

२१ हाशरी, भाग १, पृ० ८० तबलीग का अर्थ है धर्म प्रचार।

२२ अध्यक्षीय भाषण, पृ० ६३।



के लिये अपने हिसाब से प्रत्येक सम्भव बलिदान करके भी उन्हें कुछ उपलब्ध नहीं हुआ था।<sup>३०</sup>

इसके विपरीत वे हिन्दुओं के साथ अप्रेमों की अपेक्षा बहुत कम त्याग करके अधिक लाभदायक समझौता कर सकते थे।<sup>३१</sup> अपनी विवशता के समय भी (१९११-२३) मोहम्मद अली ने कहा था कि वे देश प्रेम और कौमियत की उस प्रकार की भावना पैदा करना नहीं चाहते थे जैसी जापान में थी। बल्कि वे केनाडा की भाँति एक धार्मिक समझौता चाहते थे जो व्यवहारिक हो।<sup>३२</sup> इस समय भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम साम्प्रदायिक झगड़ों के मुख्य कारणों का वर्णन किया था किन्तु उनका अन्तिम निर्णय यह था कि इनके लिये किसी कौमी समझौते की सम्भावना नहीं थी। राष्ट्रीय कांग्रेस देने प्रयत्न कर सकती थी किन्तु उसे भी किसी एक विशेष वर्ग से कुछ अधिक आशा नहीं करनी चाहिए थी वे पहले ही यह कह चुके थे कि गो-हत्या में (यदि वह ग़र्र मुसलमान की अपनी सम्पत्ति है) कोई ख़राबी नहीं थी।<sup>३३</sup>

मोहम्मद अली के जीवन में १९२४ ई० मुसीबत और परेशानी का वर्ष था। १ मार्च, १९२४ ई० को उनकी एक लाइली बेटी, 'आमना', की मृत्यु हो गयी। अभी इसने सम्भलने भी नहीं पाए थे कि उन पर यह विपदा गिरी कि मुस्तफा कमालपाशा ने खिलाफत सस्या को ही मदा के लिए तुर्की से समाप्त कर दिया। अप्रैल में उनके बड़े भाई शौकतअली सख्त बीमार पड़े और इसी समय हमदर्द अख़बार निकालने के उत्तरदायित्व की परेशानी बढ़ी। यह वर्ष उनकी कांग्रेस की अध्यक्षता का वर्ष था और इसी समय साम्प्रदायिक दंगे बहुत बढ़े जिन्हें हल करने का उत्तरदायित्व भी उन पर था। २१ सितम्बर, १९२४ ई० को गांधीजी ने इन साम्प्रदायिक दंगों को दूर करने के लिये २१ दिन का व्रत ले लिया।

१९२४ के पश्चात् उनके समक्ष मुख्य समस्या मुसलमानों के लिए एक नया मार्ग खोज लेने की थी। खिलाफत आन्दोलन असफल रह चुका था। मुस्लिम लीग, जर्मियत-उलेमा और जर्मियत खिलाफत प्रमुख मुस्लिम संगठन थे जो मुसलमानों के राजनीतिक हितों के समर्थक थे।

१९२४-२६ ई० का समय मोहम्मद अली के लिये अत्यन्त निराशा और असफलता का समय था। अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिये मोहम्मद अली मुसलमानों के हितों की एक ऐसी योजना का निर्माण प्रयत्न करने लगे।

३० अध्येक्षीय भाषण, पृ० ८६।

३१ अध्येक्षीय भाषण, पृ० ७३ तथा ७९, तवारीख, भाग पहला, पृ० ४४। अंग्रेज सरकार पर निर्भरता की नीति समाप्त करने का एक कारण यह भी था कि वह अपने प्रथम के लिये मुख्य अधिक मांगनी थी। मत्रामौल, भाग २, पृ० १६३।

३२ अध्येक्षीय भाषण, पृ० ६२।

३३ अध्येक्षीय भाषण, पृ० १४६। १९२३ ई० में हमदर्द में भी इसी प्रकार से विद्या था। इनादान, पृ० १०६-११०।

करने के लिये तैयार थे जिसने वे मुसलमानों के हितों के सबसे उग्र समर्थक और उनमें लोकप्रिय बने रह सके।<sup>१४</sup> फरवरी १९२९ ई० में लिखते हुए उन्होंने इसी बात को विस्तार में स्पष्ट किया था कि मुसलमानों के राजनीतिक विचारों की अभिव्यक्ति न तो महारामा गांधी कर रहे थे और न मौलीलाल। मोहम्मद खली जिन्ना भी भारत के मुसलमानों के ठीक प्रतिनिधि नहीं थे यद्यपि यह सम्भव था कि वे मुसलमानों की उचित माँगों को प्रस्तुत कर सकें।<sup>१५</sup> मार्च १९२७ ई० में उन्होंने अन्य मुसलमान नेताओं के साथ मिलकर दिल्ली प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इस समय राजनीतिक समस्या पर भय और विचार हो रहा था। १९२७-२८ के मध्य में यह प्रयत्न करते रहे कि यह प्रस्ताव जिसमें मुसलमानों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा होनी थी भारत के विभिन्न मुस्लिम दलों द्वारा स्वीकृत हो जाएँ। वे इस समय में काफी बीमार भी रहते थे।

मौलाना की अस्वस्थता और हायडिटीज की बीमारी को देखकर डाक्टरों ने उन्हें इलाज के लिये इंग्लैंड जाने की सलाह दी थी। १९२८ ई० में वे इलाज कराने के लिये इंग्लैंड गये थे। वहाँ में लौटने पर जनवरी १९२९ ई० में उन्होंने लिखा था कि ऊपरी रूप में वे निर्धनता की शिकायत करते थे किन्तु वास्तव में उनकी शिकायत अपने महत्वमियों की लापरवाही की थी। यदि वे किमी परदेश में मर जाते तो कम में कम गरीबी तो न स्पष्ट होती। मोहम्मद खली विदेश में लौटे थे किन्तु वास्तव में परदेश में अधिक वे अपने ही देश में अपरिचित दिखाई पड़ते थे।<sup>१६</sup> डाक्टरों ने उन्हें १९३० में इंग्लैंड जाने से मना किया था लेकिन मौलाना जिद्द करके इंग्लैंड गये थे। उन्होंने इंग्लैंड में मरने से कुछ पूर्व अपने एक मित्र से कहा था "अफसोस, मुसलमानों ने मेरा सम्मान नहीं किया। भारत के मुसलमान जीवन व्यक्तियों की पूजा नहीं करते मुझे को पूजते हैं। जब मैं मर जाऊंगा उस समय मुझे याद करेंगे। मगर मैं भी उनसे लग आया हूँ कि भारत में मैं मरने ही का नहीं। खुदा करे मुझे भारत में मौत ही न आए।"<sup>१७</sup> उनके मन में ऐसे ही विचार थे जिसके कारण उन्होंने गोलमेज सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन में घोषणा की थी कि "मैं अपने देश को केवल उसी स्थिति में जाऊंगा जबकि स्वतन्त्रता की अनुमति मेरे हाथ में हो। मैं एक गुलाम देश को वापस नहीं जाऊंगा। मैं परदेश में जबतक वह स्वतन्त्र हो मरने को अधिक

१४ हमदर्द, १८ अगस्त, १९२७; मजामीन, भाग २, पृ० १५१। मोहम्मदखली को अपनी लोकप्रियता का बहुत शक था। एक वर्ष पश्चात् भी उन्होंने यह दावा प्रस्तुत किया था कि सान करोड़ मुसलमान मे से एक भी ऐसा नहीं जिसने कम से कम इन कार्य से उनसे अधिक समय लगाया हो और उनसे अधिक परिश्रम किया हो। हमदर्द, २२ मार्च, १९२८, मजामीन भाग २, पृ० १८६।

१५ मजामीन, भाग २, पृ० २५५-५६, (हमदर्द, २० फरवरी, १९२९)। मोहम्मदखली का अभिप्राय था कि जिन्ना उनके प्रस्तावों को अपने मुद्राव कटकर प्रस्तुत कर सकते थे।

१६. मजामीन, भाग २, पृ० २७५-७६।

१७. हयान-ए-जोहर, पृ० १२१।

मेरा धर्म है। यदि मैं यह न मानूँ तो फिर मुसलमान भी नहीं रहूँगा।"<sup>४४</sup>

मोहम्मदअली और खिलाफत :

यद्यपि मौलाना मोहम्मदअली अपने राजनीतिक जीवन में विभिन्न दलों में संघर्ष करते रहे और अपने जीवन के अन्तिम कुछ वर्षों में वे अत्यन्त अन्तोरुप्रिय भी हो गये थे फिर भी १९१९-१९३० ई० के मध्य उनका विशेष महत्त्व सम्मन् मुस्लिम राजनीति में बना रहा। इसका रहस्य था खिलाफत आन्दोलन जिसके द्वारा उन्होंने मुस्लिम राजनीति को एक नया मोड़ प्रदान किया था। १९वीं शताब्दी के अन्तिम दशकों में तुर्की सुल्तान के इस्लामी जगत् के गनीमता होने के प्रश्न पर विचार-विमर्श करके भारत के जागरूक मुसलमान नेता उन्ने अन्वीकृत कर चुके थे।<sup>४५</sup> तुर्की के सुल्तान ने ऐसे कोई कार्य नहीं किये थे जिनमें उनके अधिकांश इस्लामी जगत् के नेता होने की बात स्पष्ट हो सके। उन्ने अफगानिस्तान, मिथ, मोरक्को, ट्यूनिम, भारत आदि पर ईसाई राज्यों के प्रभाव अथवा प्रभुत्व स्थापना के समय इस्लामी एकता अथवा स्वतन्त्रता की कोई आवाज नहीं उठाई थी और १९१९ ई० में भी पश्चिमी एशिया के स्वतन्त्र इस्लामी राज्यों ने तुर्की की सहायता अथवा खिलाफत की समस्या के पक्ष में कोई प्रबल आन्दोलन नहीं किया था। १९१४ ई० में स्वयं मोहम्मद अली ने यह आश्वासन भी दे दिया था कि यदि तुर्की के विरुद्ध युद्ध आरम्भ भी हो गया तब भी भारतीय मुसलमान की अग्रजों के प्रति वफादारी अपनी जगह पर स्थित रहेगी और युद्ध आरम्भ हो जाने के पश्चात् यह भक्ति भावना बनी भी रही।<sup>४६</sup> ऐसी परिस्थितियों में अधीन भारत के मुसलमानों का १९१९ ई० में उस खिलाफत के लिये आन्दोलन करना जिनके साथ घनिष्ट सम्बन्धों का अभाव था, विशेष महत्त्व की घटना थी।

यह महत्त्व और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है यदि यह ध्यान रखा जाय कि तुर्की अथवा किसी अन्य स्वतन्त्र मुस्लिम राज्य ने भारतीय मुसलमानों के स्वतन्त्रता संघर्ष के प्रयत्नों में (१९२०-४७ ई०) प्रायः सत्रिय योगदान नहीं दिया। इसमें वे तर्क खोजले दिखाई पड़ते हैं जिनके आधार पर कुछ भारतीय मुसलमान नेताओं द्वारा एकता और मिल्लत के हितों की दुहाई दी जाती थी। यहाँ तक कि उष

४६. यह भाषण अब्दुल माजिद दरवाबादी ने अपनी छाया में दिया है-भाग १, पृ० १३४-१३५।

४७. सर सैयद अहमद खान के अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। मोहम्मद अली ने बाद में यह भी कहा था कि पिछले ४०० वर्षों से इस्लामी जगत् का नेतृत्व तुर्की खिलाफत ने ही किया था (इफ्तयात, पृ० ६१) लेकिन मुगल सम्राटों ने कभी तुर्की सुल्तान की इस प्रकार की सर्वोच्चता स्वीकार नहीं की थी। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह तर्क गलत था।

४८. अध्यायीय भाषण, पृ० ८५-८६।

क्रान्तिकारी नेताओं (उदाहरणार्थ : अब्दुल्लाखां मिन्घी और बरकतुल्ला जैसे क्रान्तिकारियों) के मागने पर भी अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की आदि देश इंग्लैण्ड के विरुद्ध सक्रिय सहायता प्रदान नहीं कर सके थे ।

प्रथम विश्वयुद्ध में अक्टूबर १९१८ ई० में तुर्की के आत्ममर्पण कर देने में भारतीय मुसलमानों की उन आशाओं पर पानी फिर गया जो वे तुर्की की विजय के सम्बन्ध में रखते थे । दिल्ली और लग्नऊ में इसी समय उम व्यवस्था की नींव डाली गई जो बाद में खिलाफत आन्दोलन के नाम से प्रसिद्ध हुई ।<sup>४६</sup> इसका उद्देश्य मुसलमानों की सांसारिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान को बचाना था । इस समय मोहम्मद-अली जेल में बन्दी थे । जेल में छूटने के पश्चात् उन्होंने अपने भापणों में तुर्की सुल्तान के प्रति मुसलमानों के धार्मिक उत्तरदायित्व की बात कही थी और इस प्रकार सांसारिक तथा धार्मिक प्रश्न एक-दूसरे में मिल गये थे ।

१९१९-१९२१ ई० के मध्य मोहम्मदअली ने अपने भापणों में इस बात पर काफी जोर दिया था कि वे तुर्की के सुल्तान को इस्लामी जगत् का नेता मानते थे और इसलिए उसके राज्य को सुरक्षित छोड़ दिये जाने के पक्ष में थे । उनका तर्क था कि खलीफा के पास "ईमान" की सुरक्षा के लिये पर्याप्त साधन तथा सामर्थ्य होनी चाहिए । १९१९-१९२० ई० में जो राजनीतिक परिवर्तन स्वायत्तता तथा आत्मनिर्णय के आधार पर गैर तुर्की कौमो को उपलब्ध हुए थे उन सबको तो खिलाफत आन्दोलन के नेता मोहम्मद अली स्वीकार करने को तैयार थे ।<sup>४७</sup> लेकिन उनका कहना था कि अन्य समस्त क्षेत्रों में तुर्की का सुल्तान १९१४ ई० से पूर्व की स्थिति में रहना चाहिये । मोहम्मद अली ने तुर्की के सुल्तान (खलीफा) के समर्थन में "मुद्ई सुस्त गवाह चुस्त" वाली कहावत को मिट्ट कर दिखाया था । उन्होंने पेरिस में कहा था कि "यदि तुर्की के सुल्तान ने स्वयं अथवा उनकी ओर से किसी भी प्रतिनिधि ने सन्धि-पत्र (सन्ध को सन्धि) पर हस्ताक्षर कर दिये तो उन्हें (तुर्की के सुल्तान को) समझ लेना चाहिये कि वे खलीफा नहीं रह सकते और उन्हें खिलाफत की गद्दी से उतर जाना पड़ेगा ।"<sup>४८</sup> ६ जनवरी, १९२० ई० को दिल्ली में भाषण देते हुए उन्होंने कहा : "हम दोनों भाई तैयार हैं कि सरकार के छोटे में छोटे नौकर के पैरो में अपना सिर रख दें । इसमें हमारा कुछ अपमान नहीं है । मगर हम तैयार नहीं कि इस्लाम के सम्मान को अपमानित होता देखें । हम अपने घरों को छोड़ सकते हैं मगर खुदा के घर को दूसरों के अधिकार में देखने को तैयार नहीं हैं ।"<sup>४९</sup> १० जनवरी, १९२० को उन्होंने फिर कहा -

<sup>४६</sup> इफादात-ए-मोहम्मदअली, पृ० ६१ ।

<sup>४७</sup> २० अप्रैल, १९२० ई० को पेरिस में दिया गया भाषण : तकारिर, भाग १, पृ० २४ ।

<sup>४८</sup> यह भाषण पेरिस में प्राप्त की हिमायत-ए-उम्मात मस्यदा के तत्वाधान में दिया गया था । तकारिर, भाग १, पृ० ३३ ।

<sup>४९</sup> वही, पृ० ११ ।

“अब मुसलमान राजनीतिक विषयों को गौण और खिलाफत को मुख्य समझने लगे हैं। इबादत का अर्थ खुदा की दोस्ती है.....मुसलमानों, यदि तुमने खिलाफत को छो दिया तो अपने पैदा होने के उद्देश्य को ही समाप्त कर दिया..... मुसलमानों में कोई भी ऐसा निर्णय स्वीकृत नहीं हो सकता जो कुरान की आज्ञाओं से बाल बराबर भी कम हो।”<sup>५३</sup>

यूरोप में खिलाफत मण्डल के नेता के रूप में २० अप्रैल, १९२० को पेरिस में भाषण देते हुए उन्होंने कहा - “अब प्रायद्वीप में केवल इस्लामी राज्य ही और उस पर कोई उच्च अधिकारी अथवा निरीक्षक न हो और खलीफा पवित्र स्थानों का स्वामी बना रहे। हम जो भारत में आए हैं, जानते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अपने अधिकारों की सुरक्षा करना किस प्रकार सम्भव है क्योंकि हम स्वयं एक ऐसे ही समुदाय के सदस्य हैं। अपने अधिकारों की सुरक्षा कर लेने के पश्चात् हमने भारत की स्वतन्त्रता के लिये अपने देश-प्रेमियों के माथ-माथ प्रयत्न कर रहे हैं और आज हिन्दू, मुसलमान, पारसी सबके सब इस समस्या में सम्मिलित हैं जो केवल एक धार्मिक समस्या है अर्थात् खिलाफत की समस्या।”<sup>५४</sup>

आरम्भ में भारत के लिए स्वराज्य प्राप्ति खिलाफत आन्दोलन का भाग नहीं था। बाद में इसे जोड़ लिया गया था क्योंकि इसमें खिलाफत आन्दोलन के लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता मिलती थी।<sup>५५</sup> मोहम्मद अली ने भारत में भी अपने भाषणों में यह बात स्पष्ट कर दी थी कि वे भारत स्वतन्त्रता संग्राम के राष्ट्रीय आन्दोलन में क्यों सम्मिलित हुए थे। २० अक्टूबर, १९२० ई० को अमृतसर में बोलते हुए उन्होंने कहा - “मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि यदि तुम्हारे दिल में केवल इस्लाम के प्रति प्रेम है, और तुम देश प्रेम से खाली हो, और अपने पड़ोसी भाइयों से किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं रखते, अगर तुम्हें भारत से कुछ सम्बन्ध नहीं केवल अरब का राज्य और पवित्र स्थानों की काफिले में वाग लेना है, तो पहले भारत को स्वराज्य दिला दो”<sup>५६</sup>

१९२३ ई० में कांग्रेस अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनकी अंग्रेजी सरकार पर विश्वास करने की नीति को ठेस पहुँची। पश्चिमी देशों के मुसलमान राज्यों पर आक्रमण करने (ट्रिपोली तथा अल्बान युद्ध) में वर्तमान स्थिति में एक नया तत्त्व सम्मिलित हो गया। भारतीय मुसलमानों की भावनाओं पर इसका यह प्रभाव हुआ कि उनका ध्यान आन्तरिक विषयों से अल्पिक विदेशी विषयों पर केन्द्रित हो गया। विदेशी राज्यों में जब मुसलमानों के परम्परागत

५३. तकारीर, भाग १, पृ० १४-१५।

५४. वही, पृ० २४।

५५. वही, पृ० ४३।

५६. निगारिगात-ए-मोहम्मदअली, पृ० २३८।

विश्वासों पर चोट पड़ी तब वे भारतीय एकता की ओर उन्मुख हो गये।<sup>५७</sup> इसने मुसलमानों को "यह सोचने पर मजबूर किया कि वे बहुत कम त्याग करके अपनी पड़ोसी विरादरी से मैत्री सम्बन्ध, अपनी खोई हुई मोहब्बत और हमदर्दी प्राप्त कर सकते हैं।"<sup>५८</sup> मौलाना १९२६ ई० में हज्र ने लौटकर भारत आए थे। उस समय कराची में उन्होंने कहा कि भारत की स्वतन्त्रता के बिना इस्लाम की प्रगति असम्भव थी।<sup>५९</sup> १९२०-२१ में खिलाफत आन्दोलन के नेता असहयोग आन्दोलन के समर्थक थे। किन्तु १९२३ के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली १९२७-२८ तक केवल मुसलमानों के समर्थक कैसे बन गये? इस प्रश्न का साधारण उत्तर उन भाषणों में है जिनमें उन्होंने खिलाफत के स्वरूप की व्याख्या की थी तथा हिन्दुओं के साथ सहयोग और अंग्रेजों के साथ असहयोग की नीति का समर्थन किया था।

यदि खिलाफत आन्दोलन का उद्देश्य तुर्की सुल्तान और उसके खलीफा होने से ही सम्बन्धित था तब १९२३-२४ ई० के पश्चात् यह आन्दोलन समाप्त हो जाना चाहिये था क्योंकि तुर्की ने लोसान की सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये थे और तुर्की में सुल्तान को गद्दी से हटा दिया गया था तथा खिलाफत को सदा के लिये समाप्त कर दिया गया था। मोहम्मद अली का ऐसा न करना अर्थपूर्ण था। १९२४ ई० में मित्र की समस्या पर भारतीय मुसलमानों का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने लिखा था :

"यहाँ से कुछ हजार मील की दूरी पर एक देश है जिससे न हमारे व्यापारिक सम्बन्ध हैं न राजनीतिक सम्बन्ध। वहाँ एक घटना होती है। तुम इसे बिल्कुल भूल जाओ कि उनके समाचार पत्रों में तुम्हारा भी कोई अर्थान होना है या नहीं, उनको तुम्हारी स्थिति में कोई रुचि भी है या नहीं ..... किन्तु तुम्हें याद रखना चाहिये कि वे भी अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, हमारे भाई हैं, हमारे उनसे इसी भाँति सम्बन्ध हैं जैसे हमें अपने देश के मुसलमान भाईयों से ..... मिथी हमसे सम्बन्ध न रखते हों, सूडानियों को भी कोई मतलब न हो, लेकिन हमें उनसे सम्बन्ध और मतलब है"<sup>६०</sup> इस सम्बन्ध में न तो भारतीय मुसलमानों की सांसारिक प्रतिष्ठा का प्रश्न था न धार्मिक सम्मान का। यह केवल एक पक्षीय समर्थन एव सहानुभूति थी। १९२५ ई० में भी खिलाफत समिति द्वारा तुर्की की सहायता की जाती थी। उस समय मोहम्मद अली का कहना था कि तुर्की वालों ने "खिलाफत को टोपी अग्ने गने (सिर) से उतार

५७. अश्वशीन भाषण, पृ० ६३।

५८. वही, पृ० ७६।

५९. हमदर्दी, २ विजय्वर, १९२६ : मकालात-ए-मोहम्मदअली, भाग १, पृ० ३१६।

६०. मकानात, भाग १, पृ० २१-२२।

पर फेर दी संविधान सुझाव का मुक है कि इस्लाम का प्रयोग उनके मन में है।<sup>६१</sup> मोहम्मद अली के विभाजन आन्दोलन के आस्थापित कारणों का ज्ञान उन भागणों तथा लोगों में भी उपलब्ध होगा है जो १९०६ ई० में तुर्की में विभाजन के समाप्त कर दिये जाने के पश्चात् उन्होंने विभाजन संगठन को प्रवर्धित रखने के लिए दिये थे। विभाजन आन्दोलन १९२३ ई० के पश्चात् एक जन आन्दोलन नहीं रह गया था किन्तु मोहम्मद अली इस आन्दोलन के लिये प्रयत्नशील रहे। मोहम्मद अली का कहना था कि तुर्की जातों को विभाजन के समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं था और यदि उन्होंने विभाजन समाप्त भी कर दी तो हमें विभाजन के लिये आन्दोलन प्रवर्धित रखना चाहिए और उन्होंने पहले समय तक उसे समाप्त नहीं होने दिया।

मई १९२५ ई० में उन्होंने विचार था कि "इस्लाम के अस्तित्व रहने की एक ही स्थिति है और यह यह है कि इस्लाम का सम्बन्ध समस्त विश्व में स्थिर हो।<sup>६२</sup> यदि दिल्ली के मुसलमानों को मुगलानों के मुगलानों में कोई सम्बन्ध नहीं, यदि भारत के मुगलानों को तुर्की के मुगलानों में सम्बन्ध नहीं, यदि चीन के मुगलानों को मंगोलों के मुगलानों में सम्बन्ध नहीं, तो फिर हम सब सन्दूरे और दुमट्टे हैं। घात मरे वल दूगरा दिन न मुगलमान रहेगे न इस्लाम रहेगा।"<sup>६३</sup>

उसी समय में उन्होंने यह भी कहा "साध्यवस्था हम बात की है कि इस्लाम की पुरानी व्यवस्था १३०० वर्षों के पश्चात् नये विवेक में मोहम्मद की मस्जिदों में प्रारम्भ का जाये....."गोब, नगर, जिला, प्रान्त, देश और समस्त विश्व में प्रारम्भ से लेकर अन्त तक केवल एक ही व्यवस्था-स्थापित हो। वह व्यवस्था विन्नाक्त व्यवस्था है, और हमारी पूर्णतः सब विन्नाक्त कमेटी का कार्य....."<sup>६४</sup> विन्नाक्त समिति ने १९२५ ई० में अपने कार्यक्रमों को दिस्तुत करके भारत में मुगलानों के समस्त भारतीय क्षेत्र के बायों को उत्तरदायित्व ग्रहण कर दिया था। उसका लक्ष्य धार्मिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में मुगलानों को भलाई के लिये प्रयत्न करना था। उनके अनुसार तुर्की विन्नाक्त समाप्त हो जाने के पश्चात् भारत में एक 'जर्मियत विन्नाक्त' की स्थापना और अधिक आवश्यक हो गई थी क्योंकि उस विन्नाक्त समिति को भारत के मुगलानों की सेवा करनी थी।<sup>६५</sup> उन्होंने मुसलमानों को विन्नाक्त संगठन के प्रधान रहकर कार्य करने को कहा। इसी संगठन में मुसलमानों में धार्मिक प्रवृत्त स्थापित रने जाने की तथा नया जीवन प्रदान करने की सम्भावना थी। इसी के माध्यम से शक्ति प्राप्त की जा सकती थी तथा इस्लामी जगत् को विश्व

६१. महात्मा, भाग १, पृ० २८१। यह वाक्य एक सभा में बोलते हुए कहे थे जब उनके पुत्रा तथा दो विन्नाक्त समिति द्वारा तुर्की को सहायता को दी जाती थी जबकि पाकिस्तान का पर तुर्की ने समाप्त कर दिया था।

६२. महात्मा-ए-मोहम्मदअली, भाग १, पृ० ६२ (हमदद, १३-१६ मई १९२५)।

६३. महात्मा, भाग १, पृ० ५१।

६४. दूकदात-ए-मोहम्मदअली, पृ० २५-२७।

६५. दूकदात, पृ० ११८।

में शक्तिशाली बनाया जा सकता था।<sup>६४</sup> १९२६ ई० में मक्का-मदीना से लौटकर उन्होंने भारत के मुसलमानों को एक बार फिर विनाफ्त आन्दोलन की भाँति मंगठिन करने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि ऐसी ही व्यवस्था हेजाज इस्लामी सम्मेलन में हुई थी।<sup>६५</sup>

भारत के मुसलमान अल्पसंख्यक थे। उनकी इस हीन मनोवृत्ति को दूर करने का एक उपाय यह था कि उनका सम्बन्ध अन्य इस्लामी राज्यों के साथ जोड़ दिया जाय।<sup>६६</sup> मुसलमानों को अल्पसंख्यक होने से बचाने के लिये उन्हें समस्त इस्लामी जगत् से जोड़कर उन्हें ३० करोड़ जनसंख्या का एक अभिन्न भाग बताया गया था। इसी आधार पर उन्होंने आगे चलकर कहा था कि विश्व में ३०-४० करोड़ जनसंख्या वाली कौम अल्पसंख्यक नहीं कही जा सकती थी।<sup>६७</sup> इस सम्बन्ध को व्यक्त करके उगवा लक्ष्य इंग्लैण्ड सरकार पर दबाव डालना था जिससे भारत के मुसलमानों के उचित अधिकारों की सुरक्षा हो सके।<sup>६८</sup> उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके बड़े भाई शौकत खान ने कहा था, "भारत के मुसलमानों के लाभ के लिये भारत के अन्दर और बाहर मोहम्मद अली के प्रयत्न ऐसे थे जिनका परिणाम आज मिल रहा है।"<sup>६९</sup>

विनाफ्त आन्दोलन को संचालित करने का एक अन्य कारण यह भी था कि मोहम्मद अली मुसलमानों में राजनीतिक जागरण पैदा करना चाहते थे। १९२३ ई० में कांग्रेस अध्वक्षीय भाषण में उन्होंने कहा था कि १९११-२३ ई० के मध्य मुसलमानों ने भारत के बाहर मुस्लिम देशों की समस्याओं पर सोचना तथा विचार करना प्रारम्भ तो किया इससे कम से कम यह लाभ तो अवश्य हुआ कि मुसलमान राजनीति पर सोचने लगे थे।<sup>७०</sup> राजनीति के विषय में जागरूक करने के अतिरिक्त विनाफ्त समिति का यह कार्य भी था कि मुसलमानों का पृथक् अस्तित्व स्थापित हो सके। इस पृथक् अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिये १९२०-१९२१ ई०

६४. मकालात, भाग १, पृ० ३१४।

६६. मोहम्मदअली अलोगड़ और वाकमफोर्ड के पत्रे हुए थे। वे इस्लामी किताह के विद्वान थे। बन्दी रहने की अवधि में उन्होंने इस्लामी विधि तथा धर्म का अध्ययन किया था। इसी के फलस्वरूप मीलाना अब्दुल बारी फरगोमहन ने उन्हें मीलाना की उपाधि प्रदान की थी (हयात-ए-जौहर, पृ० १४३)।

६७. हयात-ए-जौहर, पृ० १४२।

६८. निगारिशात-ए-मोहम्मदअली, पृ० २६०।

६९. यह परिणाम सुरेन्द्र ही दिवारी पड़ा जबकि भारत सचिव मोनटेग्यू ने भारत के मुसलमानों की माँगों के समर्थन में भारत सरकार को एक बार भेजा था इसी बार के कारण बाद में उन्हें हयातपत्र भी देना पड़ा था। हयात, पृ० १४२; अध्वक्षीय भाषण, पृ० १२८।

७०. मकालात, भाग १, पृ० २८२ : शौकत अली द्वारा लिखित निबन्ध "अरज-ए-हात"।

७१. अध्वक्षीय भाषण, पृ० ६४।



में भी जबकि सिक्का और धनहयोग मान्योपन के कारण हिन्दू मुस्लिम गर्भावना बढ़ने अधिक थी मोहम्मद अली ने दम धार में बढ़ा कर अनुभव किया कि "हमारे ही प्रयत्नों से बहुत से स्थानों पर मुसलमान वादों में सम्मिलित होने से रोके जा सके।" १९२६ ई० में भी उन्होंने मुसलमानों से अनुरोध किया था कि वे गिलाफ्त समिति में ५ लाख सदस्य तथा ५० हजार रजाकार (स्वयं सेवक) घोर बढ़ावें। इस प्रकार उनके सगठित हो जाने में दूसरे लोग भी उनके पृथक् व्यक्तित्व को स्वीकार कर सके और उनके अधिकारों का सम्मान करेंगे। जिना इस प्रकार के पृथक् संगठन के उनकी स्थिति केवल घापीत लोगों जैसी ही रह जायगी।<sup>७२</sup>

मोहम्मद रिपोर्ट को अस्वीकृत कर देने के पश्चात् गिलाफ्त समिति का कार्य था कि यह "जीवन के प्रत्येक भाग में सुधार करे। मुसलमानों का नये विवेक में संगठन करे और सबसे बढ़कर यह कि उनमें एतना और धारम-विरथाग पैदा करे" तिलाफ्त समिति चाहती थी कि मुसलमान अपने पैरों पर खाय गये हों तथा उसका उद्देश्य था कि "जिम प्रकार गिलाफ्त समिति मुसलमान कोम को इंग्लैण्ड की दासता में रहने में मना करती है ठीक उसी प्रकार यह धानी कोम को दूसरे सम्प्रदाय का दाग बन जाने से भी रोकती है। यह स्वायत्तता की भूमी है किन्तु स्वामियों का परिवर्तन नहीं चाहती है।"<sup>७३</sup>

मोहम्मद अली का हिन्दुओं के प्रति दृष्टिकोण :

मोहम्मद अली द्वारा हिन्दू मुस्लिम एकता का समर्थन उन अवसरों पर किया गया था जहाँ उन्हें मुसलमानों के हितों के लिये हिन्दुओं के समर्थन से कुछ लाभ पहुँचाने की आशा थी अथवा अग्रजों पर अधिक दबाव डाला जा सकता था। १९२० ई० में पेरिस में भाषण देने समय उन्होंने गिलाफ्त के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा :

"हम यहाँ तुर्की का प्रतिनिधित्व करने नहीं आये हैं। हम केवल अपने और अपने देश अर्थात् भारत के प्रतिनिधि हैं। आज हिन्दू, मुसलमान, पारसी सबके सब इस समस्या में सम्मिलित हैं जो केवल एक धार्मिक समस्या है। मैं तीस करोड़ लोगों को और से आपसे कहता हूँ कि ये लोग इस सन्धि (सैत्र की सन्धि) को स्वीकार नहीं करेंगे।"<sup>७४</sup> उन्होंने आगे बताया कि अपने अधिकारों की सुरक्षा कर लेने के बाद भारत की स्वतन्त्रता के लिये भी मुसलमान प्रयत्नशील थे।<sup>७५</sup> यूरोप से लौटने के पश्चात् दम्बई में अक्टूबर १९२० में उन्होंने कहा था "वर्तमान स्थिति पर दृष्टि डालकर मैं इस स्पष्ट परिणाम पर पहुँचा हूँ कि इस्लाम की स्वतन्त्रता के

७२. गिलाफ्त, पृ० २७१।

७३. वही, पृ० २७०।

७४. तकारीर, पृ० २१।

७५. वही, पृ० २४-२५।

लिये भारत की स्वतन्त्रता अत्यन्त आवश्यक है। अधीन भारत की दाग जलना को दूसरी कौमो की स्वतन्त्रता समाप्त करने अथवा दाग बनाने के लिये प्रयोग किया जाता है। इसलिये मैं भारत के मुसलमानों को यह सूचना देना चाहता हूँ कि यदि वे इस्लाम की स्वतन्त्रता दिलाना चाहते हैं तो उन्हें अपने हिन्दू भाइयों के साथ मिल जाना चाहिए।<sup>७६</sup> इस प्रकार मोहम्मद अली ने इस्लाम की स्वतन्त्रता के लिये भारत में हिन्दुओं का सहयोग आवश्यक समझा था। इसमें यह बात निहित थी कि यदि उस लक्ष्य (इस्लाम की स्वतन्त्रता) के लिये कभी हिन्दुओं का विरोध भी आवश्यक हुआ तो किया जायेगा। १९२७-३० ई० की अवधि के उनके विभिन्न लेखों तथा भाषणों में इसके पर्याप्त उदाहरण तथा प्रमाण मिलते हैं। हिन्दू-मुस्लिम एकता का वर्णन विवशना और विवल्प विहीनता की स्थिति में भी किया जाता था। अपने १९२७ ई० के एक लेख में उन्होंने कहा था "बोम्बर और इंग्लैण्ड में आपसी मेल सरल था। वेद है कि आज हिन्दू और मुसलमान में मेल देखने में अधिक कठिन दिखाई पड़ता है।"<sup>७७</sup> आगे चलकर उन्होंने लिखा था—

"सात करोड़ मुसलमानों के पूर्वजों की शताब्दियों तक प्रभुत्व और अधिकार उपलब्ध रहा..... यदि वे २२ करोड़ हिन्दुओं का नाश भी कर सकते थे तो अपनी प्रधानता के समय में कर सकते होंगे। आज तो उनके बम की यह बात नहीं। फिर जब दोनों को इसी देश में रहना है तो क्या यह अधिक अच्छा होगा कि दोनों एक-दूसरे से लड़ते रहे और नीसरे की दासता करें।"<sup>७८</sup>

प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् सरकार पर निर्भरता तथा उसके साथ सहयोग मौलाना की अस्मिन् प्रतीय होना था, क्योंकि इस नीति के दृढ़ परिणाम बल्कान और ट्रिपोली युद्ध तथा बंगाल विभाजन की समाप्ति हुए थे। इस नीति को छोड़कर एक विकल्प अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करना था किन्तु यह अत्यन्त खतरनाक प्रतीत हुआ और छोड़ दिया गया। गांधीजी अमहयोग आन्दोलन समाप्त कर चुके थे। इसलिये मोहम्मद अली बड़े असमंजस में थे। १९२३ ई० में अमहयोग की नीति त्याग करके अंग्रेज सरकार पर निर्भर रहने का विकल्प उन्हें अपनी दो वर्ष पूर्व की नीति का अत्यन्त लज्जाजनक विरोध दिखाई पड़ा। लीमानकी सन्धि हो चुकी थी। इस पर भी यह सम्भव था कि वे अमहयोग की नीति शायद छोड़ देते लेकिन उन्हें यह लगा कि यह अत्यन्त हास्यास्पद होगा कि भारत के मुसलमान एक ओर तो

७६. त्तारीर, पृ० ४०, मोहम्मदअली ने १९२३ ई० में अपने अध्यायीय भाषण में कहा था कि युद्ध के समय में उन्हें इस बात से अत्यधिक कष्ट हुआ था कि भारत के मुसलमानों को यूरोप में तुर्की के मुसलमानों के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा गया था और इसीलिये उसने सरकार से अमहयोग की नीति अपनाई थी (अध्यायीय भाषण, पृ० १०८-११०)।

७७. साइमन कमिशन पर लेख, इकबाल, पृ० १३०।

७८. वही, पृ० १३१।

तुर्कों और धरमों की स्वाभिमता के इतने अधिक समर्थक थे और दूसरी ओर धर्मों की स्वाभिमता के लिये इतने प्रयत्नशील।<sup>७४</sup> इसलिए विद्यमान और विद्यमान प्रभाव में और मुसलमानों के साथ सहयोग की नीति अपनाई गई थी।<sup>७५</sup> हिन्दुओं के प्रति मोहम्मद खली ने अपनी भावनाओं को उम्र समय व्यक्त किया था जब उन्हें हिन्दुओं के राजनीतिक सहयोग की आवश्यकता नहीं रह गई थी।

अपने सम्प्रदाय के हितों की सुरक्षा तथा उन्हें प्राथमिक करने के लिये समर्थ संचालन की नीति के प्रतिपादन में मोहम्मद खली एक दूरदर्शिनिक थे। उन्होंने किया था "तुम एक ही समय में समस्त विश्व में नहीं लड़ सकते। सब शत्रुओं में से एक को छोट सो....." जो तुम्हारे शत्रुओं में सबसे अधिक शक्तिशाली हो जो तुम्हें अधिक से अधिक डराये हुए हो और यदि हो सके तो उसके विरुद्ध दूसरों को अपना मित्र बनाओ..... यदि एक भी तुम्हारी योजना में प्रभावित होकर तुम्हारा मित्र न बन सके तो भी युद्ध के प्रत्येक मोर्चे पर समान शक्ति न लगामो। उस मोर्चे पर जहाँ युद्ध का निर्णय होने वाला है पूरी शक्ति लगाओ, दूसरे स्थानों पर धैर्य से बाम लो। जब युद्ध के सत्रण बड़े मोर्चे पर विजय प्राप्त हो जाए तो दूसरे मोर्चों पर स्वयं ही विजय प्राप्त हो जाएगी। उस समय प्रत्येक शत्रु में दिन लौनकर बढ़ना ले लेना....." यह (शक्तिशाली) शत्रु हिन्दू नहीं है। हम बेतारों की चीड़-घुप तो समुद्र के किनारे तक है। जो मसाले काले पानी के उम्र और है उसमें हमें बसा सम्बन्ध। यह तो गूलर का भुगा है जिसका समस्त समार इगी गूलर में सीमित है। सब कहो क्या तुम उम्रगे डरे हुए हो।"

"रेल के किसी टिकट में ६-७ हिन्दू हों और उनमें तुम भी जाकर बैठ जाओ तो क्या तुम्हें उतने डर लगेगा। यद्यथा तो उन्हीं को तुमने डर लगाता है..... यदि आज हिन्दू तुम पर अन्याय करते हैं.....तो यह भी इसलिए कि सरकार तुम्हारी और तुम्हारे अधिकारों की सुरक्षा में कम प्रयत्नशील है.....यदि अश्रेष्ठ बीच में न कूद पड़े तो तुम अब भी इतने भुगत ले सकते हो....." एक स्थान पर भी तो आज दिन तक दिन भर लड़ाई न होने पाई।<sup>७६</sup> फरवरी १६२७ ई० में उन्होंने हिन्दू बहुसंख्यकों की तुलना एक टिड्डी दल से की थी। इतना ही नहीं बल्कि इतिहास से विभिन्न उदाहरण भी व्यंगपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किये जाते थे। हिन्दुओं को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जबतक तुम मुसलमानों का सहयोग प्राप्त न कर लोगे उस समय तक भारत को स्वतन्त्र न करा सकोगे। मुसलमानों को भ्रष्टान करने का अवसर मोहम्मद बिनकासिम से लेकर अहमदशाह अफगानी तक उपलब्ध

७४, अध्यायीय भाषण, पृ० १३६।

७५, वही, पृ० १२७।

७६, हमदर्द, २१ अगस्त, १६२७ : मजाहीन, भाग २, पृ० ४६४-४६६। मवाईशाव-ए-मोहम्मदखली, पृ० १०-६०।



मोहम्मद अली और मुसलमानों के राजनीतिक हित :

मोहम्मद अली की मुसलमानों के हितों की कल्पना अत्यन्त मिश्रित थी। यह कल्पना भारत में निर्वाचित प्रशासकी और उचित प्रतिनिधित्व के तत्कार मार्ग इस्लामी जगत् के हितों तक फैली हुई थी। उन्होंने ब्रितान्त शासन के समय दो धेरों के गिह्त को मुसलमानों के हितों का सूचक बनाया था। इन दोनों धेरों के केंद्र बिन्दु अलग-अलग थे। एक धेरा इस्लाम का धा और दूसरा हिन्दुस्लान का था। इस दोहरेण का इच्छानुसार प्रयोग किया जा सकता था। इस दोहरेण का धर्म साष्ट करते हुए मोहम्मद अली ने लिखा था कि भारतीय मुसलमान गिनाप्त सगठन में पूरी तरह सहयोग दें। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया और केवल हिन्दुओं से नौरुतियों और भेम्बरुतियों के लिए लड़ने तक सीमित रह गए तो वे केवल यौम के मुसलमान रह जायेंगे, धर्म के मुसलमान न रहेंगे।<sup>१७</sup> दूसरे जगत् में "यौम" के मुसलमान होने से उनका हिन्दुओं से लड़ने भगदते रहना उचित था तथा धर्म के मुसलमान होने से उन्हें ब्रितान्त तथा अन्य बायों के लिये प्रयत्न करते रहना चाहिए था।

मोहम्मद अली द्वारा प्रतिपादित मुसलमानों का यह दोहरा उत्तरदायित्व स्मरणीय है। इस दोहरे उत्तरदायित्व के कारण वे ब्रिती भी वर्ग में स्थिर नहीं रह सके। उनकी ब्रितान्त की कल्पना सामान्य मुसलमान से भिन्न थी, इसलिए १६२४ ई० के पश्चात् वे प्रायः अकेले पड गए। १६२५ ई० से १६३० ई० तक विभिन्न मुस्लिम सगठनों में उनका संघर्ष होता रहा। मुस्लिम लीग स्थापकों में तथा १६१७ ई० में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष होने के बाद भी वे मुस्लिम लीग का विरोध करते रहे।

उनकी मुस्लिम हितों की कल्पना में एक तत्व और जुडा हुआ था। वह तत्व था यह विचार कि सात करोड मुसलमानों के पूर्वजों की सदियों तक भारत में प्रभुत्व और अधिकार उपलब्ध रहा था।<sup>१८</sup> १६२६ ई० के आरम्भ में उन्होंने यह साष्ट कर दिया था कि मुसलमान केवल उन लोगों के साथ अपने भाग्य को जुडा हुआ समझ सकते थे जो देश के प्रबन्ध में मुसलमानों को स्वतन्त्र तथा बराबर के साभीदार स्वीकार करते हो। मरने से चार दिन पूर्व उन्होंने लिखा था कि "भारत में मुसलमानों के प्रश्न को अल्पसंख्यकों का प्रश्न कहना भी गलत है"<sup>१९</sup> क्योंकि मुसलमान भारत पर आठवीं सदी के आरम्भ से १६वीं सदी के मध्य तक किसी न किसी रूप

१७. मकालात, भाग १, पृ० ५५।

१८. इफादात-ए-मोहम्मदअली, पृ० १३१ (हमदरी, १५-१६ नवम्बर, १६२०) मोहम्मदअली ने साइमन कमिशन पर एक निबन्ध लिखा था।

१९. मोहम्मदअली ने १६२० ई० में मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा था और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिये बहुसंख्यकों के साथ समता की बात कही थी अब वह बात बदल चुकी थी।

में और किसी न किसी भाग में राज्य करते रहे। इतने लम्बे समय तक किसी अन्य कौम ने भारत में राज्य नहीं किया।" मुसलमानों के हितों की वास्तविक समस्या यह थी कि वे लोग जो हजार वर्षों से समस्त हिन्दुओं के भाग्य का फैसला अपने हाथ में रख चुके थे अब नहीं चाहते थे कि कोई अन्य बहुमत (हिन्दू अथवा हिन्दुस्तानी) ऐसा हो जिसको वे उसी प्रकार अपने नियन्त्रण के अधीन न रख सकें जैसा कि हजारों वर्षों तक रख चुके हैं।<sup>६०</sup> मोहम्मद अली का यह भी तर्क था कि मुसलमानों का भारत पर इतने लम्बे समय तक नियन्त्रण रहा कि हिन्दुओं और अन्य कौमों के दिलों में मुसलमानों में प्रतिशोध लेने की भावना विद्यमान रही। इस प्रतिशोध की भावना के विरुद्ध मुसलमानों को सुरक्षा व्यवस्था करनी आवश्यक थी।<sup>६१</sup>

वास्तविक समस्या जिसका वे हल सोचना चाहते थे यह नहीं थी कि मुसलमान सदस्यों एवं प्रतिनिधियों को कौन निर्वाचित करे—केवल मुसलमान अथवा हिन्दू मुसलमान सम्मिलित रूप से। बल्कि वास्तविक समस्या यह थी कि "जिस देश में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और हिन्दू बहुसंख्यक और दोनों सम्प्रदायों (मिललतों) की मनोवृत्ति ऐसी हो कि एक सम्प्रदाय दूसरे को अपना शत्रु समझे और हिन्दू बहुमत की न्यायप्रियता और सहनशीलता पर मुसलमान अल्पसंख्यकों को विश्वास भी भरोसा न हो, किन्तु निर्णय प्रत्येक विषय में बहुमत के अनुसार ही किया जाए तब मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार हो सकती है।"<sup>६२</sup>

मुसलमानों को ऐसी योजना बनानी चाहिए कि वे अपने-आपको न तो हिन्दू बहुसंख्यकों की कृपा पर छोड़ें और न अंग्रेजी सरकार की कर्मचारियों और उनके मनोनीत प्रतिनिधियों की घटना हुई अल्पसंख्या की कृपा पर।<sup>६३</sup> अंग्रेजों पर निर्भर रहने की नीति इसलिए छोड़ देनी पड़ी कि ये दोनों अल्पसंख्यक मिलकर भी हिन्दू बहुमत को हरा नहीं सकेंगे तथा अंग्रेज मनोनीत सदस्यों की संख्या निरन्तर घटती जाएगी। दूसरे इस निर्भरता का अंग्रेज लोग भारी मूल्य माँगते थे। यह मूल्य था अंग्रेज नीति का प्रत्येक अवसर पर समर्थन।<sup>६४</sup>

६०. निवारिशान, पृ० २६१-२६२।

६१. निवारिशान, पृ० २८६, मोहम्मदअली का अन्तिम परामर्श।

६२. मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के तीन चरण : हमदर्द, १८ अगस्त, १९२७। मजामीन मोहम्मदअली, भाग २, पृ० १३७-१३८।

६३. मजामीन, भाग २, पृ० १५२-१५६। मोहम्मदअली जिस समय हिन्दुओं पर उपरोक्त आक्षेप लगा रहे थे उगी समय वह यह भी कहते थे कि अंग्रेज सरकार के समर्थक मुसलमान उनको हिन्दुओं की पूजा करने वाला कहते थे।

६४. मजामीन, भाग २, पृ० १६२-१६३।

१९२३ ई० में कांग्रेस मंच से भाषण करते हुए उन्होंने अपने-आपको साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति के विरुद्ध और क्षेत्रीय आधार पर मम्मिलित निर्वाचन प्रणाली के पक्ष में घोषित किया था।<sup>६५</sup> लेकिन १९२६ ई० में उन्होंने यह कहा कि यदि साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली न होती तो आज कोई मुसलमान किसी ऐसे क्षेत्र से चुना ही नहीं जा सकता था जहाँ पर ५०% में अधिक मुस्लिम मतदाना न होते।

२०, मार्च १९२७ ई० को दिल्ली में विभिन्न मुसलमान नेताओं का एक सम्मेलन हुआ जिसमें ३५ व्यक्ति उपस्थित थे। पारस्परिक विचारविमर्श से मुसलमानों के हितों की सुरक्षा की एक योजना तैयार की गई थी। इस योजना के तीन मुख्य अंग थे।

(१) प्रत्येक सम्प्रदाय को धार्मिक स्वतन्त्रता उपलब्ध हो।

(२) कोई भी नियम एक सम्प्रदाय के बहुमत से पास न किया जाय। प्रत्येक अल्पसंख्यक सम्प्रदाय को यह अधिकार होना चाहिये कि यदि वह नियम उसके हितों के विरुद्ध हो तो वह नियम स्थगित कर दिया जाए।

(३) यदि हिन्दू यह चाहते थे कि मुस्लिम अल्पसंख्यक कुछ बड़े प्रान्तों में उनके बहुमत पर छोड़ दिये जायें तो उन्हें इस बात पर सहमत हो जाना चाहिये कि बंगाल और पंजाब में भी उनकी बड़ी अल्पसंख्या और सिन्ध, (मुसलमानों ने सिन्ध को बम्बई प्रान्त से प्रयत्न करने की मांग प्रस्तुत की थी) बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त में उनकी छोटी अल्पसंख्या मुस्लिम बहुमत की कृपा पर छोड़ दी जाय। अगर वे हमारे साथ उचित अथवा अनुचित व्यवहार करेंगे तो उन्हें 'जैसे को तैसा' के आधार पर सदा उत्तर मिलता रहेगा।<sup>६६</sup>

इस स्थिति में मुसलमानों की अल्पसंख्या के लिये केवल वे ही अधिकार पर्याप्त होंगे जो हिन्दू अपने अल्पसंख्यकों के लिये चाहते थे। यदि हिन्दू बहुमत वाले प्रान्तों में मुसलमान अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किये गये तो मुसलमान भी पाँच प्रान्तों में हिन्दू अल्पसंख्यकों द्वारा उसे दूर करवा सकेंगे।<sup>६७</sup>

मुसलमानों के हितों की ऐसी योजना बना लेने के पश्चात् यह स्वाभाविक ही था कि मोहम्मदजली को १९१६ का लखनऊ सम्मेलन बिल्कुल फीका दिखाई पड़ता। उन्होंने लखनऊ सम्मेलन की तीव्र आलोचना आरम्भ की। मार्च १९२७ ई० के पश्चात् मोहम्मदजली इस दिल्ली योजना के न्यायोचित होने का अत्यधिक

६५ अख्यसीय भाषण, पृ० १५८-१५९।

६६ मजामीन, भाग २, पृ० १५४-१५६।

६७ निगारिशात-ए-मोहम्मदजली, पृ० २६८।

प्रचार करने लगे। उनके अनुसार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का सबसे अच्छा उपाय यही था कि एक ही सम्प्रदाय प्रत्येक स्थान पर अल्पसंख्यक न रहे, कहीं एक सम्प्रदाय अल्पसंख्या में हो और कहीं दूसरा।<sup>१८८</sup> अप्रैल १९२८ ई० में उन्होंने अपना सन्देश (पंजाब) यह बताया कि भारत अब एक चरण भी अधिक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि दिल्ली प्रस्ताव स्वीकार न कर लिया जाए और उन्हीं के अनुसार भारत का मविधान न बनाया जाये। कृत्तिल दलीय सम्मेलन में भी मुसलमानों के विरोध का सार यह था कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनिश्चित अन्य किसी आधार पर नया मविधान नहीं बन सकता था।

इसी सम्मेलन को दूसरे शब्दों में व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उन प्रान्तों में जहाँ मुसलमान थोड़े भी बहुसंख्यक हैं उनको पूरे अधिकार दिये जाएँ और जहाँ वे अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। उनके अनुसार मिकवाँ ने अपने इस्लामी शासनकाल में पंजाब में इतनी अधिक भूमि पर अधिकार कर लिया था कि उन्हें किसी अधिक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। बंगाल अथवा पंजाब में अल्पसंख्यक हिन्दू वर्ग अत्यधिक संगठित और राजनीतिक दृष्टि में बहुत शक्तिशाली, शिक्षित एवं धनी था। उनके लिये अधिक प्रतिनिधित्व का तर्क भूटा और बेकार था।

१९२७ ई० के दिल्ली प्रस्तावों को पारित करने के पश्चात् यह आवश्यक था कि मुसलमानों को सामूहिक रूप में संगठित किया जाए। १९२८ ई० में नेहरू रिपोर्ट ने उन प्रस्तावों को दृष्टीगत कर दिया था। इसलिए मोहम्मद अली खासरी मतभेदों को समाप्त करके इस बात के इच्छुक थे कि मुसलमानों का एक कौमी संगठन हो जाए। मार्च १९२९ ई० को उन्होंने जिन्ना से बैठ करके उन्हें इस बात पर सहमत किया कि लीग के दोनों दलों को एकसाथ फिर संगठित कर लिया जाए।<sup>१८९</sup> इनकी आपस की पूट के पल्लवस्वरूप मुसलमानों का राजनीतिक मूल्य बहुत गिर चुका था। जिन्ना भी इस समय तक नेहरू रिपोर्ट को मुसलमानों के लिये अपर्याप्त समझने लगे थे। मार्च १९२७ ई० के निर्णय में जिन्ना सम्मिलित नहीं थे।<sup>१९०</sup>

मोहम्मद अली ने जिन्ना को यह सुभाव दिया था कि प्रत्येक मुसलमान को मुस्लिम लीग का सदस्य बनने का अधिकार होना चाहिए जिन्ने मुस्लिम लीग का निर्णय मारी इस्लामी मित्तलत का निर्णय समझा जाए। मुस्लिम लीग के निर्गम केवल एक विशिष्ट दल के निर्णय द्वारा करते थे और दूसरा दल उसका घोर विरोधी

१८८ निगारिगाल-ए-मोहम्मदअली, पृ० ३००-३०५।

१८९ साइमन कमीशन के प्रति इच्छिक्केण में मतभेद होने के फलस्वरूप मुस्लिम लीग दो दलों में विभाजित हो चुकी थी—एक दल जिन्ना और दूसरा सर मोहम्मद शाफी के नेतृत्व में था।

१९०. हमदर्द, ५ मार्च, १९२९, (सत्रासीन भाग २, पृ० २५३)।



रहता था। मुसलमानों की इस फूट के कारण उनका सही प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता था। जिन्ना ने भी मुस्लिम लीग के निर्णय को इस्लामी मिल्ला का निर्णय उस समय तक मानने से इन्कार किया जब तक कि अन्य इस्लामी गंगठन भी इसे स्वीकार न कर लें।<sup>१०१</sup>

२०-२१ मार्च, १९२६ ई० को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ किन्तु इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग की आन्तरिक दलबन्दी अधिक विस्तृत रूप में प्रकट हुई। और व्यावहारिक रूप में मुस्लिम लीग का महत्त्व कुछ वर्षों के लिये समाप्त हो गया।<sup>१०२</sup>

मोहम्मदअली और मिल्लत :

२०वीं शताब्दी के आरम्भ में राष्ट्रीय कांग्रेस इस बात का प्रयत्न कर रही थी कि भारत में कौम की यह कल्पना लोकप्रिय सिद्ध हो जाय जो यूरोपीय देशों में ध्याप्त थी अर्थात् एक देश के रहने वाले अपने-आपको एक कौम के सदस्य समझें। १९१६-२१ ई० के मध्य तिलाकृत के प्रश्न को इसीलिए राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ जोड़ा गया था कि हिन्दू तथा मुसलमान दोनों सम्प्रदाय राजनीतिक सघर्ष में एक दूसरे के साथ रहे, किन्तु मोहम्मदअली ने 'मिल्लत दोस्ती' का विचार प्रतिपादित किया। यह विचार मुसलमानों को भारतीय कौम में सम्मिलित होने से रोकने में बहुत सीमा तक सफल हुआ। इस विचार की पूरी व्याख्या मोहम्मद इकबाल ने की थी। "मिल्लत दोस्ती" और "वतन दोस्ती" तथा "कौम परवरी" यह तीन ऐसे शब्द हैं जिनका मुस्लिम नेताओं के भाषणों में बहुत बार बर्णन आता है। "कौम परवरी" का अर्थ है कौमियन (नेशनलिज्म) के विचार का समर्थन। वतन दोस्ती का अर्थ है देशप्रेम।

१९२३ ई० में राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य से मोहम्मदअली ने देशभक्ति और कौमियत के उस विचार की निन्दा की थी जो जापान में प्रचलित था। इसके विपरीत वे केवल एक धार्मिक समझौता चाहते थे।<sup>१०३</sup> वे भारतीय समस्याओं को प्रायः अन्तर्राष्ट्रीय नहीं मानते थे, लेकिन जब यूरोप के राजनीतिक कौमियत से प्रभावित होकर भी अपना प्रभाव इटली के पुराने नगर वोलोना तक स्थापित करना चाहते थे तो उनके अनुसार भारतीय कौमियत से भी निराश नहीं होना चाहिए था। उनका विचार था कि वे भारत में समस्त यूरोप की एकता से पहले एकता प्राप्त कर लेंगे।

मोहम्मदअली के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकने के पश्चात् उनका 'मिल्लत परस्ती' की प्रशंसा करना और देशभक्ति तथा राष्ट्रीयता की निन्दा करना अत्यन्त आश्चर्यजनक लगा। विवश होकर मोहम्मदअली ने आत्म रक्षा में वास्तविकता कही।

१०१. वही।

१०२. हमदर्द, ३ अप्रेल, १९२६. महाभारत, भाग २, पृ० २६१-२७३।

१०३. अध्यायीय भाषण, पृ० ६२।

मोहम्मद अली १९०६ ई० में मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक थे। १९१७ ई० में वे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष चुने गये थे लेकिन जेल में बन्द होने के कारण वे अध्यक्षता नहीं कर सके जिसका उन्हें जीवन भर अफसोस रहा। सबसे प्रथम पद जो समस्त जीवन में उन्हें उपलब्ध हुआ और जिसका निर्णय उनके बन्दी रहने की अवधि में ही बिना उनकी अनुमति और सूचना के कर लिया गया था। वह इण्डियन नेशनल कांग्रेस की १९२३ ई० के अध्यक्ष का था। वे पद ग्रहण करने में इन्कार कर सकते थे लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने ऐसा न किया। इसके परचाएँ उनके लिये और भी अधिक कठिन हो गयी कि उनका कोई कबन अथवा कार्य देश भक्ति की भावना के विरुद्ध हो सके।<sup>१०४</sup>

अगस्त १९२५ ई० में लाहौर में भाषण देने हुए उन्होंने कहा कि 'मुसलमान .... एक विरादरी, एक जाति तथा एक कौम हैं।'<sup>१०५</sup> फरवरी १९२६ ई० में उन्होंने कहा—“मुसलमान..... यदि उन्नति कर सकते हैं तो केवल उसी स्थिति में कि वे अपने धर्म की ओर फिर लौट आए।”<sup>१०६</sup>

१९२६ ई० में 'हमदर्द' में लिखते हुए मोहम्मदअली ने देशप्रेम को बहुत तुच्छ और धर्म के प्रति प्रेम और निष्ठा को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बताया था। उनके इस विचार से, उन्हें स्वयं यह आशंका थी, कि देशप्रेम की थोड़ी बहुत प्रगति जो हो रही थी वह भी समाप्त हो जायगी।<sup>१०७</sup> मोहम्मद अली ने अपनी आत्मरक्षा में यह स्वीकार किया था कि धर्म-प्रेम की भावना भी उनमें बहुत अधिक विकसित नहीं थी। इसलिए धर्म प्रेम को बढ़ाने में देशप्रेम में बाधा नहीं उत्पन्न होगी।

मोहम्मद अली बतन दोस्त नहीं थे। इकबाल की प्रसिद्ध कविता “मारे जहाँ में अच्छा हिन्दोस्तां हमार” पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे निकट हिन्दुस्तान 'सारे जहाँ से अच्छा' नहीं था।<sup>१०८</sup> एक अन्य लेख में उन्होंने लिखा कि मैं आजकल की राजनीतिक कौमियन के विचार का विरोधी हूँ और इकबाल की एक दूसरी कविता के एक पद को अपना लक्ष्य बनाया था :

“चीन व अरब हमार, हिन्दोस्तां हमार,

मुस्लिम हैं हम बतन है मारा जहाँ हमार”<sup>१०९</sup>

१०४. हमदर्द, ३१ अक्टूबर १९२६ (मजामीन, भाग २, पृ० २२) मोहम्मदअली ने अपना यह तर्क अपने एक लेख पर भी गई आशंका के उगार में दिया था उनका निरुद्ध “इण्डियन नेशनल युनियन” पर था और वे अपने आलोचक से उनके विचारों को एक महीने तक पढ़ने की अनुमति चाहते थे।

१०५. हमदर्द, २ नवम्बर १९२५, (मजालात, भाग १, पृ० ७६)।

१०६. हमदर्द, १७-१८ फरवरी १९२६, (मजालात, भाग १, पृ० २१६)।

१०७. हमदर्द, ३१ अक्टूबर १९२६, (मजामीन, भाग २, पृ० २०)।

१०८. हमदर्द, १७ अगस्त १९२७, (मजामीन, भाग २, पृ० ४४२)।

१०९. हमदर्द, १९ अगस्त १९२७, (मजामीन, भाग २, पृ० १-४६०)।

१९३० ई० में मोहम्मद मम्मूदन में बोली हुई उन्होंने एक मुसलमान की भाँति कहा : "मुदा ने मनुष्यों को बनाया और जानान ने बीबी को। कोमिया का गिज़ाना मनुष्यों को एक दूंगे में धाँस कर देना है किन्तु पाकिस्तान मनुष्यों को एक दूंगे में सम्मिलित करती है।"<sup>११०</sup>

मोहम्मद अली जिन्ना का विचारधारा से प्रभावित थे। इस विचारधारा का एक प्रमुख धर्म धर्मों के प्रति भक्ति एवं निष्ठा का प्रचार था। मोहम्मद अली धार्मिक धार्मिक धर्मों में प्रभावित होने के कारण इस नीति को मनुष्य के रूप में नहीं निभा सके और जानान मस्जिद तथा गुर्बी मस्जिद पर वे धर्म विरोधी लोगों के विगने पर बाध्य हुए। इस प्रकार १९२०-२१ ई० में निम्नान्त आन्दोलन के नेता, तथा १९२३ ई० में कश्मीर के अन्ध तथा मुसलमानों के मित्र निम्नान्त (१९०६) को आजादी के बहने जाने मोहम्मद अली के विरुद्ध में मामला. धर्म विरोधी होने की बात कही जाती है। इस विचारधारा की पुष्टि उनके १९३० ई० में दिये गये भाषण में होती है जिसमें वे भारत के निम्नान्त स्वातंत्र्य पाहने में और गुलाब देव की अर्थात् एक अन्ध स्वतंत्र्य देव में मृत्यु को धार्मिक अन्धता समझते थे। यह ठीक नहीं है जैसा ऊपर बताया जा चुका है।

यान्त्रिक में मोहम्मद अली बड़े भारी धर्मवादी थे। १९१४ ई० में उन्होंने किया था, "हमने उपरोक्त घटनाओं (बस्वान तथा डिपोली युद्ध) का अध्ययन करके इस विचार को सबसे अधिक महत्वपूर्ण पाया है कि हमारे अपने बीबी व सामूहिक जीवन की मृत्यु वर्तमान स्थिति में इंग्लैंड के प्रगतिशील के अधीन रहना आवश्यक है। यह देखकर कि इंग्लैंड ने हमारे साथ जो मुद्दों की हैं उनमें कहीं अधिक उनके अहसान हैं, हम ईमानदारी तथा अन्ध नियम से उनके प्रति भक्त रहेंगे।"<sup>१११</sup>

१९२० ई० में जेल में छूटने के पश्चात् उन्होंने कहा "हम भूलते हैं कि हमें कैद किया गया था.....हम दोनों भाई तैयार हैं कि सरकार के सुन्दर में सुन्दर गौरी के बदलों में अन्धता तर रग दें। इसमें हमारा कुछ अन्धता नहीं है।"<sup>११२</sup>

१९२३ ई० में भी उन्होंने अपने पुराने विचारों की पुष्टि करते हुए उन्हें दोहराया था—"हम.....कह सकते हैं कि हमें इंग्लैंड की आवश्यकता है। हमारी वर्तमान साम्प्रदायिक और कौमी अन्धता के समय उत्तम निरीक्षण तथा प्रथम आवश्यक है। हम स्वतंत्र लोगों की भाँति उनके प्रति भक्त रहेंगे और हृदय से उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे.... यदि तुर्की से युद्ध भी आरम्भ होगा तब भी भारतीय मुसलमानों की भक्ति स्थिर रहेगी और जब वास्तविक युद्ध भी आरम्भ भी हो गया तो यह भक्ति समाप्त नहीं हुई।"<sup>११३</sup>

११०. हयात-ए-जौहर, पृ० १११।

१११. हयात-ए-जौहर, पृ० ११। (कामरेड में, १२ अगस्त १९१४ को छे पेट से उद्धरण)।

११२. तबरी, पृ० ११, दिल्ली में ६ जनवरी, १९२० को दिया गया भाषण।

११३. अध्यात्मिक भाषण, पृ० ८३।

१९३० ई० में उन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया था कि—“मैंने अपना राजनीतिक मिद्धान्त परिवर्तित कर लिया है। मैं पहले सरकार का विरोधी था लेकिन अब मैं अपने देश का द्रोही हूँ और अब मैं सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं “शंतान” के साथ भी मिलकर कार्य कर सकता हूँ यदि खुदा के मार्ग में काम करना हो।”<sup>११४</sup>

मोहम्मद अली ने अंग्रेजी सरकार की भेदनीति को भी समयानुसार व्यक्त किया था। १९२३ ई० में उन्होंने मुसलमानों के राजनीति में प्रवेश के सम्बन्ध में कहा—“मुसलमान राजनीति में प्रविष्ट नहीं हुए, मुसलमान कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हुए। मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जनता का साथ नहीं दिया और अपने देश के हिन्दू भाईयों का भी साथ नहीं दिया; किन्तु जो पग भी उन्होंने उठाया यूँ ही उठाया। बहुत ही आहिस्ता और अनमने ढंग से आगे बढ़ाया। केवल परिस्थितियों से विवश होकर और तत्कालीन स्थिति में प्रभावित होकर उन्होंने ऐसा किया।”<sup>११५</sup> इसी भाषण में उन्होंने १९०६ ई० के मुसलमानों के शिमला शिष्टमण्डल को “आज्ञापालन” कहा था,<sup>११६</sup> तथा यह भी स्वीकार किया था कि अंग्रेजों ने “हिन्दू भाईयों से लड़ने के बिये हमें बिल्लियों की भाँति प्रयोग करके हमारे नाखून और पंजों में लाभ उठाया।”<sup>११७</sup>

अंग्रेजों की इसी भेद नीति को दूसरी प्रकार भी उन्होंने प्रकट किया था और हिन्दुओं को इस नीति का भागी बताया था। उनके अनुसार “एक समय था कि अंग्रेजी सरकार मुसलमानों से डरती थी। उसे यह मन्देह रहता था कि मुसलमान मदियों ने इस देश में राजपाट के स्वामी रहे थे फिर एक बार यदि वे भगड़ा लेकर उठ खड़े हुए और अपनी खोई हुई पूँजी पुनः प्राप्त कर लेने के लिए प्रयत्न किया तो बहुत कठिनाई हो जायगी। लेकिन अंग्रेजों ने शीघ्र ही यह अनुभव कर लिया कि अगर हिन्दू जो मुसलमानों से संख्या में तीन गुने या चार गुने अधिक हैं उनके विरुद्ध खड़े किये जा सकने से तो मुसलमानों को फिर और किसी के विरुद्ध उठ खड़े होने का अवकाश ही नहीं मिलेगा। फिर यही भगड़ा उनकी परेशानी के लिये पर्याप्त होगा।” इस प्रकार मोहम्मद अली ने राष्ट्रीय आन्दोलन को भी अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों के विरुद्ध खड़ा

११४. दयाल-ए-जोहर, पृ० १००।

११५. आध्यक्षीय भाषण, पृ० ५०-५१।

११६. आध्यक्षीय भाषण, पृ० ५४। यह तर्क बाद में नहीं दोहराया गया था जबकि विभिन्न अवसरों पर १९०६ ई० के शिमला शिष्ट मण्डल का वर्णन किया गया था। १९२७ ई० यह “आज्ञापालन” केवल “एक दशारा” मात्र रक्त गया था। इमदद, १८ अग्रे, १९२७, यजामीन भाग २, पृ० १४४ (देखिये दफाशान-ए-मोहम्मदअली, पृ० ३०८-३०९)।

११७. आध्यक्षीय भाषण, पृ० ६५।

बिना गया आन्दोलन कहा था ।<sup>११८</sup>

गोमयेज सम्मेलन में उन्होंने कहा, "बहि भारत में इंग्लैण्ड का अधिपत्य समाप्त भी हो जाया है तब भी हम इंग्लैण्ड की मंत्री को समाप्त नहीं करेंगे । इंग्लैण्ड के तिन हमारें दिनों में श्रेय है ।<sup>११९</sup>

---

११८. इफादात-ए-मोहम्मद अली, पृ० २५७ ।

११९. हयात-ए-जौदर, पृ० ११० ।

## शेख मोहम्मद इकबाल

(१८७३-१९३८)

मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में इकबाल का विशिष्ट स्थान है। एक दार्शनिक तथा कवि होने के अतिरिक्त उन्होंने मुसलमानों के समक्ष एक लक्ष्य प्रस्तुत किया था इसी लक्ष्य के आधार पर मुसलमानों के राजनीतिक नेता उनके पृथक् हितों की कल्पना कर सके तथा उनके लिए एक पृथक् राज्य की स्थापना का लक्ष्य बना सके।

इकबाल १८७३ ई० में स्वाबकोट (पश्चिमी पंजाब) में पैदा हुए। १८९५ ई० में वे उच्च शिक्षा के लिए लाहौर आ गए। १८९९ ई० में इकबाल ने अपनी पहली कविता अन्नुमन-ए-हिमायत-ए-इस्लाम, लाहौर, के वार्षिक अधिवेशन में पढ़ी। अप्रैल १९०१ के पश्चात् उनकी कविताएँ उर्दू पत्रिका 'मखजन' में नियमित रूप से प्रकाशित होती रहीं। १९०५ ई० में इकबाल उच्च शिक्षा के लिए यूरोप गए। वे तीन वर्ष वहाँ रहे तथा उन्होंने वहाँ पी. एच. डी. की उपाधि प्राप्त कर ली। यूरोप में रहते हुए उन्होंने उर्दू में कविता लिखना भी कम कर दिया था और सामान्य मान्यता के अनुसार उनके विचारों में भी परिवर्तन आ गया था। वे अब केवल मुसलमानों के हितों की ही कल्पना करते थे।

१९०८ ई० में भारत लौट आने के पश्चात् वे प्रायः जीवन भर लाहौर में ही रहे। वे लाहौर के गवर्नमेन्ट कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य तथा दर्शन के प्रोफेसर पद पर नियुक्त हो गए। साथ ही वे वकालत भी करते रहे। कुछ समय पश्चात् उन्होंने गवर्नमेन्ट कॉलेज की नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया और वकालत ही उनका व्यवसाय रह गया। १९०८ ई० के पश्चात् इकबाल ने कुछ प्रसिद्ध कविताओं की रचना की जैसे 'तराना-ए-मिलनी', 'शिकवा', 'जवाब-ए-शिकवा', 'शमा और शायर'। इसी अवधि में एक अन्य कविता 'वतनियत' के शीर्षक से प्रकाशित हुई जिसमें देशप्रेम की कल्पना पर टिप्पणी की गई थी। १९१५ ई० में उनकी प्रसिद्ध दार्शनिक कविता

‘असरार-ए-खुदी’ प्रकाशित हुई। इस कविता की आलोचना तथा प्रशंसा बहुत हुई। इसके पश्चात् १९१८ ई० में उनका दूसरा काव्य ग्रन्थ ‘रमूज-ए-वेखुदी’ प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात् १९२१ ई० में ‘खिज़्र-ए-राह’ तथा १९२२ ई० में ‘तुलु-ए-इस्लाम’ प्रकाशित हुई। १९२३ ई० में उनकी कविताओं का सग्रह ‘वाँग-ए-दरा’ प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात् ‘पयाम-ए-मशरिक’ फारसी में प्रकाशित किया गया। दो वर्ष पश्चात् ‘जबूर-ए-अज्म’ और फिर ‘जावेदनामा’ प्रकाशित हुए। १९३५ ई० में पुनः इकबाल उर्दू की ओर आकर्षित हुए और ‘वाल-ए-जवरील’ (१९३५) तथा ‘जर्व-ए-गलीम’ (१९३६) में प्रकाशित की गई।

इकबाल एक कवि ही नहीं थे बल्कि वे एक महान् विचारक एवं दार्शनिक भी थे। उनका राजनीतिक चिन्तन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा उच्च कोटि का था। १९२७ ई० में मोहम्मद इकबाल को मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से पञ्जाब विधान सभा का सदस्य चुन लिया गया। वे १९३० ई० तक सदस्य बने रहे। वे मुस्लिम लीग के सचिव भी रहे किन्तु कुछ मतभेदों के कारण १९२८ ई० में उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। १९३० ई० में उन्हें मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया और १९३१-३२ ई० में वे दूसरे तथा तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिये लन्दन गए। १९३२ ई० में उन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की और १९३५ ई० से १९३८ ई० तक जिन्ना को निरन्तर परामर्श देते रहे।

१९२४ ई० में उन्हें गुर्दे की बीमारी आरम्भ हो गई थी। १९२४-३४ ई० के मध्य यह नियन्त्रण में रही किन्तु १९३४ ई० में वे काफ़ी बीमार हो गए थे। उन्हें गले की तकलीफ़ ऐसी हो गई थी कि उनकी आवाज निकलना भी बन्द हो गया था। १९३७ ई० में उनकी आँखें भी खराब हो गई थी। इस प्रकार उनके जीवन के अन्तिम वर्ष शारीरिक कष्ट में व्यतीत हुए किन्तु वे मुसलमानों के राजनीतिक हितों के प्रति जागरूक रहे और अन्तिम समय तक घनिष्ट सम्पर्क में रहे। २५ मार्च, १९३८ ई० को उनकी दशा काफ़ी खराब हो गई और २१ अप्रैल, १९३८ ई० को उनकी मृत्यु हो गई।

इकबाल का एक विशेष मन्तव्य यह था कि उन्होंने मुसलमानों की कौमियत का आधार भूमि के स्थान पर इस्लाम को बताया था। उन्होंने मुसलमानों को मिल्लत के माध्यम से ही सर्गाठित माना था। ‘दतन’ अथवा भूमि के आधार पर कौमियत की कल्पना का उन्होंने विरोध किया था और इस प्रकार मुसलमानों को भारतीय कौमियत में विलय होने से रोक दिया था। साधारणतया इकबाल को उनके ‘तराना-ए-हिन्दी’ (१९०४ ई०) से जाना जाता है जिसमें उन्होंने कहा था :

“सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलिस्ताँ हमारा, मजहब नहीं सिखाता ध्यान में बँद रखना, हिन्दी हैं हम बनन है हिन्दोस्तान हमारा।”

उपरोक्त कविता से उनके देशप्रेम का अर्थ लगाया जाना स्वाभाविक ही है। किन्तु इस कविता का अर्थ इकरान के लेखों की दृष्टि से ही किया जाना चाहिए।

वनन का अर्थ उस समय महत्त्वपूर्ण होता है जब वतन को कौम का आधार मान लिया जाता है। अर्थात् एक वनन के रहने वाले एक कौम के सदस्य समझे जायें। इस कविता का देशप्रेम के सन्दर्भ में कोई अर्थ नहीं रहता है यदि इकबाल का अभिप्राय एक "हिन्दी" (हिन्दुस्तान में रहने वालों की) कौम से नहीं था।

इकबाल ने १९२८ ई० में भी जबकि वे मुसलमानों के पृथक् राज्य के विचार का प्रतिपादन कर चुके थे, यह लिखा था कि "हम सब हिन्दी हैं और हिन्दी कहलाने है क्योंकि हम सब भूमि के उस भाग में रहते सहते हैं जिसे हिन्द (भारत) के नाम से पुकारते हैं.....'वतन' का शब्द.....केवल एक भौगोलिक प्रयोग है और इस स्थिति में इसका इस्लाम से सम्पर्क नहीं होता है.....इन अर्थों में प्रत्येक मनुष्य प्राकृतिक रूप से अपनी जन्मभूमि में प्रेम रखता है.....किन्तु आधुनिक साहित्य में वतन का अर्थ केवल भौगोलिक ही नहीं बल्कि वनन मनुष्यों के संगठित अस्तित्व का एक सिद्धान्त बन जाता है और इन दृष्टि से एक राजनीतिक कल्पना है। चूंकि इस्लाम में मनुष्यों के संगठित अस्तित्व का एक नियम है, इसलिए जब वतन को एक राजनीतिक प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया जाए तो वह इस्लाम विरोधी है।<sup>२</sup>

आधुनिक युग में कौमों का केवल वतन के आधार पर गठन करना और भारतीय मुसलमानों को यह मुझाव देना कि वे इसे स्वीकार करें इकबाल के निये अमह्य था। इकबाल ने बताया था कि वे वननियत के ऐसे दृष्टिकोण की आलोचना उस समय से कर रहे थे जबकि इस्लामी जगत और भारत में इन दृष्टिकोण की कोई विशेष चर्चा भी नहीं थी।<sup>३</sup>

इकबाल को १९०४ ई० में भी देश-प्रेम जैसी कल्पना से कोई विशेष लगाव नहीं था। इसकी पुष्टि उनकी अन्य कविताओं से होती है। १९०४ ई० में उन्होंने 'मदा-ए-दद' लिखी थी। बांग-ए-दरा में प्रकाशित करते समय इकबाल ने इसकी कुछ पंक्तियों को निकाल दिया था।<sup>४</sup> वे पंक्तियाँ थी—

“पार ले चल फिर मुझे ए कियती-ए-मौज-ए-अटक,  
अब नहीं भाती यहाँ के दोस्तानों की मटक।

२. मजामीन इकबाल, पृ० १८२।

३. मजामीन-ए-इकबाल, पृ० १८०। यह एक सम्बा निबन्ध है जो इकबाल ने मौनाना हुसैन बहमद मशनी के लेख के उत्तर में लिखा था और दैनिक पत्र 'एकसान' में १ मार्च १९२८ ई० को छपा था।

४. प्रो० मुमुक सनीम बिन्ती : बरह बांग-ए-दरा, पृ० १७। इन पंक्तियों के अनुसार इकबाल वानमौक के देव को छोड़ देना चाहते थे।



अलविदा ऐ सैरगाह शैल शीराज, अलविदा,

ए दयार-ए-बाल्मीक नुकता परदाज, अलविदा ।

बांग-ए-दरा के प्रथम भाग की कविताओं के पश्चात् कुछ विविध 'गजले' दी हुई है उनमें से एक गजल में उन्होंने कहा था<sup>५</sup>—

हवा हो ऐसी कि हिन्दोस्तान में ए इकबाल,

उड़ा के मुझको गुन्दारे रह-ए-हिजाज करे ।

उपरोक्त दोनों उदाहरण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि १९०४ ई० में ही इकबाल देश छोड़कर चले जाने की बात कहते थे । अप्रैल १९०६ ई० में अपने एक निजी पत्र में उन्होंने कु अतिया बेगम को लिखा था, "मेरा लक्ष्य इस देश से शीघ्र अतिशीघ्र भाग जाना है..... (अपनी व्यक्तिगत धरें लू कठिनाइयों का बर्णन करने के बाद अन्त में लिखते हैं) (मेरे दुःख का)..... एक मात्र उपचार यह है कि मुझे इस अभाग्य देश को सदा के लिये छोड़ देना चाहिए ।" १९०८ में उन्होंने 'वतनियत' (अर्थात् वतन एक राजनीतिक कल्पना के रूप में) शीर्षक से एक कविता की रचना की जिसमें लिखा था<sup>६</sup>—

"इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है—

जो पैरहन इसका है वह मजहब का कफन है

यह बुज कि तराशीदा तहजीब नबी है

गारनगर काशाना-ए-दीन नबवी है<sup>७</sup>

है तर्क वतन सुन्नत-ए-महबूब इलाही

दे तू भी नबूत की सदाकत पे गवाही<sup>८</sup>

गुफ्तार-ए-सियासत में वतन और ही कुछ है

इरशादे नबूत में वतन और ही कुछ है ।

वतन के भौगोलिक सीमाओं पर आधारित होने की आलोचना करते हुए तराना-ए-गिल्ली (१९०८) में उन्होंने लिखा था<sup>९</sup>—

५. बांग-ए-दरा, पृ० १०५ ।

६. अतिया बेगम : इकबाल, पृ० ३६ ।

७. बांग ए-दरा, पृ० १६५-१६६ ।

८. वतन की यह मूर्ति त्रिसे पश्चिमी सभ्यता के बनाया है इस्लाम धर्म की मूर्ति है ।

९. यदि आवश्यकता पड़े तो नू देस (वतन) छोड़ दे त्रिसे प्रार हजरत मोहम्मद ने दिया था जबकि मक्का में जीवन-निर्वाह कठिन हो गया था । इतिहास तू किसी देश में इस्लामी जीवन स्वीकृत करने में कठिनाई अनुभव करे तो देश को छोड़ दे और परदेस को करना देस बना ले ।

१०. बांग-ए-दरा, पृ० १६५ ।

“धीन व अरब हमारा हिन्दुस्तान हमारा

मुस्लिम हैं हम वतन है सारा जहाँ हमारा”

इसी समय एक अन्य कविता “बलाद-ए-इस्लामिया” (अर्थात् इस्लामी गहरों,

१९०८) में इकवाल ने लिखा था<sup>११</sup>—

“हे अगर कौमियते इस्लाम पाबन्दे मुकाम

हिन्द ही बुनियाद है इसकी न फारिस न श्याम

आह, यसरब देश है मुस्लिम का तू मावा है तू

नुकत-ए-जाजिब तासुर की शुघ्राओ का है तू”

इन दोनों पदों का अर्थ है—सामान्यतः तो इस्लाम की कौमियत किसी स्थान के साथ जुड़ी हुई नहीं है लेकिन यदि उसे किसी भूमि के साथ जोड़ा भी जाए तो मुसलमानों की कौम का आधार न हिन्द है न ईरान और न श्याम। वह भूमि यसरब (मदीना) है (मदीना को सम्बोधित करते हुए इकवाल कहते हैं) कि तू ही मुसलमानों के छिपने का स्थान है और तू ही समस्त विश्व के मुसलमानों के दिलों को अपनी ओर खींचने की शक्ति रखता है।

१९१३ ई० में ‘जवाब शिकवा’ में इकवाल ने इस बात पर बल दिया कि “ऐ मुसलमान, तू अपने दामन को वतन की मिट्टी से भाटकर रख तब ही तू उन्नति कर सकेगा।” इसी बात को उन्होंने ‘रमूज-ए-खुदी’ (१९१८) में कहा कि मुसलमान वतन अथवा देश से बन्धा हुआ नहीं है उसे तो ईश्वर की एकता और हजरत-मोहम्मद के अन्तिम पैगम्बर होने पर यकीन रचना चाहिए तब ही वह उन्नति कर सकता था।

१९१८ ई० में अकबर इलाहाबादी को (जिनके प्रति इकवाल के मन में बड़ी श्रद्धा थी) एक पत्र में उन्होंने लिखा था<sup>१२</sup> :

“इस समय इस्लाम का शत्रु साइन्स (विज्ञान) नहीं.....इसका शत्रु यूरोप का क्षेत्रीय आधार पर राष्ट्रीयता का सिद्धान्त है जिसने तुकों को खिलाफत के विरुद्ध उकसाया.....”

१९२०-२१ ई० डॉ० निकलसन (जिन्होंने असरार-ए-खुदी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था) को एक पत्र में इकवाल ने लिखा था :

“इस्लाम सदा जाति व रंग भेद के सिद्धान्त का जो मानवता के लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे बड़ा पत्थर है अत्यन्त सफल शत्रु रहा है.....कौमियत का सिद्धान्त जिसका आधार जाति या देश की भौगोलिक सीमाओं पर है इस्लामी जगत में सफलता प्राप्त कर रहा है और मुसलमान विश्व भ्रातृत्व के लक्ष्य को भूलकर इस

११. बाल-ए-दरा, पृ० १५०। प्रो० मुहम्मद सलीम चिश्ती शरह-ब-ग-ए-दरा, पृ० २६५-२६६।

१२. शेख अता उल्लाह (सम्प.) इन्तखाब-ए-मकालीब, पृ० २६६। इकवाल का पत्र : दिनांक ११ जून, १९१८।

विचार के धोने में कबे हुए है जो कौमियत को राज्य में देग की सीमाओं में सीमित रखने की जिज्ञा देता है ।<sup>१३</sup>

मुस्लिम युनियनमिटी के समक्ष भाषण करने हुए उन्होंने कहा था :

“बतन परस्ती (देग के निर्य बन्धन करना) का विचार जो कौमियत की कल्पना से पैदा होता है एक प्रकार में एक भौतिक धर्म की पूजा है जो पूरी तरह में इस्लाम के विरुद्ध है । इसनिर्य कि इस्लाम धर्म में हर प्रकार की ऐंगी भक्ति भावना को समाप्त करने के निर्य पैदा हुआ था जो ईश्वर भक्ति में गाम्भेदार होने का दावा करे ।<sup>१४</sup>

जब द्वाबान ‘बतन परस्ती’ का विरोध करने में तो भारतीयों के एन कौम के समर्थक होने का प्रश्न ही नहीं उठता था । भारतवर्सी एक कौम के मद्दय में यह कल्पना केवल पश्चिमी राष्ट्रियता के गिज्ञान के अनुसार भौगोतिक गीमाओं पर आधारित थी । इसनिर्य ‘बतनियत’ और ‘कौमियत’ दोनों भावनाएँ एक दूसरे में घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं । इसद्वारा की सबसे बड़ी उपनन्धिर यह है कि “उन्होंने प्राधुनिक युग की सबसे बड़ी मूर्ति धर्यां की कौमियत की पूजा को खण्डित कर दिया है ।<sup>१५</sup>

१९२७ का वर्ष राजनीतिक दिकाग में शिथिल महत्त्व रखता है । इसके पश्चात् भारतीय राजनीति में घटनाओं का क्रम अधिक वेग से चलता रहा । १९२८ई० में नेहरू समिति ने डोमिनियन स्टेटस की मांग प्रस्तुत की ।

१९२७ ई० में पञ्जाब लेजिस्लेटिव कौमिशन में भाषण करने हुए इकबाल ने कहा था . “(भारत में) एक कौमियत की बाननीत वेकार है और बहुत समय तक वेकार रहेगी.....जिग प्रकार अधिक आशाज करने वाली मुर्गी अधिक घडे नहीं देती उसी प्रकार इन शब्द से भी कोई परिणाम नहीं निकल सका.....मेरे विचार में एक कौम होना प्रवृद्धा नहीं है.....<sup>१६</sup> । १९३० ई० में मुस्लिम लीग के समक्ष अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने मुख्य तक्षय यह मान लिया था कि—

“भारतीय मुसलमान हर स्थिति में अपनी इस्लामियत को सुरक्षित रखने के इच्छुक हैं”

ऐसी स्थिति में कौम व बतन के विचारों ने मुसलमानों के समक्ष मुख्य सक्क प्रस्तुत कर दिया था क्योंकि इकबाल को यह आशंका थी कि जातीयता की भावनाएँ प्रगति करते-करते ऐसे नियमों तथा सिद्धान्तों का प्रोत्साहन दे देगी जो इस्लाम विरोधी तथा उसके विपरीत भी हो ।<sup>१७</sup>

१३. मजामीन-ए-इकबाल, पृ० ७० ।

१४. धुतबान-ए-इकबान, पृ० ९१ ।

१५. वही, पृ० १८, गुलाम अहमद परवेज (सम्पादक) की टिप्पणी ।

१६. शामलू : इकबाल के भाषण, पृ० ९६-९८ ।

१७. धुतबान-ए-इकबाल, पृ० २५-३० ।

इकबाल के अनुसार इस्लाम धर्म का प्रथम एक व्यक्तिगत प्रश्न नहीं था। वे यह कल्पना भी करने के लिए तैयार नहीं थे कि राजनीतिक लक्ष्य की दृष्टि से इस्लाम की भी वही दशा हो जो ईसाई धर्म की परिणम में हुई थी। वे इस बात को असम्भव मानते थे कि मुगलमान इस्लाम के राजनीतिक प्रबन्ध के स्थान पर उन कौमी प्रबन्धों को ग्रहण कर लें जिनमें धार्मिक हस्तक्षेप की कोई सम्भावना ही न रहे। जब उनके समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि तुर्की ईरान और अन्य इस्लामी देशों में कौमियत का सिद्धान्त स्वीकार किया जाता था जब उन्होंने कहा कि "कौमियत की समस्या उन देशों में पैदा ही नहीं होती जहाँ मुगलमान बहुमत्त्यक हैं क्योंकि यहाँ कौमियत और इस्लामियत एक हो जाते हैं। कौमियत की समस्या केवल उन देशों में पैदा होती है जहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। कौमियत का इस्लाम से भाड़ा उस समय पैदा होता है जब वह ऐसे देशों में राजनीतिक गठन का आधार बन जाती है और कौमी जीवन के संवाचन में इस्लाम जीवन शक्ति प्रदान करने वाला तत्त्व नहीं रहता।"<sup>१८</sup> इकबाल के अनुसार भारत के अल्पसंख्यक मुगलमानों के लिए इस्लाम की एकरूपता के सिद्धान्त को अस्वीकार करना घातक सिद्ध हो सकता था। वे चाहते थे कि जिन देशों में मुगलमान अल्पसंख्यक हैं उनका यह प्रयत्न व्यापोगित होगा कि वे सांस्कृतिक एकता के आधार पर स्वायत्तता प्राप्त करें।<sup>१९</sup>

उनके अनुसार भारत एक छोटा एशिया था क्योंकि भारत में एक कौम नहीं रहती थी। "भारत विभिन्न कौमों का बतन है" जिनकी जानि, धर्म सब एक दूसरे से अलग-अलग हैं<sup>२०</sup> मुस्लिम राजनीति का पहला गहड़ा लम्बनऊ समझौता था क्योंकि यह भारतीय कौमियत के गलत विचार पर बनाया गया था। हिन्दुस्तान के विभिन्न सम्प्रदायों की समस्या एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है।<sup>२१</sup> और भारत में यदि कोई कौम रहती है तो वह मुगलमान ही है।

१९३३ ई० में उन्होंने कहा कि भारतीय मुगलमान एक पृथक् हिन्दुस्तानी कौम की भाँति अपने पाँव पर खड़ा होने का प्रयत्न करें।<sup>२२</sup> उनके अनुसार भारत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक कौम की पूर्ति असम्भव ही नहीं बल्कि अनुचित भी थी, एक संगठित भारत की नींव ठोस आधारों पर रखनी चाहिए अर्थात् यह कि इस देश में एक से अधिक कौमों का वाद थी जितनी शीघ्रता से देश के

१८. तुलबान, पृ० ५५।

१९. मजामीन-ए-इकबाल, पृ० १७५-१७६-यह लेख पं० नेहरू के बक्तव्य के उत्तर में लिखा गया था और मार्च १९३४ ई० में प्रकाशित हुआ था।

२०. इकबाल का अल्पसंख्यक भाषण, तुलबान-ए-इकबाल, पृ० ३६।

२१. वही, पृ० ५५।

२२. शर फ़जल हुसैन के भाषण पर इकबाल द्वारा की गई टिप्पणी : शामसू : पृ० २२९।

राजनीतिज्ञ एक कौमियत के विचार को त्याग दें उतना ही अच्छा होगा।<sup>२३</sup>

१९३८ ई० में इकबाल ने यह स्पष्ट किया कि वे कौमियत के सिद्धान्त का विरोध किस कारण से कर रहे थे। यूरोप का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यूरोप ने ईसाई धर्म की एकता को छोड़कर विभिन्न राज्यों के आधार पर कौमियत की नींव डाली। इसका परिणाम हुआ अबमें, भौतिकवाद और आर्थिक युद्ध।<sup>२४</sup> १९०८ ई० में भी उन्होंने लिखा था :

अकवाम जहाँ में है रकाबत तो इसी से,  
तसखीर है मकमूद-ए-तिजारत तो इसी से<sup>२५</sup>  
अकवाम में मखलूके खुदा बटती है इसमें,  
कौमियत इस्लाम की जड कटती है इससे।

इकबाल को एक भय तो यह था कि इसमें अधार्मिकता का विस्तार होगा। इसके अतिरिक्त इस्लाम के उग्र प्रवृत्ता के लिए इसका एक अर्थ यह भी था कि समस्त मानव समाज विभिन्न कौमों में इस प्रकार बंट जाएगा कि उनमें एकाता स्थापित हो सकना सम्भव नहीं रहेगी। कौमियत का एक अर्थ यह भी हो सकता था कि इस्लाम धर्म केवल किसी एक विशिष्ट देश अथवा कौम के लिये था। इकबाल ने हजरत मोहम्मद के समय का उदाहरण देकर यह कहना चाहा कि पैगम्बर साहब ने बतन की एकता अथवा बतन के आधार पर कौमियत की नींव नहीं रखी थी।

इकबाल का कहना था कि "मुसलमान समुदाय को व्यवस्था तथा संगठन का आधार हजरत मोहम्मद का अन्तिम पैगम्बर होना है। इसकी एकता का आधार इस्लामी मिल्लत है।" कुरान तथा हदीस के आधार पर इकबाल ने मिल्लत शब्द के अर्थ की व्याख्या की थी और बताया था कि हजरत मोहम्मद ने जहाँ लोगों को किसी सामुदायिक अथवा सामूहिक व्यवस्था में सम्मिलित होने की बात कही थी, वहाँ मिल्लत शब्द का प्रयोग किया था, किसी कौम की स्थापना अथवा इसमें सम्मिलित होने का सुभाव नहीं था। उन्होंने बताया कि "कई कौमों की एक मिल्लत तो हो सकती थी लेकिन एक मिल्लत की कई कौमों का कही वर्णन नहीं है। जो लोग अन्य कौमों को छोड़कर मिल्लत में सम्मिलित हो गये उनको बाद में कभी कौम नहीं कहा गया बल्कि उम्मत शब्द से सम्बोधित किया गया। मिल्लत कौमों को अपने में विलय कर लेती है लेकिन स्वयं उनमें विलय नहीं हो सकती।"<sup>२६</sup>

२३. मोलमेज वर्गरेगम में मुस्लिम नेताओं के विचार : इकबाल का यह वक्तव्य ६ मर्म्बर, १९३३ ई० को प्रकाशित हुआ। शामिल : इकबाल के भाषण, पृ० २३५-२६।

२४. मजामीन इकबाल, पृ० १८४। यह लेख मौनाना हुसैन अहमद मदनी के उत्तर में लिखा था।

२५. बाँय-ए-दरा, पृ० १९९।

२६. मजामीन, पृ० १८८-१९०।

इकबाल का कहना था कि यह नहीं हो सकता कि मुसलमान कौम की दृष्टि से एक ही और मिल्लत की दृष्टि से कुछ और। उन्हें इस बात से बहुत धापति थी कि मुसलमान कौम की दृष्टि से यदि हिन्दुस्तानी बन गए तो उन्हें धर्म को निजी क्षेत्र तक ही सीमित रखना पड़ेगा और वे भारतीयता में घुलमिल जायेंगे।

इकबाल के अनुसार मुसलमानों का कर्तव्य था कि "वे अंग्रेजों द्वारा स्थापित दासता के दमन तोड़ें और उनके प्रभुत्व को समाप्त करें लेकिन उनका प्रमुख उद्देश्य इस्लाम को सुरक्षित रखना तथा शक्तिशाली बनाना था। इसलिए मुसलमान किसी ऐसी सरकार की स्थापना में सहायक नहीं हो सकते जिसकी नींवें उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित हो जिन पर अंग्रेजी राज्य स्थापित है। एक बेकार वस्तु को मिटाकर दूसरी बेकार वस्तु को स्थापित करने से कोई अर्थ ही नहीं है.....यदि भारत की स्वतन्त्रता का परिणाम यह हो कि जैसा कुफ्र का घर आजकल है वैसा ही रहे या उससे भी सराब बन जाए तो मुसलमान धतन की ऐसी स्वतन्त्रता को हजार बार धिक्कार देते हैं। ऐसी स्वतन्त्रता के हेतु लिखना, बोलना, धन व्यय करना, लाठियाँ खाना, जेल जाना, गोली का निशाना बनना सब कुछ हराम और पूर्णतया हराम है।" २७

इकबाल ने मुसलमानों को इस्लाम के आधार पर एक मिल्लत बनाने का परामर्श तो अवश्य दिया लेकिन वे जानते थे कि इस्लामी समुदाय में कई ऐसी विचाराधाराएँ थी जो मुसलमानों को अप्रयत्नशील बना रही थी जैसे इस ससार को बहुत कम मूल्यवान् ममभना और उनके स्थान पर 'आखिरत' को अधिक महत्त्व देना मुसलमानों की भलाई के लिए हानिकारक था। इसीलिए इकबाल ने इस सांसारिक जीवन को ही महत्त्वपूर्ण बताया था। व्यक्ति का व्यक्तित्व (खुदी) ही समस्त जीवन का केन्द्र था। इस व्यक्तित्व के लिए मोहब्बत, साहम, कस्ब-ए-बलाल और सहनशीलता आवश्यक थी। इस खुदी के पतन के लिए भय, सवाल (निष्ठा प्रवृत्ति), दासता और नस्ब परस्ती (अपने पूर्वजों की महानता की पूजा करना) उत्तरदायी होती है। खुदी के विकास में नियमों का पालन, आत्मसमय और इन्सान-ए-कामिल का आज्ञा-पालन सहायक ही होते हैं। खुदी के विकास में तीन श्रेणियाँ हैं—(१) खुदी को पहचानना (२) खुदी को अन्य खुदियों के साथ देखना (३) खुदी के माध्यम से ईश्वर को पहचानना, उसी समय इन्सान-ए-कामिल का विकास हो सकता है।

अपनी दूसरी महत्त्वही 'रमूज-ए-वेखुदी' में इकबाल ने उन सिद्धान्तों की चर्चा की थी जिन पर मुस्लिम समाज आधारित होना चाहिए था। खुदी का पूर्ण विकास समाज में रह कर ही सम्भव था। इस्लामी समुदाय एक ईश्वर में विश्वास

२७. इकबाल का यह लेख उनकी मृत्यु से प्रायः एक महीना पूर्व ही छपा था। यह लेख दैनिक पत्र 'एहसान' लाहौर में ६ मार्च, १९३० को छपा था। राजागीर-ए-इकबाल, पृ० १६३-१६६।

रसने और हजरत मोहम्मद के अन्तिम वंशम्बर होने पर आधारित था इसलिए यह किमी स्थान तक सीमित नहीं था और इस समुदाय का आधार देश नहीं था चूँकि ईश्वर ने हम समुदाय की गुस्था का आश्वासन दिया है इसलिए यह अमर रहेगा।<sup>२८</sup>

फरवरी १९१२ ई० में 'गंगा और शायर' में इकबाल ने व्यक्ति और समुदाय के परस्पर सम्बन्धों के विषय में कहा था—

भाहा जय गुलशन की जमैयत परेशां हो चुकी  
 फूल को बादे बहारी का पषाम भापा तो किमा<sup>२९</sup>  
 भाबर बाकी तेरी मिल्लत की जमैयत से थी  
 जब मह जमैयत गई दुनिया में राया तू हुआ  
 फंदे कायम रव्ते मिल्लत में है तन्हा बुद्ध नहीं  
 मौज है दरया में और बरन दरया बुद्ध नहीं।<sup>३०</sup>

रमूज-ए-बेखुदी के परचात् भी इकबाल जात्रि, कौमियत, सम्यता व रंग की भावनाओं के विरुद्ध लिखते रहे।<sup>३१</sup> उन्हें इस बात से बहुत परेशानी थी कि पश्चिमी सिद्धान्तों के प्रचलन ने इस्लामी व्यवस्था को इस तरह काटकर टुकड़े-टुकड़े कर दिया था जैसे कँची सोने के कागजों को काट देती है।

“हिकमते मगरिब से मिल्लत की मह कौफियत हुई  
 टुकड़े टुकड़े सोने को कर देता है गाब”

मुसलमानों की पराजय का उन्होंने एक ही उपचार बताया था कि वे सब धर्म की शरण में आ जाएँ और सब मिलकर एक हो जाएँ। यदि मुसलमानों ने जानि को उच्च प्राथमिकता दी तो वे सत्तार से रास्ते की धूल की भाँति उड़ जायेंगे।<sup>३२</sup>

१९०८ ई० के आरम्भ में “अब्दुल कादिर के नाम” कविता में उन्होंने अपना लक्ष्य भारत के मुसलमानों को उनकी रायाव स्थिति से भ्रवगत करा देना तथा उन्हें उन्नति का मार्ग बता देना निश्चित किया था। उन्होंने कहा

‘रस्नेजा बुतकदा चीन में उठा ले अपना  
 सबको महवे हये सादी व सुलेमा कर दे’<sup>३३</sup>

२८ ए० जे० अरबेरी : मिस्ट्रीज ऑफ सेल्फलेसेनेस-रमूज-ए-बेखुदी का अथेनी अनुवाद :  
 पृ० २९-३६। यह विचार इकबाल अपनी पहले की कविता में भी व्यक्त कर चुके थे।  
 उदाहरणार्थ बतनियत, जवाब-ए-शिकवा, शमा और शायर।

२९ बाँग-ए-दरा, पृ० १९६।

३०. वही, पृ० २०२।

३१ विर-ए-राह, यह कविता १९२१ ई० में लिखी गई थी। बाँग-ए-दरा, पृ० २१०।

३२. वही, पृ० २९२-२९६।

३३. वही, पृ० १३४।

अर्थात् भारत के मुसलमानों को गैर इस्लामी सम्म्यता से हटाकर इस्लामियत की ओर आकर्षित कर दें ।

फरवरी १९१२ ई० में 'शमा और शायर' में भी इकवाल ने कहा था—

सतूते तौहीद कायम जिन नमाजों से हुई

वह नमाजें हिन्द में निज्य ब्रह्मण हो गई<sup>३४</sup>

अर्थात् भारत में जिन मुसलमानों ने एक ईश्वर पर विश्वास रखकर सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्राप्त की थी वे मुसलमान ही अब ब्राह्मणों के समक्ष झुकने लगे और हिन्दुओं के से रीति-रिवाज अपनाने लगे थे ।

'जवाब-ए-शिकवा' में भी इकवाल एक स्थान पर मुसलमानों को गैर मुसलमानी प्रभाव छोड़ने के लिये कहते थे <sup>३५</sup>

“शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद

हम यह कहते हैं कि ये भी कही मुस्लिम मौजूद

बजा में तुम हो निसारी तो तमददुन मे हतूद

यह मुसलमान है जिन्हे देख के शमाएँ यहूद

यूँ तो सैयद भी हो मिरजा भी हो अफगान भी हो,

तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो ।

उन्होंने 'वज्म-ए-अन्जुम' में मुसलमानों को आपस में संगठित होने की बात तारों की दुनिया से समझा कर बताई थी । जिस प्रकार आकाश में तारे आपसी आकर्षण के आघार पर टिके हुए हैं उसी प्रकार मुसलमानों को भी ऐसी ही आपसी आकर्षण के आघार पर संगठित होना चाहिए ।<sup>३६</sup> यह आपसी सम्पर्क और मैत्री केवल धर्म के आघार पर हो सकती थी । इसलिए 'मजहब' कविता में इकवाल ने कहा है—

“दामन-ए-दीन हाथ में छूटा तो जमैयत कहाँ,

और जमैयत हुई खलसत तो मिल्लत भी गई ।<sup>३७</sup>

१९१३ ई० में 'जवाब शिकवा' में इकवाल ने मुसलमानों को उन्नति करने का मार्ग बताया था :

कौम मजहब मे है मजहब जो नहीं तुम भी नहीं,

जज्ज बाहम जो नहीं महफिल अन्जुम भी नहीं ।<sup>३८</sup>

३४. वही, पृ० १९९ । सतूत=प्रतिष्ठा तथा सम्मान, तौहीद=एक ईश्वरवाद  
निज्य=अपित

३५. जवाब शिकवा-वही, पृ० २१८ । निसारी=ईसाई  
हतूद=हिन्दू या बहूबचन  
नाबूद=मिट गए ।

३६. वही, पृ० १८४ ।

३७. वही, पृ० २७१ ।

३८. वही, पृ० २१५ ।



एक धर्म बन्द है—

मनफेत एक है इस कौम की नुकसान भी एक

एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक

हरमे पाक भी, अस्लाह भी, कुरान भी एक

बुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक

फिरका बन्दी है कही और वही जातें हैं

क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं ।<sup>३६</sup>

‘खिजर-ए-राह’ में इकबाल मुसलमानों को चेतावनी देते हैं कि यदि जाति किसी भी तरह धर्म पर प्रधानता प्राप्त कर ले गई तो फिर मुसलमान दुनिया में रास्ते की मिट्टी की भाँति उड़ जायेंगे ।<sup>३७</sup> अन्तिम उर्दू कविता “शुलुए इस्लाम” में इकबाल ने भारत के मुसलमानों को यह पैगाम दिया कि वे रंग व जाति के मतभेदों को छोड़कर मिलन में विलीन हो जाएँ जिसमें उनमें यह भेद न रहे कि कोई ईरानी है, अफगानी है अथवा कोई तुरानी ।<sup>३८</sup>

मुसलमानों को संगठित बनाने का दूसरा तरीका यह था कि उन्हें उनके पूर्वजों की उपलब्धियाँ याद दिलाई जाएँ । इकबाल ने नई पीढ़ी के मुसलमान नव-युवकों के नाम एक कविता लिखी जिसमें उन्हें उन्नति करने के लिए प्रेरणा दी और बताया कि वे अपने पूर्वजों की तुलना में बहुत कम महत्त्व रखते हैं—

तुम्हें आवा से अपने कोई निस्वत हो नहीं सकती,

कि तू गुप्तार वह करदार, तू साबत वह संयारा ।<sup>३९</sup>

जुलाई १९०८ ई० में ‘सकलिया’ (सिसली द्वीप का अरबी नाम) की कविता में उन्होंने लिखा था कि वे इस्लाम के पुराने विजेताओं की कहानी सुनाकर मुसलमानों को उत्साहित करेंगे । सिसली को सम्बोधित करते हुए वे कहते हैं—

“रग तस्वीर कोहन में भर के दिखलादे मुझे

किस्सा अय्यामे सल्फ वा कहके तडपादे मुझे

में तेरा लोहफा सूए हिन्दुस्तान ले जाऊँगा

खुद यहाँ रोता हूँ औरों को वहाँ रुलाऊँगा”<sup>४०</sup>

अप्रैल १९०९ ई० में इकबाल ने अत्यन्त प्रभावशाली कविता “शिकायत” (शिकायत) लिखी जिसमें उन्होंने अपनी बात ईश्वर से शिकायत के रूप में कही और उस पर यह आक्षेप लगाया कि उसने अब मुसलमानों पर कृपा दृष्टि रखनी

३६. वही, पृ० २१६ ।

३७. वही, पृ० २९४ ।

३८. वही, पृ० ३०० ।

३९. वही, पृ० १९० आवा=पूर्वज, साबत=स्वयं, संयारा=निरन्तर चलने वाला ।

४०. वही, पृ० १३६ । सल्फ=बोने हुए ।

छोड़ दी थी। इकबाल का उद्देश्य ईश्वर पर वास्तव में आशेष लगाना नहीं था उनका उद्देश्य मुसलमानों की उस मानसिक प्रवृत्ति को स्पष्ट करना था जिसके अनुसार वे दूसरों पर आशेष लगाते थे और स्वयं अपनी दुर्बलताओं का अध्ययन नहीं करते थे।<sup>४४</sup> 'शिकवा' में मुसलमानों की पददलित स्थिति का वर्णन किया गया था तथा 'जवाब शिकवा' में कमी दूर करने का मार्ग बताया गया था।

मुसलमानों की पददलित स्थिति के लिए ईश्वर से शिकायत करने हुए इकबाल कहते हैं कि मुसलमान तेरी पूजा करते हुए भी अपमानित हैं। इकबाल की प्रार्थना थी कि—

“मुश्किलें उम्मतें भरहूम की आसान कर दे,  
मोर वे माया को हमदोश मुलेमान कर दे,  
जिन्म नायावे मोहब्बत को फिर अर्जों कर दे,  
हिन्द के देर नशीनों को मुसलमां कर दे।<sup>४५</sup>”

इस 'शिकवा' के अन्त में इकबाल ने मुसलमानों की कौम को जगाने का कार्य अपने लिये रख लिया था और वे भाग्न में रहते हुए भी अरब की प्रतिष्ठा के गीत सुनाने का वायदा करते थे—

“बाक इस बुलबुले तनहा की नवा से दिल हों  
जागने वाले इसी बांग-ए-दरा मे दिल हों  
उजमी खुम है तो क्या मैं तो हजाजी है मेरी  
नगमा हिन्दी है तो क्या, लै तो हजाजी है मेरी<sup>४६</sup>”

जून १९१२ ई० में अपनी कविता 'मुस्लिम' में इकबाल ने कहा—

“यदि अहदे रफता मेरी बाक को अक्सोर है  
मेरा माजी मेरे इस्तकबाल की तपसीर है<sup>४७</sup>”

(अर्थात् पुराने समय की याद मुझे जिन्दगी प्रदान करती है। मुझे यकीन है कि जो महानता पहले समय में हमें प्राप्त हो चुकी थी वह पुनः भविष्य में प्राप्त होगी)

'जवाब-शिकवा' के माध्यम से इकबाल ने मुसलमानों को वास्तविक तथा सच्चे मुसलमान बनने की प्रेरणा दी। विश्व में मुसलमानों के पूर्वज केवल इस्लाम के सच्चे अनुयायी होकर ही विश्व में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके थे।

<sup>४४</sup> अलताफ हुसैन . शिकवा और जवाब शिकवा, भूमिका, पृ० १२। लेखक ने दोनों कविताओं का अश्लील अनुवाद किया है।

<sup>४५</sup> बांग-ए-दरा, पृ० १७७। उम्मत=इस्लामी सम्प्रदाय, अर्जों=मस्ता, मोर बेमाया=कमजोर प्युटी। वे मुसलमानों को अधिक मुसलमान बनाना चाहते थे। उन्होंने भारत में मूर्ति-पूजा को आना लिया था। इकबाल उसे छोड़ने का परामर्श दे रहे थे।

<sup>४६</sup> वही, पृ० १७६। अन्तिम पद में यह बात कही गई थी।

<sup>४७</sup> वही, पृ० २०६।

उन्हें इस बात की प्रेरणा दी गई कि वे 'घतन' में लगाव छोड़ दें और 'मोहम्मद' में लगाव बढ़ाएँ<sup>४८</sup> भारतीय मुसलमान पुनः प्रगति कर सकते थे यदि वे धर्म के माध्यम में संगठित हो जाएँ।<sup>४९</sup> इकबाल मिल्लत की एकता का गुणगान करते थे। उन्हें यह देखकर फट्ट होता था कि तुर्की समस्त इस्लामी जगत् या नेतृत्व नहीं कर रहा था। १९१२ ई० में त्रिपोली युद्ध के आरम्भ हो जाने के पश्चात् ही तुर्की की भ्रममर्थता को देखते हुए उन्होंने लिखा था।

"चाक कर दी तुकं नादा ने खिलाफत की कवा।<sup>५०</sup>

अर्थात् भ्रमं तुर्कों ने खिलाफत का चोगा उतार कर फेंक दिया है।

इकबाल के अनुसार इस्लामी मिल्लत की एकता हजरत मोहम्मद की आतिरी पैगम्बर मान लेने पर आधारित थी। मुसलमानों के इस्लाम धर्म के आधार पर संगठित हो जाने के विचार को सर्वदम्नामवाद की मजा दी जाती है। इकबाल के "तराना-ए-मिल्ली" का पहला पद इस तर्क के पक्ष में प्रस्तुत किया जाता है कि वे सर्वदम्नामवाद के समर्थक थे।

"चीन व अरब हमारा हिन्दुस्तान हमारा—मुसलमान है हम सारा जहाँ हमारा" किन्तु यह अनुचित है क्योंकि उन्होंने विश्व के मुसलमानों को एक राज्य में संगठित हो जाने की बात नहीं कही थी। संगठन के लिये मिल्लत का आधार घतनियत और राष्ट्रीयता के विपरीत प्रस्तुत किया गया था। वे चाहते थे कि भारतीय मुसलमान आपसी मतभेदों को भूलकर संगठित हो जायें। लेकिन यह संगठन उनका पृथक् संगठन होना चाहिए था क्योंकि भारतीय राष्ट्रीयता के आधार पर वे संगठन को मना कर चुके थे। इसलिए संगठन का एक ही आधार शेष था और वह था इस्लाम धर्म। उनकी विभिन्न कविताएँ इस बात की पुष्टि करती हैं कि इकबाल का अर्थ इस्लाम के विश्व-ध्यापी तथ्यों की दुहाई देकर भारतीय मुसलमानों को भाग्य की अग्य कौमो में अलग करना था। इकबाल ने अपनी कुछ कविताओं में पश्चिमी एशिया और विश्व के अग्य इस्लामी देशों की मकदमय स्थिति के सम्बन्ध में लिखा था लेकिन इसका अभिप्राय मुसलमानों को उनकी दयनीय दशा में अलग कराना था। इकबाल ने मिल्लत का आनाम केवल भारतीय मुसलमानों को भारत के अग्य निवासियों में अलग करने के लिये प्रस्तुत किया था। इस सिद्धान्त का यह अभिप्राय कभी नहीं था कि समस्त इस्लामी देशों को एक साथ संगठित होने के लिये प्रेरणा दी जाय। इकबाल का नक्ष्य भारतीय मुसलमान थे न कि विश्व।

<sup>४८</sup> जवाब-जिहवा, २०वीं और २६वीं पद, बरिग-ए-दरा, पृ० २२१, २२४। यह जवाब-जिहवा १९१३ ई० में हजारा की मध्या में हायो-नाय विर गई और इस राशि की बरतान पन्ध में जमा कर दिया गया।

<sup>४९</sup> बरिग-ए-दरा, पृ० २१५।

<sup>५०</sup> वही, पृ०।

के मुसलमान । इसीलिए उन्होंने अपनी बात उर्दू के माध्यम में ही कही थी । इस तर्क की पुष्टि के लिए इकबाल का खिलाफत आन्दोलन के प्रति दृष्टिकोण विशेष उल्लेखनीय है । १९१९ ई० में जब भारत में खिलाफत आन्दोलन आरम्भ हुआ तब इकबाल ने उस आन्दोलन का साथ नहीं दिया था । इसके सम्भवतः दो कारण थे । एक कारण तो उन्होंने सैयद मुलेमान नदवी को अपने निजी पत्र में लिखा था । इकबाल खिलाफत आन्दोलन को भारत के मुसलमानों की मूर्खता कहते थे और इस आन्दोलन को लन्दन के शियों द्वारा चलाया गया मानते थे ।<sup>५१</sup> इसी पत्र में उन्होंने कुछ पत्रिकाएँ लिखकर भेजी थी जिनमें पहली पंक्ति को बदलकर बाद में "दरवीजा-ए-खिलाफत" (खिलाफत की भिक्षा) शीर्षक कविता में बाँग-ए-दरा में सम्मिलित कर दिया गया । उन्होंने कहा था—

“अगर मुल्क हाथों से जाता है जाए,  
तू अहकाम-ए-हक से न कर बेवफाई,  
नहीं तुम्हको तारीख से भागाही क्या ?  
खिलाफत की करने लगा तू गदाई,  
खरीदें न हम जिमको अपने लहू से,  
मुसलमां को है नंग वह पादशाही ।<sup>५२</sup>

इस कविता के अन्तिम फारसी पद का अर्थ था कि मुझे हड्डी टूटने में इतनी शर्म नहीं आती जितनी उसको जोड़ने वाली दवा के माँगने में आती थी ।

इकबाल इस समय तक 'असरार-ए-शुदी' और 'रसूज-ए-वेष्टुदी' लिख चुके थे । वे मुस्लिम समुदाय में आत्मविश्वास पैदा करना चाहते थे । वे अंग्रेजों से भीख माँगकर खिलाफत को जीवित रखने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनके अनुसार अंग्रेज स्वयं खिलाफत के विरुद्ध थे और उसको समाप्त कराने के पक्ष में थे । अपने एक अन्य पत्र में सैयद मुलेमान नदवी को उनके यूरोप में लौट आने के पश्चात् इकबाल ने लिखा—“आपने बड़ा काम किया है जिसका बदला कौम की और में वृत्तगता के रूप में मिल रहा है और ईश्वर की ओर से न मालूम किम रूप में प्रदान होगा । इंग्लैण्ड के मन्त्रिमण्डल का उत्तर वही है जो ऐसी स्थिति में मदा दिया गया है ।” इसके पश्चात् दरवी का एक वाक्य था जिसका अर्थ है—

“क्या हम अपने ही जैसे दो आदमियों की बात मान लें यद्यपि डमकी कौम हमारी दास है ।<sup>५३</sup>

५१ सैयद मुलेमान नदवी को २७ नवम्बर १९१९ ई० का लिखा गया पत्र इकबाल नामा, भाग १, पृ० १०५-१०७ ।

५२. बाँग-ए-दरा, पृ० २७८ । अहकाम-ए-हक—इस्लामी आदेश  
गदाई—भीख माँगना

५३. इकबाल का पत्र : दिनांक १० अक्टूबर १९२० ई० । रईम अल्पद जाफरी : इकबाल और मियामन मिल्नी, पृ० ११९ ।

इस भिन्ना मार्गने में मुस्लिम समुदाय की आत्मनिर्भरता का विकास नहीं हो सक्ता था। १९२१ ई० में अपनी एक अन्य कविता 'निज्ज-ए-राह' में इसी बात को अधिक स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि यदि मुसलमान खिलाफत की नींव को विश्व में दृढ़ता से स्थापित करना चाहते थे तो उन्हें अपने पूर्वजों की भाँति शौर्य और वीरता प्राप्त करनी चाहिए थी।<sup>५४</sup>

दूसरा कारण भी उन्होंने सैयद मुहम्मद नदवी को अपने एक बाद के पत्र में लिखा था। वे यह नहीं चाहते थे कि मुसलमान हिन्दुओं के साथ मिलकर खिलाफत का समर्थन करें। उन्होंने खिलाफत आन्दोलन की लोकप्रियता पर टिप्पणी करते हुए लिखा था—“वज्ज-ए-अगमार की रीतक अवश्य थी, लेकिन इस्लाम का हिन्दुओं के हाथ बिक जाना सह्य नहीं हो सकता। अफसोस, खिलाफत वाले अपने असली मार्ग से बहृत दूर जा पड़े। वे हमको एक ऐसी कौमियत की राह दिखा रहे हैं जिसको कोई मुसलमान एक मिनट के लिए भी स्वीकार नहीं कर सकता।”<sup>५५</sup>

इस प्रकार इक्बाल सर्वेइस्लामवाद के एक मात्र प्रतीक “खलीफा” अथवा खिलाफत की सुरक्षा के लिए भी अधिक प्रयत्नशील नहीं थे। १९३३ ई० में इकबाल ने एक विस्तृत वक्तव्य इसी प्रश्न पर प्रकाशित किया था जिसमें उन्होंने कहा था—“पान इस्लामिज्म” का कोई पर्यायवाची शब्द अरबी, तुर्की अथवा फारसी भाषा में नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि सैयद जमालुद्दीन अफगानी ने भी विभिन्न इस्लामी राज्यों को एक राज्य में विलय हो जाने के लिए नहीं कहा था और यह भी स्वीकार किया कि तुर्की के सुल्तान अब्दुल मजीदवाँ की इस्लामी राज्यों में एकता की उत्पन्ना राजनीतिक शतरंज की एक चाल थी। इस्लामी मित्तलत की एकता से इकबाल का अर्थ था कि भारत की मुसलमान कौम अन्य एशियाई मुसलमान कौमों की भाँति अपने आन्तरिक मतभेदों को समाप्त करके अपने में एकता स्थापित करें।<sup>५६</sup>

इकबाल ने दत्तनियत की आलोचना इसलिए की थी कि दत्तन को कौम का आधार माना जाता था। लेकिन इकबाल भारतीय मुसलमानों को एक पृथक् कौम कहने में संकोच नहीं करते थे। कौमियत का विचार प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् भारत में अधिक चर्चा का विषय बना हुआ था। इकबाल मुसलमानों को भारत की अन्य कौमों से पृथक् बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि “मुसलमानों और विश्व को दूसरी कौमों में मौलिक अन्तर है……हमारी कौमियत का वास्तविक सिद्धान्त एक भाषा, एक दत्तन, एक-में अधिक हित नहीं है वरिक्त हम लोग उम

५४. वाज्ज-ए-दरा, पृ० २६४।

५५. सैयद मुहम्मद नदवी को १८ मार्च १९२४ ई० का लिखा गया पत्र। रईम अहमद जाफरी इकबाल और गियासत मिल्ली, पृ० १२०।

५६. यह वक्तव्य १९ मिनम्बर १९३३ ई० को प्रकाशित हुआ था। मासलू, पृ० २२८-२२९।

विरादरी में जो हजरत मोहम्मद ने स्थापित की थी इसलिए सम्मिलित है कि हम सबके विश्वासों का स्रोत एक ही है.....इस्लाम भूमि के बन्धनों से मुक्त है.....हमारी कौमियत.....हमारे मस्तिष्क में है वह कोई ऐसी वस्तु नहीं जो बाहर से दिखाई दे।"१७

१९३३ ई० में उन्होंने भारतीय मुसलमानों को एक पृथक् हिन्दुस्तानी कौम की भाँति अपने पाँव पर खड़ा होने का प्रयत्न करने का परामर्श दिया। भारतीय मुसलमान जनसंख्या के हिमाच से शेष समस्त एशियाई देशों की मुस्लिम जनसंख्या से अधिक थे इसलिए उन्हें चाहिए कि वे अपने आप को इस्लाम की सबसे बड़ी पूँजी ममकें और अपनी विखरी हुई शक्तियों को संगठित करें।१८

१९३८ ई० में व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि मनुष्यों के संगठन की दृष्टि से इस्लाम में कोई लचक नहीं थी। वे स्वयं भी किसी ऐसे सिद्धान्त के साथ समझौता करने को तैयार नहीं थे जो इस्लाम से भिन्न हो। उनके अनुसार मुसलमान सामूहिक दृष्टि से एक व्यवस्थित एवं संगठित समुदाय है जिसकी एकता और संगठन का आधार हजरत मोहम्मद का अन्तिम पैगम्बर होना है।

वक्त के स्थान पर मिल्लत के आधार पर मुसलमानों को पृथक् अस्तित्व प्रदान करके इकबाल मुसलमानों के हितों को सुरक्षित रखना चाहते थे। वक्तनियत और कौमियत के राजनीतिक सिद्धान्तों को उन्होंने यह कहकर अस्वीकृत कर दिया था कि वे इस्लाम की एकरूपता के सिद्धान्त को अस्वीकार करने पर आधारित थे विशेषकर भारत में जहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक थे।१९ उन्होंने एक पत्र में बड़ी स्पष्टता से यह भी व्यक्त किया था कि मुसलमानों का हिन्दुओं के साथ मिलकर अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करने का प्रयत्न इस्लाम के लिए लाभदायक नहीं हो सकता था। "भारत तो भले ही स्वतन्त्र हो जाए लेकिन मुनजमान अमीन ही रहेंगे और इस बात पर मुसलमान कभी सहमत नहीं होंगे क्योंकि दूसरों की अवीरता तो स्वीकार हो सकती थी लेकिन अमीनों के अमीन बनना उन्हें स्वीकृत नहीं था।"२०

मुसलमानों की अंग्रेज समर्थक और हिन्दू विरोधी नीति से भी इकबाल सहमत नहीं थे क्योंकि वे चाहते थे कि मुसलमान अपना एक पृथक् अस्तित्व स्थापित करें। उन्होंने १९३० ई० के मुस्लिम-लीग के सत्र अरबे अरबीय भाषण में इस पृथक् अस्तित्व की कल्पना को स्पष्ट किया था। उन्होंने इस्लाम को व्यक्तिगत क्षेत्र तक सीमित न रखकर सामूहिक जीवन का आधार घोषित किया था। "भारत में कई कौमे रहती थी। इसलिए परिवर्ती ढंग का प्रजातन्त्र भारत के लिये उस

१७. मिल्लत बँदा पर एक उमरानी मजल-मुतवाज-ए-इकबाल, पृ० ६०-६२।

१८. शोमलू : हक-ए-इकबाल, पृ० २२६।

१९. इकबाल का मुस्लिम-लीग के सत्र अरबीय भाषण १९३०, मुतवाज-ए-इकबाल, पृ० ३१-३२।

२०. मकतूबात-ए-इकबाल, पृ० ९१।

समय तरु अनुचित था जबतक कि एक 'इस्लामी भारत' न स्थापित कर दिया जाए इसलिए मेरी इच्छा है कि पंजाब, सीमाप्रान्त, सिन्ध और बलूचिस्तान को एक ही राज्य में मिला दिया जाए चाहे यह राज्य अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर स्वायत्ता प्राप्त करे अथवा उसके बाहर..... अग्न्याला जैसे अधिकांश हिन्दू जनसंख्या वाले जिलों को पृथक् कर देने से इस राज्य के विस्तृत क्षेत्र तथा शासन प्रबन्ध की कठिनाइयों में कमी हो जायगी।"६१

उपरोक्त विचारों की व्याख्या करते हुए उन्होंने आगे कहा कि "मैं केवल भारत और इस्लाम की भलाई के विचार से एक सगठित इस्लामी राज्य की स्थापना की माँग कर रहा हूँ। इससे भारत में शक्ति-सन्तुलन हो जाने से शान्ति स्थापित रहेगी.....भारत के मतभेदों को देखते हुए ऐसे स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना कर दी जाए जो भाषा, जाति, इतिहास, धर्म और आर्थिक लाभ के आधार पर स्थापित हों।"६२

इकबाल के इस भाषण में जिस इस्लामी राज्य की कल्पना की गई थी वह प्रचलित एकात्मक अथवा संघीय प्रणाली के वाद-विवाद के सन्दर्भ में थी। इकबाल का महत्त्व इस बात में था कि उन्होंने भारतीय मुसलमानों के लक्ष्यों को एक निश्चित एवं विशिष्ट उद्देश्य पर केन्द्रित कर दिया एवं उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये पूर्ण स्वतन्त्रता अथवा अंग्रेजी राज्य के अधीन एक स्वायत्तता प्राप्त राज्य का विकल्प रखा गया था। इस भाषण में सर्वप्रथम उत्तर-पश्चिमी भारत के मुसलमानों के लिए एक पृथक् एव स्वतन्त्र राज्य की कल्पना की गई थी जिसके स्वरूप को आवश्यकता तथा बदली हुई परिस्थिति के अनुसार ढाला जा सकता था। इस माँग को पाकिस्तान की माँग का आधार इसलिए कहा जाता है कि जिन आधारों पर इस राज्य की कल्पना की गई थी तथा जिस मिल्लत के हितों की सुरक्षा के लिए इसका औचित्य बताया गया था वे तर्क ही आगे चलकर देश-विभाजन के लिये उत्तरदायी हुए। चूँकि १९३० ई० में भारत की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी, इसलिए इकबाल ने अपने स्वतन्त्र राज्य की योजना को इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि एक ओर तो अंग्रेजी सरकार उससे अमन्तुष्ट न हो और दूसरी ओर यदि आवश्यक हो तो उसे पृथक् एव स्वतन्त्र राज्य का आधार बनाया जा सके। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इकबाल ने मुसलमानों को मिल्लत के आधार पर एक कौम कहा था। इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा था कि "भारत में यदि कोई कौम रहती है तो वह मुसलमान ही है, हिन्दुओं को वह एकता प्राप्त नहीं हुई जो एक कौम बनने के लिए आवश्यक है।"६३ पूर्ण स्वतन्त्रता यदि भारत को

६१. अष्टमशोधक भाषण मुनबात, पृ० ३६-३७।

६२. मुनबात, पृ० ३८-३९।

६३. वही, पृ० ५५।

न मिले और भारत में केवल एक संघीय सरकार ही स्थापित की जाए तो संघीय सरकार को केवल वे ही अधिकार दिये जाने चाहिए जो विभिन्न स्वायत्तता प्राप्त राज्य अपनी इच्छा में उसे सौंप दे ।<sup>६४</sup>

इकबाल ने चेतावनी दी थी कि यदि भारत में ऐसा सविधान जो एक कौमियत के आधार पर बना होगा लागू किया गया तो भारत में पश्चिमी दृष्टि के प्रजातन्त्र की स्थापना का परिणाम गृह युद्ध होगा ।<sup>६५</sup> १० वर्ष पूर्व भी उन्होंने पश्चिमी प्रजातन्त्रीय प्रणाली का मजाक उड़ाया था ।<sup>६६</sup>

मुसलमानों के समस्त लक्ष्य निर्धारित कर देना ही इकबाल ने पर्याप्त नहीं समझा था बल्कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राजनीतिक संगठन की एकता की ओर भी ध्यान केन्द्रित किया था । इस एकता के विकास में दो कठिनाइयाँ थी— महान नेताओं का अभाव तथा मुसलमानों में आजाकारिता की मनोवृत्ति का अभाव । राजनीतिक जीवन में मतभेदों को उचित रखना घातक था । उनके अनुसार इतिहास इस बात का साक्षी है कि कठिनाई के समय इस्लाम ही ने मुसलमानों को सुरक्षित रखा था न कि मुसलमानों ने इस्लाम को । वे चाहते थे कि 'पूरी इस्लामी मिल्लत एक व्यक्ति की भाँति संगठित हो जाए और सब मुसलमान एकवचन हो जाए ।'<sup>६७</sup>

कुछ लोगों ने इकबाल की उपरोक्त कल्पना को एक कवि की 'राजनीतिक कविता' कहा था ।<sup>६८</sup> इकबाल को सदा यह बात खटकती रही कि उनकी बात को लोगों ने बहुत ही कम समझा था । उन्होंने अपनी कब्र पर भी एक फारसी पद लिखवाया था जिसका अर्थ था कि किसी व्यक्ति ने यह नहीं पहचाना कि इस यात्री (इकबाल) ने क्या कहा, वह कहाँ से आया था और किमसे क्या कहता था ।

६४. मुनवान, पृ० ४२ ।

६५. वही, पृ० ५४ ।

६६. बांग-ए-दरा, पृ० २८८ ।

६७. मुनवान, पृ० ५८-५९ ।

६८. इकबाल ने स्वयं कई बार यह कहा था कि वे कवि नहीं थे । उनका उद्देश्य कविता करना नहीं था यह भावना उन्होंने अमरार-ए-नुदी की भूमिका में भी लिखी थी और इसी प्रकार की एक घटना का वर्णन बांग-ए-दरा की भूमिका में भी है (पृ० ७०७-७०८) बांग-ए-दरा के दूसरे भाग की कविता के अन्त में कुछ गजब की हुई हैं उनमें से एक के अन्त में उन्होंने कहा था कि विश्व में प्रगतिशील कौमों कविताएँ नहीं करती है (बांग-ए-दरा, पृ० १३८) । अपनी कविताओं के माध्यम से वे मुसलमानों को जगत्तर क्रियाशील बनाना चाहते थे । बांग-ए-दरा, पृ० १५-६२, १३८, २२६-३० । उनकी विगेष प्रसिद्ध कविताएँ—शिरवा, जवाब शिरवा, शमा और शायर-इसरो और अधिक पुष्टि करती हैं ।



इकबाल तत्कालीन मुस्लिम राजनीतिक संगठनों की आपसी फूट से बहुत असन्तुष्ट थे इसलिए उन्होंने एक नये मुस्लिम संगठन "अपर इन्डिया कॉन्ग्रेस" की स्थापना की योजना बनाई यद्यपि किन्हीं कारणों से इस कॉन्ग्रेस का कोई अधिवेशन कभी बुलाया नहीं जा सका।<sup>१६</sup>

इकबाल ने मुस्लिम समुदाय को संगठित करने के लिये कुछ प्रमुख आवश्यक तत्वों पर बल दिया। ये तत्व थे—पूर्ण संगठन, लक्ष्य एवं उद्देश्यों की एकता तथा आजाकारिता।<sup>१७</sup> १९०४ ई० से ही इकबाल ने कौम की सुरक्षा एवं प्रगति के लिये मनुष्यों के निजी अधिकारों पर ध्यान न देने के लिये कहा था। उनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य के पृथक् अस्तित्व का विचार भी कौम के अस्तित्व के बिना नहीं किया जा सकता था। उसका जीवन भी उसका अपना नहीं था बल्कि कौम की मिल्कियत थी।<sup>१८</sup> 'शमा और शायर' में उन्होंने कहा था—

फर्द कायम रहते मिल्कत से है तनहा कुछ नहीं,

मौज है दरया में और बँरुने दरया कुछ नहीं।<sup>१९</sup>

व्यक्ति का महत्त्व केवल समुदाय में है जैसे नदी में लहर महत्त्वपूर्ण होती है और नदी के बाहर कुछ भी नहीं होती।

१९१८ ई० में रमूज बेखुदी की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा था कि मिल्ती जीवन की पराकाष्ठा यह है कि कौम के व्यक्ति किसी निश्चित नियम की पाबन्दी से अपनी व्यक्तिगत भावनाओं की सीमाएँ निर्धारित करें जिससे व्यक्तिगत भेद समाप्त होकर समस्त कौम के लिये एक सामान्य भावना पैदा हो जाए।<sup>२०</sup> इस समस्त मसनवी में व्यक्ति को समुदाय की अपेक्षा बहुत कम महत्त्वपूर्ण बताया गया था। १९३२ ई० में लन्दन में गोलमेज सम्मेलन से लौट आने के पश्चात् उन्होंने इस बात पर और अधिक बल दिया था कि सफलता के लिये प्रमुख आवश्यकता यह थी कि समस्त व्यक्तियों की संकल्प शक्ति को किसी एक लक्ष्य पर केन्द्रित कर दिया जाए।<sup>२१</sup>

अपने एक अन्य भाषण में उन्होंने कहा कि व्यक्ति समुदाय के जीवन में अस्थाई क्षण के लिये है समुदाय का जीवन अपने सदस्यों के जीवन के अतिरिक्त

१६. १९३१ ई० में गोलमेज-सम्मेलन के कारण १९३२ ई० में कंग्रस एवाइ, १९३३ ई० में मुस्लिम-लीग की योजना की प्रतीक्षा और १९३४ ई० के पश्चात् इकबाल के अस्वस्थ हो जाने के कारण यह योजना सफल नहीं हुई। अन्तर्गत-ए-इकबाल, पृ० २४, ६२, ६६, ६९।

१७. मुनवात-ए-इकबाल, पृ० २६-२७।

१८. मजामीन-ए-इकबाल, पृ० ३०-३६। यह निबन्ध अक्टूबर १९०४ ई० में लिखा गया था।

१९. मजामीन-ए-इकबाल, पृ० २४ (प्रस्तावना, रमूज-ए-बेखुदी)।

२०. बीप-ए-दर, पृ० २०२।

२१. मुनवात, पृ० ६३।

होता है यह विचार कि कौम केवल मनुष्यों का एक समूह है भूलतः ही गसत था ।<sup>७५</sup>

दूसरी मुख्य आवश्यकता संगठन और नेतृत्व की थी। इकवाल आरम्भ में ही "इन्सान-ए-कामिल" (श्रेष्ठ व्यक्ति) की आवश्यकता पर बल देते थे। इकवाल अन्य मुस्लिम विचारकों की भाँति प्रतियोगिता परीक्षाएँ तथा प्रजातन्त्रीय पद्धति के विरुद्ध थे। १९२७ ई० में उन्होंने पंजाब विधानसभा में कहा था कि "इस देश में सामान्यतः और इस प्रान्त में विशेषतः यह पद्धति अनुमरण करने योग्य नहीं है।" वे भारतीय अधिकारियों के स्थान पर अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति अधिक संख्या में चाहते थे।<sup>७६</sup> इस कथन पर मौजाना मोहम्मद अपनी ने इकवाल की तीव्र आलोचना की थी।<sup>७७</sup> इकवाल ने एक भारतीय कौम की कल्पना को अधिक आवाज करने वाली ऐसी मुर्गी बताया था जो घण्टे नहीं देती थी। इसलिए उस मुर्गी की भाँति इस कल्पना में भी कोई लाभ नहीं था।<sup>७८</sup>

वे प्रजातन्त्रीय परम्परा के विरुद्ध तो पहले से ही थे। १९२१ ई० में अपनी कविता 'खिच्च-ए-राह' में उन्होंने पश्चिमी प्रजातन्त्रीय पद्धति की वास्तविकता बनाते हुए लिखा था कि यह उतनी ही निरकुश है जितनी एकतन्त्रीय प्रणाली हो सकती है। अत्याचारी और निरंकुश प्रशासन का दानव प्रजातन्त्र की वेश-भूषा पहने हुए था। उसे स्वतन्त्रता की देवी समझना गलत था।<sup>७९</sup> १९३१ ई० में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि प्रजातन्त्रीय प्रशासन में उन सब दुर्व्यक्तियों तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति का अवसर उपलब्ध होता है जो अन्य किसी प्रशासन में नहीं होता था।<sup>८०</sup> १९३२ ई० में फ्रैंचाइज समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में इकवाल ने निर्वाचन में विशिष्ट मुरक्षामों की प्रशंसा की थी। १९३२ ई० में इकवाल ने अपने विभिन्न वक्तव्यों से यह स्पष्ट कर दिया था कि मुसलमान कौम में एकता स्थापित रखना कितना आवश्यक था।<sup>८१</sup>

सिक्कों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में इकवाल का कहना था कि उन्हें मुसलमानों के बहुमत को समाप्त करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया था कि मुसलमान किसी भी ऐसे समझौते से सन्तुष्ट नहीं होंगे जिसके अनुसार उन्हें ५१% प्रतिनिधित्व पंजाब में उपलब्ध न हो।<sup>८२</sup>

७५. सुत्रवान, पृ० ८७-८८।

७६. शामलू : इकवाल के भाषण, पृ० ६५-६६।

७७. मजामीन मोहम्मदअली, भाग २, पृ० ५०।

७८. शामलू, पृ० ६६।

७९. दाग-ए-दरा, पृ० २८८।

८०. शामलू, पृ० १८६।

८१. वही, पृ० १६६-५ अगस्त, १९३२ को छापा हुआ वक्तव्य।

८२. वही।

साम्प्रदायिक निर्णय के प्रकाशित हो जाने के पश्चात् उन्होंने कहा कि यदि उन्हें निर्णय देना होता तो वे भारतीय मुसलमानों के प्रति इतना अन्याय न करते जितना साम्प्रदायिक निर्णय ने किया था। इस निर्णय के दो आधार थे प्रथम किसी बहुमत को अल्पमत में परिवर्तित न किया जाए और दूसरे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। इन दोनों आधारों के अनुसार मुसलमानों को घाटा ही रहा।<sup>५३</sup> बंगाल में मुसलमानों का बहुमत समाप्त हो गया था और पञ्जाब में भी उन्हें यह बहुमत केवल नाममात्र के लिये ही मिला था। इस निर्णय में मुसलमानों को दिये गये अधिकारों को हिन्दुओं ने परिवर्तित करने का सुझाव रखा। इकबाल ने उसको मुसलमानों में फूट डालने का प्रयत्न बताया।<sup>५४</sup> २० मार्च, १९३३ ई० को इकबाल ने अग्नेजी सरकार द्वारा प्रकाशित श्वेत पत्र की आलोचना की क्योंकि मुसलमानों को सघीय सदन में २७५ में से केवल ८२ स्थान गारन्टी किये गये थे जो मुसलमानों के साथ सरासर अन्याय था।<sup>५५</sup>

यहाँ एक बात और स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि इकबाल तथा अन्य मुसलमान नेताओं ने कई अवसरों पर यह कहा था कि हिन्दू और मुसलमान मिलकर अग्नेजों के विरुद्ध संघर्ष करें और कांग्रेस अथवा कुछ हिन्दू नेताओं का ऐसा समझौता न करना अन्ततः मुसलमानों में कटु भाव पैदा करता रहा। यह विचार उसी समय कुछ ठीक प्रतीत होता है जबकि उसे ऐतिहासिक सन्दर्भ में न देखा जाए और केवल किसी एक घटना पर ही ध्यान केन्द्रित कर दिया जाए क्योंकि मुसलमान नेताओं की माँगें उन परिस्थितियों के साथ-साथ बदलती रही हैं जिनमें भारत को अग्नेजी नियन्त्रण में मुक्ति मिलने की सम्भावना रही। १९३३ ई० में वे जिन माँगों को प्रस्तुत करते थे उन्हें १९४० ई० में अस्वीकार कर चुके थे और १९४६-४७ ई० में केवल १९४० ई० में प्रस्तुत पाकिस्तान की पूर्ति चाहते थे। उदाहरणार्थ, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के सम्बन्ध में इकबाल का वक्तव्य ही लीजिये।<sup>५६</sup> इकबाल जहाँ एक ओर यह कहते थे कि महात्मा गांधी ने मुसलमानों की कुछ माँगों को स्वीकार नहीं किया। दूसरी ओर गांधीजी के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए वे यह भी कहते थे कि उनके विचार के अनुसार भारत में एक कौमियत का विचार ही आपत्तिजनक था और मुसलमान कभी भी भारतीय कौमियत में विलीन होना स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी आशेष लगाया था कि गांधीजी ने भारतीय कौमियत के विचार की अवहेलना की थी क्योंकि उन्होंने मसूनों को मुसलमानों में विलय हो जाने में रोका था।<sup>५७</sup>

५३. शामजू, पृ० २०४।

५४. वही, पृ० २०८।

५५. वही, पृ० २१३।

५६. इकबाल का वक्तव्य जा ६ नवम्बर, १९३३ ई० का छापा था। शामजू, पृ० २३२-३८।

५७. वही, पृ० २३२-३६।

इकबाल ने इसी वक्तव्य में यह भी स्पष्ट किया था कि मुसलमान अपने लिए सुरक्षारमक व्यवस्था इसलिए नहीं चाहते थे कि वे प्रजातन्त्र से भयभीत थे बल्कि इसलिए कि वे प्रजातन्त्र को आड़ में किराँ भी एक धार्मिक सम्प्रदाय के आधिपत्य से बचना चाहते थे। जिम भाषण में इकबाल ने यह आश्वासन दिया था कि वे कांग्रेस के साथ समझौते के इच्छुक थे उसी में यह भी कहा था कि बहुमत वाली कौम को या तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वह पूर्व में सदा अंग्रेजी साम्राज्य की प्रतिनिधि बनी रहेगी या फिर धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वयं को ध्यान में रखकर देश को इस प्रकार विभाजित करना होगा कि वर्तमान स्थिति में निर्वाचन और साम्प्रदायिक समस्या का प्रश्न ही न रहे।<sup>५५</sup>

१९३५ ई० का एकट लागू हो जाने के पश्चात् इकबाल को इस बात को चिन्ता हुई कि पंजाब में मुसलमानों का उचित प्रतिनिधित्व हो। मई १९३६ ई० में जिन्ना लाहौर में इकबाल से मिले जो उस समय पंजाब प्रान्तीय मुस्लिम-लीग के अध्यक्ष थे। पंजाब में मुस्लिम-लीग के प्रभाव को बढ़ाने के लिये इकबाल ने जिन्ना को जनसाधारण के समर्थन का आश्वासन दिलाया तथा पंजाब में मुस्लिम-लीग के प्रभाव को बढ़ाने के लिये प्रयत्न करने का आश्वासन दिया।<sup>५६</sup>

मई १९३६ ई० के पश्चात् ही इकबाल और जिन्ना में पत्रों का आदान-प्रदान हुआ। इनमें से केवल इकबाल के पत्र उपलब्ध हैं। इन पत्रों में इकबाल ने अपने पूर्व प्रसारित विचारों को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया था। केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के चुनाव के लिये इकबाल यह आवश्यक समझते थे कि एक अखिल भारतीय नीति तथा योजना होनी चाहिए थी और केवल उन मुसलमानों का ही चुनाव होना चाहिए जो उस नीति से सहमत हों। इकबाल यह अनुभव करते थे कि प्रान्तीय मुस्लिम राजनीतिक दलों ने भारतीय मुसलमानों की एकता को प्रायः समाप्त कर दिया था। इसलिए एक अखिल भारतीय योजना आवश्यक थी।<sup>५७</sup>

२५ जून १९३६ ई० को अपने पत्र में इकबाल ने जिन्ना को यह सुझाव भी भेज दिया था कि सर सिकन्दर और अहमदयार खाँ दौलताना (यूनियनिस्ट नेता) मुस्लिम-लीग में मिलने को तैयार थे किन्तु १ जुलाई, १९३६ ई० को सरफजलहुसैन को मृत्यु के पश्चात् पंजाब का नक्शा ही बदल गया और सर सिकन्दर हयातखाँ को पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी का नेता बना लिया गया। अगले एक वर्ष से अधिक समय तक डॉ० इकबाल इस बात का प्रयत्न करते रहे कि मुस्लिम-लीग का प्रभुत्व पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी पर स्थापित हो जाए।

५५. बटानवी : इकबाल के जाखिरी दो गान, पृ० ३०७।

५६. यह सुझाव इकबाल ने इसलिए दिया था कि यह निर्वाचन मेनिफेस्टों में सम्मिलित किया जा सके। पत्र दि० ६ जून, १९३६। इकबाल के पत्र जिन्ना के नाम, पृ० ६-८।

५७. वही।

दूसरी समस्या जिस पर डॉ० इकबाल ने अत्यधिक ध्यान दिया था वह जवाहरलाल नेहरू का मुस्लिम जनसम्पर्क प्रोग्राम था वे इसका मुंह-तोड़-जवाब देने के लिये जिन्ना को प्रोत्साहित करते रहे।<sup>६१</sup> उन्हें इस बात की चिन्ता थी कि मुसलमानों में कांग्रेस समर्थक भावनाएँ बढ़ रही थीं वे यह भी चाहते थे कि मुस्लिम-लीग ममस्त मुसलमानों की सामान्य प्रतिनिधि सस्था बन जाए तथा उसे मुसलमानों के केवल उच्च वर्गों तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

१५-१६ फरवरी १९३७ ई० को जिन्ना-सिकन्दर समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार यूनियनिस्ट पार्टी और लीग में आपसी समझौता हुआ। इकबाल इस समझौते के पश्चात् यूनियनिस्ट पार्टी की नीतियों में अमन्तुष्ट थे और वे जिन्ना को अधिक टोस अथवा कठोर नीति अपनाने के लिए कहते रहे। किन्तु इकबाल अपने विचारों के अनुकूल जिन्ना को न बना सके। जिन्ना व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे जो गिकन्दर-जिन्ना पैक्ट के उलघनों की उपेक्षा कर देना चाहते थे। मार्च, १९३८ ई० में पंजाब मुस्लिम-लीग को अखिल भारतीय मुस्लिम-लीग में मान्यता प्रदान नहीं की और अप्रैल १९३८ ई० में इकबाल ने अत्यन्त दुखी होकर अपने सहयोगियों को मुस्लिम-लीग के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में भाग लेने के लिए भेजा। फलस्वरूप इकबाल के कुछ समर्थक पंजाब मुस्लिम-लीग की कार्यकारिणी में सम्मिलित कर लिये गये।

१९३७-३८ ई० में सर सिकन्दर हयातख़ाँ के दल के प्रति अपनाई जाने वाली नीति में इकबाल और जिन्ना में मतभेद था। यह मतभेद उसी प्रकार का था जो एक सैद्धांतिक विचारों वाले व्यक्ति और एक व्यवहार-कुशल राजनीतिज्ञ में हो सकता था। इकबाल यूनियनिस्ट दल से असन्तुष्ट थे क्योंकि वह मुस्लिम-लीग के प्रति निष्ठावान नहीं था। जिन्ना व्यवहार-कुशल राजनीतिज्ञ थे जो पंजाब में मुस्लिम लीग के प्रभाव को बढ़ाने के लिए यूनियनिस्ट नेता की प्रत्येक शर्त को पूरा करना चाहते थे। इकबाल समर्थक दल कलकत्ते में से जब लौटकर लाहौर आया तो उसी दिन इकबाल की मृत्यु का समाचार मिला।<sup>६२</sup>

इकबाल और पाकिस्तान का विचार :

जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक "डिस्कवरी ऑफ इण्डिया" में यह विचार व्यक्त किया है कि "इकबाल प्रारम्भ में यद्यपि पाकिस्तान के विचार के समर्थक थे किन्तु उन्होंने इस विचार को बेमेल और घातक होना स्वीकार कर लिया था।"<sup>६३</sup> जवाहरलाल ने एक अन्य लेखक एडवर्ड थोम्सन के हवाले से यह भी कहा है कि इकबाल ने उन्हें (थोम्सन को) यह बताया था कि उन्होंने मुस्लिम-लीग के अध्यक्ष

६१. पत्र दि० २० मार्च १९३७, २२ अप्रैल १९३७, २८ मई १९३७ ई०. इकबाल के पत्र, पृ० ११-१४, पृ० १५।

६२. आशिक हुसैन बटालवी-इकबाल के आधरी दो साल, पृ० ६४४।

६३. नेहरू. डिस्कवरी ऑफ इण्डिया, पृ० ३७२।

होने के नाते ऐसा किया था लेकिन उन्हें पूर्ण विश्वास था कि यदि भारत विभाजित हुआ तो मुसलमान नष्ट हो जायेंगे।

एडवर्ड थोम्सन ने अपनी दो पुस्तकों में भिन्न-भिन्न प्रकार से इस घटना का वर्णन किया है। पहली पुस्तक में उन्होंने लिखा है :

“इकबाल मेरे दोस्त थे और उन्होंने इस सम्बन्ध में मेरे समस्त सन्देशों को दूर कर दिया था पहले उन्होंने इस बात पर चिन्ता प्रकट की थी कि मेरे विस्तृत देश में चारों ओर अव्यवस्था फैली हुई नजर आती थी फिर उन्होंने कहा कि उनका विचार था कि पाकिस्तान हिन्दुओं, मुसलमानों और अंग्रेजी साम्राज्य तीनों के लिए विनाशकारक होगा और अन्त में उन्होंने कहा, “किन्तु मैं मुस्लिम लीग का अध्यक्ष हूँ इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करूँ।”<sup>६४</sup>

दूसरी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि :

“इकबाल ने.....अपनी मृत्यु से कुछ देर पूर्व जब उन्हें यह मालूम हो गया था कि उनका समय निकट आ गया है मुझे एक पत्र में बड़े दुःख के साथ लिखा था कि मेरे अव्यवस्थित देश में चारों ओर विनाशकारी घटनाएँ दिखाई पड़ती हैं।”<sup>६५</sup>

एडवर्ड थोम्सन के वर्णन में कुछ अन्तर्विरोधी तत्व हैं और कुछ प्रमाणित तथ्यों के विपरीत तत्व हैं। उन्होंने तीन बातें कही हैं :

(१) इकबाल ने पाकिस्तान का समर्थन इसलिए किया था कि वे मुस्लिम-लीग के अध्यक्ष थे।

(२) इकबाल जीवन में एक बार ही मुस्लिम-लीग के अध्यक्ष बने थे और उस समय तक लीग का यह लक्ष्य ही नहीं था। इसके अतिरिक्त इकबाल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वयं यह कहा था कि वे अपने चिन्तन के आधार पर यह लक्ष्य प्रस्तुत कर रहे थे।<sup>६६</sup>

(३) इकबाल के विचारों में मृत्यु से पूर्व परिवर्तन आ गया था और उन्होंने एक चिट्ठी में यह सब लिखा था।

थोम्सन महोदय का यह तर्क तथ्यों के अभाव में शायद स्वीकार भी हो जाता किन्तु इकबाल ने अपने अन्तिम दिनों में अपनी इस योजना का इतना स्पष्ट रूप प्रस्तुत किया था जितना कि शायद १९३० ई० के अध्यक्षीय भाषण में भी नहीं किया था। अपने २० मार्च, १९३७ ई० के पत्र में उन्होंने जिन्ना पर इस बात के लिए दबाव डालने का प्रयत्न किया था कि वे जवाहरलाल नेहरू की मुस्लिम सम्पर्क योजना का उचित उत्तर दें और एक पृथक् एवं निश्चित राजनीतिक इकाई के रूप

६४. एडवर्ड थोम्सन - एनलिस्ट इण्डिया पॉर फ्रीडम, पृ० १० (१९४०)।

६५. एडवर्ड थोम्सन : एथिकल आडिप्लम इन इण्डिया टूडे, (१९४२)।

६६. शामलू, पृ० १८।

में भारतीय मुसलमानों के उद्देश्य को स्पष्ट करें।<sup>६७</sup> २८ मई, १९३७ ई० को पुनः अपने लिखा.....“प्रश्न यह है कि मुस्लिम निर्धनता की समस्या को किम प्रकार हल किया जाय ?.....इस्लामी विधि प्रणाली का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि यदि इन नियमों को ठीक प्रकार से समझा जाए तथा लागू किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति (मुसलमान) को जीवन-निर्वाह के साधन उपलब्ध हो सकते हैं किन्तु इस देश में इस्लामी शरियत (विधि प्रणाली) को उस समय तक लागू नहीं किया जा सकता जबतक कि एक या एक से अधिक स्वतन्त्र मुस्लिम राज्य न हों” भारत में शान्ति स्थापित रखने का यही एक साधन है यदि यह असम्भव है तब एकमात्र विकल्प गृह-युद्ध है जो वास्तव में कुछ समय से मुस्लिम उपद्रवों के रूप में चल रहा है.....यह आवश्यक है कि भारत का नए सिरे से विभाजन हो और एक या एक से अधिक ऐसे राज्य स्थापित किये जाएँ जहाँ मुसलमानों को पूर्ण बहुमत हो। क्या आप अनुभव नहीं करते हैं कि इस प्रकार की माँग प्रस्तुत करने का समय आ चुका है।”<sup>६८</sup>

इकबाल ने अपने २१ जून, १९३७ ई० के पत्र में पुनः लिखा था :

“ऐसी स्थिति में यह पूरी तरह स्पष्ट है कि भारत में शान्ति स्थापित रखने का एकमात्र उपाय यह है कि देश को धार्मिक, जातीय और भाषाई सिद्धान्तों के अनुसार विभाजित कर दिया जाये। बहुत से अंग्रेज राजनीतिज्ञ भी इस बात को अनुभव कर रहे हैं। मुझे याद है कि इंग्लैण्ड में लॉर्ड लोयियन ने मुझ से कहा था कि मेरी योजना भारत की समस्याओं का एकमात्र हल थी.....उत्तर-पश्चिमी भारत और बंगाल के मुसलमानों को पृथक् कौमों को न समझा जाय जिन्हें आत्मनिर्णय का उभी प्रकार अधिकार उपलब्ध हो जिस प्रकार भारत में और भारत के बाहर अन्य कौमों को उपलब्ध है।”<sup>६९</sup>

उपरोक्त पत्रों की उपस्थिति में यह कहना अनुचित है कि इकबाल ने अपनी मृत्यु में कुछ समय पूर्व अपने विचार बदल दिये थे।

६७ इकबाल के पत्र जिन्ना के नाम, पृ० १२।

६८ वही, पृ० १६-१८।

६९ इकबाल के पत्र, पृ० २१-२२।

## अबुल कलाम आजाद

(१८८८-१९५८)

भारतीय मुसलमान नेताओं में मौलाना अबुल कलाम आजाद अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। यद्यपि उन्होंने भी मुसलमानों को इस्लाम और कुरान के आधार पर संगठित होने की शिक्षा प्रदान की थी लेकिन जहाँ अन्य नेता (जैसे इकबाल और मोहम्मद अली) मुस्लिम पृथक्कतावादी बन गए वहाँ मौलाना आजाद राष्ट्रवादी बने रहे। उनका राष्ट्रवादी विचारों का समर्थक बने रहना इस बात का प्रमाण है कि मुस्लिम पृथक्कतावादी विचार केवल इम्नाम धर्म पर ही आधारित नहीं थे।

मौलाना आजाद का जन्म १८८८ ई० में मक्का में हुआ था। उनके पूर्वजों के विषय में बहुत कम ज्ञान उपलब्ध है। मौलाना ने अपने पूर्वजों के विषय में लिखा है कि उनके परिवार में तीन प्रमुख परिवारों का मिश्रण था। ये तीनों परिवार भारत और अरब के प्रसिद्ध परिवारों में थे।<sup>१</sup> किन्तु एक आधुनिक शोध ग्रन्थ में उनके इस कथन की परीक्षा की गई है जिसमें मौलाना आजाद का कथन संदिग्ध प्रतीत होता है।<sup>२</sup> श्री भुशीर उलहक के अनुसार मौलाना आजाद उन लोगों की तो आलोचना करते थे जो अपने पूर्वजों की प्रशंसा किया करते थे किन्तु स्वयं वे इस दोष से मुक्त नहीं थे। मौलाना को यह भी मानना था कि लोगों में उनके प्रतिष्ठित वंश के बारे में विभिन्न भ्रान्तियाँ प्रचलित थी और उन्होंने उन्हें फँसने दिया।<sup>३</sup>

मौलाना आजाद ने किमी कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उनकी समस्त शिक्षा घर पर ही हुई थी क्योंकि उनके पिता का पारम्परिक शिक्षा प्रणाली में कोई विश्वास नहीं था। पम्परागत शिक्षा मामान्यतः २०-२१

१. अबुल कलाम आजाद : तर्कान, पृ० ३ (उद्धृत सन्दर्भ)।

२. मुगीर उनहूँ : मुस्लिम पॉजिटिव इन मोडर्न इण्डिया, पृ० ४०-६५।

३. वही, पृ० ६५।



बर्ष की आयु तक पूरी हो पाती थी लेकिन मौताना ने यह शिक्षा १६ वर्ष की आयु तक ही पूरी कर ली थी।<sup>४</sup> १९४२ ई० में अहमदनगर जेल में अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि जो शिक्षा उन्हें प्रारम्भिक जीवन में उपलब्ध हुई थी वह प्रत्येक प्रकार से दोषपूर्ण थी। यद्यपि उनके चारों ओर वातावरण पुरानी परम्परा को प्रोत्साहन देने वाला था किन्तु उनके मन में 'शका' उत्पन्न हो गई थी और वे यह अनुभव करने लगे थे कि ज्ञान और वास्तविकता कुछ और भी थी। पुरानी परम्परा पर आधारित विश्वास डगमगा गये थे उस समय यह शका क्यों उत्पन्न हुई थी इसका स्पष्ट उत्तर वे १९४२ ई० में देने में असमर्थ रहे थे<sup>५</sup> इतना अवश्य है कि अपने १६ सितम्बर १९४३ के पत्र में मौलाना आजाद ने १९०५ ई० की एक घटना का वर्णन किया है जो विशेष ध्यान देने योग्य है। उन्हें गायन विद्या का शौक पैदा हो गया था और वे घंटों अपने घर में बाहर सितार पर अभ्यास किया करते थे। यह अभ्यास चोरी-छिपे किया जाता था। सम्भवतः गायन कला के प्रति रुढ़िवादी पारिवारिक वातावरण उनके मन में शंका उत्पन्न कराने के लिये उत्तरदायी रहा हो।<sup>६</sup> किन्तु १९५६ ई० में लिखवाई गई आत्मकथा में उन्होंने इन शंकाओं का स्रोत सर सैयद अहमदख़ाँ के लेखों का अध्ययन बताया था।<sup>७</sup>

१९०८ ई० में अबुल कलाम आजाद मिस्र, तुर्की, फ्रांस आदि देशों की यात्रा पर गये किन्तु अपने पिता की बीमारी का समाचार सुनकर उन्हें शीघ्र ही लौट आना पड़ा।

मौलाना के बचपन में ही खानदानी धार्मिक प्रतिष्ठा के कारण बहुत से अनुयायी उपलब्ध हो गए थे जो उनकी युवावस्था में ही उनके हाथ पाँव चूमते थे।<sup>८</sup> वे अपने राजनीतिक जीवन में भी इस प्रकार की प्रधानता तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहे। यद्यपि उन्हें इस उद्देश्य में कोई विजेय सफलता नहीं मिली।

मौलाना आजाद ने जुलाई १९१२ ई० में "अल-हिलाल" नामक साप्ताहिक

४. मौलाना आजाद, इष्टिया विन्स फ्रीडम, पृ० २।

५. मौलाना आजाद गुब्बार-ए-खातिर, पृ० १२३-१२५। यह पत्र उन्होंने अहमदनगर दुर्ग की जेल में अपने मित्र नवाब सदर यार जग मौलाना हबीब उन्वरुद्दौलाख़ाँ शेखानी रईम भीरगपुर जि० अलीगढ़ के नाम १२ अक्टूबर १९४२ ई० को लिखा था।

६. यह पत्र गुब्बार-ए-खातिर में अन्तिम है। यह सबसे लम्बा पत्र है और इसी में औरगज़ेब और जिनआबदी के प्रेम का भी वर्णन किया गया है। पृ० २८७-२८९।

७. मौलाना आजाद : इष्टिया विन्स फ्रीडम, पृ० २-३। यह बचन विश्वनीय प्रतीत नहीं होता क्योंकि उनके विचार सर सैयद अहमदख़ाँ द्वारा चलाये गये आन्दोलन के प्रति बहुत कटु थे, जैसा आगे बताया गया है।

८. गुब्बार-ए-खातिर, पृ० १०९।

पत्र प्रकाशित करना आरम्भ किया।<sup>९</sup> इस पत्र के प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य तथा वास्तविक अभिप्राय यह था कि मुसलमानों को अपने समस्त कार्यों तथा विश्वासों में केवल कुरान और हजरत मोहम्मद के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। यदि कोई मुसलमान अपने किसी भी कार्य अथवा विश्वास के लिए कुरान के अतिरिक्त किसी अन्य शिक्षा अथवा संस्था को अपना मार्ग-दर्शक बनाएगा तो "वह मुस्लिम नहीं बल्कि मुशरिक है"<sup>१०</sup> अलहिलाल में मुसलमानों के धार्मिक विचारों और विश्वासों से सम्बन्धित टिप्पणी की जाती थी। मौलाना आजाद मनुष्य के कार्यों के प्रत्येक अंग को धर्म की दृष्टि से ही देखते थे। उनके अनुसार इस्लाम मनुष्य के लिए एक पूर्ण नियम लेकर आया था और मनुष्य के कार्यों का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके लिये वह आज्ञा प्रदान न करता हो।<sup>११</sup> जब किसी व्यक्ति ने आजाद से उनके राजनीतिक सिद्धान्तों के विषय में पूछा तब उन्होंने कहा कि "हमने अपने राजनीतिक विचार भी धर्म से ही सीखे हैं, वे न केवल धार्मिक रंग में रंगे हैं बल्कि धर्म द्वारा पैदा किये गये हैं.....हमारे विश्वास में प्रत्येक ऐसा विचार जो कुरान के अतिरिक्त और किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो कुफ्र के समान है।"<sup>१२</sup> राजनीतिक नीतियों के लिये न तो वे सरकार के दरवाजों पर भुक्ने के लिये कहते थे और न हिन्दुओं पर भरोसा करने की आवश्यकता बताते थे। वे मुसलमानों के जीवन के सम्पन्न विभागों के लिये इस्लाम को अत्यन्त उच्चकोटि का नियम मानते थे। उनका तर्क था कि यदि ऐसा न होता तो वह दुनिया का अन्तिम और विश्वव्यापी धर्म न हो सकता था।

वे मुसलमानों को राजनीतिक क्षेत्र में पृथक् और स्वतन्त्र बनाना चाहते थे। उनके अनुसार मुसलमानों के लिए इससे बढ़कर अपमानजनक और कोई बात नहीं हो सकती थी कि वे दूसरों की राजनीतिक शिक्षाओं के आगे झुककर अपना मार्ग निश्चित करें। उन्हें किसी दल में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं थी। मुसलमानों को अपने में सम्मान, स्वाभिमान तथा शक्ति पैदा करनी चाहिए।<sup>१३</sup>

१९५७ ई० में मौलाना आजाद ने अपनी आत्मकथा में यह कहा था कि १९०८ में वे बंगाल के क्रान्तिकारियों के प्रति आकर्षित हुए थे और ईरान, मिस्र तथा तुर्की के क्रान्तिकारियों से अपनी विदेश यात्रा के समय मिलकर उनके क्रान्तिकारी

९. अपनी आत्मकथा लिखते समय शायद उन्हें गलत ध्यान रहा कि जून १९१२ में यह पत्र प्रकाशित किया गया था। इण्डिया विन्स प्रीडम, पृ० ६।

१०. अलहिलाल, ८ नवम्बर, १९१२। मजामीन अबुल कलाम आजाद (सम्पादक : यदु उल हसन) भाग २, पृ० २५।

११. मजामीन, भाग २, पृ० १६।

१२. वही।

१३. वही, पृ० २५-२६।



पहले से ही लगा हुआ था। यह पुनः सर सैयद द्वारा संचालित आन्दोलन ही था।<sup>१८</sup> उनका पहला आक्षेप तो यह था कि पॉलिटिकम में न तो कौम की कोई नीति थी न कोई राय। केवल कुछ प्रभावशाली लोग थे जो अपने महलों में बैठकर नीति बना लिया करते थे और फिर समस्त कौम की आंखों पर पट्टी बांध कर उनके हाथों में छड़ी पकड़ा देते थे जिससे वे कोल्हू के बल की भाँति उनके बनाए हुए मार्ग पर चनते रहते थे। मौलाना आजाद को लीग में दूसरा दोष यह दिखाई पड़ा कि लीग ने मुसलमानों को सरकार पर भरोसा करने की नीति मुझाई थी।<sup>१९</sup> तीसरा दोष यह था कि उसने राजनीति को धर्म से अलग कर दिया था। मौलाना आजाद का कहना था कि मुसलमानों की मात्र नीतियों की असफलता का कारण ही यह था कि वे इस्लाम धर्म में दूर थी।<sup>२०</sup> लीग ने अपने पिछले ६ वर्षों के कार्यों से राजनीति का ऐसा अपमान किया जैसा किसी कौम ने कभी नहीं किया था। मौलाना आजाद ने लीग को परामर्श दिया था कि वह हिन्दू बहुसंख्यकों का भय दिल में निकाल दे। उनका कहना था कि शक्ति केवल संख्या पर निर्भर नहीं करती। वे चाहते थे कि राजनीति संचालन का नियन्त्रण दौलत के हाथों से निकालकर दिमाग को सौंप दें क्योंकि सम्पत्ति वाले लोग सिर में लेकर पाँच तक जंजीरो में लिपटे हुए होते थे।<sup>२१</sup>

मौलाना आजाद मुसलमानों को पृथक् संगठित करना चाहते थे।<sup>२२</sup> उनके अनुसार दूसरी कौमों के उदाहरण को अपने समक्ष रखना कुछ विशेष लाभदायक नहीं हो सकता था। उन्हें केवल अपने ऊपर दृष्टि रखनी चाहिए थी। यदि वे केवल 'कुरान' के बताए हुए मार्ग पर चले तो उन्हें वैभव और प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकेगी। उनका मत था कि यदि मुसलमानों ने अपने लिए एक स्वतन्त्र नीति तैयार करली, कांग्रेस से भी उत्तम प्रोग्राम उनके हाथ में हुआ, आयरलैण्ड के नागरिकों से भी बढ़कर उत्साह और सरगमी पैदा करली, एवं उनका प्रत्येक व्यक्ति ग्लेडस्टन और मोर्ले हो गया, लेकिन उन्होंने इसके साथ अपने विश्वासों और कार्यों में इस्लाम की क्रियाशील आत्मा जाग्रत न की और स्वयं को ईश्वरीय धर्म के अधीन नहीं किया तो हममें मुसलमानों को कोई लाभ नहीं पहुँचेगा।<sup>२३</sup> आरम्भ में कुन्द बोगो ने उन्हें राजनीति को धर्म से अलग रखने के लिये कहा, लेकिन मौलाना आजाद का प्रत्युत्तर यह था कि उन्होंने तो अपने राजनीतिक विचार भी धर्म में ही सीखे थे। वे मुसलमानों

१८. शोरिश बागभीरी (सम्पादक) : शुनबान-ए-आजाद, पृ० ३१५।

१९. अलहिबान, २२ तथा २६ मितम्बर, १९१२, मजामीन, भाग २, पृ० ४२-४३।

२०. अलहिबान, ६ अक्टूबर, १९१२, मजामीन, भाग २, पृ० ६१।

२१. अलहिबान, १८ सितम्बर, १९१२, मजामीन-ए-आजाद, भाग २, पृ० १२८-१२९।

२२. उन्होंने हिम्मुतुजा नाम के दल का गठन भी किया था जिसका वर्णन आगे किया गया है।

२३. अलहिबान, १९ अक्टूबर, १९१२, मजामीन, भाग २, पृ० ७१। आजाद अपने इस विचार को देखाजी कहते थे।

को अलहिलाल के माध्यम से केवल मुसलमान बना देना चाहते थे।<sup>२४</sup> उनका विश्वास था कि यदि मुसलमान इस्लाम के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो वे एक शक्तिशाली समुदाय बना सकेंगे।

आजाद केवल इतना ही नहीं चाहते थे कि मुसलमान जनता मुस्लिम लीग के नेतृत्व से अलग हो जावे। वे उन्हें कांग्रेस से भी अलग रहने की शिक्षा देते थे।<sup>२५</sup> उनकी शिक्षा थी कि वे स्वयं को इस्लाम पर छोड़ दें। उनकी नीति केवल कुरान का पालन होनी चाहिए क्योंकि उनकी समस्त आधुनिक बीमारियों का मूल कारण कुरान का पालन न करना था।<sup>२६</sup> आजाद यह समझते थे कि आधुनिकतम परिवर्तनों के लिये कुरान से साक्ष्य प्रस्तुत किये जा सकते थे। इस समय वे मुसलमानों की कौमियत को किसी जाति, वंश या पृथ्वी के भौगोलिक विभाजन से सम्बन्धित नहीं समझते थे। उनके समस्त कार्यों का आधार केवल इस्लाम धर्म था। यूरोप में 'नेशन' शब्द के माध्यम से हजारों व्यक्तियों को सरलता से प्रभावित किया जा सकता था, लेकिन मुसलमानों को प्रभावित करने का एकमात्र साधन इस्लाम अथवा खुदा का नाम था।

मौलाना आजाद का अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति दृष्टिकोण ग्रन्थ मुस्लिम नेताओं ने गिन्न था। दिसम्बर १९१२ ई० में उन्होंने लिखा कि भारत एक कृपि प्रधान देश था। इसकी सम्पत्ति इंग्लैण्ड के पेट में भरती जा रही थी और इस प्रकार हजम हो जाती थी कि 'और भूख है' का नारा सुनाई देता था। रेलवे के विस्तार के इंग्लैण्ड को ठेके दिये जा रहे थे ताकि वह धन एकत्र करे किन्तु भारतीयों को अग्र्य छूने की अनुमति न थी क्योंकि 'तुम गद्दार हो'। देश की समस्त सम्पत्ति ७०,००० गोरे सिपाहियों को सोना और चाँदी खिलाकर लुटाई जा रही थी, किन्तु देश के निर्वन काले लोग शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रबन्ध से वंचित थे। नमक भी मिलता था तो चुँगी देकर और शिक्षा भी मिलती थी तो घरबार बेचकर।" फिर राज्य की गगंडोर अपने हाथ में लेते हुए प्यार भरे शब्दों में वादा किया गया कि रंग, भाषा और शासक प्रजा का कोई भेद नहीं है जो मार्ग अपने लिए है वह सबके आगमन के लिये सुरक्षित है, लेकिन जब पाँव उठे और चलना आरम्भ किया तो समस्त द्वार बन्द थे और इंग्लैण्ड का प्रत्येक निवासी शासक-प्रजा के भेद से पूर्णतया प्रभावित था।"<sup>२७</sup>

२४. अकीन अहमद जाफरी (सम्पादक) : महात्मता अबुल कलाम, पृ० २१-२३।

२५. अलहिलाल, १६ तथा २३ अक्टूबर, १९२२, मजामीन, भाग २, पृ० ७८-८१।

२६ वही।

२७ अलहिलाल, १८ दिसम्बर, १९१२। लेख का शीर्षक था - भारत की स्वतन्त्रता और मुसलमान। मजामीन अबुल कलाम आजाद, भाग २, पृ० १११-११२। यह निबन्ध नमक अलग से भी छपे हैं। इनमें न० २, भाग १, पृ० ८-९, मन्दादा मुस्ताफ अहमद, मेरठ।

मौलाना आजाद इस समय यह नहीं मानते थे कि मुसलमान अंग्रेजों की कूटनीति के शिकार हुए थे। उनका कहना था कि अंग्रेजी सरकार को अपने हितों को दृढ़ करने के लिए एक बड़ी बलि चाहिए थी। यह बलि थी कि कोई एक कोम देश को छोड़कर उसके साथ ही जाए और अपने देश के उद्देश्यों के पेटों की उनकी आशाओं को बलि के रक्त से सिंचाई करें। मुसलमानों ने स्वयं अपने-आपको इस बलिदान के लिये प्रस्तुत कर दिया।<sup>२८</sup> वे इसी समय चाहते थे कि लीग का उद्देश्य इंग्लैंड के अधीन भारत को स्वायत्तता उपलब्ध कराना बन जाए।<sup>२९</sup> १९२३ ई० में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अंग्रेजी साम्राज्य की वास्तविकता के विषय में उन्होंने कहा था कि "वह अपने स्वरूप में ही अन्याय पर आधारित था। वह इसलिए स्थापित नहीं था कि उसमें आन्तरिक शक्ति थी बल्कि केवल इसलिए कि हमने अपनी सापरवाही से उसका समर्थन किया था। अन्याय उसकी धातु थी इसलिए उसकी शिकायत से कोई लाभ नहीं होगा। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि वह समाप्त हो जाए।"<sup>३०</sup> आजाद अन्य मुसलमान नेताओं से भिन्न यह भी कहते थे कि देश की स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष करना हिन्दुओं के लिये देश भक्ति में सम्मिलित हो सकता था, लेकिन मुसलमानों के लिये तो एक धार्मिक कार्य है और जिहाद में सम्मिलित था।<sup>३१</sup>

अलहिलाल के माध्यम से मौलाना आजाद ने अपने लिए मुसलमानों में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया था। अप्रैल १९१३ ई० में मौलाना ने अलहिलाल में एक नये दल के गठन का विज्ञापन दिया। इस दल का नाम था "हिज्जुल्लाह" (ईश्वर का दल)। मौलाना ने इस गठन की योजना को गुप्त रखा था इसके सदस्यों से सम्बन्धित एक रजिस्टर मौलाना के पास था; लेकिन १९१६ ई० में बन्दी बना लिये जाने के पश्चात् यह रजिस्टर उनसे ले लिया गया था। मौलाना के बन्दी रहने के समय उन सब सदस्यों के यहाँ खुफिया पुलिस द्वारा तलाशी ली गई जिनके नाम और पते इस रजिस्टर में थे।<sup>३२</sup> सम्भवतः इन सदस्यों की संख्या अधिक नहीं थी।<sup>३३</sup>

१९१५ ई० में अलहिलाल पत्र को सरकारी आदेशों के अनुसार बन्द करना पड़ा। अलहिलाल के बन्द हो जाने पर मौलाना आजाद ने "अलबलाग" नामी साप्ताहिक पत्र निकाला। इस पत्र में भी उसी प्रकार के विषयों पर निबन्ध होते

२८. मजामीन, भाग २, पृ० ११६।

२९. वही, पृ० १२३-१२४।

३०. मुतवाह, पृ० २२०।

३१. अलहिलाल, १८ दिसम्बर, १९१२, मजामीन भाग २, पृ० १३२।

३२. गुलाम रसूल महर. नकशे-आजाद, पृ० ३।

३३. मुशीर उनहक का अनुमान है कि सदस्यों की संख्या आरम्भ में ८०० के लगभग थी। अन्तिम संख्या के बारे में कुछ निश्चित कह पाला नहीं था। मुस्लिम पॉलिटिकल इन मॉडर्न इण्डिया, पृ० ८६-६१।

थे जैन अल-हिवाल में। मौलाना का यह दृढ़ विश्वास था कि कुरान ने विश्व की समस्त सच्चाइयों के माथ राजनीति को भी धारण करके समेट रखा है।<sup>३४</sup> सच्चे धर्म का प्रमुख उद्देश्य मन्वी राजनीति की स्थापना था। प्रत्येक विदेशी मन्ता जब किसी देश अथवा सम्प्रदाय की शक्ति निर्बल करना चाहती है तो वह उगमे पहले पूट डाल देती है।

एक अन्य निबन्ध में अथवात्मक शैली में उन्होंने मुसलमानों में कहा कि वे पैगम्बर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिये सम्मेलन आदि का आयोजन तो अवश्य करते थे, किन्तु उनके बताए हुए मार्ग पर बिलकुल नहीं चलते थे। वे मुसलमानों के पतन का प्रमुख कारण यही मानते थे कि एक ईश्वर, एक पैगम्बर और एक पवित्र पुस्तक में विश्वास रखने वाले विभिन्न वर्गों और मंगलनों में विभक्त हो गए थे।<sup>३५</sup> अलीगढ़ कॉलेज में शिया विद्यार्थियों की धार्मिक शिक्षा के अनुचित प्रवन्ध का परिणाम यह हुआ कि एक शिया कॉलेज की योजना बनाई गई। मौलाना का इस पर यह कहना था कि शिया अनुयायियों की शिरापत तो उचित हो भी पर अलीगढ़ में किसी भी धार्मिक शिक्षा का कोई मन्तोपजनक प्रवन्ध ही नहीं था। मौलाना के शब्दों में वहाँ धर्म के नाम पर कुफ़र की शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ कॉलेज के प्रवन्धकों का प्रस्तावित शिया कॉलेज की स्थापना का विरोध अनुचित था। मौलाना विभिन्न इस्लामी कॉलेजों के पक्ष में थे। वे यह चाहते थे कि इन कॉलेजों के पहले "शिया" अथवा "मुन्नी" न लगाया जाए।<sup>३६</sup> १९१६ ई० में मौलाना आजाद को बगल छोड़कर आना पड़ा और उन्होंने बिहार में राँची में रहना आरम्भ किया। शीघ्र ही उन्हें राँची में कैद कर लिया गया। १९२० ई० तक वे जेल में ही रहे। और १९२० ई० में जेल से छूटने के पश्चात् वे खिलाफत आन्दोलन के समर्थन में लग गए। फिर भारत में राजनीतिक घटनाओं का क्रम कुछ इतनी तीव्र गति से चला कि उन्हें हिज्बुल्लाह को पुनः जीवित करने का अवसर ही न मिला।

मौलाना आजाद अल-हिवाल के माध्यम से मुसलमानों को केवल कुरान द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलाना चाहते थे और मुसलमानों को आपसी हमदर्दी और सहानुभूति का पाठ पढ़ाना चाहते थे। उनका कहना था कि मुसलमान इस बात का स्मरण रखें कि वे भारत में हो या चीन में उनके "मिल्ली" (धार्मिक तथा कौमी) सम्मान की सुरक्षा केवल तुर्की खिलाफत के राजनीतिक अस्तित्व का ही परिणाम था। जिस दिन वह केन्द्र अपने स्थान से हटा तो मुसलमान भी यहूदियों की भाँति हो जायेंगे। इस्लाम की ओर से प्रत्येक मुसलमान का यह धार्मिक कर्तव्य था कि जिस

३४. मजामीन अल-बलाग, पृ० १२।

३५. वही, पृ० २२१-२४७।

३६. मजामीन अल-बलाग, पृ० २७४-२७६।

समय किसी इस्लामी दंग पर आक्रमण हो तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी सम्पत्ति, अपनी वाणी तथा अपने जीवन को बलिदान करने के लिये तैयार रहे। इस समय मौलाना आजाद ने 'अलीगढ़ आन्दोलन के दोष स्पष्ट करते हुए कहा कि भारतीय मुसलमानों ने ओटोमन तुर्कों से सम्बन्ध विच्छेद करके कुक (अंग्रेज सरकार) को प्रमत्त करने का प्रयत्न किया था।<sup>३७</sup>

अगले दो वर्षों तक इस प्रकार के विभिन्न निवन्ध लिखने के परवार् भी मौलाना आजाद को मुसलमानों में जागरण का अभाव दिखाई पड़ा। कलकत्ते में अक्टूबर १९१४ ई० में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम के समक्ष बतन, स्थान, भाषा आदि के भेद वास्तविक नहीं थे। मुसलमानों के लिए समस्त विश्व उनका था।<sup>३८</sup> उन्होंने मराको और तुर्की के मुसलमानों के कष्टों के प्रति भारतीय मुसलमानों में सहानुभूति पैदा करनी चाही। तुर्कों के प्रशासन के सम्बन्ध में उनकी मान्यताएँ बढ़ी उदार थी। उनका कहना था कि तुर्कों ने जिस उदारता के साथ पाँच सदियों तक यूरोप में राज्य किया था उसका प्रमाण इससे बढ़कर क्या हो सकता था कि अथीन ईसाईयों की धार्मिक और कौमी भावनाएँ उतनी ही प्रबल रही जितनी किसी धर्मनिष्ठ ईसाई राज्य के अथीन रह सकती थी। भारत में अंग्रेजों का अधिकार सौ वर्ष भी पूरे नहीं कर पाया था और इतने ही समय में कौमी महानता और कौम परस्ती की भावनाएँ इन लोगों के दिल से समाप्त हो गयी थी। यही एकमात्र अन्तर तुर्क और ईसाई प्रशासन के भेद को समझने के लिए पर्याप्त था।<sup>३९</sup> वे समझते थे कि इस्लाम के लिए मुसलमानों का कोई प्रयत्न जो स्थानीय अथवा देशीय आधार पर होगा, लाभदायक नहीं हो सकता था। वे यूरोपीय लेखकों और आलोचकों द्वारा प्रस्तुत सर्व इस्लामवाद (पैन इस्लामिज्म) को उनके मस्तिष्क के बाहर नहीं पाते थे। यदि पैन इस्लामिज्म का वास्तविक अस्तित्व होता तो क्या यह सम्भव था कि ईरान मराकों, ट्रिपोली में मुसलमानों की वह स्थिति होती और मुसलमानों के हृदय में सहानुभूति के भाव न उमड़ते।<sup>४०</sup> उनका कहना था कि यूरोप के राजनीतिज्ञ इस पैन इस्लामिज्म का भयावह चित्र प्रस्तुत करके मुसलमानों के दिलों से वास्तविक इस्लाम प्रेम को समाप्त करना चाहते थे। वे अलीगढ़ आन्दोलन द्वारा प्रस्तुत अलीगढ़ विश्वविद्यालय की योजना को वास्तविक सर्व इस्लामवाद के मार्ग में एक बाधा समझते थे। उनका कहना था कि यदि भारत के मुसलमानों में से प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित और धनवान भी हो गया, किन्तु

३७. अलहिबाव, ६ नवम्बर, १९१२, सिनसिला मन्त्रीय अबुल कलाम आजाद, नं० ३, पृ० २८-२९।

३८. मुन्बात, पृ० १३।

३९. फारकलीत : अकबार-ए-आजाद, पृ० ८९-९८।

४०. मुन्बात, पृ० २०-२१।



इस्लाम की राजनीतिक शक्ति पर घुरी चल गई तो फिर भारत के मुगलमान किस वस्तु पर गौरव करेंगे।<sup>४१</sup>

अप्रैल १६१३ ई० के एक निबन्ध में मुगलमानों को तुर्कों की पराजय से हताश होने से रोकने के लिये उन्होंने कहा था कि इस्लाम की शक्ति तथा अस्तित्व तुर्कों के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। यदि तुर्कों की शक्ति समाप्त हो भी गयी तो क्या अपने खुदा की शक्ति पर मुगलमानों को विश्वास नहीं रहा।<sup>४२</sup> उनके उत्तेजनात्मक लेखों के सम्भावित परिणामों से चिन्तित होकर सरकार ने उन्हें १६१६ ई० में बन्दी बना लिये और प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात् जनवरी १६२० में उन्हें मुक्त कर दिया गया। फरवरी १६२० ई० में उन्हें बंगाल प्रान्त की खिलाफत मभा की अध्यक्षता का सम्मान प्राप्त हुआ। इस भाषण में मौलाना ने इस्लामी व्यवस्था में खिलाफत के स्वरूप तथा महत्त्व को स्पष्ट किया था। इस्लामी खलीफा का अस्तित्व ईसाइयों के पीछे से किस प्रकार भिन्न था। ईसाइयों के पीछे की भाँति वह एक दैवी और धार्मिक नेता नहीं था। वह केवल राजनीतिक कार्यों में प्रधान का पद था।<sup>४३</sup> खलीफा केवल शरियत और उम्मत की सुरक्षा करने वाला और शरियत के नियमों को लागू करने वाला था। यदि धार्मिक मतभेद की कोई स्थिति पैदा हो तो खलीफा का आदेश अन्तिम निर्णय के समान नहीं था, बल्कि कुरान और सुन्ना का वर्णन अन्तिम निर्णय के समान था।<sup>४४</sup> उन्होंने खिलाफत के तीन चरण बताए थे। पहला चरण हजरत मोहम्मद की मृत्यु पर और दूसरा प्रथम चार खलीफाओं के पश्चात् समाप्त हो गया। उसके पश्चात् समस्त खलीफा केवल राजनीतिक अधिकारी ही थे।

इस प्रकार खलीफा का सीमित अर्थ निर्धारित कर देने के पश्चात् उस पद का महत्त्व इस बात में था कि वह सामूहिक जीवन के लिये एक केन्द्र मान था। उन्होंने इस्लामी व्यवस्था में "जमाअत" पर अत्यधिक बल दिया। "जमाअत" (समूह) से उनका अभिप्राय एक संगठित व्यवस्था से था जिसका नेतृत्व किसी एक व्यक्ति अथवा नेता को उपलब्ध हो। इस व्यवस्था का विस्तार जाना ही अज्ञान का सूचक था। इस "जमाअत" के महत्त्व को उन्होंने बहुत अधिक विस्तार से बताया था। उनका कहना था कि जो व्यक्ति "जमाअत" से अलग हो गया वह इस्लाम से बाहर हो गया।<sup>४५</sup> इस सामूहिक व्यवस्था पर बल देने में मौलाना आजाद काफी भागे तक बढ़ गए। उनका कहना था कि सब मुगलमान कुरान की आज्ञाओं का पालन करें। मुगलमानों को अपनी वाणी तथा बुद्धि को बन्द रखना चाहिए। उनका कार्य

४१. वही, पृ० २३।

४२. मजामीन अबुल कलाम आजाद, न० २, भाग १, पृ० ५७।

४३. सुनवाल, पृ० ११७।

४४. वही, पृ० १६२, फारवलीत : अठारह-ए-आजाद, पृ० ६५-६६।

४५. सुनवाल, पृ० १६५, १७६-१७६।

केवल आजापालन ही होना चाहिए । आजाद यह नहीं चाहते थे कि प्रत्येक मुसलमान व्यक्तिगत रूप से यह सोचे कि वह खिलाफत के लिए क्या करे । वे यह उत्तरदायित्व केवल एक योग्य व्यक्ति को ही सौंपना चाहते थे ।<sup>४६</sup> इस्लाम की कौमियत एक शरीर की भांति थी और इसके अनुधाइयों की तुलना एक दीवार से की जा सकती थी । इस्लाम की कौमियत दीवार का नाम है विभिन्न ईंटों का नहीं ।<sup>४७</sup> इसीलिए वे एक नेता के नेतृत्व की बात अधिक कहते थे ।

बगाल खिलाफत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्षीय भाषण में मौलाना आजाद ने उस परिवर्तन और निराशा की घोषणा की जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण थी । उन्होंने कुछ कटु और स्पष्ट बातें भी मुसलमानों को सम्बोधित करते हुए कहीं :

“अफ़मोस कि तुम वास्तविक और सच्ची बात कहने वालों को पसन्द नहीं करते । तुम, दिखावे के पुजारी, तात्कालिक भावनाओं और अस्थायी तथ्यों से प्रभावित हो जाते हो । तुम में न परख है, न भेद जानने की क्षमता । न तुम जानते हो न पहचानते हो । तुम जिनना तेज दौड़कर निकट आते हो उतनी ही तेजी के साथ भाग भी जाते हो । तुम्हारी आजाकारिता जितनी सरल है और तुम्हारी संकल्प शक्ति जितनी सस्ती है उतना ही तुम्हारा मुंह भोड़कर विरोध करना भी सरल है इसलिए न तुम्हारी प्रशंसा का कोई मूल्य है न तुम्हारे अपमान का, न तुम्हारे पाम दिमाग न दिल । केवल भावनाएँ हैं जिनकी तुम विचार समझते हो । तुम्हारी शंकाएँ हैं जिन्हें तुम संकल्प कहते हो.....अफ़मोस कि तुममें कोई नहीं जो मेरी भाषा समझता हो तुममें कोई नहीं जो मेरा मूल्य पहचानता हो । मैं सच कहना हूँ कि तुम्हारे इस पूरे देश में मैं एक बिना मित्र हूँ सारे वज़न में एक पराया व्यक्ति जैसा हूँ ।”<sup>४८</sup>

मौलाना आजाद ने १९२० ई० में प्रथम अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की । अक्टूबर १९२१ ई० में उन्होंने यू. पी. की प्रान्तीय खिलाफत सभा की भी अध्यक्षता की थी । उस समय उन्होंने कहा कि खिलाफत आन्दोलन का प्रथम सफलता क्षेत्र भारत के भीतर था ।<sup>४९</sup> इस आन्दोलन को सारे देश का आन्दोलन बनाकर इसका प्रभाव अत्यन्त व्यापक रहा । इस अवसर पर मौलाना आजाद ने मुसलमानों को हिन्दुओं के साथ मैत्री करने के लिये कहा । कुरान की धाराओं का अर्थ बताते हुए उन्होंने कहा कि विश्व में दो प्रकार की कौमें रहती हैं ।<sup>५०</sup> वे गैर

४६. वही, पृ० १७६-१७७ ।

४७. वही, पृ० १४७ ।

४८. वही, पृ० १८१-१८२ ।

४९. वही, पृ० ४७ ।

५०. वही, पृ० ३८ ।

पड़ा, मनेने ही जाना पड़ा किगी मार्ग में भी समय के अनुकूल मनेने वालों का साथ न दे गया।" १४

उन्होंने गामान्य लोगों को भीड़ की गंगा दी थी। उनका कहना था कि भीड़ भूतों की ही रहेगी। १५ १९२१ ई० में उन्होंने 'पंजाब' के प्रजाजन का प्रबन्ध किया। यद्यपि कांग्रेस द्वारा मुगलमानों के गिरोहों का खान्दोलन का समर्थन टीक था, किन्तु मौलाना आजाद १९२१ ई० में भी यह अनुभव करते थे कि मुगलमानों में विशेषतः कार्य करने की श्रेयणा पंदा करने के लिए कांग्रेस का प्रबन्ध फर्परांत था। चूंकि यह एक राजनीतिक सत्य थी कि गंगे हिन्दू और मुगलमान दोनों सम्मिलित थे। इसलिए उमरी आजाद मुगलमानों पर अधिक प्रभाव नहीं डाल सकती थी। १६ उनका विश्वास था कि कांग्रेस कमिटी किगी नगर में ५० सभाओं में यदि मुगलमानों से यह कहे कि वे अपना पताएँ और गूण बालें तो भी उमरी यह प्रभाव नहीं होगा जो शुक्रवार के दिन मस्जिद में एक धार्मिक भाषण से हो सकता था। १७

१९२१ ई० में मोहम्मद अली और अन्य मुगलमान नेताओं को बन्दी बना लिया गया था। मौलाना को इस बात पर आश्चर्य और रोद भी रहा कि जिस प्रस्ताव के कारण मोहम्मद अली को बन्दी बना लिया गया था उन्हें क्यों बन्दी नहीं बनाया गया। १८ १९२३ ई० में १५ दिसम्बर को इंग्लिश नेशनल कांग्रेस का स्पेशल अधिवेशन दिल्ली में हुआ जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद को सौंपी गई। इस अध्यक्षीय भाषण में यह स्पष्ट हो गया कि मौलाना आजाद अन्य मुस्लिम नेताओं में भिन्न विचार रखते थे। यह मौलिक अन्तर निम्नलिखित विचारों में था।

- (१) वे अल्प सङ्घिक और बहुसङ्घिक के तर्क को बहुत कम महत्त्व देते थे।
- (२) उनके अंग्रेजी साम्राज्य के स्वरूप के विषय में उसी प्रकार के विचार थे जैसे अन्य राष्ट्रवादी नेताओं के थे।
- (३) महात्मा गांधी और असहयोग आन्दोलन के सिद्धान्त के प्रति उनका विश्वास अधिक गहरा था और मार्ग में आई हुई रुकावटों को वे धार्मिक

१४. गुम्बार-ए-सादिक, पृ० ११६-११७। १२ अक्टूबर, १९४२ ई० का पत्र। मौलाना को अपने विचार होने का पूरा अनुभव था।

१५. गुम्बार, पृ० १७५, पत्र दिनांक १७ दिसम्बर, १९४२।

१६. मौलाना अबुल कलाम आजाद के ताजा मजामीन, १९२१। अबुलकलाम आजाद के मजामीन, नं० १४। पृ० १६।

१७. मौलाना अबुल कलाम आजाद के ताजा मजामीन, नं० १४ पृ० १६।

१८. ताजा मजामीन, १९२१, पृ० ४०-४२।

मान लेते थे और नये प्रयत्न करने के लिये तैयार रहते थे।<sup>१२</sup>

- (४) प्रजातन्त्र के प्रति अधिक सत्रिय दृष्टिकोण था तथा वे यह चाहते थे कि मुसलमान आन्दोलन केवल सम्पन्न और सामन्ती नेताओं के हाथों में ही न रहे बल्कि सामान्य जनता उममें भाग ले। इसलिए वे प्रजातन्त्र के समर्थक थे।
- (५) मौलाना आजाद ने हिज्जुल्लाह दल का गठन तो किया था, किन्तु १९१६ ई० में जब वे रांची जेल में बन्द थे तब उन्होंने यह मुना था कि मुसलमान तेजी से कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे थे। उन्हें इस बात का खेद था कि मुसलमानों ने उनकी बात नहीं सुनी थी।<sup>१३</sup> आजाद को यह अत्यन्त कष्टदायक लगा और इसीलिए फरवरी १९२० ई० में बंगाल की खिलाफत कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुसलमानों को बहुत बुरा बना कहा। यह उनका स्वभाव था कि जिस और वे चल दिये फिर उसमें किसी मोड़ की सम्भावना सरलता से नहीं होती थी।

इन कारणों से मौलाना आजाद यद्यपि धारम्भ में खिलाफत के प्रश्न पर मौलाना मोहम्मद अली जैसे विचार रखते थे, लेकिन वे भारतीय राजनीति में मोहम्मद अली के साथ अधिक दूर तक न जा सके। आजाद कुछ मामूली मतभेद रखते हुए भी अनुशासन पर अत्यधिक दल देते थे। उन्होंने १९२१ ई० में जर्मपतलउलताभा के अधिवेशन में नेताओं के अनुशासन में रहने की बात कही थी। उनका कहना था "मम्मद है कि कमाण्डर ने आदेश देने में गलती की हो। सिपाही उनसे भिन्न मत रख सकता है, किन्तु विरुद्ध कदम नहीं उठा सकता। यदि हमारे कमाण्डर का आदेश गलत भी हो जब भी हमें उस रेजिमेंट की भाँति, जिसके विनाश पर टेनिसन (अंग्रेजी कवि) ने कविता लिखी, समाप्त हो जाए, लेकिन आज्ञा उल्लंघन न करें"<sup>१४</sup> उन्होंने कांग्रेस प्रोग्राम का पूरी तरह समर्थन किया और १९१२ ई० में जो कुछ उन्होंने कहा था उसको भूल गए और यहाँ तक बहने लगे कि उन्होंने मुसलमानों को पूषक राजनीतिक दल बनाने से मना किया था।

समय व्यतीत होने के साथ-साथ मौलाना आजाद के स्वभाव में काफी

१२. मोहम्मद अली ने भारतीयों के निर्णय को 'सम्बन्ध विच्छेद बिन्दु' मान लिया था। आजाद इस घटना को अपनी लम्बी यात्रा की एक साधारण रुकावट मान लेते थे। जो कुछ लोगों को पढ़ने और दूरियों को जाद में पैरा आती थी। सुनवात्र, पृ० २३३। आजाद को उस निर्णय पर खेद तो अरुण्य था, लेकिन उन्होंने इसे एक नये क्षण के निवे भूमिका तैयार करने के लिये मध्यान्तर मात्र माना था (पृ० २५)। इसके सम्बन्ध में मतभेद को एक छोटा मतभेद माना था जो सैद्धांतिक नहीं था (पृ० २५३-२५४)।

१३. अध्यायीय भाषण, १९२३ : सुनवात्र पृ० २६३।

१४. सुनवात्र, पृ० २१६।

परिवर्तन का गया था। १९३७ ई० में जब उनके सम्बन्ध में समाचार पत्रों में कुछ अधिक टिप्पणियाँ और आलोचना हुई तो उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया।

“यदि मेरे स्वभाव की वही स्थिति होती जो उम समय थी जब अल-हिनाल निकलता था तो यह (उनसे सम्बन्धित पत्रों में प्रकाशित वर्णन) इतना स्पष्ट झूठ है कि न मालूम किसी वक्तव्य में मेरी कतम से किस सीमा तक कटोर वाक्य उम व्यक्ति के विषय में निकल जाते, किन्तु अब मेरी स्थिति दूसरी है। कोई व्यक्ति कितना ही बुरा कार्य करे मैं उसे जनता के समक्ष बुरा भला कहना पसन्द नहीं करता।”<sup>१५</sup>

१९२७-२८ भारतीय राजनीति में एक निर्णायक मोड़ है। उस वर्ष लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन के पश्चात् मौलाना शौकत अली ने उस सम्मेलन के निर्णयों के विरुद्ध प्रचार आरम्भ किया। मौलाना आजाद भी इस सम्मेलन में उपस्थित थे उन्होंने हिन्दू मुस्लिम गमभीते की कठिनाइयों के एक पक्ष पर प्रकाश डालते हुए कहा कि “कुछ नेताओं का यह मिथ्या है कि जहाँ किसी थोड़ी-सी बात पर मतभेद हुआ और हमारी (शौकत अली की) बात न मानी गई तुरन्त कलम उठायी और कौम के विनाश और विरोधी मत वालों (मुसलमानों) के ईमान बेचने की घोषणा करदी”<sup>१६</sup> उनसे सहयोग में एक बड़ी बाधा थी यदि उन नेताओं की बात मान ली जाए तो मुसलमानों का भाग्य उद्वलकर आकाश से जा टकराए न मानी गई तो तुरन्त हूब जाए। भावनाओं की इसी अनियन्त्रित अभिव्यक्ति ने सार्वजनिक जीवन को नष्ट कर रखा था कुछ नेताओं के भावपूर्ण आवेशात्मक भाषणों ने लोगों को सन्तुलित नीति न अपनाने पर विवश किया था।<sup>१७</sup>

लखनऊ सम्मेलन में पंजाब के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में पास किए हुये प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन पंजाब के नाम पर शौकत अली ने इनका विरोध किया। २९ अगस्त को जवाहरलाल नेहरू ने यह भी घोषणा करदी थी कि जिस विधान पर समझौता हुआ था वह उसके पूर्ण रूप से तागू होने की स्थिति में ही था। यदि उसके किसी सिद्धान्त में परिवर्तन हुआ तो पुनः सहमति लेना आवश्यक हो जायेगा। इस घोषणा को मौलाना आजाद अत्यन्त महत्वपूर्ण समझते थे क्योंकि इसमें शौकत अली और मोहम्मद अली की आपत्तियों का उत्तर मिल गया था।

१९३० ई० के पश्चात् भारतीय राजनीति में समाजवाद की विचारधारा काकर्षक हो गई थी। मौलाना आजाद ने इस बात के बनाने का प्रयत्न किया कि इस्लामी व्यवस्था में समाजवाद से भी उत्तम प्रबन्ध किया गया था। १९३४ के अन्तिम दिनों में मौलाना आजाद ने बालीगंज कत्तले की मस्जिद में शुक्रवार की नमाज का ‘हमाम’ बनना स्वीकार किया। उन्होंने अपने बहुत से श्रुतियों में जवाब में सम्बन्धित

१५ महर नवाज-ए-आजाद, पृ० १३२।

१६ वारन्वीर अख्तर-ए-आजाद, पृ० १५-१६।

१७. वारन्वीर, पृ० १५-१६।

विचार व्यक्त किए। एक मुसलमान को अपनी वार्षिक वचत में से २½% कर देना होना था जिसे इस्लाम में ज़कात कहते हैं। इस कर की समस्त आय गरीबों और असहाय लोगों में बाँट दी जानी थी। प्रत्येक मुसलमान ज़कात तो अवश्य देता था, लेकिन वह निजी रूप में उसे खर्च कर देता था। मौलाना आज़ाद चाहते थे कि ज़कात की राशि सामूहिक रूप में खर्च की जाए।<sup>६८</sup> इस सामूहिक व्यवस्था के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा लोगों के अपने व्यक्तिगत नाम और प्रतिष्ठा की थी वे इस बात की आवश्यकता समझते थे कि ज़कात एक प्रबन्धक के अधीन हो।

वे इस व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था में उत्तम मानने थे। उनके अनुसार इस्लाम में सम्पत्ति का संग्रह कुछ व्यक्तियों के हाथों में नहीं होना चाहिए। "समाजवाद चाहता था कि सम्पत्ति तथा धन का समान विभाजन हो, लेकिन इस्लाम यह नहीं कहता, इस्लाम केवल यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास धन हो। इस्लाम बराबरी का अधिकार तो स्वीकार करता है, लेकिन समान मात्रा स्वीकार नहीं करता।"<sup>६९</sup> आज़ाद के अनुसार आपस के आर्थिक भेद और ऊँच नीच की समस्या का (जिम्मे यूरोप और अमरीका के विद्वानों को परेशान कर रखा था) सबसे मरन और प्रभावशाली इलाज इस्लाम के अधीन ज़कात के प्रबन्ध में उपस्थित था। "समाजवादी और कुरान की व्यवस्था दोनों का उद्देश्य यह है कि अधिक धन एकत्र करने की मानवीय इच्छा से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर किया जाए। किन्तु दोनों में अन्तर यह है कि इस्लाम धन कमाने में सम्बन्धित अन्तर को स्वाभाविक मानता है जबकि समाजवाद इसको ऐसा नहीं मानता।"<sup>७०</sup> समाजवाद और इस्लाम में एक यह भी अन्तर था कि समाजवाद व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर कौमी स्वामित्व स्थापित करना चाहता था।<sup>७१</sup> मौलाना आज़ाद ने कुरान के आधार पर मुसलमानों का गठन करना चाहा। उन्होंने कुरान के पुराने अर्थ के स्थान पर नया अर्थ बताया, किन्तु वे मुसलमानों में बहुत लोकप्रिय नहीं बन सके। १९२० में १९४२ ई० तक विभिन्न अवसरों पर वे यह बात कहते रहे कि उनकी कोई नई सुनता था।<sup>७२</sup> मौलाना अबुल कलाम की दुर्बलता का मुख्य कारण यह ही था कि उनके द्वारा प्रतिपादित कुरान का अर्थ मुसलमानों में अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका था।

यद्यपि मौलाना आज़ाद ने भारतीय मुसलमानों को कुरान और इस्लाम के आधार पर मंगटिन होने के लिए कहा था, लेकिन अपने समकालीन अन्य मुसलमान

६८. अन्वर आरिफ (सम्पा.): आज़ाद की तस्वीरें, पृ० ८।

६९. वही, पृ० १०-११।

७०. फारकलीन: अफ़कार-ए-आज़ाद, पृ० १९२-१९३।

७१. वही, पृ० १९५।

७२. अन्वर आरिफ (सम्पा.): आज़ाद की तस्वीरें। यह बात उन्होंने २२ मार्च, १९४२ ई० के प्रसंग में उनउनका अधिवेशन में कही। पृ० १४३ (१९४२) तथा पृ० ६९ (१९३८-३९)। मुरवाल, पृ० १८१ (१९२०)।

नेताओं की भाँति वे एक साम्प्रदायिक नेता नहीं बने। इगका मूल कारण यह था कि बहुसंख्यक और भ्रष्टाचारक का प्रश्न मौलाना आजाद को धार्मिक मार्ग से नहीं हटा सका। उन्होंने १९१२ ई० में ही लिखा था :

‘हिन्दू बहुसंख्या का भय भी मुदा के लिये दिल से निजात दीजिये। यह सबसे बड़ा शैतानी विचार था जो मुसलमानों के दिलों में बिटाया गया था। शक्ति केवल संख्या पर नहीं बल्कि धर्म बातों पर निर्भर है। वास्तविक वस्तु शीम की आन्तरिक शक्ति है जो उसके चरित्र, उसकी एकता और अछे आदमों से प्रभावित होती है। इस्लाम की शक्ति कभी भी भ्रष्टाचारक घषषा बहुसंख्या के माथ जुडो हुई नहीं है और धर्म भी जिन लोगों के दिलों में इस्लाम हो वहाँ बहुसंख्या बिलकुल प्रभावहीन है।’<sup>७३</sup>

मौलाना साम्प्रदायिक स्थिति का विरुद्ध करके हम निष्कर्ष पर पहुँच गये थे कि आपसी मतभेद इसलिए वे क्योंकि देन के समझ कोई उच्च आदर्श नहीं था। उनका कहना था कि यदि एक आकर्षक एवं सुन्दर लक्ष्य लोगों के समझ हो तो मार्ग से नहीं भटका जा सकता। इसलिए उन्होंने “आजादी” के लक्ष्य को प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि “मदि जीवन की इच्छा है तो कठिनाइयों से घबराना बेकार है, क्योंकि कठिनाइयाँ जीवित और क्रियाशील व्यक्तियों के लिये ही होती हैं, एक निर्जीव शय के लिये नहीं होती हैं। (जिनको) विश्वास की इच्छा है, तो उनके लिये सबसे अच्छा स्थान कब्र है। बैठे रहोगे तो निश्चय ही ठोकर नहीं लगेगी पर जब चलोगे तो ठोकरें खाना आवश्यक है।”<sup>७४</sup>

मौलाना आजाद इस्लामी पद्धति को प्रजातान्त्रिक मानते थे। मुसलमानों को प्रजातन्त्र के पक्ष में आन्दोलन करने वालों में सबसे आगे होना चाहिए था क्योंकि कुरान में लिखा था कि उनका राज्य आपसी परामर्श से होना चाहिए।<sup>७५</sup>

इसलिए हिन्दू मुस्लिम समस्या के प्रति भी मौलाना आजाद का दृष्टिकोण मित्र था। वे हिन्दू मुस्लिम एकता पर अत्यधिक बल देते थे। वे इस एकता को भारतीय स्वतन्त्रता के संघर्ष के लिए पहली भूमिका मानते थे। अपने १९२३ ई० के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के समझ कहा :

‘आज यदि आकाश से एक फरिश्ता दिल्ली की कुतुबमिना... आ होकर यह घोषणा करे कि स्वराज्य २४ घण्टों में मिल सकता है यदि भारत में हिन्दू

७३ अलहिबात, १८ दिसम्बर, १९१२ मिलसिला मन्तवित अजुल कलाम आजाद ‘नं० २’ भाग १ (सम्पादक मूलतक दृष्टि) पृ० १८। १९४० ई० में अपने अध्यक्षीय भाषण में भी उन्होंने यही बात दोहराई थी। सुतबान, पृ० ३०८-३०९।

७४ वही, पृ० २१।

७५ इस विषय पर मौलाना आजाद ने ६ सन्तहो तक ‘अलहिबात’ में लेख आदि लिखे थे। पृ० १९१३ से सितम्बर १९१३ तक मकालात अलहिबात पृ० १८३-२११।

मुस्लिम एकता ममाप्त कर दी जाय तो मैं स्वराज्य छोड़ दूँगा, लेकिन यह एकता नहीं छोड़ूँगा।<sup>७६</sup>

इस समय मौलाना आज़ाद ने १९१२ ई० के प्रोग्राम में एक परिवर्तन कर दिया था और वह यह था कि उन्होंने मुसलमानों के लिये पृथक् संगठन की आवश्यकता छोड़ दी थी। उनका पीछे यह कहना गलत था कि वे १९१२ ई० में पृथक् संगठन के विरुद्ध थे।<sup>७७</sup> १९२३ ई० में जब भारत में हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगे अधिक हो गये थे तो उस समय मौलाना आज़ाद का दृष्टिकोण कहीं अधिक बुद्धिमानी का था। उन्होंने यह स्वीकार किया था कि कई स्थानों पर साम्प्रदायिक उपद्रव हुए थे किन्तु भारत जैसे देश में जहाँ करोड़ों व्यक्ति रहने हों जहाँ अनुचित घमण्यता को भड़काना कठिन न हो ऐसी घटनाएँ असंभव नहीं हो सकती थी। इसका उचित उपचार यह ही था कि देश के अन्य भागों में साम्प्रदायिकता को भड़काने न दिया जाए।<sup>७८</sup> वे ऐसी स्थिति में 'शुद्धि' और 'तन्जीम' और 'तक्लीफ' के आन्दोलन को स्थगित करने की बात कहते थे।

१९४० ई० में उन्होंने अपने अध्यायीय भाषण में साम्प्रदायिक समस्या को स्वीकार तो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका अर्थ केवल यह नहीं होना चाहिए कि इसे भारतीय राष्ट्रीय अधिकारों के विरुद्ध एक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाए। उनका विचार था कि भारतीय मुसलमानों की संख्या ८-९ करोड़ है और इतनी बड़ी संख्या को एक राजनीतिक अल्पसंख्या कहना उचित नहीं था। उनके अनुसार इतनी बड़ी संख्या प्रजातन्त्रीय भारत में अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने में असमर्थ नहीं हो सकती थी। यह ८-९ करोड़ की संख्या अन्य वर्गों की भांति विभिन्न गुटों में बँटी हुई नहीं थी।<sup>७९</sup> वे मुसलमानों को भारतीय कौम का एक आवश्यक भाग समझते थे। यह संगठित राष्ट्रीयता विभाजित नहीं की जा सकती थी।

७६. मुतवाज़-ए-अबुल कलाम आज़ाद पृ० २६१। आज़ाद का कांफ़ेस अधिवेशन में अध्यायीय भाषण, दिसम्बर १९२३।

७७. वही, पृ० २६३।

७८. वही, पृ० २६४।

७९. वही, पृ० ३१०।



## मोहम्मद अली जिन्ना

(१८७६-१९४८)

२०वीं सदी के मुस्लिम विचारकों तथा नेताओं में मोहम्मद अली जिन्ना का विशिष्ट स्थान है। प्राचीन इस्लामी परम्परा और कुरान के सिद्धान्तों की दुहाई न देकर केवल 'नेशन' के पश्चिमी अर्थ को भारतीय मुस्लिम सम्प्रदाय पर चरितार्थ करने में जिन्ना की सफलता अद्वितीय थी। तीव्र विरोध के होते हुए भी जिन्ना ने अपने तर्कों को उचित सिद्ध करने के लिए मुस्लिम सम्प्रदाय का गठन प्राश्रयजनक सफलता के साथ किया। यद्यपि मुस्लिम सम्प्रदाय के पृथक् गठन के लिए ऐसा तो शायद ही कोई तर्क था जो उसके पूर्व मुस्लिम नेताओं ने प्रस्तुत न किया हो फिर भी जिन्ना का महत्त्व उन तर्कों को साकार सिद्ध कर देने में था। उन्हें शब्द 'कौम' को केवल 'नेशन' के अर्थों में प्रयोग करना और उसके आधार पर भारतीय मुसलमानों के लिए प्रभुत्वसम्पन्न पृथक् राज्य की माँग करना जिन्ना का ही कार्य था। इस प्रकार की माँग मोहम्मद इकबाल ने भी प्रस्तुत की थी, लेकिन उस समय मुख्य प्रश्न एक भारतीय संघ की स्थापना का था जिसमें विभिन्न प्रान्तों अथवा राज्यों की स्वायत्तता मिलने की संभावना थी। इसलिए उस समय पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न राज्य का लक्ष्य एक विकल्प के रूप में ही प्रस्तुत किया गया था। जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के लिए भारत में एक प्रभुत्वसम्पन्न राज्य की माँग प्रस्तुत की और वे उसे प्राप्त करने में सफल रहे।

जिन्ना का जन्म कराची में १८७६ ई० में हुआ था। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैण्ड भेजा गया। १८९६ ई० में वापस आने पर उन्होंने बम्बई में बकालत आरम्भ की। तीन वर्षों तक उन्हें इस कार्य में कोई सफलता नहीं मिली। इस समय में वे बम्बई के कार्यवाहक एडवोकेट जनरल, जोन मोल्मबर्ग मेकफारमन, के कार्यालय में व्यस्त रहे। १९०० ई० में उन्हें कुछ समय के लिए नौकरी मिल गई। उसके पश्चात् जिन्ना ने निजी बकालत आरम्भ की। वे एक सफल बकील सिद्ध हुए।

इस प्रारंभिक काल में जिन्ना का सम्पर्क विभिन्न प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं से हुआ। बम्बई में अधिकांश वकील हिन्दू तथा पारसी थे। मुसलमान सदस्य बहुत कम थे। उस समय के सफल वकीलों में जिन्ना की गिनती की जाती थी। वे गोखले फिरोजशाह मेहता, दादाभाई नारौजी आदि प्रमुख नेताओं के सम्पर्क में आए। १९०६ ई० में जिन्ना नेशनल कांग्रेस के सदस्य बन गए। उन्होंने कुछ समय तक दादाभाई नारौजी के निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया था।

मिन्टो मोर्ले सुधारों के अधीन १९१० ई० में नई कौंसिलो के गठन में वायसराय ने जिन्ना को इण्डियन लेजिस्लेटिव कौंसिल का सदस्य नियुक्त किया। अप्रैल १९१३ ई० में जिन्ना कुछ समय के लिए इंग्लैण्ड चले गए। वहाँ उन्होंने एक केन्द्रीय विचार्यो सभ की स्थापना की जिससे भारतीय विचार्यो परस्पर अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर सकें। वही पर मुस्लिम लीग के दो प्रमुख सदस्यों (मौलाना मोहम्मद अली और सैयद वजीर हसन) ने जिन्ना को मुस्लिम लीग का सदस्य बना लिया।<sup>१</sup> दिसम्बर १९१३ में कांग्रेस के कराँची अधिवेशन में जिन्ना ने भाग लिया था इस प्रकार जिन्ना अन्य मुस्लिम सदस्यों की भाँति इस समय कांग्रेस तथा लीग दोनों संस्थाओं के सदस्य थे।

१९१४ ई० में कांग्रेस द्वारा इण्डिया कौंसिल प्रस्ताव का विरोध करने के लिए इंग्लैण्ड भेजे गये शिष्ट मण्डल में जिन्ना सम्मिलित थे। १९१६ ई० में उन्हें मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया था और लखनऊ सम्मेलन सम्पन्न हुआ था। वे उन १६ सदस्यों में सम्मिलित थे जिन्होंने एक स्मरण पत्र अंग्रेज सरकार को सुधारो के सम्बन्ध में दिया था।

जिन्ना इस समय बम्बई के एक सफल वकील थे और अन्य नेताओं की भाँति वे भी उत्तरदायी प्रजातन्त्रीय प्रणाली के विकास पर बल दे रहे थे। १९१८ ई० में वे मॉटफोर्ड प्रस्तावों को पर्याप्त सुधार नहीं समझते थे। उन्होंने उत्तरदायित्व प्रशासन को केन्द्र में भी स्थापित करने के लिये कहा था।<sup>२</sup> १९१८-१९ ई० में विभिन्न अवसरों पर जिन्ना ने केन्द्रीय लेजिस्लेटिव कौंसिल में सरकार की निरकुश नीति, प्रेम पर प्रतिबन्ध, रौलेट एक्ट आदि की आलोचना की थी। मार्च १९१९ के तीसरे सप्ताह में रौलेट एक्ट पास हो गया था और जिन्ना ने इसके विरोध में केन्द्रीय लेजिस्लेटिव कौंसिल से अपना त्यागपत्र दे दिया। इस त्यागपत्र में उन्होंने कहा था :

१ सैयद मतलूब हमन 'मोहम्मद अली जिन्ना, पृ० ५४। जिन्ना के इस समय के विचारो के जानने के लिए उनके भाषणो आदि का कोई वर्णन नहीं मिलता है। श्रीमती नायडू ने अपनी पुस्तक मोहम्मद अली जिन्ना (पृ० ११) में सभवन: अपनी कल्पनाएँ लिखी हैं। कोचियो जिन्ना, पृ० ५७-५८।

२ जिन्ना का सितम्बर १९१७ ई० में दिया गया भाषण। (रफीक अफजल) स्पेशियल एण्ड स्टेटमेन्ट्स ऑफ जिन्ना, पृ० ७३।

‘अपने आत्मसम्मान के साथ मैं ऐसी सरकार के साथ सहयोग सम्भव नहीं समझता जो कौंसिल में लोगों के प्रतिनिधियों की बात स्वीकार नहीं करती।’<sup>3</sup>

१९१८-२० के मध्य जिन्ना के जीवन में कई प्रकार के नए अनुभव हुए। अप्रैल १९१८ ई० में उन्होंने एक सुन्दर पारसी युवती में विवाह किया। जिन्ना की आयु युवती की आयु से ढाई गुनी थी। दिसम्बर १९१८ ई० में जिन्ना ने बम्बई के अवकाश प्राप्त गवर्नर विलिंगटन को दिये जाने वाले विदाई समारोह को असफल कर दिया था। १९१९ ई० में खिलाफत आन्दोलन आरम्भ हो गया था जिसने अगले दो वर्षों में अत्यन्त लोकप्रियता प्राप्त की थी। यहाँ तक कि १९२०-२३ के मध्य मुस्लिम लीग का कोई अधिवेशन ही नहीं हो सका था क्योंकि यह अंग्रेज समर्थक संस्था समझी जाती थी। १९२० ई० में उन्होंने खिलाफत आन्दोलन में भाग नहीं लिया था। अक्टूबर १९२० ई० में उन्होंने होमरूल लीग में त्यागपत्र दे दिया और असहयोग आन्दोलन में भाग नहीं लिया। दिसम्बर १९२० ई० में जिन्ना कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित थे और उन्होंने कांग्रेस के असहयोग प्रोग्राम से अपनी असहमति प्रकट की थी।

सितम्बर १९२३ में जिन्ना ने स्वतन्त्र उम्मीदवार के रूप में केन्द्रीय लेजिस्लेटिव कौंसिल के लिए सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा। मई १९२४ ई० में उन्हें मुस्लिम लीग अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। १९२५ ई० में वे सर्वदलीय समिति के सदस्य थे जो भारत में साम्प्रदायिक मद्भाव बढ़ाने के लिये नियुक्त की गई थी। १९२७-२९ ई० के मध्य भारतीय राजनीतिक रगमंच पर घटनाएँ कुछ अधिक वेग से घटी, लेकिन इस समय जिन्ना को सबसे अधिक निराशा मुसलमानों की आन्तरिक राजनीतिक स्थिति से पैदा हुई। इस सम्प्रदाय के विभिन्न संगठनों में त्रिलगुल भी एकता नहीं थी। कोई एक ऐसा दल नहीं था जो समस्त भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हो। १९२९ ई० में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और वे इतने अधिक निराश हुए कि वे कुछ वर्षों के लिए इंग्लैण्ड चले गए।

इंग्लैण्ड में उन्हें प्रथम तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया। १९३४ ई० में वे कुछ समय के लिये भारत आए और फिर अक्टूबर १९३५ ई० में भारतीय राजनीति में भाग लेने के लिए वे स्थायी रूप से भारत लौट आए।

१९३६ ई० के पश्चात् मुसलमानों को राजनीतिक दृष्टि से संगठित करना जिन्ना का सबसे बड़ा कार्य था। पहली बार १९३७ ई० के निर्वाचनों में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। १९३७-३९ ई० के मध्य उन्होंने अन्य प्रांतीय मुस्लिम संगठनों से राजनीतिक समझौते करके मद्रास मुस्लिम लीग में सम्मिलित कर लिया। १९४० ई० लाहौर प्रस्ताव द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक् प्रभुत्वमग्न राज्य की

माँग प्रस्तुत की गई। १९४०-४७ ई० के मध्य उम माँग के लिए विभिन्न तर्क आदि रखे गये। परिणाम यह हुआ कि भारत की स्वतन्त्रता के साथ-साथ पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ। जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। १९४८ ई० में उनकी मृत्यु हो गई।

यह विचारधारा सामान्यतः प्रचलित है कि जिन्ना आरम्भ में हिन्दु-मुस्लिम एकता के भारी समर्थक थे और उनके प्रयत्नों द्वारा ही १९१६ ई० में कांग्रेस लीग समझौता हुआ था। यदि यह विचारधारा ठीक मान ली जाए तो उन कारणों की खोज आवश्यक होगी जो जिन्ना को साम्प्रदायिक तथा केवल मुसलमानों के हितों के समर्थक बना देने के लिए उत्तरदायी हुए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह उचित होगा कि पहली मान्यता का परीक्षण कर लिया जाए।

जिन्ना ने अपनी चिन्तन प्रणाली को बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था। १९११ ई० में मुसलमानों की व्यक्तिगत विधि प्रणाली में इंग्लैण्ड की प्रिवी कौंसिल के निर्णय से कुछ बाधा उत्पन्न हो गयी थी। उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक 'वक्फ अधिनियम' का प्रस्ताव रखा। इसे प्रस्तुत करते समय उन्होंने कहा था—

“इस्लामी विधि प्रणाली में लोकनीति का कोई स्थान नहीं था..... मैं किसी भी ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये सहमत नहीं हूँ जो मुसलमानों के व्यक्तिगत नियमों का उल्लंघन करे..... मेरे हिन्दू मित्र मुझ से इस बात में सहानुभूति करेंगे कि मैं अपनी विधि प्रणाली से इस सीमा तक बंधा हुआ हूँ कि मैं उसे बदलने में असमर्थ हूँ”।<sup>४</sup> १९१२ ई० में जिन्ना ने गोखले द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक शिक्षा बिल का समर्थन किया था जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य बना देने की सिफारिश की गई थी। उन्होंने कहा था, “मैं यह नहीं सोचता हूँ कि किसी भी मुसलमान के लिये यह कहना आवश्यक है कि वह इस कौंसिल में अथवा इसके बाहर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो उसके समुदाय के हितों को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाए। इस दिशा में मैं अपने-आपको किसी से भी पीछे नहीं मानता।”<sup>५</sup> जिन्ना ने यह पूर्व चेतावनी अवश्य दी थी कि ‘बिलेक्ट कमेटी’ की रिपोर्ट के पश्चात् जब यह प्रस्ताव सदन में पुनः प्रस्तुत किया जाए तो इसमें मुसलमानों के विशिष्ट हितों की रक्षा से सम्बन्धित प्रस्ताव आवश्यक रूप से होने चाहिए।

१९१३ ई० में जिन्ना ने मुस्लिम लीग में सक्रिय भाग लेना आरम्भ कर दिया था। इस समय गोखले ने यह संभावना प्रकट की थी कि साम्प्रदायिक भावना के कम होने के कारण जिन्ना भविष्य में हिन्दू मुस्लिम एकता का सर्वोत्तम दूत हो सकेगा जिन्ना की महत्वाकांक्षा ‘मुस्लिम गोखले’ बनने की थी।<sup>६</sup>

४. रफीक अक़्बर, पृ० २१-२२।

५. वही, पृ० १६।

६. हेक्टर बोनिचो : जिन्ना, पृ० १५।

दिसम्बर १९१५ ई० में कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में होने वाला था। जिन्ना ने अपने अन्य मित्रों के साथ मुस्लिम लीग को भी अपना वार्षिक अधिवेशन बम्बई में करने के लिए आमन्त्रित किया। इस अधिवेशन के आमन्त्रण से जिन्ना का लक्ष्य यह था कि कांग्रेस और लीग दोनों मिलकर कार्य करें ताकि अंग्रेजों से अधिक मात्रा में स्वतन्त्रता प्राप्त की जा सके।<sup>७</sup> अक्टूबर १९१६ ई० में जिन्ना ने बम्बई प्रान्तीय कान्फ्रेंस का अध्यक्षीय भाषण देते हुए कहा था : "हिन्दू मुस्लिम दोनों सम्प्रदायों में सहयोग, मैत्री, वास्तविक प्रगति के लिए आवश्यक है.....मुसलमान देश की व्यवस्थापिका सभाओं में उचित, पर्याप्त और प्रभावशाली प्रतिनिधित्व चाहते हैं किन्तु मुसलमान यह प्रतिनिधित्व पृथक् निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चाहते हैं.....सही या गलत मुस्लिम सम्प्रदाय पृथक् प्रतिनिधित्व पर हड़ सकल्प है.....यह प्रश्न अब वाद-विवाद अथवा विचार-विमर्श के लिए उपलब्ध नहीं है। यह नीति का प्रश्न न होकर आवश्यकता का प्रश्न बन गया है।.....यह प्रश्न केवल कुछ स्थानों का ही नहीं है। यह वास्तव में नौकरशाही से प्रजातन्त्र को शक्ति हस्तान्तरण का है।"<sup>८</sup>

दो महीने पश्चात् मुस्लिम लीग के अधिवेशन में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था .

"मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिन्दू मुस्लिम प्रश्न सम्मिलित भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के मार्ग में एक जटिल पहेली की भाँति पड़ा हुआ है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन मुसलमानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए हुआ था।" उन्होंने मुस्लिम सम्प्रदाय के पृथक् राजनीतिक संगठन को न्यायोचित बताया था क्योंकि वह उनके लिए एकमात्र विकल्प था विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि उन्हें अपने भूतकाल की परम्पराओं पर गौरव हो और उसके सदस्यों की संख्या कम हो।" अखिल भारतीय मुस्लिम राजनीतिक संगठन का मुख्य सिद्धान्त यह था कि भारत के भावी राजनीतिक विकास में मुसलमानों के (पृथक्) साम्प्रदायिक व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाए रखा जा सके।<sup>९</sup>

उन्होंने आगे कहा: "राष्ट्रीय समस्याओं में सहयोग और सम्मिलित प्रयास करने के लिए एक अल्पसंख्यक समुदाय की विस्तृत राजनीतिक भावनाओं को उसी समय बढ़ाया जा सकता है जबकि उसे अपनी सुरक्षा के विषय में पूर्ण विश्वास हो जाए। यह सुरक्षा मुसलमानों को उसी समय उपलब्ध हो सकती थी जबकि उनके सम्प्रदाय के राजनीतिक अस्तित्व को पर्याप्त और प्रभावशाली सुरक्षात्मक व्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाए।"<sup>१०</sup>

७ यह अखिल ११ दिसम्बर, १९१५ ई० की प्रजातिन की गई थी। वही, पृ० ६१-६४।

८. एनोप अटवण पृ० ४२-४६।

९. दिसम्बर, १९१६ के दिया गया मुस्लिम लीग अध्यक्षीय भाषण। वही, पृ० २६-२७।

१०. वही, पृ० २७।

जिन्ना ने अपने अर्धश्रीय भाषण के अन्त में अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा : "हमें इंग्लैण्ड और भारत में अपने शुभचिन्तकों की सहानुभूति यह धारणा पैदा करके नहीं खोनी चाहिए कि एक सम्प्रदाय की भाँति हम केवल अपने र्बायों और सीमित लाभों के प्राप्त करने में ही लगे हुए थे....."<sup>११</sup> इन वाक्यों में जिन्ना ने वे कारण स्पष्ट कर दिये थे जिनके आधार पर वे लीग काँग्रेस समझौता चाहते थे। १९१६ ई० में उन तर्कों के प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी जो १९३० ई० के पश्चात् प्रस्तुत किए गये थे क्योंकि इस समय काँग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ही अंग्रेजी सरकार से कुछ सुविधायें प्राप्त करना चाहती थी। उन सुविधायों तथा अधिकारों का बँटवारा हो सकता था जो वास्तव में किया भी गया था। प्रायः सभी मुस्लिम नेता इस समय हिन्दू मुस्लिम एकता की बात करते थे और साथ ही मुसलमानों के विशिष्ट हितों की सुरक्षा की भी माँग करते थे जो इस समय केवल साम्प्रदायिक आधार पर अधिक प्रतिनिधित्व तक सीमित थी। इन दोनों बातों में उस समय अन्तरविरोध नहीं था।

लखनऊ समझौते के आधार पर जिन्ना को हिन्दू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाता था। यह राष्ट्रीय नेताओं का अपना विचार था। जिन्ना ने लखनऊ समझौते के विषय में १९२६ ई० में यह बताया कि यह समझौता मुसलमानों की ओर से नहीं हुआ। इसका आरम्भ काँग्रेस की ओर से हुआ था। उन्होंने इस समझौते को कठिनाइयों का सबसे अच्छा क्षणिक हल कहा।<sup>१२</sup> बाद में जब जिन्ना पर नेताओं ने यह आरोप लगाया कि वे अपने पिछले सिद्धान्तों से बदल गए थे तब उन्होंने इस समझौते की व्याख्या करते हुए बताया था कि १९१६ ई० के समझौते का मौलिक सिद्धान्त यह था कि विधान में ममन्त अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों का ध्यान रखा जावेगा।<sup>१३</sup> ६ मार्च, १९४० ई० को उन्होंने कहा कि लखनऊ समझौते का मौलिक सिद्धान्त यह था कि दो सम्मानपूर्ण और पृथक् वर्ग एक आपसी समझौता कर रहे थे। मुसलमान एक अल्पसंख्यक वर्ग नहीं थे, बल्कि एक पृथक् कौम थे।<sup>१४</sup> इसी प्रकार केन्द्रीय लेजिस्लेटिव कौंसिल में उन्होंने कहा कि १९१६ ई० का लखनऊ समझौता दो पृथक् अस्तित्वों (कौमों ?) के आधार पर स्थापित था।<sup>१५</sup>

जिन्ना ने १९१६ ई० में ही मुसलमानों को यह परामर्श दिया था कि वे अपनी स्थिति की सुरक्षा के लिए केवल अपने प्रयत्नों पर ही निर्भर रह सकते थे। इसलिए उन्हें अपने समाज में एकता और संगठन पर अधिक बल देना चाहिए।<sup>१६</sup>

११. रफीक अफ़्जल, पृ० ६३।

१२. वही, पृ० २४९।

१३. उममान सहराई जिन्ना की तर्कारों, पृ० ११। यह भाषण १९३० ई० में दिया गया था।

१४. वही, पृ० १३९-१४०।

१५. वही, पृ० ९९।

१६. रफीक अफ़्जल, पृ० ६२।

इसी प्रकार उन्होंने १९३८ ई० में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के समक्ष बोलते हुए यह विचार प्रस्तुत किया था कि अल्पसंख्यकों को अपने-प्रायको संगठित करके अपने अधिकारों को मनवा लेना चाहिए। यह कार्य वे स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व ही करना चाहते थे।<sup>१७</sup> इसी प्रकार मार्च १९४० ई० में उन्होंने मुगलमनों को अपने ऊपर भरोसा करने का परामर्श दिया था। उनका कहना था कि "मैं प्रत्येक व्यक्ति का मित्र बनने को तैयार हूँ, लेकिन निर्भर अपनी ही शक्ति पर रहूँगा।"<sup>१८</sup> १९४२ में भी वे यह कहते थे 'हमारा कोई मित्र नहीं है। हम न अंग्रेजों पर भरोसा है न हिन्दू बनिए पर।'<sup>१९</sup> १९२५ ई० में भी सर्वदलीय कमेटी की एक उपसमिति के समक्ष बोलते हुए उन्होंने कहा कि सत्तनऊ समझौते का यह लक्ष्य कभी नहीं था कि वह स्थायी होगा। उन्होंने बताया कि इस समझौते पर पुनः दृष्टि डालने के लिये पंजाब और बंगाल से आवाज उठी थी। यहाँ के बहुसंख्यक मुसलमान लेजिस्लेटिव कौंसिलों में बहुमत प्राप्त करना चाहते थे। वास्तविक कारण इसका यह था कि दोनों सम्प्रदायों को एक-दूसरे पर विश्वास नहीं था।<sup>२०</sup> प्रगति परस्पर व्यापक सन्देह के दलदल में फँसो हुई थी।<sup>२१</sup>

मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन, अधिक प्रतिनिधित्व और अधिकार सुरक्षा की बात करते हुए भी जिन्ना यह कहते थे कि स्वराज्य प्राप्ति में हिन्दू मुसलमानों की राजनीतिक एकता आवश्यक थी। १९१६-२६ ई० के मध्य मुख्य प्रश्न अंग्रेजों से कुछ विशेष सुविधाओं—उत्तरदायी प्रशासन और सेवाओं का भारतीयकरण—का था। इसलिए किसी भी मुस्लिम नेता के लिए एक ही तर्क था कि हिन्दू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों से वे सुविधाएँ प्राप्त कर लें। मौजाना आज़ाद ही ऐसे प्रभावशाली नेता थे जो १९२० के पश्चात् पृथक् सुविधाओं पर अधिक बल नहीं देते थे।

जैसे ही १९२५-२६ ई० में यह स्पष्ट हुआ कि आगामी वैधानिक सुधारों में प्रान्तों को स्वायत्तता उपलब्ध हो जायेगी, जिन्ना ने यह विचार रखा कि सिन्ध को बम्बई प्रान्त से अलग कर दिया जाए तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त और बलूचिस्तान में अन्य प्रान्तों की भाँति उत्तरदायी प्रशासन स्थापित किया जाए। १९२६-३३ ई० के मध्य यह प्रश्न ही मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन का लक्ष्य बना रहा। १९२६ ई० में उन्होंने उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त को पंजाब से पृथक् करने के लिए कहा क्योंकि भाषा, भूगोल और जाति के आधार पर वह पंजाब से भिन्न था।<sup>२२</sup>

दिसम्बर १९२६ ई० में जिन्ना ने मुस्लिम लीग अधिवेशन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत

१७ तकरूर, पृ० ११७।

१८. वही, पृ० १४५-१४६।

१९. मुप्ती गुलाम जाफर : इरशादत-ए-जिन्ना, पृ० २२६।

२०. रफीक अफ्जल, पृ० १५३-१५४।

२१. १९२६ ई० का अध्यक्षीय भाषण, रफीक अफ्जल, पृ० १३२-१३३।

२२. रफीक अफ्जल, पृ० २४१।

किया कि अंग्रेजी सरकार को अब शीघ्रता से कुछ सुधार स्थापित करने चाहिए जिससे भारत में एक उत्तरदायी प्रशासन स्थापित हो सके। इन सुधारों को लागू करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक था।

- (१) देश की प्रत्येक निर्वाचित सभा में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त और प्रभावशाली प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए तथा किसी भी बहुमत को अल्पमत अथवा समानता में नहीं बदला जाना चाहिए।
- (२) साम्प्रदायिक पृथक् प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रचलित रहनी चाहिए।
- (३) देश में प्रान्तीय पुनर्गठन करते समय पंजाब, बंगाल और उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त में मुस्लिम बहुमत कम नहीं होना चाहिए।
- (४) सब सम्प्रदायों को धर्म तथा शिक्षा की स्वतन्त्रता उपलब्ध होगी।
- (५) किसी एक सम्प्रदाय के ३/४ निर्वाचित सदस्यों के विरोध के पश्चात् कोई विधेयक पास नहीं किया जायेगा यदि इस विधेयक से उनके साम्प्रदायिक हितों को हानि पहुँचती हो।<sup>२३</sup>

उस समय उनका एक आक्षेप कांग्रेस अथवा हिन्दू सगठनों पर यह था कि उन्होंने मुस्लिम सम्प्रदाय के भविष्य के विषय में कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं रखा था। उनके अनुसार साम्प्रदायिकता का अस्तित्व वास्तविक था। उन्होने चेतावनी के रूप में यह भी कहा कि यदि कोई सम्मिलित समझौता नहीं हो सकता था तब मुस्लिम लीग अपना मुरुदमा रॉयल कमीशन के समक्ष स्वयं प्रस्तुत करेगी और लड़ाई लड़ेगी। लेकिन इस समय पृथक् राष्ट्रीयता की बात वे प्रस्तुत नहीं कर रहे थे।

२० मार्च, १९२७ ई० को विभिन्न विचारों के मुसलमान नेताओं ने दिल्ली में विचार-विमर्श किया और 'दिल्ली प्रस्ताव' प्रस्तुत किए जिनके अनुसार पाँच मुस्लिम बहुमत वाले प्रान्तों में पृथक् उत्तरदायी प्रशासन पद्धति स्थापित करने की बात कही गई। इन प्रान्तों में यदि मुस्लिम बहुमत को सुरक्षित कर दिया जाए तब मुस्लिम नेता पृथक् निर्वाचन पद्धति को छोड़ने को तैयार थे। इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देते हुए जिन्ना ने कहा था कि इनमें मुसलमान समुक्त निर्वाचन क्षेत्रों पर सहमत हो गए यदि उनकी अन्य शर्तों को स्वीकार कर लिया गया। ये पूर्व शर्तें थीं। सिन्ध का बम्बई से अलग किया जाना और उत्तर-पश्चिमी सीमा और बलूचिस्तान प्रान्तों में उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना। यदि ऐसा हुआ तब मुसलमान नेता भी हिन्दू अल्पसंख्यकों के लिए उपरोक्त तीनों प्रान्तों में उसी प्रकार की सुविधायें देंगे जो हिन्दू बहुमत वाले प्रान्तों में उन्हें उपलब्ध होंगी। पंजाब और बंगाल में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुसार ही होगा और केन्द्र में मुसलमानों को १/३ स्थान प्राप्त होने चाहिए।

यह सब प्रस्ताव एक योजना के अधीन ही थे। इस समय पृथक् निर्वाचन



प्रणाली को छोड़ने के लिए जिन्ना तैयार थे क्योंकि यह निर्वाचन प्रणाली अपने में एक सद्य नहीं थी बल्कि सद्य की प्राप्ति के लिए माधन मात्र थी।<sup>२४</sup> सद्य मुसलमानों में बहुसंख्यकों के सम्भावित भ्रत्याचारों से सुरक्षा पंदा करना था। वे दोनों समुदायों में सन्तुलन स्थापित रखना आवश्यक समझते थे।

दिसम्बर १९२० ई० में नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन कलकत्ते में हुआ। मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना ने इस रिपोर्ट से अपनी असहमति प्रकट की। अपने भाषण में अन्य मुस्लिम पृथक्तावादी नेताओं की भाँति वे सदा यह कहते थे कि "हमारी प्रगति के लिये हिन्दू मुस्लिम एकता अत्यन्त आवश्यक है।" साथ ही वह यह कहते थे कि "बहुमत भ्रत्याचारी तथा निरकुश होने हैं और अल्पमत अपने हितों और अधिकारों को वैधानिक रूप से सुरक्षित करना चाहते हैं"<sup>२५</sup> इसी अवसर पर जिन्ना ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि अल्पसंख्यक किसी भी भारतीय संविधान का समर्थन उसी समय करेंगे जबकि इकाई के रूप में उनका पृथक् अस्तित्व सुरक्षित हो। इसके अभाव में देश में गृहयुद्ध और विप्लव उत्पन्न होगा।<sup>२६</sup> देश के लिए उक्त समय तक संविधान निर्माण की धान व्यर्थ थी जबतक कि हिन्दू मुस्लिम समस्या का हल न हो जाए।

जिन्ना कलकत्ते के सर्वदलीय सम्मेलन से निराश लौटे थे। इस निराशा का कारण यह था कि वे अपनी भाँगी को भारत के सात करोड़ मुसलमानों की भाँगी कहते थे जबकि कई मुस्लिम सगठन सर्वदलीय सम्मेलन में सम्मिलित थे, तथा नेहरू समिति की सिफारिशों से सहमत थे। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कई संस्थाएँ तथा सगठन करते थे और मुस्लिम लीग स्वयं दो दलों में विभक्त थी। जमैयत उनउलमा, खिलाफत समिति आदि नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध नहीं थी। जिन्ना के प्रस्तावों को स्वीकार करने से यह आशाका थी कि अन्य मुस्लिम दल जो उस समय सहमत थे बाद में असहमत हो सकते थे।<sup>२७</sup> इस समय बड़ा सन्देह यह था कि जिन्ना के पक्ष में कितना समर्थन था। यह कहना अनुचित है कि सर्वदलीय सम्मेलन ने मुसलमानों के हितों के प्रति अनदेखी कर दी थी।

कलकत्ते से लौटने के पश्चात् जिन्ना ने मुस्लिम लीग कौंसिल की बैठक में १४ सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया। यह कार्यक्रम किसी भी समझौते के लिए पूर्ण आवश्यकता घोषित कर दिया गया था। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रस्ताव थे :

- (१) भावी संविधान सघातमक होना चाहिए जिसमें अवशिष्ट अधिकार प्रान्तों के पास रहने चाहिए।

२४. वही, पृ० २५२।

२५. वही, पृ० २८६, २९५।

२६. वही, पृ० २९५।

२७. मतलूक, पृ० १९१-१९५।

- (२) समस्त प्रान्तों को समान स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए ।
- (३) देश की समस्त व्यवस्थापिका और निर्वाचित सभाओं का गठन इस आधार पर होना चाहिए कि प्रत्येक प्रान्त में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त और प्रभावशाली प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए तथा किसी भी प्रान्त में बहुमत को अल्पमत अथवा समानता में परिवर्तित नहीं करना चाहिए ।
- (४) केन्द्रीय सभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व एक तिहाई से कम नहीं होना चाहिए ।
- (५) साम्प्रदायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व पृथक् निर्वाचन प्रणाली के अधीन ही होना चाहिए यद्यपि किसी भी वर्ग को यह अधिकार उपलब्ध होगा कि वह इस प्रणाली को छोड़कर सम्मिलित निर्वाचन प्रणाली अपना सके ।
- (६) किसी भी भावी क्षेत्रीय परिवर्तन में बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त में मुस्लिम बहुमत को कम नहीं किया जाए ।
- (७) सब सम्प्रदायों को पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता उपलब्ध होनी चाहिए ।
- (८) किसी भी सम्प्रदाय के ३/४ सदस्यों के विरोध के पश्चात् कोई प्रस्ताव पास नहीं किया जायेगा यदि वह उस सम्प्रदाय के हितों के विरुद्ध हो ।
- (९) सिन्ध प्रान्त को बम्बई प्रान्त से अलग कर दिया जाए ।
- (१०) उत्तर-पश्चिमी प्रान्त और बलूचिस्तान में अन्य प्रान्तों की भाँति सुधार स्थापित किये जाएँ ।
- (११) संविधान में इस बात का निश्चित आयोजन किया जाना चाहिए कि राज्य-सेवाओं में तथा स्थानीय संस्थाओं में मुसलमानों को उचित मात्रा में स्थान मिलने चाहिए ।
- (१२) संविधान में मुस्लिम सस्कृति, शिक्षा, भाषा, धर्म व्यक्तिगत नियमों और राज्य से उपलब्ध अनुदान को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए ।
- (१३) केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय कोई भी मन्त्रिमण्डल एक तिहाई मुस्लिम मन्त्रियों के बिना नहीं बनाया जाना चाहिए ।
- (१४) केन्द्रीय व्यवस्थापिका के संविधान में बिना राज्यों की स्वीकृति के कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए ।

जिन्ना ने यह चौदह सूत्रीय कार्यक्रम इसलिए तैयार किया था कि विभिन्न मुस्लिम संगठन उनके साथ हो जाएँ । दिसम्बर १९२८ ई० कांग्रेस ने पूर्ण स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लक्ष्य को एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया था । इससे जिन्ना अत्यन्त चिन्तित हो उठे थे । उन्होंने जून १९२९ ई० में एक पत्र इंग्लैण्ड के प्रधानमन्त्री

रेम्जे मेकडोनल्ड को लिखा जितने वे चाहते थे कि स्वतन्त्रता आन्दोलन को दुबल बनाने के लिए अंग्रेज सरकार को भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित कर देनी चाहिए, और डोमिनियन स्टेट्स की स्थापना की घोषणा कर देनी चाहिए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा "भारत का इंग्लैण्ड के कयन पर मे विश्वास उठ गया है....." भारत और इंग्लैण्ड की सरकारों ने १९२४ ई० से समस्त न्यायोचित माँगों के प्रति ऐसा दृष्टिकोण अपनाया है जिससे प्रत्येक राजनीतिक दल इस निर्णय पर पहुँच गया है कि न्याय और उचित कार्य की कोई आशा नहीं है। इसलिए भारत में एक वर्ग पूर्ण स्वतन्त्रता.....के पक्ष में है और बिना प्रतिशयोक्ति के मैं कह सकता हूँ कि स्वतन्त्रता आन्दोलन जोर पकड़ रहा है क्योंकि इण्डियन नेशनल काँग्रेस इसका समर्थन कर रही है।"<sup>२८</sup>

इस पत्र में जिन्ना ने एक अन्तरदलीय सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया था। लेकिन मतलूब का यह कहना गलत है कि इसी आधार पर गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। जिन्ना केवल यह चाहते थे कि १५ के लगभग भारतीय सदस्यों का आमन्त्रित किया जाए, किन्तु सम्मेलन में इससे कहीं अधिक सदस्य बुनाये गये थे। केवल अंग्रेजों के अधीन भारत के ही ५८ सदस्य भाग ले रहे थे। भारतीय नरेशों के प्रतिनिधि इसके अतिरिक्त थे जिन्ना ने उनके विषय में वर्णन तक भी नहीं किया था।

१९२६ ई० में जिन्ना भारत में मुसलमानों से पूरी तरह तय आ चुके थे क्योंकि वे संगठित नहीं थे। कुछ मुसलमान काँग्रेस के पक्ष में थे और कुछ अंग्रेज सरकार के पक्ष में। इस फूट और असंगठित अवस्था से दुखी होकर जिन्ना ने इंग्लैण्ड में रहने का निश्चय किया।<sup>२९</sup>

गोलमेज सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन में जिन्ना ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय समस्या का हल चार पक्षों के सन्दर्भ में ही संभव था। अंग्रेज, भारतीय नरेश, हिन्दू तथा मुसलमान। भारतीय संघ के स्वत्त्व पर काफी वाद-विवाद हो रहा था और जिन्ना अंग्रेजी प्रान्तों और भारतीय राज्यों को समान स्तर पर समझते थे। यदि अखिल भारतीय संघ संभव न हो तब अंग्रेजी प्रान्तों का ही संघ बनाया जाना चाहिए। इस सम्मेलन के समक्ष भी मुख्य समस्या हिन्दू मुस्लिम वाद-विवाद की थी। जिन्ना ने अपनी यह धारणा स्पष्ट की कि भारतीय सरकार के लिए किसी भी सविधान की रचना उस समय तक संभव नहीं थी जबतक कि हिन्दू मुस्लिम समस्या का ऐसा हल न हो जाए,<sup>३०</sup> जिसमें मुसलमानों को पूरी तरह सुरक्षा अनुभव हो। उनका सहयोग और सहमति उपलब्ध हुए बिना कोई सविधान भारत में

२८. रफीक अफजल, पृ० ३०८-३१०।

२९. यह जिन्ना ने स्वयं ५ फरवरी, १९३८ ई० के अलीगढ़ में भाषण देते हुए कहा था।  
सफ़री, पृ० १११-११२।

३०. रफीक अफजल, पृ० ३२४-४०७।

२४ घंटे भी नहीं चल सकता था। कोई भी संविधान मुसलमानों को उस समय तक स्वीकृत नहीं होगा जब तक उनकी मांगें स्वीकृत न हो जाएं। बिना अल्पसंख्यकों की समस्या के हल किये हुए संविधान की समस्या का हल बेकार था।<sup>३१</sup> इस प्रकार गोलमेज सम्मेलन में यह स्पष्ट हो चुका था कि जिन्ना किसी भी प्रकार के संवैधानिक विकास को उस समय तक भ्रमम्भव ममभ्रते थे जब तक कि साम्प्रदायिक समस्या का हल न निकल आए।

जिन्ना इस सम्मेलन में मुसलमानों के विभिन्न दृष्टिकोणों तथा कांग्रेस और अन्य पक्षों के तर्कों से अत्यन्त निराश हो गये थे। बोलियों के अनुसार जिन्ना भारत के किसी प्रभावशाली पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे इसलिए उन्हें तीसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित नहीं किया गया था। निराशा की अवस्था में उन्होंने इंग्लैण्ड में ही ठहरकर बकालत करने का निश्चय किया।<sup>३२</sup> १९३०-३४ ई० के मध्य जिन्ना भारतीय राजनीति से अलग-थलग पड़ गए। इस बीच साम्प्रदायिक निर्णय अंग्रेज सरकार द्वारा घोषित किया गया जिसे मुसलमानों ने स्वीकार कर लिया था। १९३५ ई० में जिन्ना भारत लौट आए।

जिन्ना ने १९३५ ई० के एक्ट की संघीय व्यवस्था को केन्द्रीय लेजिस्लेटिव कौंसिल द्वारा अस्वीकृत करवा दिया था। लेकिन जब १९३६ ई० में उन्हें यह ज्ञात हुआ कि १९३५ ई० का एक्ट लागू होगा, और उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि मुस्लिम राजनीति उसी प्रकार से प्रान्तीयता के बन्धनों में जकड़ी हुई थी जैसी १९२६-३० ई० में, तब उन्हें 'निराशाओं ने अधिक निडर बना दिया'।<sup>३३</sup> अप्रैल, १९३६ ई० में उन्होंने मुस्लिम लीग को अखिल भारतीय रूप देने और नए निर्वाचनों में भाग लेने का निश्चय किया। अक्टूबर १९३७ ई० में ही जबकि कांग्रेस के मन्त्रिमण्डल को बने हुए कुछ सप्ताह में अधिक नहीं हुए थे जिन्ना ने यह आक्षेप लगाना आरम्भ कर दिया था कि मुसलमान कांग्रेस सरकार में किसी न्याय की आशा नहीं कर सकते थे। जिन्ना ने वन्दे मातरम्, हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन तथा कांग्रेसी ध्वज को सम्मान देने के विषय में शिकायत की थी।<sup>३४</sup> अप्रैल १९३८ ई० में नेहरू जिन्ना के मध्य हुए पत्र व्यवहार से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों नेताओं में कई मौलिक अन्तर थे। जिन्ना चाहते थे कि मुस्लिम लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि स्वीकार कर लिया जाए। नेहरू उसे केवल एक साम्प्रदायिक संगठन मानने को तैयार थे जिस प्रकार के साम्प्रदायिक संगठन विभिन्न थे। जिन्ना ने यह आक्षेप भी लगाया था कि कांग्रेस का व्यवहार एकाधिकारी तथा प्रभुत्वमम्पन्न संस्था का सा था। कांग्रेसी

३१ बड़ी, पृ० ५०६।

३२ बोलियों, पृ० २६।

३३ वही।

३४, जिन्ना का मुस्लिम लीग अध्यक्षीय भाषण। फिफ्टिन दी इवोल्यूशन ऑफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, पृ० ३५७।

अंग्रेजों के पत्र में उन्हें ग्रहंभाव स्पष्ट होता था। १२ अप्रैल, १९३८ ई० के पत्र में गाने ने समस्त भगडे की बुनियाद स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने कहा था : "जब तक मुस्लिम लीग को कांग्रेस पूर्ण समानता के स्तर पर स्वीकार नहीं करती, एक हिन्दू मुस्लिम समझौते के विषय में बातचीत नहीं करती तब तक हमें साक्षात् करनी पड़ेगी और अपनी भ्रान्तरिक शक्ति पर निर्भर रहना पड़ेगा। वह हमारे महत्त्व और प्रतिष्ठा का सूचक होगा"।<sup>३४</sup> अपने अध्यक्षीय भाषण में दिसम्बर १९३८ ई० में उन्होंने कांग्रेस के एक राष्ट्रीय स्वप्न की तीव्र आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस को केवल एक हिन्दू संगठन बताया था। १९३१ ई० में ही जिन्ना कहा था कि भारत की समस्या को सुलझाने के लिये चार पक्षों में बातचीत आवश्यक थी।<sup>३५</sup> अंग्रेज सरकार, भारतीय राज्य, मुसलमान और हिन्दू। यह ही उन्होंने १९३८ ई० में भी दोहराया था।<sup>३७</sup>

१९३७ ई० के निर्वाचनों से यह स्पष्ट हो चुका था कि किसी भी केन्द्रीय स्तर पर हिन्दुओं का बहुमत रहेगा। इसलिए किसी ऐसी योजना को प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया था जिसका मुसलमान जनता तथा विभिन्न मुस्लिम दल समर्थन करें और अंग्रेजी सरकार भी उसे स्वीकार कर ले। जिन्ना को कांग्रेस की स्वीकृति इतनी चिन्ता नहीं थी। अक्टूबर १९३८ ई० में भारत से चार मुसलमानों का सदस्य मण्डल मिश्र में हो रहे पलेस्टाइन सम्मेलन में भाग लेने के लिये गया। समय जिन्ना इकबाल द्वारा प्रस्तुत तथा अन्य भारत विभाजन योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। इसी मण्डल के दो सदस्य लीग की कार्यकारिणी के सदस्य भी थे। सदस्य इंग्लैण्ड में भारत उपसचिव तथा सचिव से मिले और उनसे भारत विभाजन योजना का वर्णन किया। उन अधिकारियों की परोक्ष रूप से सहमति मिल जाने पश्चात्, तथा उन लोगों के मई १९३९ ई० में भारत लौट आने के पश्चात् ही विभाजन योजना के सम्बन्ध में कोई कार्य किया जा सका।<sup>३८</sup> मुस्लिम लीग द्वारा इस पर लगाए गए आक्षेप सम्बन्धी 'विरपुर रिपोर्ट' भी इसी समय प्रकाशित की गई थी। इसी प्रकार बिहार में कांग्रेस प्रशासन के दोषों को स्पष्ट करने के लिए 'एफ रिपोर्ट' प्रकाशित की गई। १९३९ ई० में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के त्यागपत्र आने के पश्चात् जिन्ना ने देश भर के मुसलमानों को परामर्श दिया कि वे

३५. नेहरू त्रिभाषीय व्यवहार : फिलिप्स, पृ० ३४८-३५०।

३६. रफीक अफजल, पृ० ३१३।

३७. फिलिप्स, पृ० ३५१। जिन्ना ने मुस्लिम लीग के पटना अधिवेशन का अध्यक्षीय भाषण।

३८. घलीफ उज्जमान - पाषवे टू पाकिस्तान, पृ० २०४-२०९। अक्टूबर १९३८ ई० में मिश्र मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पास करके मुस्लिम लीग को एक ऐसे विधान बनाने का उत्तरदायित्व सौंप दिया था जिससे भारत के मुसलमानों को पूर्ण स्वतन्त्रता मिल सके। खानिद बिन सईद : पाकिस्तान, दी फोर्मेटिव फेज, पृ० १०७।

२२ दिसम्बर, १९३६ ई० को 'मुक्ति दिवस' के रूप में मनाएँ क्योंकि काँग्रेस मन्त्रिमण्डल समाप्त हो चुके थे। भारतीय मुसलमानों को इस प्रकार उत्तेजित किया गया कि वे काँग्रेसी प्रशासन के विरुद्ध जिन्ना के कालानिक धाक्षेपों को सही समझने लगे।<sup>३४</sup>

एक ओर तो काँग्रेसी प्रशासन के विरुद्ध मुसलमानों को भड़काया जा रहा था, दूसरी ओर जिन्ना का यह प्रयत्न रहा कि भारतीय मुसलमानों को मुस्लिम लीग का नेतृत्व स्वीकार करने पर बाध्य किया जाए, तथा मुस्लिम लीग को केवल उच्च वर्ग का दल न रखकर जनसाधारण का दल बना दिया जाए। पंजाब, बंगाल और सिन्ध के प्रान्तीय मुस्लिम संगठनों का सहयोग तथा समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न जिन्ना ने किया जिससे कुछ बाधाओं के पश्चात् उन्हें पर्याप्त सफलता उपलब्ध हुई।

इसी अवधि में जिन्ना यह भी कहते रहे कि काँग्रेस को साम्प्रदायिक समस्या को हल करना चाहिए। काँग्रेस यह भली-भाँति जानती थी कि मुस्लिम लीग का मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्तों में कोई विशेष प्रभाव नहीं था। इसलिए वह लीग की इस चेतावनी पर विशेष ध्यान नहीं देती थी। जिन्ना यह चाहते थे कि हिन्दू मुस्लिम ममभौते का यदि कोई हल हो तो केवल मुस्लिम लीग के माध्यम से। इसलिए काँग्रेस और लीग के दृष्टिकोणों में एक मौलिक अन्तर बना रहा। केन्द्रीय लेजिस्लेटिव काँसिल में मुस्लिम लीग के सदस्यों की स्थिति महत्त्वपूर्ण थी क्योंकि काँग्रेस को अथवा सरकारी पक्ष को जिन्ना का नेतृत्व वाले गुट के समर्थन के अभाव में बहुमत मिलने की संभावना नहीं थी। लीग की कार्यकारिणी के दो सदस्य इंग्लैण्ड में भारत उपसचिव तथा भारत सचिव से क्रमशः १४ और २० मार्च, १९३६ ई० को मिल चुके थे जिन्होंने भारत विभाजन के प्रस्ताव के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी।

इसके तुरन्त बाद २२ मार्च, १९३६ ई० को जिन्ना ने अपनी नीति में परिवर्तन की घोषणा की और चेतावनी के रूप में पृथक् मुस्लिम व्यक्तित्व की घोषणा की।

“तुम दोनों (काँग्रेसी और सरकारी मत वाले सदस्य) मिलकर भी हमारी आत्मा को नष्ट करने में कभी सफल न हो सकोगे। तुम उस सभ्यता को न मिटा सकोगे उस इस्लामी सभ्यता को जो हमें विरासत में मिली है। हमारे धर्म का प्रकाश जीवित है, जीवित रहा है और रहेगा.....हम एक निर्णय पर पहुँच चुके हैं और हमने यह दृढ़ निर्णय कर लिया है कि यदि हमें मरना ही है तो लड़ते-नड़ते मर जायेंगे।”

१६ जनवरी, १९४० में जिन्ना ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि अंग्रेजों को यह ममक लेना चाहिये कि हिन्दू और

इस्लाम धर्म दो पृथक् धोर भिन्न सम्प्रदायों के द्योतक थे और उनमें परस्पर उतना ही अंतर था जितना यूरोप की दो कौमों में होता था। यह धारणा १९३३-३४ ई० में पार्लियामेंट की जोइन्ट सिलेक्ट कमेटी ने भी स्वीकार करली थी। इसलिये भारत में पश्चिमी प्रजातन्त्रीय संविधान ठीक नहीं था। इस लेख के अन्त में जिन्ना का मुन्हाव था कि एक ऐसे संविधान का निर्माण होना चाहिये जो यह स्वीकार करे कि भारत में दो कौम हैं और उन दोनों को मातृ-भूमि के नियन्त्रण का अधिकार होना चाहिये।<sup>४०</sup>

जिन्ना ने मार्च १९४० ई० में मुस्लिम लीग अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पास करवाया था। किन्तु इस योजना के निर्माण में जिन्ना का योगदान बहुत कम था। १९३० ई० में डॉ० इकबाल के मुस्लिम प्रान्तों को पृथक् राज्यों में बना देने की माँग के पश्चात् इस प्रकार की विभिन्न योजनाएँ बन रही थीं। १९३०-३८ के मध्य की योजनाएँ काल्पनिक अधिक दिखाई पड़ती थीं।<sup>४१</sup> इसके अतिरिक्त इन सब योजनाओं में यह आवश्यक मान लिया गया था कि किसी प्रकार का सम्बन्ध अखिल भारतीय संघ के साथ रखा जाए। जिन्ना इस प्रकार की कोई योजना नहीं चाहते थे।<sup>४२</sup> पाकिस्तान योजना को मार्च १९४० ई० में प्रस्तुत करते समय जिन्ना ने कहा था कि एक अच्छा सेना संचालक उस समय तक 'आक्रमण करो' का आदेश नहीं देता जबतक उसे विजय का विश्वास न हो अथवा उसे सम्मानपूर्ण पराजय का विश्वास तो निश्चित रूप से होना ही चाहिये।<sup>४३</sup>

मार्च, १९४० ई० में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जिन्ना ने काँग्रेस पर यह आरोप पुनः लगाया कि काँग्रेस एक हिन्दू सगठन था और मुसलमानों के लिये उसको बोलने का अधिकार नहीं था, क्योंकि जबतक मुस्लिम लीग अपना यह दावा स्वीकार न करा ले, उस समय तक उसकी कोई भी माँग स्वीकृत होने की संभावना नहीं थी।

१९३७-४० ई० में जिन्ना का एक महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने मुस्लिम लीग को अखिल भारतीय सगठन में परिवर्तित कर दिया तथा विभिन्न प्रान्तीय मुस्लिम लीग व संगठनों के स्थान पर मुस्लिम लीग का प्रभुत्व स्थापित कर दिया।

४०. यह लेख 'टाइम और टाइम्स' में प्रकाशित हुआ था और मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित 'इन्डियाज प्रोबलम ऑफ़ हरफूवर कॉन्स्टिट्यूशन' में पृ० २२-२८ पर प्रकाशित है।

४१. इन योजनाओं का विस्तृत विवरण इस पुस्तक की सीमाओं से बाहर है। इसलिये यहाँ पर नहीं दिया गया है। देखिए एच। विन मर्सेर 'पाकिस्तान, दी फोर्माटिव फेज', पृ० १०७-११६।

४२. १९४४ ई० में जिन्ना गाँधी वार्ता इसी आधार पर अतृप्त हो गई थी कि गाँधी एवं मध की स्थापना के लिये मजूम उ के लिये मुस्लिम प्रांत स्वतन्त्र हो जाएँ, लेकिन कुछ सामान्य द्विती के लिये एक मध के अधीन रहें।

४३. २१ नवम्बर, १९४५ ई० को जिन्ना का पेशावर में भाषण इस्लामाबाद, पृ० २२५।

उन्होंने मार्च, १९४० ई० में परामर्श दिया था :

“मैं चाहता हूँ कि आप अपने आपको संगठित करने का महत्त्व समझ लें” आप अपनी आन्तरिक शक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अपने आप पर निर्भर रहो। अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये अपने में शक्ति पैदा करो।” उन्होंने आगे कहा : “अंग्रेज सरकार द्वारा भारत के भविष्य के सविधान के सन्दर्भ में कोई घोषणा बिना हमारी सहमति नहीं की जानी चाहिये” यदि ऐसी कोई घोषणा की जाती है और बिना हमारी स्वीकृति और सहमति के कोई अन्तरिम समझौता किया जाता है तो भारत के मुसलमान इसका विरोध करेंगे।” ४४

जिन्ना ने एक अन्य कार्य यह किया कि मुसलमानों को एक अल्प संख्यक वर्ग के स्थान पर एक कौम बताया और भारत के भावी संविधान का प्रजातन्त्रीय आधारों पर गठन असम्भव तथा अव्यवहारिक बताया। उन्होंने उसी प्रकार के तर्क दोहराए जो डा० इकबाल ने अपने १९३० ई० के भाषण में दिए थे। जिन्ना ने कहा कि “एक हजार वर्षों के सम्पर्क के बावजूद ऐसी राष्ट्रीयताएँ जो सदा की भाँति भिन्न और अलग-अलग है, केवल प्रजातन्त्रीय प्रणाली की स्थापना से किस प्रकार एक राष्ट्र बन सकती है?.....भारत की समस्या अन्तर्जातीय न होकर अन्तर्राष्ट्रीय है। यदि अंग्रेजी सरकार इस उप-महाद्वीप के लोगों की सुख और समृद्धि की इच्छुक है तब एक मात्र विकल्प यही है कि भारत को कई राज्यों में विभक्त करके यहाँ की बड़ी कौमों को पृथक्-पृथक् भाग दे दिये जाएँ.....यह एक स्वप्न है कि भारत में हिन्दू और मुसलमान एक सम्मिलित राष्ट्रीयता प्राप्त कर सकेंगे।” हिन्दू और मुसलमानों की भिन्नताएँ बताते हुए जिन्ना इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि “ये दोनों सम्प्रदाय बिल्कुल भिन्न थे.....वर्तमान कृत्रिम एकता केवल अंग्रेजी राज्य की देन है.....भारत के मुसलमान किसी भी ऐसे सविधान को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें बहुसंख्यक हिन्दुओं की सरकार स्थापित हो सके।”

“मुसलमान एक अल्पसंख्यक समुदाय नहीं हैं.....वे प्रत्येक परिभाषा के अनुसार एक कौम (नेशन) हैं और उन्हें अपना वतन, राज्य तथा क्षेत्रफल मिलना चाहिये.....हम अपने लक्ष्य से डरा घमकाकर विचलित नहीं किये जा सकते.....” ४५ उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग से सामान्य मुस्लिम वर्गों को उत्तेजित करने के लिए कहा।

१९४० ई० के मुस्लिम लीग अधिवेशन में पारित पहले प्रस्ताव द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि कोई भी भावी संवैधानिक योजना उम समय तक भारत के मुसलमानों को स्वीकृत नहीं होगी जबतक वह उनकी स्वीकृति और सहमति से न बनाई गई हो। इस भावी योजना का आधार भी स्पष्ट कर दिया गया था कि

४४. जिन्ना का अल्पसंख्यक भाषण : पृ० ३-८। इण्डियाज प्रोविसन ऑफ़ दूर प्रूचर कॉन्स्टी-ट्यूशन (मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित) १९४०।

४५. जिन्ना का अल्पसंख्यक भाषण : वही, पृ० १२-१५।



भौगोलिक दृष्टि से माथ लगने वाले क्षेत्रों को कुछ फेर बदल के पश्चात् इस प्रकार बाँट दिया जाए कि भारत के उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों को पृथक् राज्यों में परिवर्तित कर दिया जाए जिसमें प्रत्येक इकाई पूर्ण रूप से प्रमुख सम्पन्न हो।<sup>४४</sup>

मई, १९४० ई० में मुस्लिम लीग के बम्बई प्रादेशिक अधिवेशन को अपने सदेश में जिन्ना ने कहा : "अगिल भारतीय मुस्लिम लीग ने भारत के मुसलमानों को सही दिशा दिखा दी है। उसने उन्हें एक उत्तम कार्यक्रम, एक नीति, एक मंत्र और एक ध्वज प्रदान किया है..... भारतीय राष्ट्र केवल कांग्रेस हाई कमान्ड के अस्तित्व में ही विद्यमान है।"<sup>४५</sup>

जिन्ना ने अपनी योजना को स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारा प्रस्ताव यह था कि हिन्दू और मुसलमान दो सम्मानपूर्ण कौमों की भाँति साथ-साथ अछूते पड़ोसियों की भाँति रहें, न कि हिन्दू उच्च और मुसलमान निम्न कौम की भाँति रहें जिससे हिन्दू बहुमत मुसलमानों पर नियन्त्रण करे। वे भारत विभाजन की इस योजना को साम्प्रदायिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक समस्याओं का हल समझते थे क्योंकि इस योजना के अधीन हिन्दू और मुसलमान समान अधिकार और स्थान प्राप्त कर सकेंगे।<sup>४६</sup>

जिन्ना ने पाकिस्तान का औचित्य सैद्धान्तिक रूप में तो यह बताया था कि चूँकि मुसलमान एक कौम (नेशन) हैं इसलिए उन्हें पृथक राज्य चाहिए। यह तर्क इसलिए प्रस्तुत किया गया था क्योंकि इसी राष्ट्रीयता (कौमियत) के आधार पर यहूदियों को पैलेस्टाइन में स्थान मिलने की बात हो रही थी। किन्तु वास्तव में उन्होंने "पाकिस्तान की माँग प्रस्तुत करके भारतीय मुसलमानों के दिलों में जो भावनाएँ थी उनको निडरता से द्रष्ट कर दिया था।"<sup>४७</sup> यह भावना थी कि मुसलमान हिन्दुओं के अधीन न रहें। पाकिस्तान के लिए संघर्ष अंग्रेजों से नहीं बल्कि कांग्रेस से (जिसे वे केवल एक हिन्दू संगठन कहते थे) था। नवम्बर १९४० में उन्होंने कहा कि "हम इंग्लैण्ड से अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहते हैं। यही कारण है कि हमने आरम्भ से ही इंग्लैण्ड के मार्ग में रुकावटें नहीं डाली। उदाहरणार्थ यद्यपि पाकिस्तान ही हमारी नौका का लक्ष्य है फिर भी हमने इंग्लैण्ड सरकार के समर्थन के लिये पाकिस्तान की माँग को पूर्व शर्त के रूप में नहीं रखा। हमने केवल यह आश्वासन चाहा कि इंग्लैण्ड सरकार कांग्रेस से कोई स्थायी या अस्थायी समझौता करके हमारा साथ न छोड़ दे।"<sup>४८</sup> यदि किसी

४६. मुस्लिम लीग अधिवेशन (१९४० ई०) में पाठ किया हुआ प्रस्ताव नं० १ वही, पृ० १९-१७।

४७. वही, पृ० १८-१९।

४८. वही, पृ० २०।

४९. जिन्ना का १० मार्च १९४१ का भाषण तकररीरें, पृ० ११६।

५०. जिन्ना का नवम्बर १९४० का भाषण तकररीरें, पृ० १५९।

समय ऐसा प्रतीत भी होता था कि जिन्ना अंग्रेज सरकार का विरोध कर रहे थे तो उसका केवल कारण यह था कि अंग्रेज सरकार कांग्रेस को अधिक महत्त्वपूर्ण समझती थी।<sup>५१</sup>

१९४०-४६ ई० के मध्य घटनाओं का क्रम बड़े वेग से चला। लेकिन इन सबमें जिन्ना का लक्ष्य हिन्दू मुसलमानों में समानता प्राप्त करना था। उन्होंने यह बात अस्पष्ट विभिन्न भाषणों में कही थी। ६ मार्च १९४० ई० को अलीगढ़ में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दू मुस्लिम समझौता 'केवल समानता के आधार पर सम्भव था' न कि गांधीजी की शर्तों पर।<sup>५२</sup> चूंकि यह समानता पश्चिमी प्रजातन्त्रीय प्रणाली से उपलब्ध नहीं हो सकती थी इसलिए वे प्रजातन्त्रीय प्रणाली के विरुद्ध थे। उनका तर्क था कि इस्लाम ऐसे प्रजातन्त्र पर विश्वास नहीं रखता जिसमें निर्णय का अधिकार गैर मुसलमानों को हो।<sup>५३</sup> उन्होंने हिन्दू मुस्लिम समझौते के सम्भव न होने के लिए मुख्य कारण यही बताया कि मुसलमान भारत के भावी प्रशासन में बराबर के साझेदार होना चाहते थे।<sup>५४</sup> यह मांग किसी भी प्रजातान्त्रिक आधार पर उचित नहीं ठहराई जा सकती थी। इसलिए किसी समझौते का प्रश्न ही नहीं उठता था।

भारत में एक केन्द्रीय अथवा संघीय व्यवस्था की स्थापना को जिन्ना ने "हिन्दू राज्य का स्वप्न" कहना आरम्भ किया। मुस्लिम भावनाओं को उत्तेजित करके अपने साथ रखने के लिए उन्होंने कहा था कि "आज हम केवल एक चौथाई भारत चाहते हैं और तीन चौथाई उनके लिए छोड़ देने को तैयार हैं। यदि उन्होंने अधिक जिद की तो शायद उन्हें यह भी न मिले।"<sup>५५</sup> एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा कि "हिन्दुओं ने पिछले एक हजार वर्षों से भारत पर राज्य नहीं किया था। हम उन्हें ३/४ भारत राज्य करने के लिए दे रहे हैं। हमारे १/४ भारत पर लालच की दृष्टि न रखो।"<sup>५६</sup> उनके अनुसार भारत के मुसलमान कभी हिन्दू राज्य स्वीकार न करेंगे और परिणाम यह होगा कि देश में अणुव्यवस्था और अराजकता फैल जायगी।<sup>५७</sup> १९३६ ई० में मौलाना शौकत अली की मूर्ति का अनावरण करते हुए जिन्ना ने कहा था कि वर्तमान राजनीतिक समस्या यह थी कि इंग्लैण्ड सारे भारत पर राज्य करने का इच्छुक था और गांधीजी इस्लामी भारत के शासक बनना चाहते थे और वे दोनों में किसी एक को या समान रूप से दोनों को मुसलमानों पर

५१. जिन्ना की १३ सितम्बर, १९४२ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तकरीरें, पृ० २०७।

५२. तकरीरें, पृ० १४१-१४२।

५३. वही।

५४. वही, पृ० १६२, १६५, १७०।

५५. वही।

५६. वही, पृ० २३०।

५७. वही, पृ० २३३, २४६।

नियन्त्रण स्थापित करने नहीं देंगे।<sup>४८</sup> १९४५ ई० में भारत में एक राज्य बने रहने के गुभाव को वे मुसलमानों की दासता का गुभाव कहते थे।<sup>४९</sup>

पाकिस्तान योजना के प्रौद्योगिक रूप से प्रस्तुत करने के पूर्व ही जिन्ना ने कांग्रेस सरकार के समक्ष यह माँग रखी थी कि कोई भी प्राणामी सुधार योजना उस समय तक लागू न की जाए जबतक उसके लिए लीग की पूर्ण अनुमति न प्राप्त हो जाए।<sup>५०</sup> अगस्त १९४० ई० में कांग्रेसों ने लीग के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया था। इससे जिन्ना को बहुत बल मिला था।<sup>५१</sup> क्रिस्त योजना ने पाकिस्तान को परोक्ष रूप में स्वीकार कर लिया था जिन्ना के अनुसार इस योजना का महत्व ही यह था।<sup>५२</sup> मुसलमानों की पृथक्ता को स्पष्ट करने के लिये जिन्ना ने मुसलमानों को गाँधीजी के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन से अलग रहने का परामर्श दिया था। उन्होंने न केवल 'भारत छोड़ो' आन्दोलन को ही मुसलमानों के विरुद्ध बताया बल्कि यह भी कहा कि यदि मुसलमान इसमें सम्मिलित हो गए तो फिर कांग्रेस समस्त देश का प्रतिनिधित्व कर सकेगी और मुस्लिम लीग का अस्तित्व ही सतरे में पड़ जायगा।<sup>५३</sup> १९४५ ई० में बलूचिस्तान में बोलते हुए जिन्ना ने इस बात में गौरव अनुभव किया था कि मुस्लिम लीग के परामर्श के अनुसार मुसलमान १९४२ ई० के आन्दोलन से बिल्कुल अलग रहे।<sup>५४</sup> शिमला कॉन्फ्रेंस द्वारा कार्य-कारिणी में हिन्दू मुस्लिम समान प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया था और कैबिनेट मिशन प्लान ने प्रान्तों के समक्ष केन्द्र के नियन्त्रण से अलग रहने का विकल्प प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात् जिन्ना को केवल इतना कार्य करना शेष रह गया था कि वह संयुक्त भारत में शान्ति व्यवस्था असम्भव कर दे। ऐसा कर देने पर पाकिस्तान की उपलब्धि अथवा भारत विभाजन निश्चित-सा प्रतीत होता था।

जिन्ना राजनीति में मैकवावेली का शिष्य था उसके अनुसार राजनीति में कोई निश्चित सिद्धान्त कभी नहीं होता।<sup>५५</sup> जिन्ना अपने सिद्धान्तों को परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते थे। आरम्भ में वे पृथक् निर्वाचन प्रणाली को मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये आवश्यक समझते थे। बाद में कुछ प्रान्तों (सिन्ध और सीमाप्रान्त) को अलग कर देने पर बल देते थे और केन्द्र में एक तिहाई स्थान प्राप्त कर लेना चाहते थे और अन्त में वे भारत विभाजन के समर्थक थे। इसका उज्ज्वल

४८. इरशादत, पृ० ७६।

४९. वही, पृ० २२५।

५०. जिन्ना द्वारा मुस्लिम लीग को दिया गया सुभाव : तकरिरे, पृ० १३५। यह घटना फरवरी १९४० की थी।

५१. तकरिरे, पृ० १८५।

५२. वही, पृ० १९७-१९८।

५३. वही, पृ० २२७, २३६-२३७ (नवम्बर १९४२)।

५४. इरशादत-ए-जिन्ना, पृ० २२२।

५५. तकरिरे, पृ० १०७।

उदाहरण इस बात से मिल सकता है कि दिसम्बर १९४० ई० में जिन्ना ने पाकिस्तान योजना के पक्ष में यह तर्क दिया था कि जिस प्रकार एक सम्मिलित परिवार में दो भाइयों के लिए मिलकर रहना असम्भव हो जाने की स्थिति में सम्पत्ति विभाजन के परचातु के शान्तिपूर्वक रह सकते थे उसी प्रकार भारत विभाजन भी लाभदायक होगा।<sup>१६</sup> लेकिन जब १९४४ ई० में महात्मा गाँधी ने यही तर्क प्रस्तुत किया तो जिन्ना ने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस स्थिति में उन्हें एक केन्द्रीय व्यवस्था के अधीन रहना पड़ता।<sup>१७</sup> मितम्बर १९४४ ई० में गाँधीजी भारत को दो राष्ट्रों का देश तो स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं थे। वे इसे एक संयुक्त परिवार मान सकते थे जिसके वे मुसलमान सदस्य जो उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी भागों में बहुमत में थे, अलग रहना चाहते थे। गाँधीजी मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव को निम्न शर्तों पर स्वीकार करने के लिये तैयार थे :

- (१) निर्धारित क्षेत्रों के निवासियों की इच्छा किसी निर्वाचन अथवा अन्य पद्धति द्वारा जान लिया जाए।
- (२) यदि उनका 'हाँ' में उत्तर हो तो भारत की स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् उन्हें अलग स्वतन्त्र राज्यों में संगठित कर दिया जाए।
- (३) एक संधि द्वारा बाह्य सुरक्षा, आन्तरिक संचार साधन, आयात-निर्यात आदि विषयों का संचालन किया जाए।

लाहौर प्रस्ताव के परिणामस्वरूप जो व्यवस्था उत्पन्न हो सकती थी उसे गाँधीजी ने स्वीकार किया किन्तु दो राष्ट्रों के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। जिन्ना ने गाँधीजी के पत्र को स्वीकृत नहीं किया तथा इस समय तक उनके लाहौर प्रस्ताव में एक परिवर्तन आ चुका था। वे अब उत्तर-पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी भागों को पाकिस्तान के दो क्षेत्र मानने लगे थे। दोनों को दो पृथक् राज्यों में परिवर्तन के विरुद्ध हो चुके थे। जिन्ना उपरोक्त विभाजन के पश्चात् एक केन्द्रीय व्यवस्था के भी विरुद्ध थे क्योंकि वे इस प्रकार के सम्मिलित प्रबन्धों का उत्तरदायित्व दोनों देशों की संवैधानिक सभाओं को प्रदान करना चाहते थे।

जिन्ना एक कुशल वार्ताकार थे। उन्होंने गाँधीजी या राजगोपालाचारी के प्रस्तावों को इसलिए अस्वीकार किया कि ये व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये गये थे। यदि ये प्रस्ताव ही कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत होते तब उनका कहना था कि वे उस पर विचार विमर्श कर सकते थे। वे लाहौर प्रस्ताव में निहित सिद्धान्त के लिये सहमति चाहते थे जिम्मे बाकी व्यवस्था पर विचार बाद में हो सके।

यदि हम जिन्ना के सङ्घ को ध्यान में रखें और १९३६ ई० के पूर्व के कार्यों पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि जिन्ना के विचारों में कोई भौतिक परिवर्तन

१६ तकररी, पृ० १६२-१६३।

१७. सी. एच. फिलिप्स : दी इकोल्यूशन ऑफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान (१९५०-१९५७),

पृ० ३१६-३१८।

१९३६-३८ ई० के मध्य नहीं आया था। जिन्ना के विभिन्न भाषणों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि जिन्ना १९४०-४६ ई० के मध्य भी बहुधा यह कहते थे कि कांग्रेस और लीग को आपस में कोई समझौता कर लेना चाहिये था लेकिन वे समझौता इसी आधार पर चाहते थे कि हिन्दू मुस्लिम समानता केन्द्र में स्थापित हो जाए और मुसलमान केन्द्रीय प्रशासन में जनसंख्या में एक चौथाई होते हुए भी समानता प्राप्त कर लें। यह किसी भी प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त पर सम्भव नहीं था इसलिए कोई समझौता भी सम्भव नहीं हुआ।

बहुधा यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि क्या भारत विभाजन अवश्यंभावी था? सैद्धान्तिक स्तर पर इसका उत्तर 'नहीं' में ही दिया जा सकता है। लेकिन मुसलमान नेताओं की 'समानता' की माँग किसी अन्य आधार पर पूरी नहीं हो सकती थी।

---

## आधुनिक मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन का केन्द्र बिन्दु

आधुनिक भारत के विभिन्न मुख्य मुस्लिम राजनीतिक विचारकों ने भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक समस्या के सम्बन्ध में जागरूक बनाया। इन विचारकों में मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़कर शेष सब व्यक्ति इस्लाम और इस्लामी सम्यता से भलिभाँति परिचित थे। शाह वली उल्लाह, अजीज अहमद, सर संयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद इकबाल, प्रत्येक ने कुरान के अर्थ बताने का प्रयत्न किया और प्रत्येक ने कुरान को एक नई व्याख्या की। प्रत्येक नेता ने इस व्याख्या को अपने राजनीतिक कार्यक्रम का एक आवश्यक अंग माना था। इन नेताओं ने अपने विभिन्न विचारों और नीतियों को कुरान पर आधारित किया था। इस कार्य के पीछे यह भावना कार्य कर रही थी कि मुसलमानों को प्रभावित करने के लिए 'कुरान' के अतिरिक्त कोई भी अन्य स्रोत इतना अधिक सहायक नहीं हो सकता था। यदि सर संयद मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान बनाना चाहते थे तो उन्होंने कुरान और हजरत मोहम्मद के जीवन से उदाहरण देकर अपनी नीति को पुष्ट किया था। यदि अबुल कलाम आजाद मुसलमानों को आत्मनिर्भर तथा अंग्रेजों पर आश्रित रहने से मुक्त करना चाहते थे और एक पृथक् दल के रूप में गठित करना चाहते थे तब उन्होंने भी कुरान से प्रेरणा ली थी। मोहम्मद अली ने १९१५-१९१६ ई० के मध्य कुरान और हदीस का अध्ययन किया था और अपने विभिन्न भाषणों में खलीफा के धार्मिक नेता होने पर बल दिया था। इकबाल भी इस्लामी दर्शन के अध्ययन करने के परचात् ही मुसलमानों को अधिक प्रभावित कर सके थे। जिन्ना ही ऐसे व्यक्ति थे जो आरम्भ में इस्लामी रंग में रंगे हुए नहीं थे लेकिन मुसलमानों का एक प्रभावशाली नेता बनने के लिए स्वयं उन्हें भी इस्लामी रंग में रंगना पड़ा। इकबाल, आजाद और मोहम्मद अली ने मिलकर एकता का विचार भी कुरान के आधार पर उचित ठहराया था। यही कारण था कि मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन धर्म से जुड़ा रहा और विभिन्न भयवा परस्पर विरोधी सिद्धान्तों के

लिए भी एक ही प्रेरणा स्रोत ढूँढा जाता रहा। इसीका परिणाम यह हुआ कि इस राजनीतिक चिन्तन में सामाजिक और आर्थिक तत्त्वों का प्रभाव कम रहा। वर्तमान समय में इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि मुसलमानों की पददलित आर्थिक स्थिति अथवा हिन्दू समाज की संकीर्णता को मुस्लिम पृथक्ता के लिए दोषी ठहराया जाए। यह तर्क किसी एक निश्चित तथा सीमित क्षेत्र के अध्ययन जैसे बंगाल में सामान्यतः मुसलमानों को कृषक वर्ग में होना अथवा मोपला विद्रोह के लिए वहाँ के हिन्दू जमींदारों को दोषी ठहराना या अन्य प्रदेशों में सामाजिक बहिष्कार आदि से संभवतः उचित सिद्ध हो सकता है। किन्तु इसमें तुरन्त यह प्रश्न पैदा होता है कि मुस्लिम राजनीतिक आन्दोलन का नेतृत्व किस प्रकार निर्धारित होता था? इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वे मुस्लिम वर्ग जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे मुस्लिम आन्दोलन का नेतृत्व कर सके थे। पचास वर्षों तक चल रहे मुस्लिम राजनीतिक आन्दोलन में किमी समय आर्थिक तत्व नेतृत्व निर्धारण में निर्णायक सिद्ध नहीं हुए थे।

एक अन्य कठिनाई इस सन्दर्भ में और उत्पन्न हो जाती है, और वह यह है कि मुसलमान कृषकों के साथ हिन्दू कृषक भी होते थे और कृषकों की स्थिति सामान्यतः एक-सी ही थी तब मुसलमान कृषक हिन्दू कृषकों के साथ मिलकर आर्थिक आचारों पर एक आन्दोलन क्यों नहीं आरम्भ कर सके? मुसलमान जमींदार हिन्दू जमींदारों के साथ वर्ग हितों की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं मिलकर कार्य कर सके। मर सैयद अहमद ने १८८८ ई० में पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाने में इस बात का प्रयत्न किया था किन्तु उन्होंने भी इस प्रयत्न को शीघ्र ही छोड़ दिया था। यहाँ यह और ध्यान रखने योग्य बात है कि मुस्लिम विचारक एवं नेता मुस्लिम सम्प्रदाय की एकता को बनाए रखना चाहते थे और आर्थिक अथवा सामाजिक कारणों से प्रभावित आन्दोलन मुस्लिम सम्प्रदाय को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकता था। इसलिए मुसलमान नेताओं ने इन तत्त्वों की ओर ध्यान कम दिया और मुस्लिम सम्प्रदाय की एकता को बनाए रखने पर अधिक ध्यान दिया था। यह लक्ष्य केवल "मिल्लत की एकता" पर बल देने से ही प्राप्त हो सकता था। इसीलिए मिल्लत की एकता का विचार अधिकांश राजनीतिक विचारकों के चिन्तन में प्रमुख बना रहा।

'मिल्लत की एकता' को विभिन्न लेखकों ने सर्वइस्लामवाद (सर्व इस्लामिज्म) कहा है उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में सिलाफत आन्दोलन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यदि इन राजनीतिक विचारकों की यह धारणा ठीक मान ली जाय तब यह बात समझ में नहीं आती कि वे विचारक एक पृथक् राज्य के निर्माण का प्रकार बने और यदि 'मिल्लत की एकता' का अर्थ सर्वइस्लामवाद या तब किसी भी विचारक ने विरत के इस्लामी देगों का एक संघ बनाने अथवा विभिन्न देगों को एक इस्लामी साम्राज्य के अधीन रहने के लिए क्यों नहीं कहा था।

यहाँ यह बनाना भी उचित लगता है कि मौलाना मोहम्मद अली के प्रतिस्पर्ध

मौलाना आजाद और मोहम्मद इकबाल ने भी मिल्लत की एकता पर अत्यधिक बल दिया था और इसकी विस्तृत व्याख्या की थी। किन्तु उन्होंने प्रचलित अर्थ में "पैन-इस्लामिज्म" स्वीकार नहीं किया था। मौलाना आजाद ने कहा था कि "जिस पैन इस्लामिज्म को यूरोप प्रस्तुत कर रहा है उसका कोई अस्तित्व यूरोपवासियों के शंकालु मस्तिष्क के बाहर कहीं नहीं है।"<sup>१</sup> इसी भाषण में उन्होंने कहा था, "यदि पैन इस्लामिज्म का अस्तित्व होता तो क्या यह सम्भव था कि हमारे सामने ईरान पर कयामत बीत जाती, मरुद्धो समाप्त हो जाता, ट्रिपोली में मुसलमानों के शव पड़े तड़पने और हमारे हृदय में कोई वास्तविक हलचल न होती?"<sup>२</sup> मोहम्मद इकबाल ने भी मिल्लत की एकता का गुणगान किया था और अपनी विभिन्न कविताओं तथा लेखों में इस्लाम के अनुयाइयों को एक हो जाने के लिए कहा था लेकिन साथ ही उन्होंने खिलाफत आन्दोलन का समर्थन भी नहीं किया था। 'पैन इस्लामिज्म' के विचार की निरर्थकता को यह कहकर स्पष्ट किया था कि इस शब्द का कोई भी पर्यायवाची शब्द अरबी, तुर्की अथवा फारसी भाषा में नहीं था इसलिए यह भावना मूल रूप में इस्लाम के अनुयाइयों की नहीं हो सकती थी। १९वीं शताब्दी में जमालुद्दीन अफगानी इस्लामी मिल्लत की एकता के विचार के पहले समर्थक कहे जाते हैं।<sup>३</sup> उन्होंने भी विभिन्न इस्लामी राज्यों को एक राज्य में विलय हो जाने के लिए नहीं कहा था। इसलिए मिल्लत की एकता का अर्थ सर्व-इस्लामवाद अथवा पैन इस्लामिज्म लगाना गलत है।

मिल्लत की एकता का सही अर्थ समझने के लिए उन कारणों को समझ लेना आवश्यक है जिनमें प्रभावित होकर यह विचार प्रस्तुत किया गया था। साथ ही यह भी देख लेना चाहिए कि मिल्लत की एकता की दुहाई देकर वे नेता मुसलमानों को किस मार्ग पर चलाने की बात कहते थे। मौलाना आजाद ने इस विचार को १९१२ ई० में अल-हिज्बान के माध्यम से फैलाया था। उनका मुख्य अभिप्राय अलीगढ़ विचार पद्धति के विरुद्ध मुसलमानों को संगठित करना था। अलीगढ़ पद्धति के नेता मुसलमानों में अफ्रेजा के प्रति निष्ठा और भक्ति भाव पैदा करने के लिए कहते थे। मौलाना आजाद इस पद्धति के विरुद्ध मुसलमानों को ले जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुसलमानों के समक्ष उन मुस्लिम देशों की स्थिति का वर्णन किया जहाँ पर इंग्लैण्ड अथवा अन्य यूरोपीय ईसाई शक्तियाँ मुसलमान

१ आजाद का २७ अक्टूबर, १९१४ का भाषण, चुनचत-ए-अवुल क़नाम आजाद, पृ० २०।

२. वही पृ० २१।

३. जमालुद्दीन अफगानी (१८३८-९७) विभिन्न देशों में घूमे हुए थे। वे मुस्लिम देशों की खराब स्थिति देखकर बहुत चिन्तित हुए थे। परिवर्ती साम्राज्यवाद से बचने का उन्होंने एक उपाय "पैन इस्लामिज्म" बताया था। वे अधिकजितया इस्लामी देशों को समस्या से परिचित थे और उन देशों को एक-दूसरे की सहायता के लिए उत्तर रहे की सलाह देने थे।



राज्यो पर अत्याचार कर रही थी। वे चाहते थे कि यदि भारतीय मुसलमान अन्य देशों के मुसलमानों की स्थिति को समझ ले तो वे अंग्रेजों के प्रति भक्ति-भाव से सन्तुष्ट नहीं रह सकते थे और इस प्रकार अलीगढ़ पद्धति का प्रभाव कम हो जायेगा।

मौलाना मोहम्मदअली आरम्भ में अलीगढ़ विचारधारा से प्रेरित थे किन्तु १९११-१३ की घटनाओं से वे अंग्रेज विरोधी बन गए थे। अंग्रेजों के विरुद्ध और अलीगढ़ विचारधारा से भिन्न मुसलमानों को संगठित करने के लिये उन्होंने मिल्लत को एकता का समर्थन किया था और इस कार्य के लिए 'खलीफा' और उसके समर्थक आन्दोलन को अपना लक्ष्य बना लिया था। मौलाना मोहम्मद अली ने खलीफा को 'धार्मिक नेता' बताया था किन्तु मौलाना आजाद ने खलीफा को राजनीतिक अधिकारी तथा इस्लामी 'जमाअत' का केन्द्र किन्तु बताया था। मोहम्मद इकबाल ने खलीफत को आन्दोलन का समर्थन करने से ही इन्कार कर दिया था क्योंकि वे इस आन्दोलन को 'दरवीजागिरी' (भिक्षा माँगना) मानते थे। वे तो इस आन्दोलन को मिल्लत की एकता को नष्ट करने वाला समझते थे क्योंकि इससे हिन्दू और मुसलमान एक ही मंच पर एकत्र हो गये थे। इस प्रकार मिल्लत की एकता के समर्थक उस मिल्लत के अग्रगण्य के प्रति तीन अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए हुए थे। ऐसी स्थिति में मिल्लत की एकता को सर्वइस्लामवाद की सजा देने वालों के समक्ष एक नई समस्या पैदा हो जाती है कि मिल्लत की एकता के प्रतिपादक इस सर्वइस्लामवाद के प्रतीक के लिये विलुप्त भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण क्यों रखते थे? क्या मिल्लत की एकता का वह अर्थ जो सामान्यतः समझा जाता है ठीक है?

इसी प्रकार अंग्रेजों सरकार के प्रति इन तीनों मिल्लत की एकता के समर्थकों का भिन्न दृष्टिकोण था। मौलाना मोहम्मद अली १९३० ई० में अंग्रेजों से 'बुद्ध' चाहते थे जिसके लिए वे भारत की अग्र्य कौमो से लड़ सकें।<sup>४</sup> वे मिल्लत की एकता में विश्वास रखते हुए मुसलमानों को अल्पसंख्यक मानते थे और उनके अधिकारों के लिये विशिष्ट सुविधाओं तथा अधिकारों की माँग करते थे। मौलाना आजाद अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्गों के हितों से नहीं सोचते थे। वे भारत के मुसलमानों को एक दीवार की भाँति संगठित करना चाहते थे और राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ मिलकर अंग्रेजों से भारत की स्वतन्त्रता चाहते थे। मोहम्मद आजाद अल्पसंख्यक राज्य में संगठित करना चाहते थे क्योंकि वे मुसलमानों को धार्मिक, सामाजिक और मानविक अधिकारों पर हिन्दुओं में अलग मानते थे इसलिए वे त्रिपरा को यह परामर्श देते थे कि एक पृथक् राज्य स्थापित किया जाए। मिल्लत की एकता के आधार पर एक प्रभुत्व सनस्कृत द्वारा भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग के मुसलमानों के

४. मोहम्मद अली का लोचनेक सम्बन्ध में धारणा।

लिये एक पृथक् राज्य बनाए जाने की मांग प्रस्तुत करना विचित्र लगता है। मिल्लत की एकता को यदि सर्व इस्लामवाद के अर्थों में लिया जाए तब उत्तर-पश्चिमी भारत के लिये मुसलमानों के लिए अन्य इस्लामी राज्यों में विलय होने की बात कही जानी चाहिए थी। यह ध्यान देने की बात है कि मिल्लत की एकता और भौगोलिक आधार पर एक पृथक् इस्लामी राज्य की स्थापना बाह्य रूप से परस्पर विरोधी दिखाई पड़ते हैं और दोनों एक ही विचारक 'इकबाल' के चिन्तन में मिलते हैं। यदि मिल्लत की एकता का ठीक अर्थ समझ लिया जाए तब उपरोक्त परस्पर विरोधी विचारों की कठिनाई दूर हो सकती है।

मिल्लत की एकता का अर्थ सर्व इस्लामवाद कदापि नहीं था क्योंकि किसी भी नेता ने समस्त इस्लामी जगत के लिये एक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता पर कभी बल नहीं दिया था। मिल्लत की एकता का लक्ष्य मुख्यतः भारतीय मुसलमानों को अल्पसंख्यक होने की हीन भावना से बचाना था इसलिये उन्हें विश्व के समस्त मुस्लिम सम्प्रदाय से सम्बन्धित करना था। मौलाना आजाद संख्या पर कोई महत्त्व नहीं देते थे लेकिन वे भारत के समस्त मुसलमानों को संगठित अवश्य करना चाहते थे। मिल्लत की एकता पर बल देने का अभिप्राय था कि सामाजिक और आर्थिक तत्त्व कम महत्त्वपूर्ण हो जायें और भारतीय मुसलमान अपने राजनीतिक उद्देश्यों को मिल्लत पर अधिक आधारित मान लें। यही कारण था कि इण्डियन नेशनल कांग्रेस का आर्थिक और राजनीतिक प्रोग्राम मुसलमानों में कम लोकप्रिय रहा। नेशनलिस्ट मुसलमान नेता भी मुसलमानों में इतने लोकप्रिय नहीं हो सके थे। इसीलिए जिन्नावाद में यह चेतावनी दे सके थे कि नेशनलिस्ट मुसलमानों को मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्तों में अपनी लोकप्रियता को स्थापित करके देखना चाहिए। कोई भी मुसलमान नेता मिल्लत की एकता का विरोध नहीं कर सकता था इसलिए जब साम्प्रदायिक और राष्ट्रवादी मुसलमान नेता मुसलमानों को संगठित करने के लिये निकले तो राष्ट्रवादी नेता इस दौड़ में बहुत ही पीछे रह गये। इस बात की परीक्षा का अवसर १९३७ ई० के पश्चात् ही उत्पन्न हुआ जब मताधिकार अपेक्षाकृत अधिक लोगों को उपलब्ध हो गया था। मिल्लत के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता का नारा १९३८-१९३९ ई० के पश्चात् जिन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया और इसकी सफलता भी आश्चर्यजनक रही क्योंकि पिछले ३० वर्षों में सब प्रभावशाली नेता मिल्लत की एकता पर बल देते थे।

इकबाल ने मिल्लत की एकता की बात इसलिए कही थी कि अन्य किसी आधार पर मुस्लिम समुदाय को संगठित नहीं किया जा सकता था। वे जानते थे कि भारतीय मुसलमानों में जातीय और वंशीय भेद काफी प्रभावशाली थे इसलिए उन्होंने मुसलमानों को तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिन्दुस्तानी का भेद भूल जाने के लिए कहा था। इसके प्रतिरिक्त मिल्लत की एकता का बिचार उस समय अधिक प्रतिपादित किया गया था जबकि 'वतन' (देश) के आधार पर एकता के सिद्धान्त

का प्रचार किया जा रहा था। मौलाना आजाद और इकबाल दोनों ने 'वतन' के आधार पर एकता का सङ्घन किया था। यद्यपि दोनों के ऐसा करने में कुछ व्यर्थ का अन्तर था और दोनों के उद्देश्य भिन्न थे। मौलाना आजाद 'वतनियत' के विचार को पश्चिमी नेताओं द्वारा प्रस्तुत एक पड़यन्त्रकारी सिद्धान्त मानते थे जिसके आधार पर पश्चिमी शक्तियों द्वारा एक-एक करके इस्लामी राज्यों को समाप्त किया जा रहा था।<sup>५</sup> १९१२ ई० में उन्होंने अल-हिंजाल में लिखा था।

"तुकों की प्रतिष्ठा का समाप्त होना समस्त इस्लामी जगत की शव-यात्रा के समान होगा.....जब कभी किसी इस्लामी देश पर कोई अशान्ति आक्रमण करे उस समय प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य "जिहाद" हो जाता है।"<sup>६</sup>

१९१४ ई० में कलकत्ते में भाषण करते हुए उन्होंने कहा था—'इस्लाम के निकट, वतन, स्थान, रंग व भाषा का बटवारा कोई वस्तु नहीं.....मुस्लिम का धराना किसी विनिष्ट वनन और स्थान से सम्बन्ध नहीं रखता.....यदि युद्ध स्थल में किसी तुक के पांव में एक बाँटा चुभ जाए तो.....भारत का मुसलमान मुसलमान नहीं हो सकता जबतक वह उस पाँव की पीड़ा को अपने हृदय में अनुभव न करे क्योंकि इस्लामी मिल्तत एक शरीर है और मुसलमान किमी भी स्थान पर हों उस शरीर के अंग है।"<sup>७</sup>

इकबाल ने मिल्तत की एकता के विचार को इस दावे के उत्तर में प्रस्तुत किया था कि भारतवासी एक कौम के सदस्य थे। एक कौम के विचार के प्रस्तुत कर्ताओं का कथन था कि कौम का आधार वतन (देश) होता है और भारत देश के समस्त रहने वाले एक कौम के सदस्य थे। इसके विपरीत इकबाल का कथन था कि 'वतन का आधार कौम होता है'। इकबाल का तर्क अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं दूरगामी था। इन शब्दों के हेर-फेर से बहुत अन्तर पड़ गया था। इकबाल भी मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य की कल्पना करते थे लेकिन वे पहले मुसलमानों को एक कौम बनाना चाहते थे। उनके अनुसार पहले मुसलमानों को मिल्तत के आधार पर एक कौम बन जाना चाहिए उसके बाद ही वे एक वतन की कल्पना कर सकते थे। इसलिए उन्होंने मिल्तत की एकता के सिद्धान्त पर मुसलमानों को भारतीय कौम के सदस्य बनने से अलग कर दिया और फिर इसी मिली एकता के आधार पर एक निश्चित क्षेत्र (उत्तर पश्चिमी भारत) के रहने वालों के लिये एक पृथक राज्य की कल्पना का प्रतिपादन किया।

इस प्रकार मिल्तत की एकता वास्तव में भारतीय मुसलमानों के पृथक संपठन का आधार बनी। इसे सर्व इस्लामवाद का प्रतीक समझना ठीक नहीं है।

५. सुतबान-ए-आजाद, पृ० १७।

६. सिलसिला मजाहीन मौलाना आजाद, न० ३, पृ० २६-३१। यह निबन्ध ९ नवम्बर, १९१२ के अल-हिंजाल में छपा था।

७. सुतबान, पृ० ११-१४।

यह मिल्लत की एकता ही भारतीय मुसलमानों के पृथक्कीकरण और अपने पड़ोसियों के साथ सामाजिक और आर्थिक सम्बन्धों की अनदेखी करने में सहायक हुई।

एक दूसरा तत्व जो इन विचारकों के चिन्तन में प्रमुख रहा है वह है मुसलमानों की उच्चता में विश्वास। यह तत्व तर्क शून्य एवं विवेकरहित था, किन्तु इसका विशेष प्रभाव शाहवली उल्लाह से लेकर मौलाना आजाद और इकबाल तक सब नेताओं पर पडा है। शाहवली उल्लाह ने मुसलमानों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिये अहमदशाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण के लिये आमन्त्रित किया था। इस पत्र में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि उम स्थिति में मुसलमानों की छोई हुई प्रधानता को पुनः स्थापित कराने वाला और कोई अन्य शासक नहीं हो सकता था। १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जब मुसलमानों की स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में आन्दोलन आरम्भ हुआ तब यह बहुधा कहा जाता था कि भारतीय मुसलमान भारत पर शताब्दियों तक राज्य कर चुके थे और शासकों का रक्त उनकी नसों में दौड़ता था। सर सैयद ने यह बात अपने उन विभिन्न भाषणों में कही थी जिनमें उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया था अथवा मुसलमानों में इस आन्दोलन में फलग रहने को कहा था।

सर सैयद ने लोक मेवाओं में भर्ती को सत्ता प्राप्ति का एकमात्र साधन कहा था इसलिए वे केवल अंग्रेजी प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर नौकरियों में स्थान नहीं चाहते थे। वे कलम के स्थान पर तलवार की प्रतियोगिता परीक्षा चाहते थे। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा के आधार पर ही मुसलमानों ने अपने राज्य स्थापित किये थे। भारतीय मुसलमानों को शासकों के वंशज बनाकर उनके लिए विशिष्ट भुविधाओं की कल्पना करना बहुत सरल था। यह विशिष्ट हितों की कल्पना एक दोघारी तलवार सिद्ध हुई। एक ओर तो इस कल्पना ने मुसलमान नेताओं को राष्ट्रीय आन्दोलन में अनग रखा। राष्ट्रीय आन्दोलन का मुख्य लक्ष्य अंग्रेजों से स्वाधीनता तथा स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष करना था। इस आन्दोलन में सब वर्गों का सहयोग केवल जनतान्त्रिक परम्परा के अनुसार ही हो सकता था जिसका अर्थ था कि प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार सब नागरिक कार्य करें। इस प्रणाली के अन्तर्गत किसी भी वर्ग को उसके इतिहास के आधार पर महत्वपूर्ण स्थान प्रदान नहीं किया जा सकता था। मुसलमानों की उच्चता को अन्य आधारों पर भी ठीक ठहराया गया था। मौलाना आजाद के अनुसार विश्व का अन्तिम धर्म केवल मुसलमानों की ही सम्पत्ति थी। वे ही ईश्वर की ओर से विशेष रूप से इस धर्म प्रचार के लिये चुने गये थे। दूसरी ओर इस कल्पना ने मुसलमानों को बहुधा अंग्रेजों के कृपा-पात्र बनने की ओर प्रेरित किया। अंग्रेज साम्राज्यवादी भी राष्ट्रीय आन्दोलन को दुर्बल बनाने के लिये 'विभाजन और फूट' की नीति का प्रयोग करते थे किन्तु मुसलमान स्वयं भी राष्ट्रीय आन्दोलन से अनग रहने के लिए इच्छुक थे। सर सैयद ने अंग्रेजी साम्राज्य के न्यायित्व की कल्पना को लाभदायक समझा था क्योंकि यह विदेशी

नियन्त्रण ही मुसलमानों के विशिष्ट हितों का समर्थक हो सकता था। इसमें सन्देह नहीं है कि १९११ ई० के बंगाल विभाजन के समाप्त किये जाने में मुसलमानों की अंग्रेजी साम्राज्य पर आस्था रखने की नीति को टूट पहुँची थी और फलस्वरूप वे कुछ वर्षों तक अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग रहे किन्तु यह कार्य एक प्रकार से अंग्रेजों की नीति के प्रति रोष अभिव्यक्ति के समान था। मुसलमानों की इस नीति ने अंग्रेजों को उनके विशिष्ट महत्व को स्वीकार करने पर बाध्य किया था। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि हिन्दुओं के साथ 'सहयोग' के समय में भी उन्होंने अपने पृथक् हितों को नहीं छोड़ा था। इस समय में तब यह अवश्य हुआ कि मुसलमान नेता सामान्य मुसलमानों को राजनीति की ओर आकर्षित कर सके।

मुसलमानों के राजनीतिक चिन्तन की ओर ध्यान न देकर राष्ट्रीय आन्दोलन के विभिन्न इतिहासकार उन तात्कालिक कारणों की खोज करते रहे हैं जो १९२३ ई० के पश्चात् मुसलमानों को कांग्रेस से अलग करने के लिए उत्तरदायी हुए थे। ऐसी परिस्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि विभिन्न लोग अलग-अलग उत्तर प्रस्तुत करते। गांधीजी के खिलाफत समर्थन में दोष देना, हिन्दू महासभा तथा उग्र हिन्दूवाद अथवा अंग्रेजों की भेदनीति अथवा असहयोग आन्दोलन को अमानक ही बन्द कर देना अथवा शुद्ध संगठन, तबलीग, तन्जीम को दोषी ठहराना केवल बाह्य कारणों की खोज करना है। यह सब कारण किसी न किसी मात्रा में अवश्य उत्तरदायी रहे थे किन्तु इनका योगदान गौण था। मुख्य उत्तरदायित्व राजनीतिक अधिकारों की उस मौलिक कल्पना का था जिसके अनुसार मुसलमान अपने लिए विशिष्ट अधिकारों की आवश्यकता समझते थे। १९११ ई० में बंगाल विभाजन के समाप्त करने से मुसलमानों की अंग्रेजों पर आश्रित रहने की नीति को घबका लगा? १९१२-२३ ई० के मध्य कांग्रेस के साथ सहयोग करके उससे पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और अधिप्रतिनिधित्व के सिद्धान्तों को स्वीकार करवा लेना मुसलमान राजनीतिकों की बड़ी भारी सफलता थी। १९२३ ई० के पश्चात् स्वतन्त्रता प्राप्ति तक फिर कभी कांग्रेस के साथ मुसलमानों का उतना व्यापक सहयोग नहीं हुआ क्योंकि मूलभूत सिद्धान्त कांग्रेस के द्वारा स्वीकृत हो चुके थे। अब तो केवल उनके क्रियान्वित कराने का प्रश्न शेष रह गया था। इसीलिए १९१६ ई० से १९४० ई० तक निरन्तर मुसलमान भागों की सूची में वृद्धि होती रही। यह वृद्धि परिस्थितियों के अनुकूल बढ़ती रही जैसे-जैसे अंग्रेज सरकार पर कांग्रेस तथा राष्ट्रीय आन्दोलन का दबाव अधिक बढ़ता गया और अंग्रेज सरकार अधिक सुविधायें देने पर बाध्य होती दिखाई पड़ो वैसे-वैसे मुसलमानों की भागें बढ़ती गयीं।

मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन का अध्ययन करते समय एक प्रश्न निरन्तर उत्पन्न हो जाता है—क्या कारण था कि मुसलमानों की भागें निरन्तर बढ़ती गईं? १९०६ ई० में पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचन और अधिप्रतिनिधित्व की माँग प्रस्तुत की गई जो १९१६ ई० में सुरक्षित स्थान देकर और निर्वाचन पद्धति पर समझौता करके

पूरी कर दी गयी। १९२७-२८ ई० में सिन्ध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त को पृथक करना और बंगाल तथा पंजाब में मुस्लिम बहुमत स्थापित करना, लक्ष्य निर्धारित किया गया जो १९३५ ई० के सुधारों द्वारा पूरा कर दिया गया। प्रान्तीय स्वायत्त प्रशासन मुख्यतः मुसलमानों की माँगों को ध्यान में रखकर ही स्थापित किया गया था। इससे भी सन्तुष्ट न होकर १९४० ई० में लाहौर प्रस्ताव द्वारा पाकिस्तान की माँग की गई। १९४०-४४ ई० के मध्य ऐसा प्रतीत होता था कि शायद कोई समझौता निकल आए, किन्तु १९४७ ई० में अन्ततः भारत विभाजन हुआ।

बहुधा यह कहा जाता है कि मुसलमानों की इस निरन्तर बढ़ती हुई माँग के पीछे अंग्रेज साम्राज्यवादी सरकार का हाथ था। इतिहास की अन्य प्रमुख घटनाओं की भाँति मुस्लिम पृथक्करण की समस्या का एक सरल उत्तर संभव नहीं है फिर भी मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन का प्रमुख मन्तव्य भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक दृष्टि में हिन्दुओं के अधीन रहने से बचना था। इस चिन्तन में मुसलमानों के लिये ऐसे अधिकार प्राप्त करने की कल्पना थी जिसमें मुसलमान उस स्थिति को न पहुँचे जो एक प्रजातन्त्र में 20% वाले अल्प संख्यक वर्ग की नियति हो सकती थी। इन राजनीतिक विचारकों की यह मान्यता थी कि भारतीय मुसलमान किसी प्रकार से हिन्दुओं के जिन पर उन्होंने शासन किया था अधीन न रहें। प्रत्येक विचारक के विचारों से उद्भूत प्रत्येक पाठ में दिये गये हैं। इन विचारों की योजनाएँ परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहीं। ऐतिहासिक सन्दर्भ में ही उनका औचित्य उपलब्ध होता है। १८८७ ई० में सर सैयद अहमद के समय में केवल प्रश्न इस बात का था कि भारत में कुछ प्रतिनिधित्व प्रशासन की स्थापना की जाए तथा भारतवासियों को लोकमेवाओं में अधिक स्थान उपलब्ध हो। सर सैयद ने कांग्रेस का विरोध यह सोचकर किया था कि उन माँगों की पूर्ति को रोकने में यह विरोध पर्याप्त होगा। यह उनके राजनीतिक कार्यक्रम को पूरा करने में केवल नकारात्मक कार्य था। सकारात्मक रूप में मुसलमानों के लिये स्थानों का आरक्षण, अधि प्रतिनिधित्व और साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति की माँग प्रस्तुत की गई थी। यह माँग २०वीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों तक पर्याप्त रही।

असहयोग आन्दोलन, स्वराज्य पार्टी का सरकार के लिए बाधाएँ उत्पन्न करना और साइमन कमिशन नियुक्ति की घोषणा के पश्चात् यह आवश्यक हुआ कि मुसलमानों की माँगों को नए सन्दर्भ में प्रस्तुत किया जाए। इसलिए मार्च १९२७ ई० के दिल्ली प्रस्ताव पास किये गये जिनमें मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्तों में मुसलमानों के लिये पूर्ण अधिकारों की माँग की गयी थी। इससे मुसलमानों को उन प्रान्तों में हिन्दुओं के प्रति वही नीति अपना सकने का अवसर मिला जो उनके प्रति हिन्दू बहुसंख्यक प्रान्तों में अपनाई जायगी। इन प्रकार वे हिन्दुओं के साथ समानता बनाए रख सकेंगे।

१९३०-३२ की गोलमेज सम्मेलन तथा १९३५ द्वारा स्थापित प्रान्तीय

स्वायत्त प्रशासन से यह स्पष्ट हो गया था कि निकट भविष्य में केन्द्रीय स्तर पर भी प्रशासनिक अधिकार भारतवासियों को हस्तान्तरित होंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की हुई कि कोई योजना इस प्रकार की प्रस्तुत की जाए जिससे मुसलमान एक अल्पसंख्यक वर्ग की भाँति न रह जायें। यह एक असंगत लक्ष्य था कि प्रजातन्त्रीय पद्धति में एक अल्पसंख्यक वर्ग बहुसंख्यक वर्ग के 'समान' अधिकारों की माँग रखे यह माँग किसी भी विशिष्ट प्रतिनिधित्व अथवा भारक्षित पद्धति पर क्रियान्वित नहीं हो सकती थी। इसलिए १९४० ई० में पाकिस्तान प्रस्ताव रखा गया था।

१९४० ई० के पश्चात् (विशेषकर १९४५ ई० की शिमला कान्फरेन्स में) यह प्रतीत होता था कि जिन्ना इस बात पर शायद जिद्द न करें कि पाकिस्तान स्थापित ही किया जावे। सैद्धान्तिक रूप में शायद यह बात ठीक हो किन्तु जिन्ना पाकिस्तान की माँग को केवल उस समय छोड़ने के लिये तैयार थे जबकि केन्द्रीय सरकार में मुसलमानों को हिन्दुओं के समान स्थान उपलब्ध हो। इससे कम पर कोई समझौता न तो हुआ था और न सम्भव ही था।

इस प्रकार मुस्लिम राजनीतिक नेता प्रजातन्त्रिय व्यवस्था में एक अल्पसंख्यक वर्ग को जिसे धार्मिक और मिल्लत के आधार पर गठित किया गया था, बहुसंख्यक वर्ग के समान अधिकार दिलाने का प्रयत्न कर रहे थे। मिल्लत की एकता का अर्थ भारतीय मुसलमानों को संगठित करना और फिर उस आधार पर एक पृथक राज्य की माँग करना था।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची

(केवल मुख्य स्रोतों तथा पुस्तकों का ही वर्णन किया गया है)

### अध्याय-१

१. मौलाना अब्दुल्ला सिन्धी : शाहवली उल्लाह और उनकी मियासी तहरीक (लाहौर, १९४४)
२. मौलाना अब्दुल्ला सिन्धी : शाहवली उल्लाह और उनका फलमफा (लाहौर, १९४४)
३. शेख मोहम्मद इकराम : रोदे कौसर (लाहौर)
४. खनीक अहमद निजामी : शाहवली उल्लाह के सियासी मकतूबात (द्वितीय संस्करण, देहली, १९६९)

### अध्याय-२-३

१. सैयद अहमद खाँ (सर) : असबाब बगावत-ए-हिन्द (१८५८)
२. " : लोयल मोहम्मदन्म ऑफ इण्डिया, भाग १-३ (१८६०-६१)
३. " : रिबीव ग्रॉन डॉ० हन्टर्स इण्डियन मुसलमान्स (१८७२)
४. " : प्रेजेन्ट स्टेट ऑफ इण्डियन पॉलिटिक्स (१८८८)
५. " : मुसलमानों की किस्मत का फौजवा (१८९४)
६. " : आम्बिरी मजामीन (१८९८)
७. सैयद राम मसूद (सम्प०) : मतूत-ए-मर सैयद (१९३१)
८. मुन्शी सिराजुद्दीन (सम्प०) मजमुए लेखर्सा सर सैयद (१८९०)
९. मौलवी सैयद इकबालप्रली : तफरनामा-ए-पंजाब (१८८४)  
(सम्प०)
१०. मोहम्मद अब्दुल्ला खाँ : मकानात-ए-मर सैयद (१९५२)  
(सम्प०)



११. अमनाफ हुसैन हामी : हयात-ए-त्राफीद (१९३९)  
 १२. मौलाना मोहम्मद इस्माइल : मरानात-ए-गर संघ, भाग १-१२  
 १३. मोहम्मिन उलमुन्ना : एड्जिटिग. एड्ज रसीद रिनेटिंग टू दी एम. ए. घो. बरिज (१८९८)  
 १४. मौनबी मोहम्मद अमीन जुवेगी : हयात-ए-मोहम्मिन (१९३४)  
 १५. मौनबी मोहम्मद अमीन जुवेगी : मरानात  
 १६. मोहम्मद हबीबुर्रमान : मरानात-ए-हयात (१९२५)  
 १७. फजलउद्दीन : मोहम्मिन उलमुन्ना की स्तीचों और गेसबरी का मजमूदा (१९०४)  
 १८. मुफ्तख अहमद : मुमनमानों का गेसन मुन्तखिर (१९३८)  
 १९. मौनबी अमर अहमद जुवेगी : गुनबात-ए-घानिया, भाग १-२  
 २०. मोहम्मद अमीन जुवेगी : मुमनमानान-ए-हिन्द की गियासन वतनी (१९३८)  
 २१. मोहम्मद अमीन जुवेगी : गियासन-ए-मिल्लिया  
 २२. मजहर अमनारी : तारीग-ए-मुस्लिम सीग (१९४०)  
 २३. मिर्जा अमर हुसैन : तारीग-ए-मुस्लिम सीग  
 २४. उर्दू डिप्लोम एगोसिगेशन की १९०० का वापवाही (१९०१)  
 २५. मरानात-ए-हामी, भाग १-२  
 २६. इफतिखार अलम : तारीग-ए-मदरमुनु उलूम, अनीगड

अनीगड इन्स्टीट्यूट गजट (१८९९ से १९०७); अनीगड कॉलेज मैगजीन; अनीगड मन्थली (१८९८-१९५५); मोहम्मद अजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की वार्षिक रिपोर्ट्स (१८८६-१९०७); प्रिन्सिपल एम. ए. घो बरिज अनीगड की वार्षिक रिपोर्ट्स (१९००-१९०८); एम. ए. घो. कॉलेज अनीगड की प्रबन्ध समिति रिपोर्ट्स (१८९५-१९०६); ट्रस्टियों की रिपोर्ट्स (१८९०-१९०८); लाई मिस्टो और बर्जन के निजी गज आदि अत्यन्त महत्वपूर्ण मौलिक स्रोत हैं।

#### अध्याय-४

१. अशरत रहमानी (मम्ग०) : हयात-ए-जोहर (देहली, १९३१)  
 २. रईस अहमद जाफरी (मम्ग०) : मताईबात-ए-मोहम्मद अली (हैदराबाद, १९४५)  
 ३. मोहम्मद अली : हिन्दुस्तान की गियासी उलभने (हैदराबाद, १९४७)

४. मोहम्मद सख्खर (सम्प०) : मजामीन-ए-मोहम्मद अली, भाग १-२ (देहली, १९४०)
५. मोहम्मद सख्खर : तकारीर मौलाना मोहम्मद अली, भाग १-२ (लखनऊ)
६. रईस अहमद जाफरी (सम्प०) : इफादात-ए-मोहम्मद अली
७. रईस अहमद जाफरी (सम्प०) : निगारिशात-ए-मोहम्मद अली, भाग-१ (हैदराबाद, १९४४)
८. " " : मकालात-ए-मोहम्मद अली, भाग १-२ (हैदराबाद, १९४३)

#### अध्याय-५

१. रजिया फरहत बानु (सम्प०) : खुतबात-ए-इकबाल (देहली, १९४६)
२. तसद्दुक हुसैन ताज (सम्प०) : मजामीन-ए-इकबाल (हैदराबाद, १३६२ हि.)
३. शामनू (सम्प०) : हर्फ-ए-इकबाल (लाहौर, १९४५)
४. सैयद अब्दुल वाहिद मईनी : वाकियात-ए-इकबाल (करांची)
५. शेख अताउल्ला : (सम्प०) : इन्तखाब मकातीब (लाहौर, १९५८)
६. सैयद नजीर नियाजी (सम्प०) : मकतूबात-ए-इकबाल (करांची, १९५७)
७. शेख अताउल्ला : (सम्प०) : इकबाल नामा, भाग 1 (लाहौर)
८. मोहम्मद इकबाल : बांग-ए-दरा
९. " " : असार-ए-खुदी
१०. " " : रमूज-ए-खेखुदी
११. प्रो० युसूफ मनीम चिश्ती : शरह बाग-ए-दरा (देहली)

#### अध्याय-६

१. महमूद अलहमन मिदीवी (सम्प०) : मजामीन अलबलाग (देहली, १९४४)
२. मोहम्मद रफीक मुत्तक (सम्प०) : मकालात अलहिनाल (लाहौर)
३. मुशताक हुसैन (सम्प०) : मिलमिला मजामीन मौलाना अबुल कलाम आजाद, नं० १-१४
४. अनवर अरिफ (सम्प०) : आजाद की तकरीरें (देहली, १९६१)
५. अबदुल्ला भट (सम्प०) : मकालात-ए-आजाद (लाहौर, १९४४)
६. सैयद सिफारिग हुसैन (सम्प०) : मजामीन अबुल कलाम आजाद भाग-१ (देहली, १९४४)
७. बद्र-उल-हसन (सम्प०) : मजामीन अबुल कलाम आजाद भाग-२ (देहली, १९४८)

८. धरील अहमद जाफरी (गण्य०) : मकानिमात धरुन बनाम धावाद् ! (हैदराबाद, १९४६)
९. नगरल्ला गी धजीर(गण्य०) : मुगबाल-ए-धरुन बनाम धावाद् (साहौर)
१०. मोरिण बाशाभीरी (गण्य०) : मुगबाल-ए-धावाद् (साहौर, १९४६)
११. मोनाना धरुन बनाम धावाद् : गमरीजाल-ए-धावाद् (साहौर)
१२. " " : गुम्हार-ए-जाहिर (साहौर, १९४६)
१३. गुलाम रशून् मेहर : नरुग-ए-धावाद्, (साहौर, १९३८)
१४. मोहम्मद उममान फारकानी : धरुन-ए-धावाद् (साहौर, १९४५)

## अध्याय-७

१. मुफ्ती गुलाम जाफर : इरशादात-ए-जिन्ना (साहौर)
२. उममान महरार्ई : जिन्ना की तस्वीरें (हैदराबाद, १९४५)
३. रफीक जकारिया : स्पीचीज ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना (कराची)
४. मतसूय हमन मंयद : मोहम्मद अली जिन्ना (साहौर, १९६२)
५. हेक्टर बोनिषो : जिन्ना (संदन, १९५४)
६. रफीक अफजल : स्पीचेज एण्ड स्टेटमेन्ट्स ऑफ जिन्ना (साहौर, १९६६)
७. गी एच पिलिप्पा : दी इवोल्यूशन ऑफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान (१८५८-१९४७) (बोनसफोर्ड प्रेस, १९६५)
८. मलीक उज्जमान : पाप वे दू पाकिस्तान (साहौर, १९६१)
९. मुस्लिम लीग : इण्डियाज प्रोग्राम ऑफ हर पयूचर कान्स्टिट्यूशन, (१९४०)
१०. तालिद विन सद्द : पाकिस्तान-दी फोर्मेटिव फेज (संदन, १९६८)

## अनुक्रमणिका

अफगानिस्तान, मर सैयद और,  
३६-३७.

अन्दाली, अहमदशाह, ३.

अब्दुल अजीज, ४; वली उल्लाह  
के आन्दोलन को अधिक  
व्यापक बनाना, ५; कुरान का  
नया अनुवाद, ५; शिष्यों का  
नया दल, ५; केन्द्रीय समिति का  
गठन, ७; जिहाद का मंचानन,  
७, ९, १०.

अमोर खाँ, ६, ७, ८.

अरस्तू, २.

असबलाग, प्रकाशित होना, १३३;

इसके विषय, १३४.

अलहिस्साल, प्रकाशित करने  
का उद्देश्य, १२८, १२९; इसके  
विषय, १२९, १६९; इसका  
प्रभाव, १३९; बन्द होना,  
१३३.

अली, मौलाना मोहम्मद, देखिये-  
मोहम्मद अली, मौलाना.

अलीगढ़ विचारधारा का विस्तार,  
मुसलमानों का पृथक् अस्तित्व  
और, ७०; मौलाना मोहम्मद अली  
और, ९८; आजाद और, १३०,  
१३५.

अलीगढ़ कॉलेज, स्थापना और  
उद्देश्य, १४, १९; आजाद और,  
१३५

असबाब बगावत-ए-हिन्द, १४.

अहमद, सैयद ( बरेलवी ), ५,  
मनिक प्रशिक्षण, ६, क्या वे अंग्रेज  
विरोधी थे ? ६, ७; जिहाद का  
उद्देश्य, ८, ९; अमीरखाँ की सेना  
से लौटने का कारण, ८; जिहाद  
की असफलता के कारण, ९, १०;  
जिहाद संचालन का उत्तरदायित्व,  
१०.

अहमद, सरसैयद, १; सैयद अहमद  
बरेलवी के आन्दोलन के विषय  
में विचार, ९; प्रारम्भिक जीवन,  
१३, १४; मुख्य लक्ष्य, १५;  
चिन्तन के आधार, १५;  
अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना, १४;  
अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति दृष्टि-  
कोण, १४, २२, ५१; कुलीन वर्ग  
और, १५, १६; भारतीय मुसल-  
मानों के भूतपूर्व शासक होने का  
मिदान्त, १५; कांग्रेस विरोध,  
१५, १६; प्रतिनिधित्व सिद्धान्त  
और प्रजातन्त्रीय प्रणाली का  
विरोध, १६, २०-२२, २६-२७;  
अंग्रेजी सरकार के प्रति दृष्टिकोण.

८. अकील अहमद जाफरी : मकालिमात अबुल कलाम आजाद !  
(सम्प०) (हैदराबाद, १९४४)
९. नसरुल्ला खाँ अजीज(सम्प०) : खुतवात-ए-अबुल कलाम आजाद (लाहौर)
१०. शोरिश काश्मीरी (सम्प०) : खुतवात-ए-आजाद (लाहौर, १९४४)
११. मौलाना अबुल कलाम आजाद : तसरीहात-ए-आजाद (लाहौर)
१२. " " : गुब्बार-ए-खातिर (लाहौर, १९४६)
१३. गुलाम रसूल मेहर : नक्श-ए-आजाद, (लाहौर, १९५८)
१४. मोहम्मद उसमान फारकलीत : अफकार-ए-आजाद (लाहौर, १९४५)

### अध्याय-७

१. मुपती गुलाम जाफर : इरशादात-ए-जिन्ना (लाहौर)
२. उसमान सहराई : जिन्ना की तकरीरें (हैदराबाद, १९४५)
३. रफीक जकारिया : स्पीचीज ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना (कराची)
४. मतलूब हसन सैयद : मोहम्मद अली जिन्ना (लाहौर, १९६२)
५. हेक्टर बोलीथो : जिन्ना (लंदन, १९५४)
६. रफीक अफजल : स्पीचेज एण्ड स्टेटमेन्ट्स ऑफ जिन्ना  
(लाहौर, १९६६)
७. सी. एच. फिलिप्स : दी इवोल्यूशन ऑफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान  
(१८५८-१९४७) (श्रोन्सफोर्ड प्रेस, १९६५)
८. खलीक उज्जमान : पाय वे टू पाकिस्तान (लाहौर, १९६१)
९. मुस्लिम लीग : इण्डियाज प्रोब्लम ऑफ हर यूचर कमिस्टिथ्यूशन,  
(१९४०)
१०. ग्वालिद बिन सद्द : पाकिस्तान-दी फोर्मेंटिव फेज (लंदन, १९६८)

## अनुक्रमणिका

अफगानिस्तान, गर संयद घौर,  
२६-३७.

अन्दाली, अहमदशाह, ३.

अब्दुल अजीज, ४; यली उल्लाह  
के आन्दोलन को अधिन-  
व्यापक बनाना, ५; कुरान का  
नया अनुवाद, ५; शिष्यों का  
नया दान, ५; केन्द्रीय समिति का  
गठन, ७; जिहाद का मंचालन,  
७, ९, १०.

अमीर खाँ, ६, ७, ८.

अरस्तू, २.

अलबलाग, प्रकाशित होना, १३३;  
इसके विषय, १३४.

अलहिदास, प्रकाशित करने  
का उद्देश्य, १२८, १२९; इसके  
विषय, १२९, १६९; इसका  
प्रभाव, १३१; बन्द होना,  
१३३

अली, मौलाना मोहम्मद, देखिये-  
मोहम्मद अली, मौलाना.

अलीगढ़ विचारधारा का विस्तार,  
मुसलमानों का पृथक् अस्तित्व  
और, ७०; मौलाना मोहम्मद अली  
और, ९८; आजाद और, १३०,  
१३५.

अलीगढ़ कॉलेज, स्थापना और  
उद्देश्य, १४, १९; आजाद और,  
१३५.

असबाब अगावत-ए-हिन्द, १४.

अहमद, संयद ( बरेलवी ), ५;  
मैनिक प्रशिक्षण, ६; क्या वे अंग्रेज  
विरोधी थे ? ६, ७; जिहाद का  
उद्देश्य, ८, ९; अमीर खाँ की सेना  
से लौटने का कारण, ८; जिहाद  
की असफलता के कारण, ९, १०;  
जिहाद मंचालन का उत्तरदायित्व,  
१०.

अहमद, सरसंघ, १; संयद अहमद  
बरेलवी के आन्दोलन के विषय  
में विचार, ९; प्रारम्भिक जीवन,  
१३, १४; मुख्य लक्ष्य, १५;  
चिन्तन के आधार, १५;  
अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना, १४;  
अंग्रेजी माझाज्य के प्रति दृष्टि-  
कोण, १४, २२, ५१; कुलीन वर्ग  
और, १५, १६; भारतीय मुसल-  
मानों के भूतपूर्व शासक होने का  
मिद्दान्त, १५; काप्रेस विरोध,  
१५, १६; प्रतिनिधित्व सिद्धान्त  
और प्रजातन्त्रीय प्रणाली का  
विरोध, १६, २०-२२, २६-२७;  
अंग्रेजी सरकार के प्रति दृष्टिकोण,

८. अकील अहमद जाफरी : मकालिमात अबुल कलाम आजाद (सम्प०) (हैदराबाद, १९४४)
९. नसरुल्ला खाँ अजीज (सम्प०) : खुतबात-ए-अबुल कलाम आजाद (लाहौर)
१०. शोरिश काशमीरी (सम्प०) : खुतबात-ए-आजाद (लाहौर, १९४४)
११. मौलाना अबुल कलाम आजाद : तसरीहात-ए-आजाद (लाहौर)
१२. " " : गुब्बार-ए-खातिर (लाहौर, १९४६)
१३. गुलाम रसूल मेहर : नक़्श-ए-आजाद, (लाहौर, १९५८)
१४. मोहम्मद उममान फारकनीत : अफकार-ए-आजाद (लाहौर, १९४५)

## अध्याय-७

१. मुफती गुलाम जाफर : इरशादात-ए-जिन्ना (लाहौर)
२. उसमान सहराई : जिन्ना की तकरीरें (हैदराबाद, १९४५)
३. रफीक जकारिया : स्पीचीज ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना (करांची)
४. मतलूब हुमन सैयद : मोहम्मद अली जिन्ना (लाहौर, १९६२)
५. हेक्टर बोलियो : जिन्ना (लंदन, १९५४)
६. रफीक अफजल : स्पीचेज एण्ड स्टेटमेन्ट्स ऑफ जिन्ना (लाहौर, १९६६)
७. सी. एच. फिनिक्स : दी इवोल्यूशन ऑफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान (१८५८-१९४७) (बोक्सफोर्ड प्रेस, १९६५)
८. खलीक उममान : पाथ वे टू पाकिस्तान (लाहौर, १९६१)
९. मुस्लिम लीग : इण्डियाज प्रोग्राम ऑफ हर फ्यूचर कान्स्टिट्यूशन, (१९४०)
१०. खालिद बिन मद्दूद : पाकिस्तान-दी फोर्मेटिव फेज (लंदन, १९६८)

## अनुक्रमणिका

अफगानिस्तान, मर मंयद और,  
२६-३७.

अब्दाली, अहमदशाह, ३.

अब्दुल अजीज़, ४; वली उल्लाह  
के आन्दोलन को अधिक  
व्यापक बनाना, ५; कुरान का  
नया अनुवाद, ५; शिष्यों का  
नया दल, ५; केन्द्रीय समिति का  
गठन, ७; जिहाद का संचालन,  
७, ९, १०.

अमीर खाँ, ६, ७, ८.

अरस्तू, २.

अलबलाग, प्रकाशित होना, १३२;  
इसके विषय, १३४.

अलहिलास, प्रकाशित करने  
का उद्देश्य, १२८, १२९; इसके  
विषय, १२९, १६९; इसका  
प्रभाव, १३९; वन्द होना,  
१३३.

अली, मौलाना मोहम्मद, देखिये-  
मोहम्मद अली, मौलाना.

अलीगढ़ विचारधारा का विस्तार,  
मुसलमानों का पृथक् अस्तित्व  
और, ७०; मौलाना मोहम्मद अली  
और, ९८; आजाद और, १३०,  
१३५.

अलीगढ़ कॉलेज, स्थापना और  
उद्देश्य, १४, १९; आजाद और,  
१३५.

असबाब बगावत-ए-हिन्द, १४.

अहमद, संयद ( बरेलवी ), ५;  
मैनिंक प्रशिक्षण, ६, क्या वे अंग्रेज  
विरोधी थे ? ६, ७; जिहाद का  
उद्देश्य, ८, ९; अमीरखाँ की सेना  
में लौटने का कारण, ८; जिहाद  
की असफलता के कारण, ९, १०;  
जिहाद संचालन का उत्तरदायित्व,  
१०.

अहमद, सरसंयद, १; संयद अहमद  
बरेलवी के आन्दोलन के विषय  
में विचार, ९; प्रारम्भिक जीवन,  
१३, १४; मुख्य लक्ष्य, १५;  
चिन्तन के आधार, १५;  
अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना, १४;  
अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति दृष्टि-  
बोग, १४, २२, ५१; कुलीन वर्ग  
और, १५, १६; भारतीय मुसल-  
मानों के भूतपूर्व शासक होने का  
मिदान्त, १५; कायेस विरोध,  
१५, १६; प्रतिनिधित्व मिदान्त  
और प्रजासत्ताकीय प्रणाली का  
विरोध, १६, २०-२२, २६-२७;  
अंग्रेजी सरकार के प्रति दृष्टिकोण,



१७, १८, १९; दारुल हब्स और दारुल इस्लाम, १८; जिहाद का औचित्य, १८; कुरान की नई व्याख्या, १८; अलीगढ़ कॉलेज का लक्ष्य, १९; सरकार का स्वरूप, १९; कुरान के आधार पर राजनीतिक सिद्धान्त, २२; अपनी सहायता स्वयं, २०; भारतीय अमर्ष्य थे, १८; प्रतियोगिता परीक्षाएँ, २३, २४, २५; धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन, २८; बहुसंख्यकों से भय, २९; राजनीतिक संगठन, २९-३४; मुसलमान एक कौम, ४२-४४, ६३; कौम शब्द की व्याख्या, ४९; पृथक्तावादी विचार, ४९; हिन्दुओं के प्रति दृष्टिकोण, ४९-५१.

आगाला, मुल्तान मोहम्मद शाह, ७०.  
घार्चबोल्ड और शिमला शिष्ट-मण्डल, ६५, ६६, ६७.

आज़ाद, अबुल कलाम, प्रारम्भिक जीवन, १२७, १२८; अल-हि-लाल प्रकाशन के उद्देश्य, १२८, १२९, राजनीति और इस्लाम का सम्बन्ध, १२९, १३१, १३२, १३३, १३४, १४२, १४३, आन्तिकारी और, १२९, १३०; अलीगढ़ विचारधारा और, १३०, १३५; मुस्लिम लीग और, १३०, १३१, राजनीति में नेतृत्व, १३१, अंग्रेजों के प्रति नीति, १३२, १३३; अल-हिलाल का प्रभाव, १३३, अलीगढ़ कॉलेज और, १३४, १३५; नमनऊ शिमा कॉलेज, १३४, सर्व

इस्लामवाद और खिलाफत, १३५, १३६; मिल्लत की एकता, १६८-१७०; 'जमाअत' तथा सामुहिक नेतृत्व, १३६, १३७, १६९, १७०; इमाम का महत्त्व, १३८; असहयोग और, १३८; भारतीय स्वतंत्रता और, १३९, १४४; हिन्दू-मुस्लिम एकता, १३९, १४४, १४५; अद्वितीय नीति और अकेलापन, १३९, १४०; कांग्रेस का मुसलमानों पर प्रभाव, १४०; अन्य नेताओं में मतभेद, १४०-४१; शौकतअली, मोहम्मद अली और, १४०-१४१, १४२; अनुशासन और, १४१, उनका स्वभाव, १४१-१४२; समाजवाद और, १४२, १४३; जकात, १४३; साम्प्रदायिकता से मुक्त, १४४; अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का प्रश्न, १४४; भारतीय राष्ट्रीयता और, १४४; वतन और कौम और, १७२.

इकबाल, शेख मोहम्मद, प्रारम्भिक जीवन, १०१, १०२; कौमियत का आधार, १०२-१०८, वतन परस्ती का विरोध, १०५-१०७, ११४, ११६, ११७; भारतीय मुसलमानों को एक पृथक् कौम बताना, १०६-११२; मिल्लत के अर्थों की व्याख्या, १०८-११०; सामुहिक संगठन पर बल, ११०-११२; मुसलमानों में जागरण पैदा करना, ११३, ११५; मिल्लत की एकता, १०४, १०८-११०, ११४, १६९-७०; सर्व इस्लामवाद और, ११४-११७; खिलाफत



८०, ८८, १७४ ; इकबाल और  
खिलाफत आन्दोलन, ११५, ११६,  
११७

खिलाफत कॉन्फ्रेंस और भारतीय  
स्वतन्त्रता, १३८.

खिलाफत संगठन ७५

गांधी-जिन्ना वार्ता, १६५, गांधी  
और मोहम्मद अली, ८१; गांधी  
और इकबाल, १२२

गोलमेज सम्मेलन, १५५, १५६,  
१७५, मोहम्मद अली और, ७६, ८१

चौदह सूत्रीय कार्यक्रम, १५५, १५५  
जुलूस, १४३

जर्मियत उल उलमा, १५४

जर्मियत खिलाफत, ७५

जिन्ना, मोहम्मद अली, प्रारम्भिक  
जीवन, १४६, १४७ ; विवाह,  
१४८, पत्नी की मृत्यु, १४८,

कार्यों का सक्षिप्त वर्णन, १४८-  
१४६, मुसलमानों को एक कौम  
बताना, १४६, १६१, इगलैण्ड

यात्रा, १४६, १४७, १४८, दादा

भाई नौरोजी और, १४७, कांग्रेस

सदस्यता, १४७, मुस्लिम लीग

और, १८७, १५०, दण्डियन लेजि-  
स्लेटिव कौंसिल और, १४७, १४८,

१५७; रोलेट बिल और, १४७,  
खिलाफत और अमहयोग आन्दोलन,

१८८, साम्प्रदायिक सद्भाव मसिति  
के सदस्य, १४८; निराशा, १४८,

१५६, १५७; मुस्लिम हितों की  
सुरक्षा, १४६, नेहरू-रिपोर्ट और,

१५६, गोलमेज सम्मेलन का मुद्दा,  
१५५, १५६; हिन्दू मुस्लिम एकरता

का कारण, १५०, १५१, कांग्रेस

लीग समझौते में उनका लक्ष्य, १५०,  
१५१, १५२; मुसलमानों के पृथक्

अस्तित्व का समर्थन, १५६, १५७;  
संगठन पर बल, १५१; मुसलमानों

को आत्मनिर्भर होने का परामर्श,  
१५१, १५२, १६१; प्रान्तों को

स्वायत्तता, १५२; हिन्दुओं पर

सन्देश, १५२; दिल्ली प्रस्ताव,  
१५३; समुक्त निर्वाचन प्रणाली,

१५३, पृथक् निर्वाचन प्रणाली,  
१५४, चौदह सूत्रीय कार्यक्रम,

१५४, १५५; गोलमेज सम्मेलन

और, १५५, १५६; कांग्रेस प्रशासन

पर आक्षेप, १५७, १५८; मुक्ति-

दिवस, १५६; लाहौर-प्रस्ताव, १६०-  
१६६; हिन्दू और इस्लाम धर्म का

अन्तर, १६०; अखिल भारतीय सभ

योजना का विरोध, १६०; प्रजातन्त्रीय

पद्धति का विरोध, १६१, १६२;  
भावी संविधान का स्वरूप, १६१,

१६२; अंग्रेजों के प्रति नीति, १६२,  
१६३, जिन्ना का लक्ष्य-हिन्दू-

मुस्लिम समानता, १६२, १६३,  
मैकपावेली के गिफ्ट, १६४; कुशन

वार्ताकार, १६५, इकबाल का

प्रभाव, १२३, १२४.  
जिहाद, संयद अहमद बरेलवी और,

८-१०; अब्दुल अजीज और, १७;  
सर संयद और, १८

डिफेंस एसोसिएशन, उर्दू, ४०,  
५७, ५८.

डिफेंस एसोसिएशन, मोहम्मद अंगलो

ओरियन्टल, १४, ६०, ६४, उद्देश्य तथा  
कार्य, ३२-३४

तन्जीम, १७५.

तबलीग, १७४.  
 तबयन-उल-कलाम, १४, १७  
 तहजीब-उल-अखलाक, १४.  
 ताग्राम अहल-ए-किताब, १४, १७  
 तुर्की (ओटोमन) खिलाफत, १३५,  
 मोहम्मद अली और, ७७-८८.  
 तुर्की, सर संयद और, ३४-३६.  
 दाश्ल इस्लाम, ११, १८  
 दाश्ल हर्ब, ११, १८.  
 दिल्ली प्रस्ताव (१६२७), मोहम्मद,  
 मोहम्मद अली और, ६४-६६,  
 जिन्ना और, १५३-१५४, १७५,  
 बेहली, १  
 धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों  
 का गठन, सर संयद और, २८  
 नजीब उर्धाला, १, ३  
 नदवत उल उलेमा, मोहम्मिन उल-  
 मुल्क और, ५५  
 निज़ामो, तौफीक, ६  
 निर्वाचन प्रणाली, साम्प्रदायिक  
 तथा पूयक, सर संयद और, ३३,  
 ३४; मोहम्मिन उल मुल्क और,  
 ६६; मिन्टो की सहमति, ६६-७०,  
 मोनाना मोहम्मद अली और, ६२-  
 ६६; इकबाल और, १२१, १२२,  
 जिन्ना और, १५०, १५१, १५६,  
 १५५.  
 निर्वाचन प्रणाली, सम्मित एव  
 क्षेत्रीय, मोहम्मद अली और, ७५,  
 जिन्ना और, १५३, १५४  
 नेहरू, जवाहरलाल, इकबाल के  
 विचार और, १२४; मुस्लिम लीग  
 और, १५७; अंग्रेजों का योगदान,  
 १५८; पाकिस्तान की मांग, १६२;  
 जिन्ना और, १६०-१६६.

नेहरू रिपोर्ट, मोहम्मद अली और,  
 ८८, जिन्ना और, १५४.  
 प्लेटो, २  
 पिरपुर रिपोर्ट, १५८.  
 पेंड्रियोटिक एसोसिएशन, १४, १६८  
 पोप और खलीफा, १३६.  
 प्रजातंत्रिय पद्धति, सर संयद और,  
 २०-२२, २६-२७, मोहम्मिन उल-  
 मुल्क और, ६८, ६९, मोहम्मद  
 अली और, ६३, ६४, ६५; मोहम्मद  
 इकबाल और, १२१; जिन्ना और,  
 १६१, १६३  
 प्रतियोगिता परीक्षाएँ, सर संयद  
 और, २३, २४, २५.  
 फतह उल अज़ीज, ५.  
 फतह उल रहमान, २.  
 फरंगी महल, ७२, ७४.  
 फरायज़ी आन्दोलन, ११, १२  
 बंगाल-विभाजन, मोहम्मिन उल  
 मुल्क और, ५७, मोहम्मद अली  
 और, ७५, ७६; मुगलमनों पर  
 प्रभाव, ७६, १७४.  
 बन्चिस्तान में उत्तरदायी प्रशा-  
 सन, १५२, १५३, १५५, १६४.  
 बहुसंख्यकों का भव, सर संयद  
 और, २८.  
 भारत-विभाजन की मांग, १६१-  
 १६६; इकबाल और, ११८, ११९,  
 १२४, १२५, १२६; अंग्रेजों का  
 योगदान, १५८; क्या यह अवर्य-  
 भावी था? १६६.  
 भारतीय स्वतंत्रता, मोहम्मद अली  
 और, ८०; आज़ाद और, १३८.  
 मद्दा, ६, ११, ८७.  
 मदीना, ६, ११, ८७.

मबरसे रहीमिया, ७.

महमूद, संयद, ४३.

मुक्ति दिवस, १५६.

मिन्टो और शिमला शिष्ट मण्डल  
६५, ७०

मिल्लत की एकता का विचार,

१६७-१७६, इसका प्रमुख कारण,

६४, १६८, सर्व इस्लामवाद से

भिन्न, १६८-१७०, १७१; आजाद

और, १६८-६९, १७०; इकबाल

और, १६९, १७०, १७१, मोहम्मद

अली और, ८०-८८, १७०, वास्त-

विक उद्देश्य, १७२, १७३

मुसलमान एक कौम (नेशन),

सर संयद और, ४१-४८; मोहसिन

और, ६३, इकबाल और, १०६,

१०७, जिन्ना और, १४५

मुसलमानों के राजनीतिक हित,

मोरिसन और, ६१; मोहसिन उल

मुल्क और, ६२, ६३, ६८; मीनाना

मोहम्मद अली और, ७५; इकबाल

और, ११७, ११८, आजाद और,

१३६; निरन्तर बढ़ते रहना, १७४,

१७५

मुसलमानों का राजकीय सेवाओं

में भाग, ६४

मुसलमान, एक अल्प संख्यक वर्ग,

सर संयद और, २८, २९; मोहि-

मिन उल मुल्क और, ५८, ६२, ६३,

६४; मोहम्मद अली और, ९२,

९३, ९४, ९५, ९६; इकबाल

और, १२१, १२२, १२३, १२४;

आजाद और, १४४, जिन्ना और,

१५०, १५१

मुसलमान - कौम का आधार,

३१५

मुसलमानों का राजनीति में पृथक्

अस्तित्व, इकबाल और, ११७;

आजाद और, १२६, १३१, १३२,

१४५; जिन्ना और, १५०; आर्थिक

कारणों का योगदान, १६८

मुस्लिम लीग, स्थापना, ७०; आजाद

और, १३०, १३१; मुसलमानों की

एकमात्र प्रतिनिधि, १५७; कांग्रेस से

समानता, १५८

मोल्ले और शिमला शिष्ट-मण्डल,

६५, ६६, ६७, ६९

मोहम्मद ऐजुकेशनल काङ्ग्रेस,

स्थापना और स्वरूप, ३१ ३२,

मोहसिन उल मुल्क और, ५२, ५३,

५६

मोहम्मद पोलिटिकल एसोसिएशन,

३०

मोहम्मद अली, मौलाना, कीर्ति

की अभिलाषा, ७१; लडाकू

स्वभाव, ७२; उनके कुछ प्रमुख

समर्प, ७२-७४, ध्यग करने की

आदत, ७३; असीगढ़ कॉलेज और,

७४; शिमला शिष्ट-मण्डल और,

७५; ललनऊ-समझौता और, ७६;

मुस्लिम लीग और, ७६, ९७; जेल

में रहना, ७६, ७७, खिलाफत

आन्दोलन और, ७७, ८०, ८२,

हिन्दुओं से मैत्री करने के कारण,

७७, ७८, १९२४ का उनके जीवन

में महत्त्व, ७८, ७९; प्रस्वस्थ ७५,

इंग्लैण्ड यात्रा, ७९, उनके प्रेरणा

स्रोत, ८०, ८१; मिल्लत के हित, ८०,

९६-९८; लक्ष्य की स्पष्टता, ८१;

इस्लाम प्रेम और, ८१; तुर्की के

प्रति दृष्टिकोण, ८२-८८; मिथ्र के प्रति दृष्टिकोण, ८५; हिन्दुओं के प्रति दृष्टिकोण, ८८-९१; मुसलमानों के राजनीतिक हित और, ९२-९६; दिल्ली प्रस्ताव और, ९४-९५; जिन्ना और, ९५; वेधसत्रवादी थे, ९८-१००.

मोहम्मद मोहसिन उर्फ़ डूबू, १२.

मोहसिन उल मुल्क, मुगलमान कौम और, ५३; मुगलमानों को उत्साहित करना, ५३-५४; नदवत उन उलमा और, ५५; मर सैयद और, ५६; अंग्रेज़ी साम्राज्य और, ५७, ५८-६५; मुसलमानों के उचित अधिकार, ५८; अंग्रेज़ अध्यापक और, ५८, ५९; शिमला शिष्ट मण्डल और, ६५-७०

रणजीतसिंह, ८, ९, १०.

राजनीति का धार्मिक आधार, मर सैयद और, २८, ४०, ४१; आजाद और, १३०, १३१, १३४

राजनीतिक चिन्तन का केन्द्र बिन्दु- १६७-१७६, - और घर्म, १६७; चिन्तन का मुख्य आधार, १२

राजनीतिक संगठन की आवश्यकता, ६२, ६३, ६४.

लखनऊ सम्मेलन, मोहम्मद अली और, ७६; जिन्ना और, १५०, १५१

लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन, आजाद और, १४२

लायल मोहम्मदस ओफ़ इण्डिया, १४, १७

लाहौर प्रस्ताव, १६०; १६६

वतन और कौम, १७०, १७१, १७२;

मोहम्मद अली और, ९६-९८; इकबाल और, १०२-१०८, ११४, ११६, ११७; आजाद और, १७२.

घर्नाबमूलर प्रेस एक्ट, २१.

अली उल्लाह, शाह, प्रारम्भिक जीवन, १; युगल के अध्ययन पर बल, २, ५; मुसलमानों के आपसी भेद कम करना, २; अलीफा के प्रश्न पर विचार, ३; अरदाबी को आप्रमग का निमंत्रण, ३, ४; अंग्रेज़ और, ४; मुसलमानों की प्रधानता को स्थापित करने का प्रयत्न, ४; उनका मध्य, ४.

शरीफ रिपोर्ट, १५८.

शिमला कॉन्फ़रेन्स, १६४

शिमला शिष्ट मण्डल, १४, ६५, ७०, ७५, अंग्रेज़ों का उत्तरदायित्व, ६८.

शुद्धि आन्दोलन, १७४

शौकत अली, १६३, आजाद और, १४०-४२.

अद्वानन्द, स्वामी की हत्या, ९१

साम्प्रदायिक समस्या, भावी भारतीय नविधान और, १५७

संगठन, १७४

समाजवाद और इस्लाम, १४२, १४३.

समुदायों में सन्तुलन, मर सैयद और; जिन्ना और, १५४

सर्व इस्लामवाद, मर सैयद और, ३४-३७, मोहम्मद अली और, ८०-८८; इकबाल और, ११४; आजाद और, १३५.

स्टेव्यूरी सिविल सर्विस, २४.

स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, २१.



ग. जैन का जन्म १९२९ में हुआ ।  
 ऊँ विश्वविद्यालय से आधुनिक  
 में स्नातकोत्तर परीक्षा प्रथम श्रेणी  
 १ करके पास की । १९५० ई०  
 १ में समाज कनिज, अलीगढ़ में  
 तीर्थ विभागाध्यक्ष की भूमि  
 २६२ ई० में आगरा विश्व-  
 तीर्थ 'सूचक' शोध-ग्रन्थ पर  
 धे प्रदान की गई । १९६२ ई०  
 १ चार वर्षों के लिए त्रिभुवन  
 उर पद पर नियुक्ति की ।  
 न्य प्रकाशित हुआ । १९६६  
 चालय में इतिहास विभाग  
 गये कर रहे हैं । १९७२  
 १ 'बी एम जेम्स आफ ए ग्यु  
 प्रकाशित हुआ ।